Eighteenth Series, Vol. II No. 5

Friday, July 26, 2024
Sravana 4, 1946 (Saka)

LOK SABHA DEBATES
(Original Version)

Second Session
(Eighteenth Lok Sabha)

सत्यमेव जयते

(Vol. II contains Nos.1 to 10)

LOK SABHA SECRETARIAT

NEW DELHI

EDITORIAL BOARD

Utpal Kumar Singh

Secretary-General

Lok Sabha

Mamta Kemwal

Joint Secretary

Bishan Kumar

Director

Narad Prasad Kimothi

Sunita Thapliyal

Joint Director

Maneesha Bhushan

Deputy Director

Dr. Shabnam Shaheen

Editor

© 2024 Lok Sabha Secretariat

None of the material may be copied, reproduced, distributed, republished, downloaded, displayed, posted or transmitted in any form or by any means, including but not limited to, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior permission of Lok Sabha Secretariat. However, the material can be displayed, copied, distributed and downloaded for personal, non-commercial use only, provided the material is not modified and all copyright and other proprietary notices contained in the material are retained.

C O N T E N T S

Eighteenth Series, Vol. II, Second Session, 2024/1946 (Saka)
No. 5, Friday, July 26, 2024/ Sravana 4, 1946 (Saka)

S U B J E C T	P A G E S
REFERENCE BY THE SPEAKER	
25th Anniversary of the Kargil Vijay Diwas	13
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
*Starred Question Nos. 61 to 65	14-44
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
Starred Question Nos. 66 to 80	45-183
Unstarred Question Nos. 691 to 920	184-892

*The sign **+** marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

PAPERS LAID ON THE TABLE 894-898

BUSINESS OF THE HOUSE 899

MOTION RE: CONSTITUTION OF THE JOINT COMMITTEE ON OFFICES OF PROFIT 900-903

ELECTION TO COMMITTEES 904-914

(i) All India Institute of Medical Sciences (AIIMS) at Awantipora, Bathinda, Bhopal, Kalyani, Nagpur, New Delhi, Raebareli, Rewari and Rajkot 904-905

(ii) Central Supervisory Board 909-910

(iii) Jawaharlal Institute of Postgraduate Medical Education and Research (JIPMER), Puducherry 911-912

(iv) Post-Graduate Institute of Medical Education and Research (PGIMER), Chandigarh 913

(v) Council of National Institute of Pharmaceutical Education and Research (NIPER) 914

MATTERS UNDER RULE 377 916-939

(i) Regarding extension of services of Tata Nagar – Thawe Express up to Gorakhpur Cantt

Shri Ravindra Shukla Alias Ravi Kishan 916

(ii) Regarding setting up of factories in Palamu Parliamentary Constituency

Shri Vishnu Dayal Ram 917

(iii) Need for reform in school education system in Dadra and Nagar Haveli

Shrimati Kalaben Mohanbhai Delkar 918

(iv) Need for resumption of flight services from Kushinagar International Airport

Shri Vijay Kumar Dubey 919

(v) Need to establish a Dry Port in Bundelkhand region

Shri Anurag Sharma 920

(vi) Regarding construction of service roads, over bridge and underpasses at NH-18 (Dhanbad – Balasore)

Shri Bidyut Baran Mahato 921

(vii) Regarding alleged Bangladeshi infiltration in Jharkhand

Shri Manish Jaiswal 922

(viii) Need to provide decorated mobile Kiosks to street vendors in Jagannath Dham Puri

Dr. Sambit Patra 923

(ix) Regarding integration of village cleanliness works into MGNREGA

Shri Kamakhya Prasad Tasa 924

(x) Regarding shortage of drinking water in Delhi

Shri Ramvir Singh Bidhuri 925

(xi) Regarding completion of irrigation projects in Gadchiroli Parliamentary Constituency

Dr. Namdeo Kirsan 926

(xii) Regarding construction of a new dam to replace the Mullaperiyar dam

Adv. Dean Kuriakose 927

(xiii) Regarding distribution of wage arrears under MGNREGA in Kasaragod Parliamentary Constituency

Shri Rajmohan Unnithan 928

(xiv) Regarding paper leak in NEET and NET Examiantions

Shri Rahul Kaswan 929

(xv) Need to construct underpass/railway over bridge in Aonla Parliamentary Constituency

Shri Neeraj Maurya 930

(xvi) Regarding extension of services of Cheran Express to Pollachi

Shri Eswarasamy K. 931

(xvii) Need to build an Airport in Tiruvannamalai

Shri C. N. Annadurai 932

(xviii) Regarding implementation of Jal Jeewan Mission in Bapatla Parliamentary Constituency

Shri Krishna Prasad Tenneti 933

(xix) Regarding setting up of an Agricultural University in Madhubani district

Shri Ramprit Mandal 934

(xx) Regarding setting up of a cotton processing unit and industry in Yavatmal, Maharashtra

Shri Sanjay Uttamrao Deshmukh 935-936

(xxi) Regarding terrorism in Jammu and Kashmir

Shri Amra Ram 937

(xxii) Regarding enactment of exclusive legislation to prevent mob lynching

Shri E. T. Mohammed Basheer 938

(xxiii) Regarding Minimum Support Price for agricultural products

Adv. Chandra Shekhar 939

UNION BUDGET (2024-25) – GENERAL DISCUSSION
AND
UNION TERRITORY OF JAMMU AND KASHMIR BUDGET (2024-25)-GENERAL DISCUSSION
AND
DEMANDS FOR GRANTS (UNION TERRITORY OF JAMMU AND KASHMIR), 2024-25 942-1016

Shri Jugal Kishore 942-949

Shri Jai Parkash 951-954

Shri Rajiv Ranjan Singh *alias* Lalan Singh 955-964

Shri Harendra Singh Malik 969-971

Shri Durai Vaiko 971-974

Shri Ve. Vaithilingam 975-977

Sushri Kangna Ranaut 978-980

Shri Gurmeet Singh Meet Hayer 981-983

Shri Hanuman Beniwal 984-988

Shrimati Harsimrat Kaur Badal 989-992

Dr. Dharamvira Gandhi 993-995

Dr. M. P. Abdussamad Samadani 996-999

Shri Vishnu Dayal Ram 1000-1004

Shri Balwant Baswant Wankhade 1005-1007

Shri Chhotelal 1008-1010

Shri Rajesh Ranjan 1010-1013

Shri Saumitra Khan 1014-1016

PRIVATE MEMBERS' BILLS – Introduced 1017-1048

(i) Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee (Amendment) Bill, 2024
(Amendment of Section 3)
By Shri C. N. Annadurai 1017

(ii) Constitution (Scheduled Tribes) Order (Amendment) Bill, 2024
(Amendment of the Schedule)
By Shri C. N. Annadurai 1018

(iii) Commission for Regulation and Development of Information Technology Industry Bill, 2024
By Shri C. N. Annadurai 1019

(iv) Artists (Social Security) Bill, 2024
By Shri Ravindra Shukla Alias Ravi Kishan 1020

(v) Traditional Fishermen (Protection and Welfare) Bill, 2024
By Shri Ravindra Shukla Alias Ravi Kishan 1021

(vi) Constitution (Amendment) Bill, 2024
(Amendment of Eighth Schedule)
By Shri Ravindra Shukla Alias Ravi Kishan 1022

(vii) Greenfield Infrastructure Development Boards Bill, 2024
By Shri Rajiv Pratap Rudy 1023

(viii) Constitution (Amendment) Bill, 2024
(Substitution of New Article for Article 48A, etc.)
By Shri Rajiv Pratap Rudy 1024

(ix) District Development and Monitoring Committee for Implementation of Central Sector and Centrally Sponsored Schemes Bill, 2024

By Shri Rajiv Pratap Rudy 1025-1026

(x) High Court of Kerala (Establishment of a Permanent Bench at Thiruvananthapuram) Bill, 2024

By Dr. Shashi Tharoor 1027

(xi) Transgender Persons (Protection of Rights) Amendment Bill, 2024

(Insertion of New Sections 8A and 13A)

By Dr. Shashi Tharoor 1028

(xii) Constitution (Amendment) Bill, 2024

(Amendment of Article 43A)

By Adv. Dean Kuriakose 1029

(xiii) Constitution (Amendment) Bill, 2024

(Insertion of New Article 49A)

By Adv. Dean Kuriakose 1030

(xiv) Rabies Control Bill, 2024

By Adv. Dean Kuriakose 1031

(xv) Constitution (Amendment) Bill, 2024

(Amendment of Article 81)

By Dr. Shashi Tharoor 1032

(xvi) Residential Schools (for Scheduled Castes and Scheduled Tribes) Bill, 2024

By Adv. Chandra Shekhar 1033

(xvii) Reservation for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and the Other Backward Classes in Private Sector Bill, 2024

By Adv. Chandra Shekhar 1034

(xviii) Establishment of Schools upto Senior Secondary level Bill, 2024

By Adv. Chandra Shekhar 1035

(xix) Airfare Regulatory Board Bill, 2024

By Shri Shafi Parambil 1036

(xx) Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee (Amendment) Bill, 2024

(Amendment of Long Title, etc.)

By Shri Shafi Parambil 1037

(xxi) Advocates (Amendment) Bill, 2024

(Amendment of Section 2, etc.)

By Dr. Shrikant Eknath Shinde 1038

(xxii) Orphan Child (Welfare and Development) Bill, 2024

By Dr. Shrikant Eknath Shinde 1039

(xxiii) Right of Children to Free and Compulsory Education (Amendment) Bill, 2024

(Amendment of Section 2, etc.)

By Dr. Shrikant Eknath Shinde 1040

(xxiv) Railways (Amendment) Bill, 2024

(Insertion of New Section 24A)

By Dr. Alok Kumar Suman 1041

(xxv) Flood and Drought Control Bill, 2024

By Dr. Alok Kumar Suman 1042

(xxvi) Special Economic Assistance to the State of Bihar Bill, 2024
By Dr. Alok Kumar Suman 1043

(xxvii) Single Use Plastic (Regulation) Bill, 2024
By Dr. Nishikant Dubey 1044

(xxviii) Victims of Floods caused due to heavy rains, cyclones and other reasons (Rehabilitation and Welfare) Bill, 2024
By Dr. Nishikant Dubey 1045

(xxix) Central Educational Institutions (Reservation in Admission) Amendment Bill, 2024
(Amendment of Sections 2 and 3)
By Dr. Nishikant Dubey 1046

(xxx) Promotion of Rational Thought Bill, 2024
By Shri Benny Behanan 1047

(xxxi) Autism Spectrum Disorders (Recognition and Treatment) Bill, 2024
By Shri Benny Behanan 1048

PRIVATE MEMBERS' RESOLUTION
Appropriate measures to regulate airfare in the country 1051-1108

Resolution Moved 1051-1066

Shri Shafi Parambil 1051-1063

Shri Dushyant Singh 1067-1073

Shri N. K. Premachandran 1074-1082

Dr. Nishikant Dubey 1083-1090

Shri Gurjeet Singh Aujla 1091-1094

Shri Bhartruhari Mahtab 1095-1100

Dr. Kalanidhi Veeraswamy 1101-1105

Captain Viriato Fernandes 1106-1107

Shri Ram Shiromani Verma 1107-1108

*<u>**ANNEXURE – I**</u> 1109-1118

Member-wise Index to Starred Questions 1109-1110

Member-wise Index to Unstarred Questions 1111-1118

*<u>**ANNEXURE – II**</u> 1119-1120

Ministry-wise Index to Starred Questions 1119

Ministry-wise Index to Unstarred Questions 1120

* Available in Master copy of Debate, placed in Library.

OFFICERS OF LOK SABHA

THE SPEAKER

Shri Om Birla

PANEL OF CHAIRPERSONS

Shri Jagdambika Pal

Shri P. C. Mohan

Shrimati Sandhya Ray

Shri Dilip Saikia

Kumari Selja

Shri A. Raja

Dr. Kakoli Ghosh Dastidar

Shri Krishna Prasad Tenneti

Shri Awadhesh Prasad

SECRETARY GENERAL

Shri Utpal Kumar Singh

LOK SABHA DEBATES

LOK SABHA

Friday, July 26, 2024/ Sravana 4, 1946 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[**HON. SPEAKER** *in the Chair*]

REFERENCE BY THE SPEAKER

25th Anniversary of the Kargil Vijay Diwas

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, आज हमारा देश राष्ट्रीय एकता, संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए समर्पित भारतीय सेना के अद्भुत पराक्रम और बलिदान की याद में "कारगिल विजय दिवस" की 25वीं वर्षगांठ मना रहा है।

कारगिल युद्ध के दौरान हमारे वीर सैनिकों ने कठिन भौगोलिक बाधाओं, प्रतिकूल मौसम के बावजूद अदम्य साहस और असाधारण वीरता का परिचय देते हुए विजयश्री प्राप्त की।

इस अवसर पर यह सभा अपने वीर सैनिकों को नमन करती है और उन शहीदों के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करती है, जिन्होंने राष्ट्र की सुरक्षा हेतु अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। यह सभा उन शहीदों के परिजनों के प्रति भी अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करती है।

यह सभा उन सभी वीर सैनिकों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करती है, जो हमारे राष्ट्र की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए इस युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए।

अब यह सभा उन सभी वीर सैनिकों की याद में कुछ देर मौन रहेगी।

11.1½ hrs

The Members then stood in silence for a short while.

माननीय अध्यक्ष: ॐ शांति: शांति: शांति:।

11.02 hrs

αORAL ANSWERS TO QUESTIONS

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न काल, प्रश्न संख्या 61,

श्री चमाला किरण कुमार रेड्डी।

श्री कल्याण बनर्जी: माननीय अध्यक्ष जी, सुकांत मजूमदार जी को रिज़ाइन करना होगा। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप प्रश्न पूछिए।

... (व्यवधान)

*61. **click to view Question & Answer,
प्रश्न और उत्तर देखने हेतु क्लिक करें

SHRI CHAMALA KIRAN KUMAR REDDY: Hon'ble Speaker Sir, India, despite being home to 19 per cent of the world's children, ranks 113 out of 176 in the well-being of children according to the End of Childhood Index. In 2022, child abuse cases surged by 8.7 per cent and approximately 55 per cent of children in India experience some form of abuse according to a NCPCR study. India's child population is vulnerable, with 28.9 per cent falling victim to sexual crimes as per the NCRB Report 2020. Additionally, child rape cases have increased by 96 per cent between 2016 and 2022 as per CRY analysis of NCRB data. Also, India accounts for a staggering 40 per cent of global child marriages, according to the National Family Health Survey.

α For Questions and Answers Click Link shown against each Question Number. Edited Questions and Answers are available in Master copy of Debate, placed in Library.

** Question original in English, reply in Hindi.

Speaker Sir, I would like to ask the hon. Minister what steps have been taken by the Government to bring India among the fifty best performing countries in Child Well Being Index with a timeline for the completion of the same.

<u>11.05 hrs</u>

At this stage, Shri Kalyan Banerjee, Sushri Mahua Moitra and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.

… (*Interruptions*)

श्रीमती अन्नपूर्णा देवी : अध्यक्ष महोदय, 'मिशन वात्सल्य' के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में हमारी सरकार द्वारा शुरू किए गए इस मिशन का उद्देश्य भारत के बच्चे के लिए एक स्वस्थ एवं खुशहाल बचपन सुनिश्चित करना है। … (व्यवधान) इसके लिए संवेदनशील, समर्थनकारी और समकालीन इको सिस्टम स्थापित करना है, जिससे उनका पूर्ण विकास संभव हो सके। कोई बच्चा पीछे न छूट जाए, इस लक्ष्य को ध्यान में रखकर बनाई गई इस योजना के अंतर्गत कठिन परिस्थितियों में फंसे बच्चों को सहायता एवं सहारा दिया जाता है तथा उन्हें मेन स्ट्रीम से जोड़ा जाता है। विभिन्न पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों के समग्र विकास हेतु उपाय भी किए जाते हैं। सरकार की यह सोच है कि कोई भी बच्चा जो मेन स्ट्रीम से हट गया है, उसके लिए हम 'मिशन वात्सल्य' के माध्यम से हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं, ताकि संस्थागत परिवेश में रहकर बच्चों में सुधार हो सके। हम समय-समय पर भारत सरकार के माध्यम से राज्य सरकार को हमेशा गाइडलाइन भेजते हैं और निरीक्षण भी करते हैं। उसके लिए हम चाइल्ड हेल्पलाइन चलाते हैं। चाइल्ड हेल्पलाइन के माध्यम से अगर किसी भी तरह की कोई समस्या या संकट में बच्चे होते हैं तो वे उस चाइल्ड हेल्पलाइन पर कॉल करते हैं। उसके बाद राज्य स्तर पर और फिर जिला स्तर पर, जो हमारी कमेटियां हैं, उसके माध्यम से उनको विशेष रूप से सुविधा उपलब्ध कराई जाती है।

SHRI CHAMALA KIRAN KUMAR REDDY: Sir, according to various reports, around two million children lost their parents due to COVID-19. The Government

launched the PM CARES for Children Scheme in 2021. The Government data shows that only 4,532 children have been adopted.

Sir, I want to know whether this insensitive Government has done any study to understand the plight of the children who have lost their parents due to COVID-19. If yes, share all the necessary data to help us understand what exactly has happened to those two million children.

11.06 hrs

At this stage, Shri Kalyan Banerjee, Sushri Mahua Moitra and some other hon. Members went back to their seats.

श्रीमती अन्नपूर्णा देवी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को यह बताना चाहती हूं कि 'पीएम केयर योजना' जो कोविड से मरने वाले माता-पिता के बच्चे को सुविधा दी जा रही थी, जो 29 मई 2021 को शुरू की गई थी, उसके लिए एक सटीक टाइम 11 मार्च, 2020 से शुरू होकर वर्ष 2023 तक था। इसमें जिला स्तर पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में एक कमेटी बनी है। वहां पर वे अप्लाई करते हैं। वे बच्चे, जिनके माता-पिता की कोविड से मृत्यु हुई है, वैसे बच्चों की पहचान कर उनको यह सुविधा दी जाती है। इस पोर्टल के माध्यम से बहुत सारे ऐसे लोगों ने भी अप्लाई किया है, जिनके उस दौरान न तो माता-पिता की मृत्यु हुई थी और न ही उन्हें किसी तरह की कोई समस्या आई थी। इसमें वैसे सारे बच्चों का रजिस्ट्रेशन हुआ है, जिसकी वजह से यह सूची दिख रही है। जिला स्तर पर एक स्क्रीनिंग कमेटी है और स्क्रीनिंग कमेटी के माध्यम से बच्चों का सलेक्शन होता है तथा उसके तहत ही हम पीएम केयर फंड से बच्चों को हर तरह की सुविधा देते हैं। यह सुविधा कोविड के दौरान जिन बच्चों के माता-पिता की डेथ हुई है, उनको दिया जाता है। जो उस क्राइटेरिया में आए हैं, उनको हम लोगों ने हर तरह की सुविधा मुहैया कराई है।

SHRIMATI JUNE MALIAH: Thank you, Sir. I want to ask a question to the hon. Minister of Women and Child Development through you. There are lots of children with special needs in different child care institutions. Is there any

specific plan for these children especially for the children who are having severe specific needs?

श्रीमती अन्नपूर्णा देवी : अध्यक्ष महोदय, 'मिशन वात्सल्य' के माध्यम से हम हर बच्चे, अलग-अलग तरह के जो बच्चे हैं, जो सीएनसीपी बाल गृह है, उसके माध्यम से हम बच्चों की देख-रेख करते हैं। उसमें वैसे बच्चे, जिसको सुविधा चाहिए, सीडब्ल्यूसी, जो जिला स्तर पर हमारी कमेटी है, सीडब्ल्यूसी डीसीपीयू होते हैं और जेजे भी होते हैं, किसी भी बच्चे को यदि विशेष सुविधा की आवश्यकता होती है तो वह सीडबल्यूसी में सूचित करते हैं।

उसके बाद सीडब्ल्यूसी देखती है कि आवश्यकतानुसार बच्चों को कहां पर रखना है। चूंकि बच्चों के लिए हमारी तीन प्रकार की सुविधाएं हैं। बच्चों को या तो कहीं इंस्टिट्यूशनल केयर के लिए रखना है या स्पेशल नीड के बच्चे हैं, तो उनके लिए हर तरह की सुविधाएं बनी हैं। इसको सीडब्ल्यूसी देखती है। उसी के अनुसार सीडब्ल्यूसी बच्चों को सुरक्षित स्थान पर भेजती भी है।

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न संख्या 62,

श्री श्यामकुमार दौलत बर्वे ।

*62. **प्रश्न और उत्तर देखने हेतु क्लिक करें
click to view Question & Answer,

श्री श्यामकुमार दौलत बर्वे: माननीय अध्यक्ष जी, मैं फर्स्ट टाइमर एमपी हूं, इसलिए मैं मेरा परिचय देने के लिए आपसे एक मिनट का समय मांगूगा।

माननीय अध्यक्ष: आप चैंबर में आकर अपना परिचय देना। आप यहां पर प्रश्न पूछिए।

श्री श्यामकुमार दौलत बर्वे: महोदय, एक मिनट लगेगा। मैं पहली बार बोल रहा हूं।

माननीय अध्यक्ष : नहीं-नहीं, आप अपना परिचय चैंबर में देना।

श्री श्यामकुमार दौलत बर्वे: महोदय, मैं देश का सबसे छोटे सदन यानी ग्राम पंचायत स्तर से चुनकर आया हूं।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : यह प्रश्न काल है, आप प्रश्न पूछिए। आप सबका 'हू इज हू' बायोडेटा बना हुआ है। मैं आपको वह किताब दे दूंगा।

श्री श्यामकुमार दौलत बर्वे: महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि सरकार ने 'संशोधित औषध प्रौद्योगिकी उन्नयन सहायता योजना' से देश की छोटी-छोटी दवा बनाने वाली कंपनियों को वंचित क्यों रखा है? जबकि छोटी दवा बनाने वाली कंपनियों ने सरकार को अपनी समस्याओं के बारे में भी बताया है, लेकिन सरकार ने कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया है। जब तक हमारे देश की छोटी कंपनियों को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा, तब तक वे कैसे वैश्विक स्तर के मानकों को पूरा कर सकती हैं?

श्री जगत प्रकाश नड्डा: महोदय, मैं माननीय सदस्य को इस बात से अवगत कराना चाहता हूं कि चाहे छोटी कंपनी हो या मध्य कंपनियां हो, सबको वंचित करने का तो सवाल ही नहीं उठता है, बल्कि सरकार ने उनको प्रोत्साहित करने का काम किया है। जो प्रश्न है, वह दो भागों में बंटा हुआ है। इस प्रश्न में जो विषय आता है, वह 'फार्मास्यूटिकल्स टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन असिस्टेंस स्कीम' है।

** Question original in Hindi, reply in English.

प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार ने उसको आगे बढ़ाते हुए 'रीवैम्प्ड फार्मास्यूटिकल्स टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन असिस्टेंस स्कीम' को लागू किया है।

इस स्कीम के तहत हमारे देश के जो छोटे या मध्य उद्योग हैं, उनको सपोर्ट करने और उनको स्पेशल प्रोटेक्शन देकर असिस्टेंस देने का काम किया गया है। इसका जो उद्देश्य है, वह यह है कि ग्लोबल स्टैंडर्ड्स या जो डब्ल्यूएचओ के स्टैंडर्ड्स हैं, उनके अनुसार हमारी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेज़ को साथ में लेते हुए हम किस तरीके से फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ को मज़बूत कर सकते हैं, एसपीआई कर सकते हैं, हम उसके लिए सपोर्ट कर रहे हैं।

मैं माननीय सदस्य को यह भी बताना चाहता हूं कि जो यूनिट एक करोड़ रुपये की लागत से लेकर 500 करोड़ रुपये की लागत तक और जो फैक्ट्रीज़ या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, हम उनको मज़बूत करने के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट देते हैं। जैसे किसी कंपनी का टर्नओवर एक करोड़ रुपये से लेकर 50 करोड़ रुपये तक का है, हम उनको 20 प्रतिशत तक फाइनेंशियल सपोर्ट देते हैं, लेकिन वह एक करोड़ रुपये से ज्यादा न हो।

उसी तरीके से जिस कंपनी का टर्नओवर 50 करोड़ रुपये से लेकर 250 करोड़ रुपये है, हम उनको 15 प्रतिशत का फाइनेंशियल सपोर्ट देते हैं। That also should not exceed more than Rs.1 crore and the component is strengthening of the pharmaceutical industry for manufacturing. जिस कंपनी का टर्नओवर 250 करोड़ रुपये से लेकर 500 करोड़ रुपये तक है, हम उनको 10 प्रतिशत का फाइनेंशियल सपोर्ट करते हैं। इसीलिए उनको वंचित रखने का तो सवाल ही नहीं उठता है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में यह सरकार उनको प्रोत्साहित करने का काम कर रही है।

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप सप्लीमेंट्री प्रश्न पूछिए।

श्री श्यामकुमार दौलत बर्वे: माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूरक प्रश्न पूछना चाहता हूं।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप सबको गाइड मत करो।

… (व्यवधान)

श्री श्यामकुमार दौलत बर्वे: महोदय, छोटी दवा कंपनियों को मज़बूत करना बहुत जरूरी है, अपने यहां जो पैनडेमिक आया था और हमने कोरोना काल में भी देखा था। हम जिस तरह से छोटी कंपनियों को प्रोत्साहन राशि दे रहे हैं, तो दवाइयों का जो रेट है, आज हम देख रहे हैं कि वह किस तरह से बढ़ रहा है। जब हम उनको प्रोत्साहन राशि दे रहे हैं, तो माननीय मंत्री महोदय यह बताएंगे कि क्या सरकार उनके लिए कुछ रेट फिक्स करेगी?

श्री जगत प्रकाश नड्डा: माननीय अध्यक्ष जी, यह प्रश्न इस प्रश्न से जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन मैं उनके ध्यान में लाना चाहता हूं कि हमारे यहां दो संगठन हैं। उसमें एक तो नेशनल लिस्ट ऑफ इसेंशियल मेडिसिन है। हम इस इसेंशियल मेडिसिन की लिस्ट में मेडिसिन्स को जोड़ते हैं, जिसकी प्राइस की कैपिंग की जाती है और सरकार के निर्धारण पर उस दवाई का दाम होता है। हम उनको नेशनल लिस्ट ऑफ इसेंशियल मेडिसिन्स में देखते हैं। उसी तरीके से फार्मास्युटिकल के विभाग में एनपीपीए है, जो प्राइसिंग की अथॉरिटी है। जो इसेंशियल मेडिसिन्स हैं और अदवाइज़ मेडिसिन्स भी हैं, जो शैड्यूल ड्रग्स में नहीं भी आते हैं, उनकी भी प्राइसिंग की जाती है।

मैं यहां सदन के सभी सदस्यों को इस बात से अवगत कराना चाहता हूं कि जानलेवा बीमारियां और जीवन को बचाने वाली दवाइयां जितनी भी हैं, सरकार उनके प्राइस को कंट्रोल करती है, ताकि साधारण व्यक्ति उसको खरीद सके, सरकार इसकी चिंता करती है।

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, मैं आपको अवगत करा दूं कि दुनिया के जितने भी देशों में हम गए, उन सब देशों के अंदर भारतीय दवाइयों की डिमांड है। उनकी गुणवत्ता और रेट पर सब संतुष्ट हैं।

SHRI N. K. PREMACHANDRAN: India is a global player in pharmaceutical industry. … (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष: इसको ग्लोबली और बढ़ा सकते हैं। सदन का मत यह है कि मापदण्डों से इसको ग्लोबली बढ़ा सकते हैं और एक्सपोर्ट करने में भी भारत दुनिया का नंबर वन देश हो सकता है।

SHRI ARVIND GANPAT SAWANT: Thank you, hon. Speaker Sir, for giving me this opportunity.

Sir, while giving an answer to the question, the hon. Minister has mentioned about some slabs. हम ऐसे मदद करना चाहते हैं कि उसमें 0 से 50 करोड़ तक और 1 करोड़ से 50 करोड़ तक हो, लेकिन आपने उसी उत्तर में कहा कि 'To the extent of Rs. 1 crore'. आप 250 करोड़ पर 15 परसेंट देने वाले हो तो एक करोड़ क्यों है? उसका 15 परसेंट ज्यादा बनता है, क्या आपने वह सीमा उसमें लगाई है? अन्यथा, इस परसेंटेज का कोई मतलब नहीं है। आपके पास सौ से ज्यादा ऐप्लीकेशंस आ गई हैं, आपने उनमें से केवल सात को मान्यता दी है। So, I would like to know whether the rest of the 93 applications have been rejected or they will be considered in future. आप जो प्रयास कर रहे हैं, मैं उसका स्वागत भी करता हूं। यह बहुत अच्छा है। आदरणीय अध्यक्ष जी ने भी कहा है। हमारी दवाओं का पेटेंट हो, क्योंकि हम वर्ल्ड क्लास दवाइयां बनाने जा रहे हैं तो we have to create patent also. हमारी हिन्दुस्तानी फार्मा कंपनियां पेटेंट बनाने का प्रयास करती हैं तो क्या सरकार उनको सहायता करती है या नहीं? क्या इसके लिए प्रयास हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं?

श्री जगत प्रकाश नड्डा : माननीय अध्यक्ष जी, आपने जो कहा है, मैं सबसे पहले उसमें एक बात जोड़ दूं कि जहां तक भारत दवाइयां बनाने में हैं तो आज दुनिया एक्सेप्ट करती है कि भारत आज दुनिया की डिसपेंसरी बन गया है। इंडिया वर्ल्ड्स मोस्ट इफेक्टिव एंड मोस्ट चीपेस्ट प्रोड्यूस कर रहा है और भारत सरकार इसको प्रोत्साहित कर रही है। आपने एक बात एक करोड़ रुपये वाली कही है तो अभी तक की जो स्कीम है, उसमें जो स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं, उनको सपोर्ट करने का उद्देश्य है। जो 250 करोड़ से 50 करोड़ वाली हैं, उनको भी सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन वह उस प्रपोर्शन में कर रहे हैं। हम स्मॉल को 20 परसेंट देंगे, 15 परसेंट मिडिल को देंगे और उसका एक्सीडिंग लेवल एक करोड़ है।

आपका जो सुझाव है, वह सुझाव ठीक है, उसे आप सदस्य के रूप में रख सकते हैं और मुझे चिट्ठी लिखकर भेज दीजिएगा । Schemes are always ongoing, and there is always a situation where we can think of some modifications also. … (*Interruptions*) जहां तक आपने पेटेंट के बारे में बात कही है, इस तरीके से भी हम उसको प्रोत्साहित करने का प्रयास करेंगे। जो आपने सात ऐप्लीकेशन अप्रूव्ड वाली बात कही है, It is also an ongoing process. सौ ऐप्लीकेशंस का रजिस्ट्रेशन हुआ है और उनमें से सात अप्रूव्ड हुई हैं।

श्री गौरव गोगोई: अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभार प्रकट करना चाहता हूं और गुणवत्ता की जब बात आयी है तो मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि भारत से जो ड्रग्स से हम दूसरे प्रदेशों में भेजते हैं, उसकी गुणवत्ता को लेकर सरकार का क्या मापदंड है, क्योंकि बीच में यह भी खबर आयी थी कि खांसी की जो दवाई अफ्रीका में भेजी गयी थी, उसके बारे में बहुत सारी चिंताएं व्यक्त की गयी थीं कि उसमें बहुत से गलत पदार्थ पाए गए और उस संबंध में सरकार ने शायद कुद कदम भी उठाए हैं। गुणवत्ता को लेकर और खांसी की दवाई के बारे में खबर आयी, इस पर सरकार क्या कर रही है, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं।

श्री जगत प्रकाश नड्डा : महोदय, हमारा मेडिसिन्स को एग्ज़ामिन करने का बहुत ही रोबस्ट सिस्टम है। जो दवाइयां एक्सपोर्ट होती हैं, उनका सैम्पल सर्वे यहां भी होता है और जब कंसाइनमेंट वहां जाता है तो वहां भी उसका रेंडम सर्वे होता है। जिस खांसी की दवाई के बारे में माननीय सदस्य ने कहा है, उसके बारे में एक समय में बात आयी थी, जिस पर भारत सरकार ने एक्शन लिया था। इन सब पर हम लगातार सतत् विजिल हैं और लगातार ध्यान दे रहे हैं। इस तरह की घटनाएं न घटें, इसके लिए चिंतन कर रहे हैं।

प्रो. सौगत राय: सर, माननीय मंत्री जी ने बताया है कि फार्मास्यूटिक्ल इंडस्ट्री का स्टेंडर्ड उठाने के लिए क्या-क्या कदम उठाए जा रहे हैं? माननीय सदस्य गौरव गोगोई जी ने बताया कि हमारी जो ड्रग्स एक्सपोर्ट होती हैं, उसके बारे में सीरियस कम्प्लेंट्स हैं। इसको सुधारने के लिए अभी तक कोई जायज़ कदम नहीं उठाया गया है।

माननीय अध्यक्ष : आप अपना सुझाव बता दीजिए।

प्रो. सौगत राय: महोदय, मेरा सुझाव नहीं है, सवाल है कि मंत्री जी के मंत्रालय के तहत बंगाल केमिकल्स और आईडीपीएल जैसी संस्थाएं हैं। ये मर रही हैं। इनकी हालत बहुत खराब है। इनका सुधार करके, इनके स्टेंडर्ड को उठाने के लिए क्या कदम मंत्री जी उठा रहे हैं?

श्री जगत प्रकाश नड्डा : महोदय, प्रश्न revamp pharmaceutical upgradation scheme से संबंधित है और जिसका मैंने जवाब दिया है। माननीय सदस्य का एक स्पैसिफिक प्रश्न है। वह एक यूनिट के बारे में चर्चा कर रहे हैं। माननीय सदस्य मुझे पत्र लिखकर के दें। मैं उसका गहराई से अध्ययन करूंगा और जवाब भी दूंगा।

प्रो. सौगत राय: आप अभी हाउस में जवाब दे दीजिए। आप बाद के लिए क्यों कह रहे हैं?

श्री जगत प्रकाश नड्डा : क्योंकि आपका प्रश्न इस प्रश्न से संबंधित नहीं है।

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न संख्या 63,

श्री राजमोहन उन्नीथन ।

*63. click to view Question & Answer

SHRI RAJMOHAN UNNITHAN: Sir, Indian expatriates are the most marginalized and exploited segment of our population. They opt for overseas career as their last option in life due to the absence of any other opportunity available in India. But our Government is deplorably apathetic towards these hapless people.

Sir, the Indian Community Welfare Fund (ICWF) is the best example of the Indian Government's stepmotherly attitude towards the Indian expatriate community. The ICWF is conceived as a critical support mechanism for expatriates in emergency situations. Compulsory contributions to the Fund are collected from the Indian expatriates. But the Indian embassies are very parsimonious in releasing the funds to needy expatriates, particularly in the Gulf Cooperation Council (GCC) countries. Hence, this question is raised on the Floor of this august House.

I would like to know whether the Government has any plan to involve the organisations of Indian expatriates in management of ICWF. If so, details thereof.

SHRI KIRTI VARDHAN SINGH: Sir, the learned hon. Member has raised many issues but I particularly object to the allegations that have been made regarding the misutilization of the Indian Community Welfare Fund.

The details of utilization of the fund are very clearly given in the annexures. It shows that we have a large amount of balance available for the welfare and the well-being of our workers who have gone abroad.

Sir, I would like to add that it is a very important issue for the entire country that the welfare of our workers who have travelled abroad are taken care of. It is rightly so as the hon. Member said that they belong to the weaker sections of our society, especially financially. But I would also like to add that apart from ICWF, our Government has taken many such measures, especially under the leadership of our hon. Prime Minister, that I can proudly say that today every Indian who has travelled abroad either as a student or as a labourer, worker or even as a tourist feels safe and secure given the measures that we have adopted. *....(Interruptions)*

श्री गौरव गोगोई: सर, कुवैत में मजदूर आग में जल गए ।… (व्यवधान) ये क्या बोल रहे हैं?… (व्यवधान) मंत्री महोदय, सदन को गुमराह कर रहे हैं ।… (व्यवधान)

SHRI KIRTI VARDHAN SINGH: Sir, the Member is raising the question of Kuwait. That is a matter of the Kuwait Government. When the Kuwait tragedy happened, we took all possible measures to bring back the mortal remains in a record time. हम कुवैत से रिकॉर्ड टाइम में मोर्टल रिमेन्स लाए थे। वह उनका इंटर्नल मैटर है और वे लोग अब इसे पूरी तरह से ध्यान से देख रहे हैं कि वहां पर ऐसी ट्रेजडी न हो। They are going over the system there, but that is their matter.

Our responsibility lies in providing all assistance, whether legal, physical, medical or even giving insurance cover, to our citizens who go abroad to work, study or as tourists.

SHRI RAJMOHAN UNNITHAN: Sir, ICWF is, among other things, meant to provide emergency medical care on 'means-tested basis' to overseas Indians who are involved in accidents with serious life-threatening injuries or have life-threatening medical conditions or suffer a serious disability. I would like to know from the Minister how much amount has been disbursed for this purpose from the ICWF in the last two financial years.

SHRI KIRTI VARDHAN SINGH: Sir, a detailed reply in Annexure A, Annexure B and Annexure C of the main answer is already provided to the hon. Member. … (*Interruptions*)

SHRI K. C. VENUGOPAL: Sir, his answer is not proper. This is a very serious issue. … (*Interruptions*)

SHRI RAJMOHAN UNNITHAN: Sir, he is not giving a proper answer. … (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, इस पूरे विषय के अंदर सरकार की तरफ से कोई बजटीय प्रावधान नहीं होता है। ये सारा पैसा इसी से ही कलेक्ट किया जाता है। इसमें और बेहतर सुझाव हो और इसमें हम क्या-क्या कर सकते हैं, उसके लिए मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि इस विषय में सभी लोगों से चर्चा की जाए। हम विशेष रूप से इसे और बेहतर कैसे कर सकते हैं, चूँकि इसमें सरकार का तो पैसा है नहीं, सरकार का बजटीय प्रावधान है नहीं तो जब पैसा उनका है तो उसे कैसे बेहतर कर सकते हैं, उस पर आप एक बार चर्चा कर लीजिएगा।

Shri E.T. Mohammed Basheer.

SHRI E. T. MOHAMMED BASHEER: Sir, thank you very much. … (*Interruptions*)

प्रो. सौगत राय: उनको बाहर नहीं जाना चाहिए था। He should not have gone abroad. … (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं आपको हर बार प्रश्न काल में एलाऊ करता हूँ। अगर आप बीच में उठेंगे तो मैं आपको कभी प्रश्न काल में एलाऊ नहीं करूंगा। आप बैठ जाइए। आप माननीय सदस्य को बोलने दीजिए।

… (व्यवधान)

SHRI E. T. MOHAMMED BASHEER: Sir, thank you very much.

Sir, my question is pertaining to the functioning of this Fund in different embassies. Transparency, accountability and structured feedback mechanism are missing there. It is totally confusing.

In order to substantiate my point, I would like to mention that the Parliamentary Standing Committee on External Affairs, in its Fifteenth Report, highlighted the need for improved transparency and accountability in the management of the ICWF. The report emphasized that while the ICWF has been beneficial to the needy people, some more attention is required in this. It recommended setting up a transparent mechanism for monitoring and evaluating the Fund's utilization, ensuring that support reaches the intended beneficiaries.

I would like to ask the hon. Minister – he will also agree because he has given in detail the closing balance of ICWF as on 31st March, 2024 in 137 countries – one question.

माननीय अध्यक्ष : आपका अच्छा सुझाव है। पारदर्शिता को अपनाया जाएगा।

… (व्यवधान)

SHRI E. T. MOHAMMED BASHEER: I would like to know from the hon. Minister what type of mechanism is going to be introduced to ensure transparency in the system.

SHRI KIRTI VARDHAN SINGH: Sir, the hon. Member is a very senior Member of the House and he has constantly raised the issue of safety, security and well-being of our workers abroad.

Sir, we have endeavoured to give a very detailed reply. With respect to the specific question of the hon. Member what transparency measures should be built in, I would like to add that this Fund is constantly monitored by our missions abroad. It is primarily collected by levying charges on our Consular Services. It is a global fund and whichever mission needs it more, it is transferred there.

Since 2014, we have spent Rs. 656 crore to assist more than 3.5 lakh Indians in distress. सर, आज की डेट में हमारा करेंट बैलेंस 692 करोड़ रुपए है। But even then, we are ready to take any suggestion from the hon. Member regarding the transparency of the utilization of these funds.

माननीय अध्यक्ष : यह बात ठीक है। आप एक बार सुझाव दें। माननीय मंत्री जी और पारदर्शी व्यवस्था होनी चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है।

श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहूंगा कि क्या विदेश मंत्रालय को इस बात की जानकारी है कि पिछले चंद वर्षों में बिना वीजा के जोखिम भरे रास्तों से, जिसको डाँकी का रास्ता कहते हैं, लाखों की तादाद में हमारे देश के कई प्रदेशों के नौजवान बेरोजगारी और हताशा से विदेशों की तरफ जा रहे हैं। मैं केवल यूएस का उदाहरण देता हूं। कस्टम एंड बॉर्डर पेट्रोल (सीबीपी), यूएस के अनुसार 97 हजार भारतीय नागरिक यूएस के पनामा के जंगलों के रास्ते मैक्सिको बॉर्डर से या कनाडा के थ्रू पिछले एक वर्ष में यूएस गए हैं। उन्होंने उनको चेक किया है। वहां

अमानवीय परिस्थितियों से गुजरते हुए नौजवान जाते हैं । आज अकेले यूएस में 15 लाख ऐसे भारतीय नागरिक हैं, जो अनडॉक्युमेंटेड हैं, क्या विदेश मंत्रालय उनकी समस्याओं को, जो उनको सामना करना पड़ रहा है, उनके बारे में संवेदनशील है, यदि हां, तो उनकी मदद के लिए क्या कर रहा है?

SHRI KIRTI VARDHAN SINGH: Sir, the question the hon. Member has asked is not directly connected to our Missions and the ICWF but it is a sensitive question and I will endeavour to give a full reply to it. सर, आज हमारे जो इंडियंस बाहर काम करने के लिए जा रहे हैं। There are two categories of countries. One is ECR countries and the other is ECNR; countries where the immigration check is not required. सर, हमारी सरकार ने ई-माइग्रेट पोर्टल शुरू किया है। इसकी वजह यही है कि हमारे जितने वर्कर्स बाहर जा रहे हैं, वे इस पर रजिस्ट्रेशन करें, तब वे बाहर जाएं, तो उनका डाटा ई-माइग्रेट पोर्टल पर रहता है। It helps in keeping our Missions in track with them. उन्हें कोई भी दिक्कत होती है, तो हम लोगों ने बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं, 24x7 हेल्पलाइन, इंश्योरेंस स्कीम और भी तमाम चीजें हैं, ताकि उनको कोई दिक्कत न महसूस हो । सर, जो ई-माइग्रेट सिस्टम है, it is compulsory for ECR passport holders going to ECR countries. In other cases, whether the passport holder is non-ECR passport holder going to ECR country or whether the passport holder is an ECR passport holder going to non-ECR country, we recommend and advise to go through the e-migrant portal so that we can keep them safe and look after their well-being. But for the nationals who do not undertake this service provided by our Government, how can we know कि वे क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? आदरणीय सदस्य जी का जो प्रश्न है, that relates more to the visa curtailing done by the US. वे लोग अपने सिस्टम को इतना सख्त रखे हुए हैं कि हमारे नागरिक,

जिनको वहां जाना ही है, वे तमाम तरीके के मेथड्स अपनाते हैं। But we cannot be held responsible for that.…(व्यवधान)

श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा: उनका सारा परिवार यहीं है।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न संख्या 64,

श्री हनुमान बेनीवाल ।

*64. **[प्रश्न और उत्तर देखने हेतु क्लिक करें,](#)
[click to view Question & Answer](#)

श्री हनुमान बेनीवाल: अध्यक्ष महोदय, आज देश में गंभीर बीमारी कैंसर तेजी से फैल रही है। कैंसर की चपेट में गरीब तथा मध्यम वर्ग के लोग तेजी से आ रहे हैं। महंगी दवाइयां और समय पर इलाज नहीं मिलने के कारण हो रही मौतें, चिंता का विषय है। मैंने मंत्री जी से कैंसर रोगियों को कम मूल्य पर दवाइयां उपलब्ध कराने के संबंध में सवाल पूछा है, उसका जवाब मंत्री जी ने दिया है।

अध्यक्ष महोदय, क्या मैं दो प्रश्न पूछ सकता हूं?

माननीय अध्यक्ष : आप पहले एक प्रश्न पूछ लीजिए। आप प्रश्न पूछिए।

श्री हनुमान बेनीवाल: मंत्री जी ने कहा है कि एनपीपीए 27.02.2019 को गैर अनुसूचित कैंसररोधी दवाओं पर 30 प्रतिशत व्यापार मार्जिन की अधिकतम सीमा तय की गई है, जिससे दवाइयों की 526 ब्रांडों की एमआरपी में औसतन 50 प्रतिशत की कमी हुई है। मंत्री जी आपने जो जवाब में सूची दी है, उस पर क्रम संख्या 118 पर ट्रेसटूजुमाब दवाई है, उस पर 54,725 रुपए एमआरपी है। मगर उसकी कीमत 13 से 14 हजार रुपए है। ऐसे में कॉरपोरेट अस्पताल मरीजों से पूरी एमआरपी लेते हैं।

क्या आप उसकी जितनी वास्तविक कीमत है, उतनी एमआरपी ही अंकित करने हेतु कोई निर्देश जारी करना चाहते हैं ताकि मरीज ठगे नहीं जाए। यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों? मंत्री जी, यह महज एक उदहारण था और ऐसा कई दवाओं के अंदर हो रहा है।

श्री जगत प्रकाश नड्डा : माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है, सच में जहां तक कैंसर का सवाल है, इसमें लगातार बढ़ोतरी हो रही है और लगभग 2.5 प्रतिशत प्रति वर्ष कैंसर के पेशेंट्स की संख्या बढ़ रही हैं। उसमें भी ज्यादातर महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर और पुरुषों में ओरल कैंसर, लंग कैंसर बढ़ रहा है। साढ़े पन्द्रह लाख से ज्यादा जो पेशेंट्स हैं, वे रजिस्टर हो रहे हैं।

** Question original in Hindi, reply in English.

उन्होंने जो दवाइयों के बारे में कहा, हमारी एक लिस्ट है, जिसको हम मॉनीटर करते हैं। जैसे मैंने पहले प्रश्न में भी कहा कि नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन्स में 131 दवाइयां कैंसर की हैं, जो शेड्यूल 1 में आती हैं। उनकी प्राइसिंग सरकार करती हैं और एनपीपीए करती हैं। यह वे मेडिसिन्स हैं, जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड हैं और जिनका उपयोग किया जा रहा है। इस पर एनपीपीए सीलिंग प्राइसिंग लगाती है। इस सीलिंग को लगाने से पेशेंट्स को लगभग 294 करोड़ रुपये का फायदा हुआ है। हमने इसको इसी तरीके से आगे बढ़ाने का भी प्रयास किया है। इसके अलावा कुछ मेडिसिन्स ऐसी हैं, जो 131 की लिस्ट में नहीं आती हैं, लेकिन ऐसे 28 कॉम्बिनेशन्स हैं, जो फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन में नहीं आते हैं, लेकिन उसके बारे में भी सरकार ने और एनपीपीए ने भी प्राइसिंग को कंट्रोल कर रखा है। जिस कॉस्ट पर ये डिस्ट्रिब्यूटर के पास पहुंचती हैं, उससे 30 परसेंट से ज्यादा की एमआरपी नहीं हो सकती है। यह 50 परसेंट से कम हो रहा है यानी 50 परसेंट प्राइसेस उसमें से कम किए गए हैं। इस तरीके से कोशिश की गई है कि कैंसर के ड्रग्स को हम अफोर्डेबल प्राइसेस में कर सकें।

हम लोगों ने दो बातों पर विशेष ध्यान दिया है। जो जनऔषधि केन्द्र हैं, इन जनऔषधि केन्द्रों में लगभग 13 हजार आउटलेट्स हैं। उन 13 हजार आउटलेट्स में जो हम लगभग 2 हजार मेडिसिन्स देते हैं, उनमें से 83 मेडिसिन्स एंटी कैंसर की भी हैं, जहां हम दवाइयों को देने का प्रयास करते हैं। उसी तरीके से हमारी अफोर्डेबल मेडिसिन्स एंड रिलायेबल इम्प्लांट्स फोर ट्रीटमेंट (अमृत) की भी स्कीम चलती है। हमने हर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उसका भी आउटलेट खोला है। जहां पर हम ब्रांडेड मेडिसिन्स को भी कम रेट पर पेशेंट्स को पहुंचाने का प्रयास करते हैं। इस तरीके से हमने कोशिश की है कि हम कैंसर को कंट्रोल में रखें। परसों हमारी बहन माननीय निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट पेश किया है, उसमें भी तीन कैंसर ड्रग्स की कस्टम ड्यूटी को हटा दिया गया है, ताकि वह भी सस्ते में मिल सके।

अभी माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है, उसमें उन्होंने किसी विशेष दवाई के बारे में पूछा है। उन्होंने जो बताया है, इसको मैं जरूर एग्जामिन करता हूं। आपने दवाई का कोई नम्बर बताया है,

उसको मैं एग्जामिन करूंगा । यदि वह एमआरपी से आगे जा रही है, तो वहां के स्थानीय अधिकारी उसकी चिन्ता करेंगे । एनपीपीए ने जो सीलिंग प्राइसेस तय किए हैं, उससे ज्यादा पर कहीं भी कोई दवाई नहीं बेची जाएगी, यह हमारी जिम्मेदारी है।

श्री हनुमान बेनीवाल: अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी, एनपीपीए ने 27/02/2019 को गैर अनुसूचित कैंसर रोधी दवाओं पर 30 प्रतिशत व्यापार मार्जिन की अधिकतम सीमा तय की। लेकिन जिन दवाओं को इन श्रेणी में अधिसूचित किया, उन्ही दवाओं में एक अतिरिक्त सॉल्ट मिलाकर फार्मा कम्पनियां मनमाफिक दरों से दवाइयां बेचने लग गई। ऐसे में आपकी अधिसूचना का अतिक्रमण करने के लिए उन्होंने तोड़ निकाल लिया। क्या आप फार्मा कम्पनियों द्वारा किये जा रहे ऐसे कार्यों पर लगाम लगाने के लिए कोई नीति लाएंगे? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों? आप कारण सहित विवरण सदन को बताने का कष्ट करें।

इसके साथ ही आप बजट के अंदर बता रहे हैं कि कैंसर के लिए हमने इतना कुछ किया है। क्या सरकार अपने स्तर पर देश के तमाम मेडिकल कॉलेजों से संबंधित जो अस्पताल हैं, वहां सरकारी संस्थानों में कैंसर रोगियों को सम्पूर्ण मुफ्त दवाइयां देने का विचार रखती है? इसको लेकर सरकार की क्या मंशा है? मंत्री जी, आप इसका विरवण बताएं।

श्री जगत प्रकाश नड्डा : माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने कहा कि दवाई में सॉल्ट बढ़ा देते हैं या कॉम्बिनेशन में बदलाव होता है, मैंने उसका जवाब दिया है।

मैं बताना चाहता हूँ कि यह एक रेग्युलर प्रॉसेस है । फ़र्ज कीजिए कि हम 40 दवाइयों पर सीलिंग लगाते हैं, तो वह एक नई दवाई लाते हैं, जिसमें थोड़ा-सा कॉम्बिनेशन चेंज कर देते हैं, जिसके कारण वह सीलिंग से बाहर चली जाती है । इसके लिए हमारे यहाँ रेग्युलर मॉनिटरिंग होती है । इसीलिए हमने कहा कि 28 ऐसे फॉर्मुलेशंस हैं, जो फिक्स कॉम्बिनेशन में नहीं आते हैं, जिससे वे सीलिंग में नहीं आते हैं । लेकिन हमने इनको भी इंक्लूड कर लिया है । This is a regular process. अगर इस तरह की कोई दवाई मार्केट में आती है, तो हमारी कोशिश यह है कि कोई भी कैंसर का ड्रग आए और वह एफोर्डेबल न हो, तो उस पर सीलिंग लगाने के लिए एनपीपीए, जो हमारी

प्राइसिंग अथॉरिटी है, वह कारगर है और वह उस पर ऐक्शन लेकर उसको सीलिंग में लाने का प्रयास करती है।... (व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल: क्या यह मुफ्त की जाएगी? ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री प्रदीप कुमार सिंह।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : बेनीवाल जी, कृपया आप बैठ जाइए। आप सीनियर मेम्बर हैं।

श्री अमरिंदर सिंह राजा वारिंग।

... (व्यवधान)

श्री अमरिंदर सिंह राजा वारिंग: महोदय, जैसा कि हम सब जानते हैं कि कैंसर एक बहुत ही भयानक बीमारी है। यहाँ पर बैठे हम सभी लोग यह भी जानते हैं, हम लोग 4 जून को चुनकर आये थे और being a Member of Parliament, मुझे लगता है कि पिछले पौने दो महीने में, प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड के लिए मैंने सबसे ज्यादा कैंसर पेशेंट की चिट्ठियाँ साइन की है।

माननीय अध्यक्ष : आपका प्रश्न क्या है?

श्री अमरिंदर सिंह राजा वारिंग: मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि इससे कोई बच नहीं पाया। यह एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है। क्या ऐसा हो सकता है, जहाँ हम यह कहते हैं कि भारत वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन चुका है या बनने जा रहा है, लेकिन आज भी बिलो पॉवर्टी लाइन वाले लोग कैंसर का इलाज कराने के लिए धक्के खा रहे हैं। कोई यहाँ धक्के खा रहा है, कोई वहाँ धक्के खा रहा है, कोई मुझसे चिट्ठी साइन करा रहा है। क्या इस देश में ऐसा हो सकता है कि जो कैंसर पीड़ित लोग हैं, चाहे बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग हों या मिडिल क्लास के लोग हैं, उनका इलाज मुफ्त किया जाए। दवाइयाँ सस्ती क्यों करनी है, मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि इसमें करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं, तो क्या उन लोगों का इलाज फ्री हो सकता है?

श्री जगत प्रकाश नड्डा : माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य की जो भावना है, मैं उसकी कद्र करता हूँ। सच में, कैंसर एक जानलेवा बीमारी है। इसकी तकलीफ जिस परिवार पर पड़ती है, उस

परिवार की स्थिति खराब हो जाती है। लेकिन प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार में इसके लिए बहुत-से कदम उठाए हैं। इसके लिए कदम उठाने की दृष्टि से, कैंसर के यूनिट्स लगने से लेकर 'आयुष्मान भारत' में 50 करोड़ लोग यानी 10 करोड़ 35 लाख फैमिलीज को 5 लाख रुपए का सालाना असिस्टेंस देकर उनको 'आयुष्मान भारत' के तहत सपोर्ट करने का प्रयास किया गया है।

इसलिए जो गरीब लोग हैं, गरीब लोगों को इसमें जोड़कर देखने का प्रयास हुआ है ताकि कैंसर का इलाज हो सके। उसी तरह से, कैंसर के जो बहुत-से प्रोसिज़र्स हैं, जो बीपीएल वाले हैं, उनका तो फ्री भी होता है, लेकिन बहुत-सी जगहों पर हमने फ्री डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज भी दी है, right from PHCs से लेकर टर्शियरी केयर यूनिट्स तक, उसमें इन सारी चीजों की चिन्ता की जाती है।

मैं यह भी बताना चाहता हूँ कि हम इस पर तीन बातों पर काम कर रहे हैं- प्रिवेंटिव, प्रमोटिव और क्यूरेटिव। प्रिवेंशन पर भी बहुत काम हो रहे हैं ताकि इसकी प्रिवैलेंस न हो और प्रमोटिव हो। हम हेल्थ को प्रमोट करते हैं, कई लोग मुझे कहते भी हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि प्रत्येक टोबैको पर लेबल लगाकर कैंसर के इम्पैक्ट्स को बताने का प्रयास किया गया है। उसी तरह से, टोबैको का क्या इम्पैक्ट होता है, इसे भी बताने का प्रयास किया है। प्रिवेंशन की दृष्टि से जितने भी प्रयास हो सकते हैं, वे किये गये हैं। जहाँ तक क्यूरेटिव का सवाल है, तो हमारी कोशिश है कि हम कैंसर पेशेंट को एफोर्डेबल और एक्सेसिबल इलाज की व्यवस्था कर सकें, इसके लिए सरकार प्रयासरत है।

श्रीमती शांभवी: अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। सबसे पहले मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने तीन कैंसर ड्रग्स पर कस्टम ड्यूटी को एग्जेमप्ट करके कैंसर ट्रीटमेंट को और अफोर्डेबल बनाया है।

अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न CAR T-cell therapy से संबंधित है, जो कैंसर ट्रीटमेंट के लिए एक अफोर्डेबल माध्यम है, लेकिन अभी यह पूरे देश में सिर्फ 30 अस्पतालों में है।

माननीय मंत्री जी से मेरा यह प्रश्न है कि कैंसर ट्रीटमेंट को CAR T-cell therapy के माध्यम से और अफोर्डेबल बनाने के लिए ग्रामीण और पिछड़े इलाकों में यह कब शुरू होगा, जिससे गरीब परिवारों को भी इसका लाभ मिल सके?

श्री जगत प्रकाश नड्डा : हमें इस फैसिलिटी को एक्सपैंड करना है। इन-ड्यू-कोर्स, जैसे-जैसे होता है, हम उसको एक्सपैंड करेंगे। … (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : डिमांड फॉर ग्रांट्स पर बात करेंगे।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : क्वेश्चन नंबर – 65

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य ।

*65. click to view Question & Answer

SHRI MAGUNTA SREENIVASULU REDDY: Sir, as the saying goes, 'health is wealth', in our country, the medical infrastructure is the backbone of our growth as a society, both economically and socially. For creating the medical infrastructure, we need new medical colleges, new hospitals and new healthcare centres.

Sir, through you, I would like to ask this to the hon. Minister. In his reply, he stated that there is a condition stipulated by the National Medical Commission on 16th August 2023. There is a restriction of ratio of 100 MBBS seats for every 10 lakh population. With this, 13 States will go out of the system. In the Southern States, especially Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Telangana and Karnataka, we will not get more seats later. No medical colleges will come. So, this has to be corrected. The hon. Minister has to clear the doubt in the minds of everybody.

SHRI JAGAT PRAKASH NADDA: The hon. Member has asked the question about increasing the number of medical colleges, I would like to share with the hon. Member and with the House also that we had only one All India Institute of Medical Sciences, and later on we had six All India Institute of Medical Sciences, and now, we have got 21 All India Institute of Medical Sciences where 6 + 12 are operational.

If I talk about the medical colleges, I would like to share with him that before 2014, there were 387 medical colleges, and now there are 731 medical colleges. There is an 88 per cent increase in the medical college. The MBBS seats have increased to 118 per cent. The MBBS seats were 51,348 in 2014, and now it is 1,12,112. In the same way, if I may talk about the PG seats, the increase is 133 per cent. The PG seats were 31,185, and now there is a big lead. We have 72,627 in 2024. So, I would like to enlighten the hon. Member that the Government is apprised of the matter, and we want to see to it that the expansion of medical colleges takes place and more doctors are there to take care of the healthcare sector.

As far as NMC issue is concerned, there have been certain questions and queries about it. I am reviewing it, and I will see to it. We are having a dialogue with them. The purpose is to see to it that there should be a balance between the quality of the medical education and the quantity of the medical education. So, we are trying it as fast as we go. We are trying to convince them also, but at the same time, we do not want to compromise on the quality of the medical doctor because we should be proud of the fact, and I would also like to share with you that it is the Indian doctors who are taking care of people in Europe, England and America. This is the quality of doctors we are producing.

तो यही नहीं, हम तो दुनिया को डॉक्टर्स दे रहे हैं और विश्वस्तरीय डॉक्टर्स दे रहे हैं तो इसलिए हमारी कोशिश है और हम इसमें as fast as we can go, we are trying to go.

SHRI MAGUNTA SREENIVASULU REDDY: Sir, I thank the hon. Minister for an elaborate reply. My second supplementary is this. In the last regime, we have

been sanctioned three medical colleges in Andhra Pradesh under the Centrally-sponsored scheme as against 17 medical colleges that the State Government had declared. That is 60:40 ratio. There is one medical college under construction in Markapuram in my Ongole Parliamentary constituency in Andhra Pradesh. That is a very backward area. Recently, in this Budget, just two days back, the Finance Minister has declared Prakasam district as a backward district. These medical colleges are already under construction. I would request the hon. Minister, through you, to kindly bring it under 60:40 ratio under the Centrally-sponsored scheme. I would request the hon. Minister to include Markapuram Medical College in my Ongole Parliamentary constituency in the Centrally-sponsored scheme. Thank you, Sir.

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मैं आप सभी से फिर आग्रह कर रहा हूँ, मैं बार-बार आग्रह कर रहा हूँ कि मुझे प्रश्न सूची के 20 के 20 प्रश्न लेने हैं, इसलिए आप संक्षिप्त में प्रश्न पूछिए और मंत्री जी भी संक्षिप्त में जवाब दें तभी हम 20वें प्रश्न तक आएंगे।

SHRI JAGAT PRAKASH NADDA: Sir, I only respect your sentiments and I would like to also enlighten him that we have also opened an All India Institute of Medical Sciences in Andhra Pradesh.

माननीय अध्यक्ष : डॉ. सी. एन. मंजूनाथ । डॉ. सी. एन. मंजूनाथ हार्ट के विश्वस्तरीय सर्जन हैं। ये बड़े सर्जन हैं।

DR. C. N. MANJUNATH: Sir, I would like to thank the hon. Speaker for having permitted me to raise a supplementary question. In fact, before asking my supplementary question, my hearty congratulations to Narendra Modi Government and the hon. Health Minister for an exponential increase in the

number of MBBS seats and post-graduate seats in the medical colleges in this country.

Today, road traffic accidents account for 13 per cent of deaths in India which is bigger than cancer deaths. So, there is a need to have a Polytrauma Care Centre in our country. So, I would like to know this from the hon. Minister. What is the Government's stand on establishing a 300-bedded Polytrauma Care Centre at the National Institute of Mental Health and Neuro-Sciences, Bangalore North Campus. This is because we need to deliver a treatment in polytrauma cases within the golden hour; otherwise during the transit, a lot of people are dying. Is there any proposal before the Ministry to have a small polytrauma clinic for every 125 kilometres of national highways and expressways?

माननीय अध्यक्ष : मंत्री जी, हाथ जेब से बाहर निकालिए।

माननीय सदस्यगण, एक तो मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि हाथ जेब में डालकर सदन में न आया करें। मैं दूसरा आग्रह यह करना चाहता हूँ कि जब कोई माननीय सदस्य बोल रहा होता है तो उसके आगे से होकर न निकलें।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्लीज। मंत्री जी, आप बीच में क्यों बोल रहे हो? आपको क्या पूछना है? आप बताइए। आप क्या पूछना चाहते हो? क्या आप जेब में हाथ डालना अलाऊ करोगे?

… (व्यवधान)

श्री बिप्लब कुमार देब: सर, मैं ऐसा नहीं करता।… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैंने आपसे नहीं पूछा है।

दूसरा, जब कोई माननीय सदस्य बोल रहा हो तो कोई भी माननीय सदस्य उस माननीय सदस्य को क्रॉस करके सामने न बैठें। आप पीछे ही बैठ जाएं। आपको उनके सामने फ्रंट पर आकर बैठने की जरूरत नहीं है।

DR. C. N. MANJUNATH: With the permission of the hon. Speaker, another question is this. In Bangalore, we have Bangalore city and Bangalore rural area surrounding it. We have 1,65,000 CGHS beneficiaries.

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्रश्नकाल का समय समाप्त हो रहा है, जल्दी प्रश्न पूछिए।

DR. C. N. MANJUNATH: For the same size of beneficiaries, we have 17 CGHS dispensaries in Hyderabad as well as in Chennai. But in Bangalore, we have only 10 dispensaries.

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप नए सदस्य हैं, आप बहुत वरिष्ठ हैं, आप बहुत वरिष्ठ डॉक्टर भी हैं, आप दुनिया के बहुत प्रसिद्ध डॉक्टर है। प्रश्नकाल में संक्षिप्त में प्रश्न पूछा जाता है।

SHRI JAGAT PRAKASH NADDA: The hon. Member has done a very good job, a very good work in polytrauma. His suggestion is welcome. He has asked me to look into it whether NIMHANS can think of a Polytrauma Care Centre. Certainly, it is an ongoing process. We will look into the matter.

As he has suggested that we should have a polytrauma unit on the national highways on every 125 kilometres of road, I would like to say that it is not possible at this point of time. But yes, we have opened trauma units on the national highways in different areas. And this is also an ongoing process.

श्री कीर्ति आज़ाद: अध्यक्ष जी, मैं बहुत संक्षेप में प्रश्न पूछूंगा। मेरा प्रश्न 'ख' में से है – 'the measures taken/proposed to be taken to improve the accessibility of healthcare in rural areas.' यह प्रश्न वरिष्ठ नागरिकों को लेकर है। इनकी संख्या बढ़ रही है। मेरा प्रश्न है कि

ग्रामीण प्राथमिक चिकित्सालयों में बढ़ती उम्र से जुड़ी जटिल, जघन्य, संक्रमण की जो बीमारियां होती हैं, उनसे जूझने के लिए हमने क्या-क्या उपाय किए हैं? हमारे पास खांसी, सर्दी आदि छोटी बीमारियों के लिए तो स्वास्थ्य सुविधा होती है, लेकिन जब आदमी वरिष्ठ हो जाता है, तो जटिल बीमारियां आती हैं। उन बीमारियों से जूझने के लिए सरकार ने क्या किया है? ऐसी एक व्यवस्था मेरी जानकारी में केरल में है, क्या इसके बारे में मंत्री जी बताएंगे?

श्री जगत प्रकाश नड्डा : अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। मैं इन्हें बताना चाहता हूं कि हम लोगों ने एक कार्यक्रम हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर वर्ष 2016 के आस-पास शुरू किया था और बाद में वह आयुष्मान आरोग्य मंदिर के रूप में बना है। इसके तहत हमने बहुत से इनिशिएटिव्स लिए हैं। आपने बुजुर्ग और ग्रामीण क्षेत्रों के बारे में बात कही है। मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं कि हमारे 1,73,806 आयुष्मान आरोग्य मंदिर बन चुके हैं, जिनमें काम चल रहा है। इसके लिए फ्री डॉयग्नोस्टिक्स और फ्री ट्रीटमेंट की भी व्यवस्था की गई है। मैं बताना चाहता हूं कि आज आयुष्मान आरोग्य मंदिर में 286 करोड़ रुपये का फुटफॉल है, जब से ये हेल्थ एंड वेलनेस सैंटर्स शुरू हुए हैं, तब से है। 286.50 करोड़ रुपये का फुटफॉल हुआ है और यह 3 जून, 2024 तक का है, जिसमें से 38.2 करोड़ रुपये वेलनेस सैशन्स हुए हैं। 81.29 करोड़ हाईपर टेंशन के केसेज की स्क्रीनिंग हुई है। 71.48 करोड़ की डायबेटिक स्क्रीनिंग हुई है। 48.82 करोड़ तक ओरल कैंसर की स्क्रीनिंग हुई है। 22.13 करोड़ तक ब्रेस्ट कैंसर की स्क्रीनिंग हुई है। 14.65 करोड़ की सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग हुई है। 25.19 करोड़ की टेली-कंसल्टेशन हुई है और इस तरीके से कंसल्टेशन चल रहा है। हमारी कोशिश प्रिवेंटिव एंड प्रोमोटिव हेल्थ केयर की है, जिसमें जिएरेटिक भी आते हैं। जो भी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाता है, उनकी सब तरीके की स्क्रीनिंग कर रहे हैं। डेंटल हेल्थ, मेंटल हेल्थ से लेकर हाईपर टेंशन, डायबिटीज, ट्यूबरक्लोसेस, लेप्रेसी, स्किन चैकिंग आदि सब कुछ होता है।

माननीय सदस्य ने जिएरेटिक के बारे में बात कही है। जिएरेटिक हेल्थ केयर के लिए हम लोगों का प्रयास है कि डिस्ट्रिक्ट अस्पतालों और एबव में उसका प्रयास करें। रूरल हेल्थ में हमेशा

जिएरेटिक केयर में लोगों का डिटेक्शन और उनको राइट ओपोरच्युनिटी के साथ राइट इंस्टीट्यूशन में भेजना हमारी जिम्मेदारी होती है।

माननीय अध्यक्ष : सुश्री प्रणिती सुशीलकुमार शिंदे। आप शॉर्ट में प्रश्न पूछें, क्योंकि प्रश्न काल का समय समाप्त होने वाला है।

सुश्री प्रणिती सुशीलकुमार शिंदे: अध्यक्ष जी, हमारे देश और महाराष्ट्र में भी काफी पीएचसीज हैं, जो इलइक्विप्ड हैं। Except ultrasound, there is no other machinery in these PHCs, and a lot of people have to come to the main civil hospital in the city. उदाहरण के लिए मैं कहना चाहती हूं कि डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के लिए भी उनको सिविल अस्पताल में जाना पड़ता है। ईसीजी जैसे साधारण टेस्ट के लिए भी उन्हें सिविल अस्पताल में जाना पड़ता है। Hon. Speaker, Sir, through you, I would like to ask a question to the hon. Minister.

<u>12.00 hrs</u>

वहां पर बहुत बार डॉक्टर्स भी नहीं रहते हैं। जिनके पास अतिरिक्त जिम्मेदारी रहती है, वे ही रहते हैं। जो स्वावलम्बन पोर्टल है, वह भी पिछले तीन महीने से चल नहीं रहा है। So, are you going to equip all the PHCs in our country with ECG machines, with more ultrasound machines and also have a disability centre?

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, बारह बज गए हैं।

श्री जगत प्रकाश नड्डा : मैं बड़े शॉर्ट में आपको बताता हूं कि हमने जो व्यवस्था की है, वह इस प्रकार है - सब-सेन्टर में हम 106 मेडिसिन्स फ्री देते हैं और 14 टेस्ट्स फ्री करते हैं, प्राइमरी हेल्थ सेन्टर में हम 172 मेडिसिन्स फ्री देते हैं और 63 टेस्ट्स फ्री करते हैं, कम्युनिटी हेल्थ सेन्टर में हम 300 मेडिसिन्स फ्री देते हैं और 97 टेस्ट्स फ्री करते हैं और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में हम 381 मेडिसिन्स फ्री देते हैं और 134 टेस्ट्स फ्री करते हैं।

जहां तक आपका सवाल है, बहुत-से प्रोग्राम्स को हम लोगों ने इन दस सालों में अनफोल्ड किया है, डिस्ट्रिक्ट लेवल तक किया है। आप सबको यह जानकर खुशी भी होगी कि हमारे

डायलिसिस का प्रोग्राम है, जिसके बारे में लोग कभी सोच नहीं सकते थे, पहले लोग 250-300 किलोमीटर डायलिसिस के लिए जाते थे, पर आज सब-डिविजनल हॉस्पिटल्स और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में भी हमने डायलिसिस का प्रोग्राम चलाया है। इस तरीके से हमारी कोशिश है कि आम आदमी को सरकार की तरफ से स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करायी जाएं।

αWRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

(Starred Question Nos. 66 to 80

Unstarred Question Nos. 691 to 920)

$ (Page No. 45 to 892)

*66.	प्रश्न और उत्तर देखने हेतु क्लिक करें
*67.	click to view Question & Answer
*68.	click to view Question & Answer
*69.	click to view Question & Answer
*70.	click to view Question & Answer
*71.	click to view Question & Answer
*72.	click to view Question & Answer
*73.	प्रश्न और उत्तर देखने हेतु क्लिक करें
*74.	click to view Question & Answer
*75.	click to view Question & Answer
*76.	click to view Question & Answer
*77.	click to view Question & Answer
*78.	click to view Question & Answer
*79.	click to view Question & Answer
*80.	click to view Question & Answer
691.	click to view Question & Answer
692.	प्रश्न और उत्तर देखने हेतु क्लिक करें
693.	click to view Question & Answer
694.	click to view Question & Answer
695.	click to view Question & Answer
696.	click to view Question & Answer
697.	प्रश्न और उत्तर देखने हेतु क्लिक करें
698.	click to view Question & Answer
699.	प्रश्न और उत्तर देखने हेतु क्लिक करें
700.	click to view Question & Answer
701.	प्रश्न और उत्तर देखने हेतु क्लिक करें
702.	click to view Question & Answer
703.	click to view Question & Answer
704.	click to view Question & Answer
705.	प्रश्न और उत्तर देखने हेतु क्लिक करें
706.	click to view Question & Answer
707.	click to view Question & Answer
708.	click to view Question & Answer
709.	click to view Question & Answer
710.	click to view Question & Answer
711.	click to view Question & Answer
712.	click to view Question & Answer
713.	click to view Question & Answer

α For Questions and Answers Click Link shown against each Question Number.

$ Edited Questions and Answers are available in Master copy of Debate, placed in Library.

714. प्रश्न और उत्तर देखने हेतु क्लिक करें
715. click to view Question & Answer
716. click to view Question & Answer
717. click to view Question & Answer
718. click to view Question & Answer
719. click to view Question & Answer
720. प्रश्न और उत्तर देखने हेतु क्लिक करें
721. click to view Question & Answer
722. click to view Question & Answer
723. click to view Question & Answer
724. प्रश्न और उत्तर देखने हेतु क्लिक करें
725. click to view Question & Answer
726. click to view Question & Answer
727. click to view Question & Answer
728. click to view Question & Answer
729. click to view Question & Answer
730. click to view Question & Answer
731. click to view Question & Answer
732. click to view Question & Answer
733. click to view Question & Answer
734. प्रश्न और उत्तर देखने हेतु क्लिक करें
735. प्रश्न और उत्तर देखने हेतु क्लिक करें
736. click to view Question & Answer
737. प्रश्न और उत्तर देखने हेतु क्लिक करें
738. click to view Question & Answer
739. click to view Question & Answer
740. click to view Question & Answer
741. click to view Question & Answer
742. click to view Question & Answer
743. click to view Question & Answer
744. click to view Question & Answer
745. click to view Question & Answer
746. click to view Question & Answer
747. click to view Question & Answer
748. click to view Question & Answer
749. click to view Question & Answer
750. प्रश्न और उत्तर देखने हेतु क्लिक करें
751. click to view Question & Answer
752. click to view Question & Answer
753. click to view Question & Answer
754. click to view Question & Answer
755. click to view Question & Answer
756. click to view Question & Answer
757. click to view Question & Answer
758. click to view Question & Answer
759. click to view Question & Answer
760. click to view Question & Answer
761. click to view Question & Answer
762. click to view Question & Answer
763. click to view Question & Answer

764. click to view Question & Answer
765. click to view Question & Answer
766. प्रश्न और उत्तर देखने हेतु क्लिक करें
767. click to view Question & Answer
768. click to view Question & Answer
769. प्रश्न और उत्तर देखने हेतु क्लिक करें
770. click to view Question & Answer
771. click to view Question & Answer
772. click to view Question & Answer
773. click to view Question & Answer
774. click to view Question & Answer
775. प्रश्न और उत्तर देखने हेतु क्लिक करें
776. click to view Question & Answer
777. प्रश्न और उत्तर देखने हेतु क्लिक करें
778. click to view Question & Answer
779. click to view Question & Answer
780. click to view Question & Answer
781. प्रश्न और उत्तर देखने हेतु क्लिक करें
782. click to view Question & Answer
783. click to view Question & Answer
784. click to view Question & Answer
785. click to view Question & Answer
786. click to view Question & Answer
787. click to view Question & Answer
788. click to view Question & Answer
789. click to view Question & Answer
790. click to view Question & Answer
791. प्रश्न और उत्तर देखने हेतु क्लिक करें
792. प्रश्न और उत्तर देखने हेतु क्लिक करें
793. प्रश्न और उत्तर देखने हेतु क्लिक करें
794. click to view Question & Answer
795. click to view Question & Answer
796. click to view Question & Answer
797. प्रश्न और उत्तर देखने हेतु क्लिक करें
798. click to view Question & Answer
799. click to view Question & Answer
800. प्रश्न और उत्तर देखने हेतु क्लिक करें
801. click to view Question & Answer
802. click to view Question & Answer
803. click to view Question & Answer
804. प्रश्न और उत्तर देखने हेतु क्लिक करें
805. प्रश्न और उत्तर देखने हेतु क्लिक करें
806. click to view Question & Answer
807. click to view Question & Answer
808. प्रश्न और उत्तर देखने हेतु क्लिक करें
809. click to view Question & Answer
810. click to view Question & Answer

811. प्रश्न और उत्तर देखने हेतु क्लिक करें
812. click to view Question & Answer
813. click to view Question & Answer
814. click to view Question & Answer
815. click to view Question & Answer
816. प्रश्न और उत्तर देखने हेतु क्लिक करें
817. प्रश्न और उत्तर देखने हेतु क्लिक करें
818. click to view Question & Answer
819. click to view Question & Answer
820. click to view Question & Answer
821. click to view Question & Answer
822. click to view Question & Answer
823. प्रश्न और उत्तर देखने हेतु क्लिक करें
824. प्रश्न और उत्तर देखने हेतु क्लिक करें
825. click to view Question & Answer
826. प्रश्न और उत्तर देखने हेतु क्लिक करें
827. प्रश्न और उत्तर देखने हेतु क्लिक करें
828. click to view Question & Answer
829. प्रश्न और उत्तर देखने हेतु क्लिक करें
830. प्रश्न और उत्तर देखने हेतु क्लिक करें
831. प्रश्न और उत्तर देखने हेतु क्लिक करें
832. click to view Question & Answer
833. click to view Question & Answer
834. click to view Question & Answer
835. click to view Question & Answer
836. click to view Question & Answer
837. click to view Question & Answer
838. click to view Question & Answer
839. click to view Question & Answer
840. click to view Question & Answer
841. प्रश्न और उत्तर देखने हेतु क्लिक करें
842. click to view Question & Answer
843. click to view Question & Answer
844. click to view Question & Answer
845. click to view Question & Answer
846. प्रश्न और उत्तर देखने हेतु क्लिक करें
847. click to view Question & Answer
848. click to view Question & Answer
849. click to view Question & Answer
850. click to view Question & Answer
851. click to view Question & Answer
852. click to view Question & Answer
853. click to view Question & Answer
854. प्रश्न और उत्तर देखने हेतु क्लिक करें
855. click to view Question & Answer
856. click to view Question & Answer
857. click to view Question & Answer

858. प्रश्न और उत्तर देखने हेतु क्लिक करें
859. click to view Question & Answer
860. click to view Question & Answer
861. click to view Question & Answer
862. click to view Question & Answer
863. click to view Question & Answer
864. click to view Question & Answer
865. प्रश्न और उत्तर देखने हेतु क्लिक करें
866. click to view Question & Answer
867. click to view Question & Answer
868. click to view Question & Answer
869. click to view Question & Answer
870. click to view Question & Answer
871. click to view Question & Answer
872. प्रश्न और उत्तर देखने हेतु क्लिक करें
873. click to view Question & Answer
874. click to view Question & Answer
875. click to view Question & Answer
876. click to view Question & Answer
877. प्रश्न और उत्तर देखने हेतु क्लिक करें
878. click to view Question & Answer
879. click to view Question & Answer
880. click to view Question & Answer
881. click to view Question & Answer
882. click to view Question & Answer
883. click to view Question & Answer
884. click to view Question & Answer
885. click to view Question & Answer
886. click to view Question & Answer
887. click to view Question & Answer
888. click to view Question & Answer
889. प्रश्न और उत्तर देखने हेतु क्लिक करें
890. click to view Question & Answer
891. प्रश्न और उत्तर देखने हेतु क्लिक करें
892. click to view Question & Answer
893. click to view Question & Answer
894. click to view Question & Answer
895. click to view Question & Answer
896. click to view Question & Answer
897. प्रश्न और उत्तर देखने हेतु क्लिक करें
898. click to view Question & Answer
899. click to view Question & Answer
900. click to view Question & Answer
901. click to view Question & Answer
902. click to view Question & Answer
903. click to view Question & Answer
904. click to view Question & Answer
905. click to view Question & Answer
906. click to view Question & Answer
907. click to view Question & Answer

908. click to view Question & Answer
909. click to view Question & Answer
910. click to view Question & Answer
911. click to view Question & Answer
912. click to view Question & Answer
913. प्रश्न और उत्तर देखने हेतु क्लिक करें
914. click to view Question & Answer
915. प्रश्न और उत्तर देखने हेतु क्लिक करें
916. click to view Question & Answer
917. click to view Question & Answer
918. प्रश्न और उत्तर देखने हेतु क्लिक करें
919. प्रश्न और उत्तर देखने हेतु क्लिक करें
920. प्रश्न और उत्तर देखने हेतु क्लिक करें

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, मुझे कई माननीय सदस्यों द्वारा स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। मैंने स्थगन प्रस्ताव की किसी भी सूचना की अनुमति प्रदान नहीं की है।

कल्याण जी, आप क्या बोलना चाहते थे?

SHRI KALYAN BANERJEE (SREERAMPUR): Yesterday, Dr. Sukanta Majumdar, the hon. Minister of North East Region said that the North Bengal will be divided.

माननीय अध्यक्ष: उन्होंने इसे कहां पर कहा? उन्होंने इसे सदन में तो नहीं कहा न!

श्री कल्याण बनर्जी: उन्होंने बाहर बोला।

माननीय अध्यक्ष : उन्होंने सदन में नहीं कहा। इसलिए बाहर की बात की चर्चा सदन में नहीं होगी।

… (व्यवधान)

SHRI KALYAN BANERJEE: Sir, kindly listen to me.… (*Interruptions*)

Mr. Nishikant Dubey said in the House that two districts would be taken from West Bengal. What is this? On the ground of religion, … (*Interruptions*).

माननीय अध्यक्ष : उन्होंने अपना विषय शून्य काल में रखा। लेकिन, जो बाहर के विषय हैं, उस पर हाउस में चर्चा नहीं होगी।

… (व्यवधान)

SHRI KALYAN BANERJEE: How can the Minister say this?

माननीय अध्यक्ष : पी.सी. मोहन जी, आप कुछ बोलना चाहते थे।

… (व्यवधान)

SHRI P. C. MOHAN (BANGALORE CENTRAL): Sir, in Karnataka, there is a serious scam. In Valmiki Nigam, more than Rs. 100 crore have been transferred into *benami* account.… (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : नहीं, माननीय सदस्य, आप बैठ जाइए।

… (व्यवधान)

SHRI P. C. MOHAN: The Minister concerned also has been arrested and the Finance Department is handled by none other than the Chief Minister of Karnataka Shri Siddaramaiah.

12.03 hrs

PAPERS LAID ON THE TABLE

माननीय अध्यक्ष : अब पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे।

आइटम नंबर - 2, श्री अर्जुन राम मेघवाल।

… (व्यवधान)

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री; तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) : माननीय अध्यक्ष जी, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं: -

(1) विधि और न्याय मंत्रालय की वर्ष 2024-2025 की निर्गत-परिणामी अनुश्रवण रूपरेखा संकेतक की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 212/18/24]

(2) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 169 की उप-धारा (3) के अंतर्गत निर्वाचनों का संचालन (संशोधन) नियम, 2024, जो दिनांक 1 मार्च, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 995 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 213/18/24]

(3) मध्यस्थता अधिनियम, 2023 की धारा 53 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) भारतीय मध्यस्थता परिषद (अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन, भत्ते और सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें) नियम, 2024 जो दिनांक 13 जून, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 320 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय मध्यस्थता परिषद (अंशकालिक अध्यक्ष और अंशकालिक सदस्यों के यात्रा और अन्य भत्ते) नियम, 2024 जो दिनांक 13 जून, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 321(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारतीय मध्यस्थता परिषद (लेखाओं के वार्षिक विवरण के प्ररुप और रीति) नियम, 2024 जो दिनांक 13 जून, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 322(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[Placed in Library, See No. LT 214/18/24]

(4) भारत अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र अधिनियम, 2019 की धारा 32 के अंतर्गत भारत अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र (सूक्ष्म और लघु उद्यम माध्यस्थम् का संचालन) विनियम, 2024, जो दिनांक 7 जून, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ.सं. ए-60011/4/2024-प्रशासन-आईआईएसी में प्रकाशित हुए थे, एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 215/18/24]

माननीय अध्यक्ष : रिकॉर्ड में कुछ नहीं जा रहा है। आप सब बैठ जाइए।

… (व्यवधान)

आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री; तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव) : अध्यक्ष जी, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान संस्थान अधिनियम, 2020 की धारा 29 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान संस्थान विद्यावारिधि विनियम, 2024, जो दिनांक 7 मार्च, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ.सं. एल-12015/25/2021-एएस(।) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, स्नातकोत्तर - आयुर्वेद विनियम, 2024, जो दिनांक 7 मार्च, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ.सं. एल-12015/25/2021-एएस (II). में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, स्नातकोत्तर भेषजी विनियम, 2024, जो दिनांक 7 मार्च, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ.सं. एल-12015/25/2021-एएस (111). में प्रकाशित हुए थे।

(चार) आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, स्नातकपूर्व के लिए आयुर्वेदिक औषध और शल्य चिकित्सा स्नातक विनियम, 2024, जो दिनांक 7 मार्च, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ.सं. एल-12015/25/2021- एएस (IV). में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान संस्थान (संशोधन) विनियम, 2024, जो दिनांक 21 मार्च, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ.सं. एल- 12015/18/2021 - एएस. में प्रकाशित हुए थे ।

(छह) आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान संस्थान - स्वास्थ्यवृत्त और संबद्ध विज्ञान कार्यक्रम विनियम 2024, जो दिनांक 29 अप्रैल, 2024 के भारत के

राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ.सं. एल-12015/25/2021-एएस-पीटी. 1.सी. में प्रकाशित हुए थे।

(सात) आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान संस्थान (भेषजी में डिप्लोमा - आयुर्वेद) विनियम, 2024, जो दिनांक 2 मई, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ.सं. एल-12015/25/2021-एएस-पीटी.1.बी. में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, भेषजी स्नातक-आयुर्वेद [बी. फार्म. (आयु.)] विनियम 2024, जो दिनांक 2 मई, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ.सं. एल-12015/25/2021-एएस-पीटी.1.ए. में प्रकाशित हुए थे।

[Placed in Library, See No. LT 216/18/24]

(2) (एक) राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान, कोलकाता के वर्ष 2022 2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान, कोलकाता के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT217/18/24]

(4) (एक) राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर के वर्ष 2022 2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर के वर्ष 2022 2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 218/18/24]

12.04 hrs

At this stage, Shri Kalyan Banerjee, Shri Gurjeet Singh Aujla and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE; AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRIMATI ANUPRIYA PATEL): Sir, I beg to lay on the Table a copy of the Medical Termination of Pregnancy (Amendment) Rules, 2024 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R.332(E) in Gazette of India dated 18th June, 2024, under sub-section (3) of Section 6 of the Medical Termination of Pregnancy Act, 1971.

[Placed in Library, See No. LT 219/18/24]

12.05 hrs

BUSINESS OF THE HOUSE

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF LAW AND JUSTICE; AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI ARJUN RAM MEGHWAL): Speaker Sir, with your permission Sir, I rise to announce that Government Business during the week commencing Monday, the 29th of July, 2024 will consist of:-

1. Consideration of any item of Government Business carried over from today's order paper:- [it contains (i) Further General Discussion on Union Budget for 2024-25 (ii) Further General Discussion on Budget of Union Territory of Jammu & Kashmir for 2024-25 (iii) Discussion and Voting on Demands for Grants of the Union Territory of Jammu & Kashmir for the year 2024-25 and introduction, consideration and passing of the related Appropriation Bill.

2. Discussion and Voting on Demands for Grants of the individual Ministries for the year 2024-25.

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : क्या आप सदन नहीं चलाना चाहते हैं?

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही आज साढ़े बारह बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

… (व्यवधान)

12.06 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Thirty Minutes past Twelve of the Clock.

12.30 hrs

The Lok Sabha re-assembled at Thirty Minutes past Twelve of the Clock.

(Shri Jagdambika Pal *in the Chair*)

माननीय सभापति : आइटम नंबर-6, श्री अर्जुन राम मेघवाल।

12.30½ hrs

MOTION RE: CONSTITUTION OF THE JOINT COMMITTEE ON OFFICES OF PROFIT

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF LAW AND JUSTICE; AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI ARJUN RAM MEGHWAL): Sir, with your permission, I beg to move the following:-

"That a Joint Committee of the Houses to be called the Joint Committee on Offices of Profit be constituted consisting of fifteen members, ten from this House and five from the Rajya Sabha, who shall be elected from amongst the members of each House in accordance with the system of proportional representation by means of single transferable vote;

That the functions of the Joint Committee shall be –

(i) to examine the composition and character of all existing "committees" (other than those examined by the Joint Committee to which the Parliament (Prevention of Disqualification) Bill, 1957 was referred) and all "committees" that may hereafter be constituted, membership of which may disqualify a person for

being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament under article 102 of the Constitution;

(ii) to recommend in relation to the “committees” examined by it what offices should disqualify and what offices should not disqualify;

(iii) to scrutinise from time to time the Schedule to the Parliament (Prevention of Disqualification) Act, 1959, and to recommend any amendments in the said Schedule, whether by way of addition, omission or otherwise;

That the Joint Committee shall, from time to time, report to both Houses of Parliament in respect of all or any of the aforesaid matters;

That the members of the Joint Committee shall hold office for the duration of the present Lok Sabha;

That in order to constitute a sitting of the Joint Committee, the quorum shall be one-third of the total number of members of the Committee;

That in other respects, the Rules of Procedure of this House relating to Parliamentary Committees will apply with such variations and modifications as the Speaker may make; and

That this House recommends to the Rajya Sabha that the Rajya Sabha do join in the said Joint Committee and to communicate to this House the names of members to be appointed by the Rajya Sabha to the Joint Committee.”.”

माननीय सभापति: प्रश्न यह है:

“कि सभाओं की एक संयुक्त समिति जिसे लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति कहा जाएगा, का गठन किया जाए जिसमें पंद्रह सदस्य होंगे, जिनमें से दस सदस्य इस सभा से तथा पांच राज्य सभा से होंगे, जिन्हें आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा प्रत्येक सभा के सदस्यों में से चुना जाएगा;

कि संयुक्त समिति के कार्य निम्न होंगे:

(एक) सभी विद्यमान 'समितियों' (संयुक्त समिति द्वारा जांची गई समितियों को छोड़कर जिन्हें संसद (निरर्हता निवारण) विधेयक, 1957 भेजा गया था) तथा इसके पश्चात गठित की जाने वाली उन सभी 'समितियों' की रचना तथा स्वरूप की जांच करना जिसकी सदस्यता के कारण कोई व्यक्ति संविधान के अनुच्छेद 102 के तहत संसद के किसी सदन का सदस्य चुने जाने और सदस्य होने के लिए निरर्ह हो सकता है;

(दो) इसके द्वारा जांच की गई 'समितियों' के संबंध में यह सिफारिश करना कि किन पदों के कारण निरर्हता होनी चाहिए तथा किन पदों के कारण नहीं; और

(तीन) संसद (निरर्हता निवारण) अधिनियम, 1959 की अनुसूची की समय-समय पर संवीक्षा करना तथा उक्त अनुसूची में किसी भी संशोधन की सिफारिश करना चाहे वह संशोधन परिवर्धन द्वारा हो अथवा लोप द्वारा अथवा अन्य किसी प्रकार से।

कि संयुक्त समिति समय-समय पर संसद की दोनों सभाओं को उपरोक्त सभी या किसी भी विषय के संबंध में प्रतिवेदन देगी;

कि संयुक्त समिति के सदस्य वर्तमान लोक सभा के कार्यकाल तक पद धारण करेंगे;

कि संयुक्त समिति की बैठक के लिए समिति के कुल सदस्यों की संख्या का एक-तिहाई सदस्यों का होना आवश्यक है;

कि अन्य मामलों में संसदीय समितियों से संबंधित इस सभा के प्रक्रिया नियम ऐसे परिवर्तनों और संशोधनों के साथ लागू होंगे, जो अध्यक्ष द्वारा किए जाएं; और

कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा उक्त संयुक्त समिति में शामिल हो तथा संयुक्त समिति में राज्य सभा द्वारा नियुक्त किए जाने वाले सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करें"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

12.33 hrs

ELECTION TO COMMITTEES

(i) All India Institute of Medical Sciences (AIIMS) at Awantipora, Bathinda, Bhopal, Kalyani, Nagpur, New Delhi, Raebareli, Rewari and Rajkot

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE; AND MINISTER OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI JAGAT PRAKASH NADDA): Sir, I beg to move the following:-

"That in pursuance of Section 4(g) of the All India Institute of Medical Sciences (AIIMS) Act, 1956 read with Section 6 of the AIIMS (Amendment) Act, 2012, the members of this House do proceed to elect, in such manner, as the Speaker may direct, two members from amongst themselves to each of the nine All India Institute of Medical Sciences (AIIMS) at Awantipora, Bathinda, Bhopal, Kalyani, Nagpur, New Delhi, Raebareli, Rewari and Rajkot subject to the other provisions of the said Act"

माननीय सभापति: प्रश्न यह है:

"कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) (संशोधन) अधिनियम, 2012 की धारा 6 के साथ पठित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) अधिनियम, 1956 की धारा 4 (छ) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से, जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन अवंतिपुरा, बठिंडा, भोपाल, कल्याणी, नागपुर, नई दिल्ली, रायबरेली, रेवाड़ी और

राजकोट स्थित नौ अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में से प्रत्येक के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।</u>

माननीय सभापति: मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करना चाहता हूं कि यह आपके अधिकार संबंधी प्रस्ताव है। जब नई लोक सभा बनती है, देश के तमाम ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में यहां से दो सदस्य चुनकर जाते हैं, चाहे वे सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के हों। आज उसका प्रस्ताव हो रहा है। इस पर 'हाँ' और 'नहीं' है। उन जगहों को इस सदन से भरना है।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति: संसदीय कार्य मंत्री जी।

संसदीय कार्य मंत्री; तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री किरेन रिजिजू) : महोदय, यह व्यवस्था का मामला है। जब सरकार का बिजनेस होता है, तो उसमें हाँ-ना कर सकते हैं, क्योंकि विपक्ष इसका विरोध करता है। हाउस के नॉर्मल अथॉरिटी की जो चीज है, उसमें 'यस-नो' न करने की परंपरा रही है। आप अपनी पार्टी के लीडर को थोड़ा बता दें तो इस हाउस का सिस्टम अच्छा रहेगा।… (व्यवधान)

माननीय सभापति: श्री वेणुगोपाल जी, संसदीय मंत्री जी को बोल लेने दीजिए।

… (व्यवधान)

श्री किरेन रिजिजू : महोदय, मैं फिर से क्लैरिफाई कर रहा हूं। जैसे बिजनेस एडवाइजरी कमेटी बिजनेस पास करती है, यह सदन के लिए होता है। उसका मोशन मूव करते हैं। यह सरकार का नहीं होता है। यह हाउस का बिजनेस है। मैं इसी का बात कर रहा हूं।… (व्यवधान)

माननीय सभापति: ओवैसी साहब, आप बैठे-बैठे न बोलिए।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति: मैंने आपको परमिशन नहीं दिया है।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति: माननीय मंत्री जी।

… (व्यवधान)

श्री किरेन रिजिजू : मैं मेंबर्स के राइट को ले जाने वाली कोई बात नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ सेंसटाइज कर रहा हूं कि हाउस का सेंस लेकर कोई चीज पेश होती है, तो वह सबकी होती है। मैं इतना कह रहा हूं। मैं गवर्नमेंट बिल, बिजनेस के बारे में नहीं कह रहा हूं। … (व्यवधान)

SHRI K. C. VENUGOPAL (ALAPPUZHA): Sir, I agree with the Parliamentary Affairs Minister that on some issues, we need to have a consensus. But I would like to remind one thing to the House. The primary duty of the Parliamentary Affairs Minister is to carry the House together. He should coordinate between the Opposition and the Government and carry on the Government Business. Unfortunately, yesterday, our Parliamentary Affairs Minister gave a very bad statement. … (*Interruptions*) He had given a very, very condemnable statement against the Opposition. … (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Okay, it is enough. I have already given you time.

… (*Interruptions*)

SHRI K. C. VENUGOPAL: Sir, I would like to raise one point. … (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: You kindly conclude now. I have already given you time.

… (*Interruptions*)

SHRI K. C. VENUGOPAL: Sir, we have told this to the hon. Speaker also. … (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: I would request all of you to please sit down.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: I am giving the opportunity to Sh. Venugopal ji. So, I would request all of you to kindly sit down.

… (*Interruptions*)

SHRI K. C. VENUGOPAL: Hon. Chairperson Sir, my point is this. Yesterday, the hon. Defence Minister and the hon. Speaker… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: You have already spoken about it. Please do not repeat.

… (*Interruptions*)

SHRI K. C. VENUGOPAL: Sir, generally the custom and the decorum of the House should be maintained by all the hon. Members, whether they are from the Opposition or from the Government side. … (*Interruptions*) While speaking, a very low-level language was used by an hon. Member and the hon. Parliamentary Affairs Minister is not seeing to it. … (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: It is enough now.

… (*Interruptions*)

SHRI K. C. VENUGOPAL: He is only criticizing the Opposition. … (*Interruptions*) It is not at all acceptable. … (*Interruptions*) It is not at all acceptable to us. … (*Interruptions*) It is not at all acceptable. … (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Okay, I have heard you.

… (*Interruptions*)

SHRI K. C. VENUGOPAL: It is not at all acceptable. … (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: I think, the Parliamentary Affairs Minister knows his role, and he is also performing his role.

Now, Item No. 8 – Shri Jagat Prakash Nadda ji.

… (*Interruptions*)

12.38 hrs

ELECTION TO COMMITTEES- Contd.

(ii) Central Supervisory Board

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE; AND MINISTER OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI JAGAT PRAKASH NADDA): Hon. Chairperson Sir, I rise to move the following: -

> "That in pursuance of clause (f) of sub-section (2) of Section 7 read with clause (a) of sub-section (1) of Section 8 of the Pre-conception and Pre-natal Diagnostic Techniques (Prohibition of Sex Selection) Act, 1994, the members of this House do proceed to elect, in such manner as the Speaker may direct, two women members from amongst themselves to serve as members of the Central Supervisory Board subject to the provisions of Section 15 of the said Act, and the Rules made thereunder."

माननीय सभापति: प्रश्न यह है :

> "कि गर्भधारण-पूर्व और प्रसव-पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 की धारा 8 की उप-धारा (1) के खंड (क) के साथ पठित धारा 7 की उप-धारा (2) के खंड (च) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम की धारा 15 के उपबंधों और उसके

अधीन बनाये गए नियमों के अध्यधीन सेंट्रल सुपरवाइजरी बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो महिला सदस्य निर्वाचित करें।"

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

माननीय सभापति: आइटम नंबर 9.

… (व्यवधान)

माननीय सभापति: कल्याण जी, कोई विषय होगा, तो हम मौका देंगे। इसे हो जाने दीजिए। पेपर ले हो जाने दीजिए। आइटम नंबर 9.

12.39 hrs

(iii) Jawaharlal Institute of Postgraduate Medical Education and Research (JIPMER), Puducherry

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE; AND MINISTER OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI JAGAT PRAKASH NADDA): Hon. Chairperson Sir, I rise to move the following: -

> "That in pursuance of Section 5(k) read with sub-section (1) of Section 6 of the Jawaharlal Institute of Postgraduate Medical Education and Research, Puducherry Act, 2008, the members of this House do proceed to elect, in such manner as the Speaker may direct, two members from amongst themselves to serve as members of the Institute Body of Jawaharlal Institute of Postgraduate Medical Education and Research, Puducherry, subject to the other provisions of the said Act and the Rules made thereunder."

माननीय सभापति: प्रश्न यह है :

> "कि जवाहरलाल स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, पुडुचेरी अधिनियम, 2008 की धारा 6 की उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 5 (ट) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त

अधिनियम के अन्य उपबंधों और उसके अधीन बनाये गए नियमों के अध्यधीन जवाहरलाल स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, पुडुचेरी के संस्थान निकाय के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

12.40 hrs

(iv) Post-Graduate Institute of Medical Education and Research (PGIMER), Chandigarh

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE; AND MINISTER OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI JAGAT PRAKASH NADDA): Sir, I beg to move the following: -

"That in pursuance of Section 5(g) read with sub-section (1) of Section 6 of the Post-Graduate Institute of Medical Education and Research, Chandigarh Act, 1966, the members of this House do proceed to elect, in such manner as the Speaker may direct, two members from amongst themselves to Post-Graduate Institute of Medical Education and Research, Chandigarh subject to the other provisions of the said Act and the Rules made thereunder."

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

"कि स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़ अधिनियम, 1966 की धारा 6 की उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 5 (छ) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों और उसके अधीन बनाये गए नियमों के अध्यधीन स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़ के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

12.41 hrs

(v) Council of National Institute of Pharmaceutical Education and Research (NIPER)

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE; AND MINISTER OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI JAGAT PRAKASH NADDA): I beg to move the following:-

"That in pursuance of clause (j) of sub-section (2) of Section 30A of the NIPER (Amendment) Act, 2021, the members of this House do proceed to elect, in such manner as the Speaker may direct, two members from amongst themselves to serve as members of the Council of NIPER, subject to the other provisions of the said Act and the Rules made thereunder."

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

"कि एनआईपीईआर (संशोधन) अधिनियम, 2021 की धारा 30क की उप-धारा (2) के खंड (ञ) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से, जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों और उसके अधीन बनाये गए नियमों के अध्यधीन एनआईपीईआर की परिषद के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य को निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय सभापति : माननीय सदस्यगण, आज शून्यकाल नहीं होगा। रूलिंग दे देता हूं, आप पूरी बात सुनेंगे तो सहमत हो जाएंगे। जिन माननीय सदस्यों का आज बैलेट में नाम आया था, उन्हें अगले सप्ताह में प्राथमिकता के आधार पर सुना जाएगा, आपका लैप्स नहीं होगा। धन्यवाद।

12.42 hrs

MATTERS UNDER RULE 377*

माननीय सभापति: माननीय सदस्यगण, नियम 377 के अधीन मामलों को सभा पटल पर रखा जाएगा। जिन सदस्यों को नियम 377 के अधीन मामलों को आज उठाने की अनुमति दी गई और जो उन्हें सभा पटल पर रखने के इच्छुक हैं, वे 20 मिनट के भीतर मामले का पाठ व्यक्तिगत रूप से सभा पटल पर भेज दें। केवल उन्हीं मामलों को सभा पटल पर रखा माना जाएगा, जिनके लिए मामले का पाठ निर्धारित समय के भीतर सभा पटल पर प्राप्त हो गया है, शेष को व्यपगत माना जाएगा।

(i) Regarding extension of services of Tata Nagar – Thawe Express up to Gorakhpur Cantt.

श्री रवीन्द्र शुक्ला उर्फ रवि किशन (गोरखपुर) : गाड़ी संख्या 18181/18182 टाटानगर - थावे एक्सप्रेस (सप्ताह में चार दिन) के रैक की थावे रेलवे स्टेशन पर खड़े रहने की अवधि 16:55 घंटे है। उक्त ट्रेन का रूट विस्तार थावे से पडरौना, तमकुही रोड, कप्तानगंज पर ठहराव देते हुए गोरखपुर कैंट तक किया जाए जिससे गोरखपुर से लौहनगरी जमशेदपुर के बीच समर्पित रेल सेवा का लाभ जमशेदपुर में रह रहे हमारे पूर्वांचली भाईयों एवं बहनों को मिल सके। वर्तमान में गोरखपुर से टाटानगर के बीच गाड़ी संख्या 15021/15022 गोरखपुर - शालीमार साप्ताहिक एक्सप्रेस की एकमात्र रेल सेवा उपलब्ध है। अतः मैं माननीय रेल मंत्री जी से गाड़ी संख्या 18181/18182 टाटानगर - थावे एक्सप्रेस के गोरखपुर कैंट तक रूट विस्तार करने का आग्रह करता हूँ जिससे गोरखपुर से टाटानगर के बीच सप्ताह में पांच दिन की रेल सेवा का लाभ रेल यात्रियों को मिलेगा।

---

* Treated as laid on the Table.

(ii) Regarding setting up of factories in Palamu Parliamentary Constituency

श्री विष्णु दयाल राम (पलामू) : पलामू संसदीय क्षेत्र के दोनों जिलें पलामू एवं गढ़वा आकांक्षी जिलों की श्रेणी में आते है । आकांक्षी जिलों में आने का अर्थ है कि इन दोनों जिलों का जितना विकास होना चाहिए उतना नहीं हुआ है । इस क्षेत्र में सबसे बडी समस्या रोजगार के अभाव में पलायन की है । इस मामले को मैं वर्ष 2014 से ही इस सदन में उठाता रहा हूँ । परन्तु एक भी उद्योग, कल-कारखाना नहीं लगा है । एक जपला सीमेंट फैक्ट्री थी दुर्भाग्यवश वह भी बंद हो चुकी है । यहॉ के लोग रोजगार के अभाव में दूसरें राज्यों में जाकर मजदूरी करने के लिए विवश है और पलायन कर रहे हैं । खनिज पदार्थों से भरपूर यहाँ पर कोयला प्रचुर मात्रा में है । इसके अलावा ग्रेफाइट है, लाइम स्टोन है बगल के जिला लोहरदगा में बाक्साइट है । अल्युमिनियम का कारखाना भी लगाया जा सकता है । इसके अलावा ग्रेफाइट की उपलब्धता और गुणवत्ता के अधार पर ग्रेफाइट आधारित उद्योग लगाया जा सकता है । बहुत सारी बंद पड़ी खदानों को शीघ्रातिशीघ्र चालू किया जा सकता है । मैं केन्द्र सरकार से मांग करता हूँ कि यहां पर कल-कारखाना स्थापित कराने की कृपा की जाय, ताकि इस क्षेत्र में पलायन की समस्या को रोका जा सके ।

(iii) Need for reform in school education system in Dadra and Nagar Haveli

श्रीमती कलाबेन मोहनभाई देलकर (दादरा और नागर हवेली) : दादरा-नगर-हवेली के आदिवासी क्षेत्र के गरीब बच्चे असुविधाओं और शिक्षकों की कमी के कारण परेशानियां झेलने को मजबूर है। उनको समय पर स्कूल किट-किताबें, यूनिफार्म-शूज, रेनकोट-बैग इत्यादि वस्तुएँ नहीं मिलती, जिससे उनकी शिक्षा प्रभावित हो रही है। स्थानीय शिक्षकों की हालत बहुत ही खराब होने से वह खूब तनावपूर्ण माहौल में अपना कार्य कर रहे हैं। जिला पंचायत द्वारा प्राथमिक शिक्षण विभाग ने नवंबर 2021 में 280 अस्थाई आदिवासी शिक्षकों को अचानक बिना कारण दिए निलंबित कर दिया। जिससे गरीब बच्चों की शिक्षा पर भी प्रभाव पड़ा है। स्कूल का समय सुबह 9 से शाम 4:30 बजे तक है, जिससे स्कूल घर से दूर होने के कारण बच्चों को स्कूल पहुँचने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। हायर सेकंडरी स्कूल-कॉलेज के बच्चों को पिछले दो वर्षों में स्कॉलरशिप नही मिली है। अपनी स्कॉलरशिप की समस्याओं को लेकर बच्चों ने जिला कलेक्टर को लिखित में गुहार लगाई थी, जिस पर कोई कार्रवाई नही होने से बच्चे मायूस हैं।

मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगी कि उपरोक्त विषय पर व्यक्तिगत रूप से संज्ञान लेकर बच्चों को स्कूल-किट, स्कॉलरशिप समय पर दिलवाने हेतु और नौकरी से निकाले गए शिक्षकों को फिर से बहाल कराने हेतु दिशानिर्देश जारी करने की कृपा करें।

(iv) Need for resumption of flight services from Kushinagar International Airport

श्री विजय कुमार दूबे (कुशीनगर) : हमारे लोक सभा क्षेत्र कुशीनगर में लगभग बीस साल से निर्माणाधीन हवाई अड्डे का निर्माण अंतराष्ट्रीय हवाई अड्डा के रूप मे 2021 को पूर्ण हुआ। जिसका उद्घाटन यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी जी के द्वारा 20/10/21 को हुआ था। स्पाइस जेट एयर लाइन्स की कुशीनगर से दिल्ली और दिल्ली से कुशीनगर की एक फ्लाइट की उड़ान प्रारम्भ हुई। नियमित उड़ान लगभग दो माह चली, इसके बाद ही अनियमित उड़ान के साथ दो - तीन महीने चला, उसके बाद लो - विजीविलिटी कारण दिखा कर उड़ान को पूर्णतः बंद कर दिया गया। चुनाव के दौरान जनता का प्रश्न एक मुद्दा बना हुआ था। अब न तो डोमेस्टिक उड़ान इस एयरपोर्ट से हो रही है, न ही अंतराष्ट्रीय उड़ान कभी प्रारम्भ हो सकी। स्टाफ सभी मौजूद है, राजस्व की क्षति एवं प्रतिमाह करोडो का व्यय हो रहा है। मैं माननीय नागर विमानन मंत्री जी से आग्रह करता हूँ कि उक्त एयरपोर्ट की कार्रवाई को संज्ञान मे लेते हुए कुशीनगर अंतराष्ट्रीय हवाई अड्डे से दिल्ली, मुंबई और जम्मू की डोमेस्टिक उड़ान इंडिगो, एयरइंडिया एवं गो एयर आदि से उड़ान प्रारम्भ कराने का कष्ट करें।

(v) Need to establish a Dry Port in Bundelkhand region

SHRI ANURAG SHARMA (JHANSI): This issue has been raised to suggest the establishment of dry ports in the Bundelkhand region of Uttar Pradesh by the Government of India. Bundelkhand, spanning across Uttar Pradesh and Madhya Pradesh, faces significant economic challenges due to its arid climate and limited infrastructure. By developing dry ports, the region can gain critical logistical advantages, boosting trade and commerce. Dry ports will facilitate efficient cargo handling and reduce transportation costs, thereby encouraging industrial growth. According to the Uttar Pradesh government's data, the Bundelkhand region has witnessed only 2% industrial growth compared to the state average of 6%. Establishing dry ports can bridge this gap, fostering economic development and job creation. Furthermore, the Government of India's National Logistics Policy aims to reduce logistics costs from the current 13-14% of GDP to 8%. Dry ports in Bundelkhand will contribute significantly to this objective, enhancing the region's connectivity to major markets and ports. Therefore, it is imperative to implement this initiative promptly to promote sustainable development and economic prosperity in Bundelkhand. Your support is crucial in transforming this region into a vibrant economic hub, fostering public trust in the Government's commitment to balanced regional development.

(vi) Regarding construction of service roads, overbridge and underpasses at NH-18 (Dhanbad – Balasore)

श्री बिद्युत बरन महतो (जमशेदपुर): राष्ट्रीय राजमार्ग-18 (धनबाद – बालासोर) जो मेरे संसदीय क्षेत्र जमशेदपुर के बहरागोड़ा से प्रसारित होता है और बहरागोड़ा के कालियाडिन्घा चौक के दोनों छोर पर कोई सर्विस रोड निर्मित नही है जिसके कारण चौक के आस-पास आए दिन जलभराव होता रहता है । इसलिए यहाँ पर सर्विस रोड का निर्माण करवाया जाये। इसी प्रकार आदित्यपुर स्थित ओम होटल रेजीडेंसी के सामने एक ओवरब्रिज का निर्माण हो जाने से यहाँ ट्रैफिक जाम की समस्या का निवारण हो सकेगा। मेरे संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत फूलढूंगरी-घाटशिला के बीच अंडरपास का निर्माण किया जाना चाहिए जिससे रोड ट्रैफिक जाम की समस्या का निवारण हो सके। अत : मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि उपरोक्त समस्याओं को संज्ञान में ले और इनका जल्द से जल्द निवारण करने की कृपा करे।

(vii) Regarding alleged Bangladeshi infiltration in Jharkhand

श्री मनीष जायसवाल (हज़ारीबाग) : बांग्लादेशी लोगों की लगातार घुसपैठ से झारखड़ का आदिवासी समुदाय खतरे में है। आए दिन बांग्लादेशी लोग घुसपैठ करके मासूम आदिवासी समुदाय की लड़कियों महिलाओं को बहला फुसलाकर जबरन शादी करके भारत की फर्जी नागरिकता हासिल कर उनके घर व खेत पर कब्जा कर पांव पसार रहे है । क्योंकि इन पर राज्य सरकार का ध्यान नहीं है इसलिए ये लोग अपने मन मानी कर आदिवासी समुदाय के लिए खतरा बने हुए हैं,और झारखंड की राजनीतिक भविष्य में बहुत ही बड़ा हस्तक्षेप कर रहे हैं । यदि राज्य सरकार इस मुद्दे पर ध्यान नहीं देना चाहती तो केंद्र से मदद क्यों नही ले रही । उपरोक्त विषय पर ध्यान दिया जाए।

(viii) Need to provide decorated mobile kiosks to street vendors in Jagannath Dham Puri

DR. SAMBIT PATRA (PURI): I urge the Ministry of Tourism to provide movable decorated kiosks to street vendors in Jagannath Dham Puri to boost their economy, enhance tourism, and beautify the city.

Street vendors along the Grand Road and sea beach are crucial to Puri's economy, supporting many families and adding cultural vibrancy. However, the current setup causes challenges, especially during major events like the Rath Yatra, when authorities need to clear the streets, disrupting vendors operations and affecting their earnings. The lack of organized vending spaces leads to congestion and detracts from Puri's aesthetic appeal.

To address these issues, I propose that the Ministry of Tourism provide movable decorated kiosks for Puri's street vendors. These kiosks, reflecting local culture and heritage, will enhance the city's beauty and offer dignified, organized vending spaces. Their mobility will allow easy clearance during festivals and large gatherings, ensuring smooth operations for both vendors and authorities. This initiative will significantly improve the economic conditions of street vendors, boost tourism, and enhance the overall image of Jagannath Dham Puri.

(ix) Regarding integration of village cleanliness work into MGNREGA

SHRI KAMAKHYA PRASAD TASA (KAZIRANGA): Similar to the Municipal Board's urban cleanliness efforts, it is essential to implement parallel initiatives in villages by involving MGNREGA Jobcard holders. This strategy will not only enhance the hygiene and environmental health of our villages but also create employment opportunities, supporting MGNREGA's objectives. Integrating village cleanliness programs into the MGNREGA framework will ensure systematic garbage management and disposal. Regular cleaning activities will reduce the frequency of communicable diseases, enhance the rural visuals, and nurture community pride and responsibility. Involving MGNREGA Job card holders will generate significant person days, providing stable income to rural workers and contributing to their socio-economic development. This initiative will promote sustainable waste management and environmental conservation at the grassroots level. Successful implementation requires coordinated planning, awareness campaigns, and provision of necessary tools and equipment. Regular monitoring and evaluation will ensure the program's effectiveness and sustainability. By empowering the rural workforce to take responsibility for their environment, we can achieve cleaner, healthier, and more vibrant villages which will ensure our Government’s vision of 'Clean and Green' villages as the key to rural development and the transformation to Viksit Bharat by 2047. I thank Hon'ble Prime Minister, Shri Narendra Modi Ji who has given a new dimension regarding Swachh Bharat and personally set an example by taking part in the Swachh Bharat Abhiyan.

(x) Regarding shortage of drinking water in Delhi

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी (दक्षिण दिल्ली) : मैं सरकार का ध्यान राजधानी दिल्ली में चल रहे भीषण जल संकट की ओर दिलाना चाहता हूं। दिल्ली में पीने के पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। दिल्ली में पानी की मांग 1400 एमजीडी तक पहुंच गई है जबकि सिर्फ 900 एमजीडी पानी की सप्लाई हो रही है। राजधानी में जितना पानी सप्लाई किया जाता है, उसमें से 52 प्रतिशत चोरी हो रहा है। मैं बताना चाहता हूं कि दिल्ली सरकार ने जल संयंत्रों को 10 साल से गाद नहीं निकलवाई, जिससे जल संयंत्रों में पानी की स्टोरेज क्षमता बहुत कम हो गई है। दिल्ली में पानी की मात्रा बढ़ाने के लिए कागजी योजनाएं बनाई गई, जिनमें यमुना के किनारे गड्ढे खोदकर बारिश का पानी जमा करना और यमुना किनारे सैंकड़ों रैनीवैल्स लगाने थे, लेकिन ये सभी योजनाएं धरातल पर नहीं उतर पाई।

मेरा केंद्रीय जल शक्ति मंत्री महोदय से अनुरोध है कि इस समस्या का तुरंत समाधान करने के लिए वह दिल्ली सरकार से कोई सार्थक उपाय करने के लिए कहें ताकि दिल्ली की जनता को इस भीषण गर्मी और उमस में पानी की समस्या से निजात मिल सके।

(xi) Regarding completion of irrigation projects in Gadchiroli Parliamentary Constituency

DR. NAMDEO KIRSAN (GADCHIROLI-CHIMUR): I would like to draw the kind attention of the Hon'ble Minister of Jal Shakti in this matter. I would like to state that many irrigation projects in my Lok Sabha constituency are affected due to forest clearances. The Government has completely failed to complete the irrigation projects in my Lok Sabha constituency. Out of the few sanctioned projects, only a handful of projects have been completed, rests were either cancelled or have not yet started due to want of forest clearances. Due to incomplete projects, people of my Lok Sabha constituency are facing acute water scarcity and lakhs of farmers are suffering. I, therefore request the Hon'ble Minister and the Government to take necessary steps to obtain forest clearances from the concerned authority for the successful completion of the pending projects in my Gadchiroli Lok Sabha Parliamentary constituency and also increase the number of irrigation facilities in the region at the earliest.

(xiii) Regarding construction of a new dam to replace the Mullaperiyar dam

ADV. DEAN KURIAKOSE (IDUKKI): The Mullaperiyar dam is one of the oldest dams in the country. The Dam is situated in an earthquake prone zone, and it poses a threat to the life of five million people living downstream. The dam is built with primitive technology and has time and again a reason for much anxiety regarding its safety. It was reported that a crack had developed in the dam following an earthquake in 1979. However, no steps have been taken to ensure that new dam is built in its place to ensure safety of the people who live downstream. According to the Dam Safety Act, 2021 - it is moot that the National Dam Safety Authority (NDSA) must perform the role of State Dam Safety Organisation since the dam is located in one state (Kerala) and operated by another (Tamil Nadu). Hence, the Union Government must ensure that NDSA will subsume the functions of supervisory committee that should ensure the construction of a new dam which will ensure safety for Kerala and water for Tamil Nadu. This will lead to a long term, sustainable solution to the dispute. I urge upon the Government to take necessary steps so that a new dam may be built.

(xiii) Regarding distribution of wage arrears under MGNREGA in Kasargod Parliamentary Constituency

SHRI RAJMOHAN UNNITHAN (KASARAGOD): I would like to bring an urgent matter for immediate action. An amount of around Rs 23 crore to be distributed in the Kasargod Constituency area under the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme (MGNREGS) includes the wages of skilled -unskilled labour and the cost of materials. This is for the current financial year 2024-25 and previous year 2022-23. This amount of wages is arrears despite the rule that wages must be paid within 15 days of employment. Workers are entitled to compensation for delay in payment of wages if the wages are not paid within 15 days from the date of completion of muster roll. Workers are also entitled to compensation at the rate of 0.05 per cent of the wages payable for each day of delay beyond the 16th day after completion of the muster roll. For Example, Development Block wise Details of the dues for the financial year 2024-25 are -In Kanhangad Rs 75 Laks, Karaduka-Rs 1.5 crore, Kasaragod- Rs 35 Lakhs, Manjeswaram - Rs 69 Lakhs, Nileswaram Rs 75 Lakhs, Parappa- Rs 1.55 Crores, Payyannur -Rs 55 Lakhs, Kalyasseri -Rs 1.5 Crores. Highest is 1.54 crores more due in Parappa block and 34 lakhs is the lowest in Kasaragod block.

(xiv) Regarding paper leak in NEET and NET Examinations

श्री राहुल कस्वां (चुरू) : देश में सबसे चिन्ता का विषय यह है कि एनटीए द्वारा आयोजित नीट एंव नेट परीक्षा का पेपर लीक का प्रकरण देश के लिए बहुत ही संवेदनशील मामला है। हाल ही में आयोजित नीट परीक्षा में सम्मिलित 2406079 छात्र/छात्राओं का भविष्य अंधकार में है। सरकार हर क्षेत्र में पारदर्शिता/ट्रांसपेरेन्सी की बात कर रही है, जबकि देश में स्वास्थ्य एंव शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण स्तम्भ ही कमजोर हो जायेगें, इस स्थिति में देश वर्ष 2047 तक कैसे विकशित राष्ट्र बन पायेगा। आज देश को अपनी परीक्षा आयोजित करने वाली एनटीए जैसी महत्वपूर्ण एजेन्सियों की कमियों को दूर करने तथा परीक्षा व परिणाम दोनों में पारदर्शिता की सख्त आवश्यकता है, जिससे देश के युवा छात्र/छात्राओं का विश्वास कायम हो सके एंव इनका भविष्य सुरक्षित हो सके।

(xv) Need to construct underpass / railway overbridge in Aonla Parliamentary Constituency

श्री नीरज मौर्य (आंवला) : मेरे निर्वाचन क्षेत्र 24 आँवला लोक सभा के अंतर्गत आने वाले कस्बा फरीदपुर से बुखारा मार्ग पर अत्यन्त व्यस्त रेलवे लाइन है। जहाँ हर समय भीषण जाम लगा रहता है, आम जनजीवन बहुत परेशान रहता है और आये दिन बीमार लोग इस जाम का शिकार होते हैं, जिसके कारण अनहोनी भी हो जाती है। अतः माननीय रेलमंत्री जी से अनुरोध है कि उक्त रेलवे क्रॉसिंग पर अन्डर पास/ ओवर ब्रिज का निर्माण जनहित में कराया जाना अति आवश्यक है।

(xvi) Regarding extension of services of Cheran Express to Pollachi

SHRI ESWARASAMY K. (POLLACHI): I would like to bring to the attention of the Government to address an urgent issue of significant importance in my Pollachi constituency regarding the need to extend the Cheran Express train service, which currently operates between Chennai Central and Coimbatore Junction (train numbers 12673 and 12674), to Pollachi. Pollach is a rapidly growing commercial and agricultural hub in Tamil Nadu's Coimbatore district, without direct rail connectivity to the state capital, Chennai. This lack of direct service forces thousands of daily commuters to travel from Pollachi to Coimbatore before continuing to Chennai, resulting in significant inconvenience, time loss, and added travel costs. This absence, hampers Pollachi's economic growth and complicates the efficient transport of goods and access to markets. Students, patients, senior citizens, and other travellers face undue hardships due to this connectivity gap. Extending the Cheran Express to Pollachi would boost the region's economic development and also greatly improve the quality of life for its residents by providing seamless connectivity to Chennai and beyond. Therefore, I urge upon the Hon'ble Minister of Railways to take immediate action to extend this much-needed train service, which will go a long way in serving the interests of the people of Pollachi and the surrounding region.

(xvii) Need to build an Airport in Tiruvannamalai

SHRI C.N. ANNADURAI (TIRUVANNAMALAI): Tiruvannamalai in Tamil Nadu is a religious place of national and international importance and prominent pilgrimage destination, which is famous for Arunachaleshwar (Lord Shiva) Temple and Ramana Maharishi Ashram. Around 1 -1.5 lakhs pilgrims visit the said temple every day. Further, 15 to 20 lakhs pilgrims from India and aboard congregate in Tiruvannmalai for Parikrama (Girivallam-14.5 Kms) around the holy hill of Arunachaleshwar every full moon day. The Annual Kartikeyei Deepam Festival attracts more than 35 lakhs of pilgrims including NRIs and foreigners to this place. Tourists from abroad and other parts of the country prefer to fly to Tiruvanmalai but the nearest airport happens to be 200 km away at Chennai or Bangalore. This place has huge potential for revenue generation from religious tourism which is yet to be tapped due to the absence of nearby airport. Therefore, I request the Hon'ble Union Minister of Civil Aviation, Government of India to kindly instruct the concerned authorities to take viable steps to build an airport under RCS-UDAN scheme, in/around Tiruvannamalai for benefit of visitors to this place.

(xviii) Regarding implementation of Jal Jeevan Mission in Bapatla Parliamentary Constituency

SHRI KRISHNA PRASAD TENNETI (BAPATLA): I raise an important matter about my constituency of Bapatla in Andhra Pradesh - access to drinking water. Recently, there was news of more than 25 residents in East Pinni Boyinavari Palem village falling ill with diarrhoea due to the then-state government not providing safe drinking water for my fellow Andhra people. Water is an essential commodity, and in our country, clean drinking water is a constitutional right. The Jal Jeevan Mission (JJM) stands as an important representation of the Government’s commitment to upholding such a right. The World Health Organisation has acknowledged this and stated that should the mission complete its target of 100% access to drinking water, nearly 101 billion Dollars could be saved, prevent 14 million Disability life years related to diseases, and avert 400,000 deaths caused due to Diarrhoeal diseases It is deeply concerning to note that Bapatla ranks amongst the lowest in Andhra Pradesh for implementation of JJM at 40%. There are still more than 2 lakh households who are awaiting tap water connections under the Mission. Therefore, I urge upon the Government to undertake urgent action and fulfil the dream of people for clean drinking water.

(xix) Regarding setting up of an agricultural university in Madhubani District

श्री रामप्रीत मंडल (झंझारपुर) : बिहार राज्य के मिथिलांचल में मधुबनी जिला नेपाल के बॉर्डर पर है उसी जिला का झंझारपुर भाग मेरा लोक सभा क्षेत्र है। यह मिथिला संस्कृति का द्विध्रुव माना जाता है। यहां की विश्व प्रसिद्ध मिथिला पेंटिंग एवं मखाने की पैदावार के लिए इसकी विश्व भर में पहचान है। जिला का गठन सन् 1972 में दरभंगा जिला के विभाजन के उपरांत हुआ था। दरभंगा के तीन जिलों में विभाजन के उपरांत एक मात्र डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि महाविश्वविद्यालय अब समस्तीपुर जिला में चला गया है। वर्तमान में करीब 50 लाख की जनसंख्या वाले मधुबनी जिला और मेरे संसदीय क्षेत्र झंझारपुर में एक भी कृषि महाविद्यालय नहीं है, जिसके कारण जिला से विद्यार्थियों को बाहर जाना पड़ता है। अतः माननीय कृषि मंत्री जी से आग्रह है कि मधुबनी जिला के झंझारपुर मंडल में एक कृषि महाविद्यालय की स्थापना की स्वीकृति जल्द से जल्द देने की कृपा करें ।

(xx) Regarding setting up of a cotton processing unit and industry in Yavatmal, Maharashtra

SHRI SANJAY UTTAMRAO DESHMUKH (YAVATMAL-WASHIM): I would like to place my views on different issues pertaining to Yavatmal District during this Session. Yawatmal district is one of the leading cotton growing districts of Maharashtra and cotton is cultivated in the ravine areas of Painganga and Arunavati rivers. Cotton is the main crop in Yavatmal district. In this district, the industries related to cotton and cotton processing should be set up, as the raw material is easily available here. If the processing industry is set up here, the locals would not have to look for the market here and there.

Yavatmal District is also infamous for farmers suicide. As per the information received from Relief and Rehabilitation Department, around 5838 farmers committed suicides during 2001 to 2023 in this district only. Out of this around 2413 are eligible and 3425 are not eligible cases. Even during this current year 2024, from January to May, 2024, total 21 people committed suicide. Out of the total under, 2 cases are eligible and 8 are not eligible while 11 cases are pending for enquiry.

In Washim District, during 2001 to 2023 around 1939 farmers committed suicide out of which 773 are eligible and 1166 are not eligible cases. From January to May 2024, total number of suicide cases is 21. Only 2 are eligible and 8 are ineligible while 21 cases are pending for enquiry. If the employment generation takes place in this district, it will help to grow income and also to improve the lifestyle of the farmers. This is an aspirational district and if the

agriculture-based industries are set up here, the other agri businesses can be set up easily.

I would like to request Union Government to make necessary provision in the Union Budget to set up cotton processing and other industries in Yavatmal district for the overall growth of business and trade, treating it a special case.

(xxi) Regarding terrorism in Jammu and Kashmir

श्री अमरा राम (सीकर) : जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा खत्म करके केंद्र शासित बनाने एवं संविधान प्रदत्त अधिकारों के हटाने के बाद भी आतंकवाद की घटनाएं आम बात हैं । हाल ही सैनिक अधिकारियों की शहादत हुई है, जो लगातार जारी है । सरकार आतंकवाद के खात्मे का दावा कर रही है । वो अतिशयोक्ति लग रही है तथा 5 वर्ष पूर्व पुलवामा की आतंकवादी घटना की क्या जांच करवाई गई और किन कारणों से इतनी बड़ी आतंकवाद की घटना हो गई जिससे हमारे जवान शहीद हो गए ।

(xxii) Regarding enactment of exclusive legislation to prevent mob lynching

SHRI E. T. MOHAMMED BASHEER (MALAPPURAM): Mob lynching is increasing. It is to be noted that even Supreme Court has laid down preventive and remedial measure to deal with lynching including setting up fast track courts and victim compensation schemes. An exclusive legislation in this regard is very much need of the hour. I wish to point out certain instances to prove after this Government achieved the power. On June 22, a 23 years old man was beaten to death while watching a cricket match in Chikhodra, Gujarat.

On June 7 in Raipur, Chhattisgarh, three men from minority Community from Uttar Pradesh were attacked by a mob while transporting cattle. Two died on the spot and one died after ten days. On June 18, a 35-year-old man was beaten to death in Aligarh, Uttar Pradesh, sparking communal tension. On June 24, a woman in Toylanka village, Chhattisgarh, was murdered after converting to Christianity. Her relatives alleged that local men, including family members, planned the brutal act.

(xxiii) Regarding Minimum Support Price for agricultural products

ADV. CHANDRA SHEKHAR (NAGINA): There has been a long pending demand from farmers to provide Minimum Support Price for their agricultural products. Farmers are the worst sufferers because agriculture has not been a sustainable activity to survive for majority of farmers because input cost is more than the price they fetch for their agricultural produce. Therefore, it is said that farmers are born in debt and die in debt.

Farmers are not able to come out of the vicious circle of debt from private moneylenders. Majority of farmers are not able to use latest technology in farming due to its high cost and also limited knowledge of farmers to use it or limited land holdings. Therefore, new generation in farmers families are not taking up agriculture activities as their profession. Farmers are demanding for MSP for their agricultural products for a long time.

In such a situation, it is high time that the Government brings forward a suitable legislation to declare MSP for each crop well in advance so that farmers do get what they deserve and do not lead miserable life. I urge upon the Government to take necessary action in regard to fulfill demand of MSP of all crops by enacting law to that effect.

… (व्यवधान)

माननीय सभापति: बजट पर सामान्य चर्चा, श्री जुगल किशोर शर्मा जी।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति: आपको अवसर देंगे, अभी आप बैठ जाएं।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति: विषय तो हो गया। आपको मौका देंगे।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति: कल्याण जी, आप बैठ जाएं।

श्री जुगल किशोर शर्मा जी।

… (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Owaisi ji, you are a very senior Member. If you promote this culture, how will the House run smoothly?

....(Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: You are a senior Member. He is a first-time Member. Whatever question he wants to raise in the House, he can do so according to the rules and procedure of the House.

....(Interruptions)

SHRI KALYAN BANERJEE (SREERAMPUR): Sir, through you, I want to request the hon. Health Minister. *....(Interruptions)*

HON. CHAIRPERSON: Kalyan ji, I have allowed you to speak. Please make it brief.

....(Interruptions)

SHRI KALYAN BANERJEE: Sir, we are having two eminent doctor Members in the House from Trinamool Congress Party. One is Dr. Kakoli Ghosh Dastidar, and another is Dr. Sharmila Sarkar.

Sir, among the All-India Institutes of Medical Sciences, Kalyani AIIMS is there. We have got a chance. At least two women Members are there. I would request you to kindly give them a chance. *....(Interruptions)* Both of them are very eminent doctors. This is my request to you, Sir. *....(Interruptions)*

12.44 hrs

UNION BUDGET (2024-25) – GENERAL DISCUSSION
AND
UNION TERRITORY OF JAMMU AND KASHMIR BUDGET (2024-25)- GENERAL DISCUSSION
AND
DEMANDS FOR GRANTS (UNION TERRITORY OF JAMMU AND KASHMIR), 2024-25…Contd.

माननीय सभापति: बजट पर सामान्य चर्चा।

श्री जुगल किशोर शर्मा जी

श्री जुगल किशोर (जम्मू): आदरणीय सभापति महोदय, आपकी आज्ञा से इस गरिमामयी सदन के माध्यम से मैं देश की जनता को बधाई देना चाहता हूं, जिनके सहयोग से नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार को तीसरी बार बनाने का मौका दिया है। इतिहास बना है क्योंकि पिछले 60 वर्षों में ही ऐसा हुआ। अगर किसी एक व्यक्ति के नेतृत्व में देश में तीसरी बार किसी ने सरकार बनाई है तो वह हैं, देश के माननीय प्रधान मंत्री, श्री नरेन्द्र भाई मोदी। यह तब संभव हो पाया जब देश के माननीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने पिछले दस वर्षों में देश की सेवा की और ऐसी योजनाएं देश को समर्पित कीं और इनका लाभ देश के गरीबों और गांवों के किसानों ने लिया। तीसरी बार वही व्यक्ति प्रधान मंत्री बन सकता है जिसने देश और समाज के हित में काम किया हो। जनता सब जानती है कि किसको कहां बिठाना है और जनता ने जिसे जहां बिठाना था, वहां बिठा दिया और अब यह दिख भी रहा है। बड़े लोभ-लुभावने नारे दिए गए और झूठ का सहारा लेकर देश की जनता को भ्रमित करने का प्रयास किया गया। मैं देश की जनता का आभारी हूं कि जनता ने झूठ का सहारा न लेते हुए देश के प्रधान मंत्री नरेन्द्र भाई मोदी जी और एनडीए पर विश्वास जताते हुए तीसरी बार माननीय नरेन्द्र मोदी जी को प्रधान मंत्री बनाया।

माननीय सभापति: माननीय सदस्य, जो खड़े हैं, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। आप लोग भी बैठ जाएं। मैं सभी के लिए कह रहा हूं।

… (व्यवधान)

श्री जुगल किशोर: मैं इस गरिमामयी सदन के समक्ष माननीय वित्त मंत्री, श्रीमती निर्मला सीतारमण जी द्वारा प्रस्तुत वर्ष 2024-25 के वित्तीय बजट पर बोलने के लिए उपस्थित हुआ हूं और इसका समर्थन भी करता हूं।

मैं सबसे पहले माननीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र भाई मोदी जी को धन्यवाद देता हूं और आभार प्रकट करना चाहता हूं कि उनके नेतृत्व में निर्मला सीतारमण जी ने सभी प्रमुख बातों को ध्यान में रखते हुए सातवीं बार सदन के समक्ष वित्तीय बजट प्रस्तुत किया। यह बजट सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसके द्वारा सरकार की लोगों के प्रति पारदर्शिता और जवाबदेही का पता चलता है।

महोदय, यह बजट विकसित भारत बनाने में कारगर और उपयोगी सिद्ध होगा वित्तीय बजट में बहुत-सी ऐसी बातों का ध्यान रखा गया ताकि देश के हर एक नागरिक को इसका फायदा मिल सके। मैं विस्तार में न जाते हुए कुछ खास बातों की ओर आपका और सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इस बजट में कुछ विशेष बातों की ओर ध्यान दिया गया है और भरपूर अवसरों का सृजन करने के लिए नौ प्राथमिकताओं के संबंध में सतत प्रयासों की परिकल्पना भी की गई है। इस बजट में कृषि में उत्पाकता और अनुकूलनीयता, रोजगार और कौशल प्रशिक्षण, समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय, विनिर्माण और सेवाएं, शहरी विकास, ऊर्जा, अवसंरचना और गांव, गरीबों तथा किसानों की चिंता की गई है।

माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय सहकारिता नीति, सहकारी क्षेत्र के प्रणालीगत और चहुमुखी विकास के लिए राष्ट्रीय सहकारी नीति से ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास में तेजी लाना और बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर बढ़ाने का लक्ष्य इस बजट में रखा गया है। रोजगार संबंधी प्रोत्साहन के लिए कई योजनाओं का जिक्र किया गया है। कौशल प्रशिक्षण प्रधान मंत्री

पैकेज के अंतर्गत चौथी योजना के रूप में राज्य सरकारों और उद्योगों के सहयोग से कौशल प्रशिक्षण के लिए केंद्र द्वारा प्रायोजित कई नई योजनाएं बनाई जाएंगी। यह बेहद खुशी की बात है कि पांच वर्ष की अवधि में कई लाख युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। वहां कौशल प्रशिक्षण ऋण की सुविधा भी उपलब्ध करवाई कराई गई है।

महोदय, जम्मू-कश्मीर का बजट भी पेश किया गया है और यहां उस पर चर्चा हो रही है। जम्मू-कश्मीर का जो बजट है, वह जम्मू-कश्मीर की बेहतरी और जम्मू-कश्मीर के विकास के लिए है, जो यहां पर स्पष्ट दिखाई देता है। इसमें कृषि, ग्रामीण विकास, पर्यटन, संस्कृति, स्वास्थ्य कल्याण, शिक्षा क्षेत्र, खेल एवं युवा पहलें, कौशल विकास आदि, हर वर्ग और हर क्षेत्र के विकास के लिए जम्मू-कश्मीर के बजट में बात रखी गई है और उसके लिए फंड्स उपलब्ध करवाए गए हैं।

महोदय, केंद्र में अगर मैं जम्मू-कश्मीर की बात करूं तो केंद्र में जबसे नेरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी है और अनुच्छेद 370 तथा 35 ए को हटाया गया है, तभी से जम्मू-कश्मीर बदल रहा है और आगे बढ़ रहा है। जम्मू-कश्मीर में विकास तेज गति के साथ आगे बढ़ रहा है। अगर मैं कहूं तो जम्मू-कश्मीर में विकास 100 की स्पीड से आगे बढ़ रहा है। जैसे ही आप लखनपुर से जम्मू-कश्मीर की ओर बढ़ेंगे तो आपको बदलता हुआ जम्मू-कश्मीर दिखाई देगा और बदलता जम्मू भी। आपको विकास के कार्य हर जगह दिखाई देंगे।

महोदय, आज जम्मू-कश्मीर में बहुत बड़े-बड़े फ्लाई ओवर, ब्रिज और नेशनल हाइवेज बन रहे हैं। एक्सप्रेसवे, जो दिल्ली, अमृतसर और कटरा तक जा रहा है, उसका काम बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। मैं अगर जम्मू के विकास की बात करूं तो जम्मू की हमेशा उपेक्षा होती रही है, चाहे वह कांग्रेस के नेतृत्व में हो, नेशनल कांफ्रेंस के नेतृत्व में हो या पीडीपी के नेतृत्व में हो। विशेष तौर पर जम्मू-कश्मीर के विकास के लिए, जम्मू-कश्मीर के समाज के हित के लिए और जम्मू-कश्मीर के युवाओं के लिए पहले कोई कदम नहीं उठाये जाते थे। सिर्फ पार्टी और परिवार की चिंता करना ही पार्टियों के स्वभाव में था।

आज की डेट में जम्मू में और जम्मू-कश्मीर में झेलम, जो हमारी झील है, उसकी साफ-सफाई और सुन्दरता के लिए बहुत ध्यान दिया जाता है। जम्मू में अभी रिवर फ्रंट बनाया जा रहा है। गुजरात की साबरमती नदी की तर्ज पर जम्मू में भी कश्मीर घाटी की तरह एक झील का निर्माण कार्य पूरा होने वाला है। जम्मू जू और बाघा बॉर्डर की तर्ज पर सुचेतगढ़ में एक परेड का आयोजन किया जाता है। रोपवे, रोड और टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए कई तरह के उपाय किए जा रहे हैं।

महोदय, मैं स्वास्थ्य मंत्री जी का भी आभार प्रकट करना चाहता हूं। देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उन्होंने जम्मू में एम्स दिया है। मुझे लगता है कि एम्स की वे सारी सुविधाएं, जो देश भर में होती हैं और विशेष तौर पर दिल्ली एम्स में जो होती हैं, उससे भी बढ़कर नई टेक्नोलॉजी के तहत नई-नई मशीनें जम्मू एम्स में लगवाई जा रही हैं।

महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि 5 अगस्त, 2019 के बाद जब अनुच्छेद 370 और 35 ए को हटाया गया था, उसके बाद अभी 2024 में जो लोक सभा का चुनाव हुआ है, वह जम्मू-कश्मीर में पहला चुनाव था। मैं कहना चाहता हूं कि यह पहली बार हुआ कि 30 वर्षों में घाटी में भी 60 परसेंट के करीब लोग वोट डालने बाहर निकले थे। उन्होंने लोकतंत्र को जिताया है। कश्मीर घाटी में भी लोगों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया था और वोटिंग हुई थी। यह लोकतंत्र की जीत तो है ही, लेकिन यह राष्ट्रीय नीतियों के प्रति समर्थन भी दिखाता है। … (व्यवधान)

महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद भारत सरकार और जम्मू-कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने लिए मिलकर काम कर रहे हैं, जिसमें हाशिए पर पड़े समुदायों का विकास, महिला कल्याण, सशक्तिकरण, युवाओं के लिए रोजगार और अनुकूल सुरक्षा परिदृश्य के निर्माण पर विशेष जोर दिया जा रहा है। ताकि दोनों सरकारों द्वारा शुरू की गई कई योजनाओं और परियोजनाओं को वांछित परिणाम के साथ धरातल पर उतारा जा सके।

महोदय, इसने जम्मू-कश्मीर के लगभग सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व वृद्धि हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका नभाई है। मैं कहना चाहता हूं कि 5 अगस्त, 2019 को धारा 370 हटने एवं जम्मू

और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के पारित होने के बाद ही सभी केन्द्रीय कानून जम्मू-कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र पर लागू हो गए हैं। उससे वहां के लोगों में अति खुशी की भावना है, जिससे वहां के लोग कई वर्षों से वंचित थे। अब भारत का संविधान जम्मू-कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में पूरी तरह से लागू है। जैसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी द्वारा चलाया गया अभियान अब पूरा हुआ है। 'एक राष्ट्र, एक निशान, एक विधान', अब जम्मू-कश्मीर में लागू हुआ है।

महोदय, मैंने पहले भी बताया है कि चुनाव तो वहां पहले भी हुआ करते थे, लेकिन लोगों की रुचि चुनावों में नहीं हुआ करती थी। अब नरेन्द्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में केन्द्र में जो एनडीए की सरकार बनी है, उनके द्वारा जम्मू-कश्मीर की बेहतरी और विकास के लिए जो कदम उठाए जाते हैं, अब किसी के साथ भेदभाव नहीं होता है। जम्मू-कश्मीर में बराबर विकास हो रहा है। इसी के साथ ही साथ केन्द्र सरकार ने और भी बहुत सारे कदम उठाए हैं। अब आरक्षण का लाभ भी लोगों को मिल रहा है।

महोदय, मैं कहना चहता हूं कि अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के लाभ को 8 प्रतिशत बढ़ाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर एलओसी के निवासियों को पहले तीन प्रतिशत आरक्षण मिलता था, लेकिन अब उसको चार प्रतिशत कर दिया गया है। पिछड़े वर्ग को आरक्षण का लाभ और उनकी आय सीमा को 4.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 8 लाख रुपये तक कर दिया गया है। अब पहाड़ में रहने वालों (पहाड़ियों) को भी आरक्षण मिल रहा है। वे कई वर्षों से इसकी मांग कर रहे थे।

महोदय, जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) अधिनियम पारित होने के बाद जम्मू-कश्मीर अपनी बेहतरी के लिए आगे बढ़ रहा है। जम्मू-कश्मीर में कई सारे कदम उठाए गए हैं। पहले जो जम्मू-कश्मीर कमजोर दिखाई देता था, आज एक सशक्त जम्मू-कश्मीर बनने जा रहा है। जम्मू-कश्मीर में अमन और शांति भी बहाल हो रही है। जम्मू-कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के लिए अनुसूचित जातियों की सूची में वाल्मीकि शब्द को शामिल करने का जो प्रावधान रखा गया था, उससे भी वहां के लोगों को बहुत बड़ा लाभ मिला है।

महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने जम्मू-कश्मीर में कभी कोई रुचि नहीं दिखाई। उसने हमेशा स्वार्थ की राजनीति की है। पार्टी और परिवार की राजनीति की है। उन्होंने समाज और देश की चिंता न करते हुए जम्मू-कश्मीर को कभी आगे नहीं बढ़ाया। मैं बताना चाहता हूं कि जब जम्मू-कश्मीर के दो टुकड़े हुए थे, वह कांग्रेस पार्टी की स्वार्थ की राजनीति की वजह से हुए थे। मुझे मालूम है कि यहां पर क्या-क्या बोला गया है।

महोदय, मैं विशेष तौर पर कहना चाहता हूं कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद वहां बहुत कुछ दिया गया है और इस बजट में भी बहुत कुछ दिया गया है। मैं बताना चाहता हूं कि जम्मू पर्यटन उद्योग केन्द्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के लिए जीवनरेखा है, जिसका स्थानीय अर्थव्यवस्था में अहम योगदान है। जम्मू-कश्मीर के पुनर्गठन के बाद बदलते माहौल एवं अनुच्छेद 370 और 35(ए) हटने के बाद वर्ष 2023 में जम्मू-कश्मीर में 2.11 करोड़ पर्यटकों का रिकॉर्ड आगमन हुआ है। इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। यह ऐतिहासिक है।

महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि इस वर्ष जून माह के अंत तक 1,00,02,000 पर्यटक जम्मू-कश्मीर में सैर-सपाटा करने गए हैं। वे जम्मू-कश्मीर को देखने गए हैं। वे बदलते हुए जम्मू-कश्मीर का आनंद लेने के लिए वहां पहुंचे हैं। इस बजट में जम्मू-कश्मीर की बेहतरी के लिए कई सारे कदम उठाए गए हैं। मैं यहां पर उन सबका जिक्र तो नहीं करूंगा, लेकिन मैं यहां पर कुछ खास बिंदुओं पर जरूर अपनी बात रखूंगा।

13.00 hrs

महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए, जम्मू कश्मीर के विकास के लिए इसी बजट में कहा गया कि प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से बहुत सारी सड़कें बनी हैं और उनके साथ-साथ 7,886 किलोमीटर की सड़कें प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से बनी हैं, जो रिकॉर्ड है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। एक 58 किलोमीटर का रिंग रोड़ बनकर तैयार हो गया है। वह बहुत सुंदर है। मैं चाहूंगा कि लोग उसको देखने वहां पर आएं। अगर मैं रेल की बात करूं तो उसमें सारी अच्छी-अच्छी सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं। मैं एक बात और

कहता हूं कि अगर रेल का सबसे ऊंचा ब्रिज कहीं बना है तो वह जम्मू कश्मीर में बना है और रियासी कोडी में बना हुआ है।

महोदय, वर्ष 2009 से लेकर वर्ष 2014 तक 1,044 लाख करोड़ रुपये दिए गए थे, लेकिन वर्ष 2024-25 में ही 3,694 करोड़ रुपये रेलवे की तरफ से वहां पर खर्च किये जा रहे हैं। वर्ष 2014 से 2024 तक 87 किलोमीटर का नया ट्रैक बनाया जा रहा है। वहां 343 किलोमीटर लाइन का इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है। 'अमृत स्टेशन योजना' के माध्यम से चार रेलवे स्टेशनों का विकास किया जा रहा है। जम्मूतवी, बडगाम, माता वैष्णो देवी कटरा और उधमपुर रेलवे स्टेशनों का जोर-शोर से विकास कार्य चल रहा है। अगर मैं 'जल जीवन मिशन' की बात करूं तो 'जल जीवन मिशन' जम्मू कश्मीर के लिए एक वरदान सिद्ध हो रहा है। वैसे तो पूरे देश में 'जल जीवन मिशन' के माध्यम से जो कार्य चल रहे हैं, वे वरदान सिद्ध हो रहे हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में भी 'जल जीवन मिशन' के माध्यम से हो रहे कार्य वरदान सिद्ध हो रहे हैं। हर घर नल और नल में जल के माध्यम से लोगों को जल पहुंचाया जा रहा है।

महोदय, स्मार्ट सिटी, कृषि क्षेत्र में सुधार और इसके अलावा कृषि क्षेत्र में तीन हजार डेयरी नई खोली जाएंगी। इससे लोगों को रोजगार मिलेगा। सोलर के माध्यम से छतों पर बिजली बनेगी। उसका लाभ लोगों को मिलेगा और जीरो बिल होगा।

इसके अलावा महिला सशक्तिकरण के नाते भी प्रधान मंत्री नरेन्द्र भाई मोदी के नेतृत्व में बहुत बड़े कदम उठाए गए हैं। अगर मैं जम्मू कश्मीर की ही बात करूं तो 90 हजार सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाए गए हैं। इससे महिलाओं का आत्मबल बढ़ता है, रोजगार भी मिलता है और वे किसी पर निर्भर भी नहीं रहती हैं। मैं कहना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर में हर एक नागरिक को 'आयुष्मान भारत योजना' के नाते हर एक व्यक्ति को लाभ मिल रहा है। किसान निधि के नाते मुद्रा लोन के माध्यम से लोन की राशि भी बढ़ाई जा रही है।, मैं थोड़ा सा समय और लूंगा। मैं सरकार का ध्यान कुछ कार्यों की तरफ दिलाना चाहता हूं।

माननीय सभापति: कृपया, आप संक्षिप्त में कहें।

श्री जुगल किशोर: महोदय, बिल्कुल संक्षिप्त में कहूंगा। जम्मू कश्मीर में बहुत सारे ऐसे कार्य हुए हैं, लेकिन कुछ ऐसे कार्य हैं, जो करने हैं। मैं चाहूंगा कि वित्त मंत्री जी उन पर ध्यान दें और जम्मू कश्मीर प्रशासन की सहायता करें। वहां पर हमारे डेली वेजर्स हैं, कैजुअल लेबर्स हैं, नीड बेसिस लोग हैं, पीएचई, पीडीडी, पीडब्ल्यूडी आदि में काफी लोग काम कर रहे हैं, उनको नियमित करने की जरूरत है, क्योंकि उनकी तनख्वाह बहुत कम है। जम्मू कश्मीर को केन्द्र की सहायता चाहिए। मैं चाहूंगा उनको परमानेंट करने के लिए वित्त मंत्री कोई ऐसी योजना बनाएं, जिससे जम्मू कश्मीर सरकार को सहायता मिले। जो पीएचई, पीडीडी, पीडब्ल्यूडी कैजुअल लेबर्स और नीड बेसिस लोग हैं, उनको नियमित किया जाए।

महोदय, मैं अंत में कहना चाहता हूं कि यह प्रधान मंत्री नरेन्द्र भाई मोदी जी की सोच है कि पीओजेके के रिफ्यूजी हों, चाहे वेस्ट पाकिस्तान के रिफ्यूजी हों, कांग्रेस सरकार ने कभी भी उनकी ओर ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब उनको सारे अधिकार देते हुए उनका पुनर्वास किया है। मैं कहना चाहता हूं पीओजेके, वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजी और लोकल अलाटी को जमीन तो दी गई है, लेकिन उनको मालिकाना हक नहीं दिया गया है। मैं चाहता हूं कि उनको मालिकाना हक मिले। यह इसलिए भी मिले कि प्रधान मंत्री किसान निधि का लाभ उन लोगों को नहीं मिल पा रहा है, यह तब तक नहीं होगा, जब तक उनको मालिकाना हक नहीं मिलेगा। उनको जगह मिली है, वह उनको एलॉट है और वे खेती-बाड़ी कर रहे हैं, लेकिन उनको मालिकाना हक मिलना चाहिए। दरिया चिनाब, तवी, बलोल और झेलम नदी पर बांध बनाने की बहुत जरूरत है। इसके लिए भी राशि मुहैया करवायी जाए। टूरिज्म के लिए परमंडल, उत्तरवाणी, खोड़ी, सुरिनसर, मंसर और पटनीटॉप का विकास करना भी बहुत जरूरी है। आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करना चाहता हूं। मैं माननीय नरेन्द्र मोदी जी और श्रीमती निर्मला सीतारमण जी का आभार प्रकट करता हूं कि वे जम्मू-कश्मीर की बेहतरी और विकास के लिए बहुत अच्छा बजट लेकर आए हैं। धन्यवाद।

माननीय सभापति: जुगल किशोर जी, बजट पर सामान्य चर्चा के साथ-साथ जम्मू-कश्मीर का बजट भी यहां से पास होना है, उसके बजट पर भी चर्चा हो रही है। आपने जम्मू-कश्मीर के बिंदुओं को यहां रखा, इसलिए मैंने आपको अधिक समय दिया। लेकिन, मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वे अपने विषय को पांच मिनट में रखें।

श्री जय प्रकाश (हिसार) : महोदय, वित्त मंत्री महोदया ने जो वर्ष 2024-25 का बजट प्रस्तुत किया है, वह बेहद विभाजनकारी और निराशाजनक है । इस बजट में न किसान को कुछ, न संविधान का कुछ और न नौजवान को कुछ । यह बजट केवल धनवानों के लिए बनाया गया है और मैं इसकी घोर निंदा करता हूं । प्रधान मंत्री जी बार-बार कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास । मैं आपके माध्यम से, भारत सरकार के कुछ मंत्री यहां बैठे हैं, उनसे जानना चाहता हूं कि सबका साथ, सबका विकास की आपने चर्चा की है तो हरियाणा प्रदेश ने क्या कुसूर किया है? हरियाणा प्रदेश की पेंडिंग परियोजनाएं हैं, जब यूपीए गवर्नमेंट थी, उस वक्त चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे । ये बहुत महत्वपूर्ण परियोजनाएं थीं । इसमें कैंसर रिसर्च सेंटर, जिस पर यहां भी चर्चा हुई है । हरियाणा सरकार ने 300 एकड़ से भी ज्यादा जमीन भारत सरकार को दी थी । लेकिन, भेदभाव की दृष्टि रखते हुए, क्योंकि हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी और केन्द्र में एनडीए की सरकार थी, हमारे उस प्रोजेक्ट को आधा कर दिया गया । वहां 11 टावर और बनने थे, वे सारे बंद कर दिए गए । रिवाड़ी के एम्स को लेकर के पिछले सात साल से ड्रामा किया जा रहा है । आज तक वहां ईंट रखने के अलावा कुछ नहीं किया गया है । हिसार के दूरदर्शन केंद्र को, जब मैं केंद्र में मंत्री था, तब बनाया गया था । उसको इन्होंने बंद करने का काम किया है । आरआरटीएस रेल, जो दिल्ली से हिसार जानी थी और दिल्ली से सोनीपत होकर पानीपत जानी थी, वह प्रोजेक्ट तैयार था, लेकिन उसके लिए एक पैसे का फंड नहीं दिया गया है । रेल कोच फैक्टरी सोनीपत में बननी थी, लेकिन आज तक उसका कोई अता-पता नहीं है । मैं भारत सरकार के मंत्रियों से और भारत सरकार के प्रधान मंत्री जी से प्रश्न करता हूं कि हरियाणा प्रदेश इस देश का हिस्सा है या अलग है? आपका यह नारा – 'सबका साथ, सबका विकास' थोथा है ।

महोदय, अब मैं दो-तीन इश्यूज़ पर चर्चा करना चाहता हूं । हिसार एयरपोर्ट का अभी तक यह पता नहीं लग रहा है कि वहां कार्गो बनेगा, नेशनल बनेगा या इंटरनेशनल बनेगा? उसका आठ बार शिलान्यास हो चुका है, लेकिन आज तक उसका उद्घाटन नहीं हुआ है । आठ साल से केन्द्र की सरकार हिसार और हरियाणा की जनता को भ्रमित करने का काम कर रही है ।

महोदय, कल मंत्री जी कह रहे थे कि एमएसपी के ऊपर हमने कोई वायदा नहीं किया है। मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार के कृषि मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि यह चिट्ठी है जो कृषि एवं किसान मंत्रालय, भारत सरकार की है । 'प्रिय महोदय, वर्तमान गतिशील किसान आंदोलन से लंबित विषयों के संबंध में समाधान की दृष्टि से भारत सरकार की ओर से निम्न प्रस्ताव पेश किए जाते हैं ।' महोदय, जिस दिन यह समझौता हुआ, भारत के प्रधान मंत्री जी ने एमएसपी पर स्वयं और बाद में कृषि मंत्री जी ने एक कमेटी बनाने की घोषाणा की । एमएसपी कमेटी में आज तक किसान मोर्चा के लोगों को शामिल नहीं किया गया है।

दूसरा, एमएसपी को लेकर बहुत बेईमानी है । इसके अलावा मुआवजे का मुद्दा है । यह प्रधान मंत्री जी की चिट्ठी है । कौन विश्वास करेगा? कौन माननीय प्रधान मंत्री जी की गारंटी को मानेगा? जहां तक मुआवजे का सवाल है तो हरियाणा और यूपी सरकार ने सैद्धांतिक सहमति दे दी है। सर, तीन-तीन महीने से किसान हिसार में धरने पर बैठे हैं, लेकिन आज तक हमारे किसान को मुआवजा नहीं मिला है । इससे ज्यादा किसान विरोधी सरकार और क्या हो सकती है? अब मैं एमएसपी की चर्चा करना चाहूंगा। किसानों के लिए प्रधान मंत्री किसान निधि योजना है। इसमें एक साल के 6 हजार रुपये दिए गए हैं। 'प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि योजना' दिनांक 24 फरवरी, 2019 को लागू की गई थी । उस वक्त डीजल का भाव 65 रुपये प्रति लीटर था। 200 लीटर डीजल भरवाकर आपने उसी समय 6 हजार रुपये पूरे कर दिए। आज का भाव 100 रुपये है और उस समय का भाव 65 रुपये था। वर्ष 2019 में भी किसान निधि 6 हजार रुपये थी और आज वर्ष 2024 में भी 6 हजार रुपये ही है। यह किसानों के साथ बहुत बड़ा धोखा है। किसान के लिए आप एमएसपी लागू कर दीजिए कि हम आपको 6 हजार रुपये महीना दे देंगे और डीजल का भाव भी वर्ष 2019 का या वर्ष 2014 का लागू कर दीजिए।

आपने किसानों के साथ बहुत बड़ी ...* की है। जवान के साथ आपने बहुत बड़ी ...* की है। कल खाद की चर्चा चल रही थी। डीएपी वर्ष 2014 में 1400 रुपये प्रति कट्टा था और आज

* Expunged as ordered by the Chair.

वह 2400 रुपये प्रति कट्टा है। यूरिया के अंदर आपने बड़ी चतुराई दिखाई। इसलिए हरियाणा प्रदेश में कहते हैं कि यह धनवानों की सरकार है और वह कैसे है, उसके बारे में मैं बताता हूँ। इन्होंने यूरिया के दाम कम बढ़ाए, लेकिन उसमें से वजन कम कर दिया। पहले पांच किलो वजन कम किया, फिर पांच किलो बाद में कम कर दिया। इतनी चतुराई से देश के किसान को आप नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं इसलिए इस बजट को मैं किसान विरोधी, नौजवान विरोधी की संज्ञा देता हूँ।

आप रोजगार की बात करते हैं। हरियाणा में कौशल रोजगार निगम बना। मैं थोड़ी सी गरीबों की बात कर लेता हूँ। कौशल रोजगार निगम में नौकरी लगती है। इसमें एससी/एसटी/ओबीसी के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है। दलितों और पिछड़ों के साथ हरियाणा में ही नहीं, बल्कि पूरे देश में धोखा किया गया है।

जब हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तो उस समय हुड्डा साहब चीफ मिनिस्टर थे। हमने गरीब आदमी को, एससी वर्ग को, ओबीसी वर्ग को 100-100 गज के प्लाट्स फ्री में दिए। हमने उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए स्टायपेंड दिया। हमने हर घर में नल दिया। हमारी सारी परियोजनाएं बंद करके आप इस देश के दलितों के साथ यह ड्रामा कर रहे हैं।

माननीय सभापति: माननीय सदस्य, कृपया समाप्त कीजिए।

श्री जय प्रकाश : सर, एक मिनट दे दीजिए। मनरेगा विषय बहुत जरूरी है। इसके लिए देश का किसान आपसे भी लड़ जाएगा। उस समय भी मैं मैम्बर ऑफ पार्लियामेंट था। इस देश में मनरेगा योजना यूपीए सरकार द्वारा लाई गई थी। उस समय डॉ. मनमोहन सिंह जी प्रधान मंत्री थे। उस समय 60 रुपये मजदूरी थी। आज कुल 200 रुपये मजदूरी है।

अब मैं कहना चाहता हूँ कि माननीय राहुल गांधी जी ने कहा था कि यदि देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो हम 400 रुपये मजदूरी करेंगे और हरियाणा राज्य ने कहा था कि हम 600 रुपये मजदूरी करेंगे। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि मनरेगा की मजदूरी 600 रुपये की जाए।… (व्यवधान) सर, अग्निवीर का का मामला रह गया है।

माननीय सभापति: आपकी पार्टी से पांच मिनट का समय एलॉट हुआ था। मैंने इनके लिए सात मिनट का समय दे दिया है।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति: ठीक है, आप कंक्लूड कर लीजिए।

श्री जय प्रकाश: सर, मैं कंक्लूड करता हूँ। मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ। यह सरकार एच.सी.आई.ए. स्टाफ है। हरियाणा प्रदेश में कहते हैं कि जिस दिन से हरियाणा प्रदेश में पांच सीटें कांग्रेस पार्टी ने जीती हैं, उसी दिन से डेली हमारे यहां पर ई.डी. की रेड हो रही है।

माननीय सभापति : अब आप कंक्लूड कीजिए। माननीय मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह जी, आप अपना भाषण शुरू कीजिए।

श्री जय प्रकाश: सर, हमारे विधायक जेलों में बंद हैं। हमारे नेता जेलों में बंद हैं। झूठे मुकदमे बनाए जा रहे हैं।… (व्यवधान)

पंचायती राज मंत्री; तथा मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री (श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह): सभापति महोदय, सदन में आदरणीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी के तीसरे कार्यकाल का जो पहला बजट है, उस पर चर्चा हो रही है। यह बजट आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में मोदी जी की सरकार का क्या संकल्प है, उसको दर्शाने वाला बजट है।

पिछले तीन दिन से सदन में जो चर्चा चल रही है, उससे ऐसा लग रहा है कि बजट पर भाषण देने के बजाय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी की आलोचना पर यह पूरा बजट भाषण चल रहा है। … (व्यवधान) आप भी बजट पर बोलिए।…(व्यवधान) पूरे विपक्ष के भाषण का टोन यह दर्शाता है, जैसे नरेन्द्र मोदी जी का चेहरा इनको पसंद नहीं आ रहा हो। ये उनसे नफरत कर रहे हैं। अब अगर आप नफरत कर रहे हैं, आपको पसंद नहीं आ रहा है, तो क्या करिएगा? इस देश की जनता ने उनके चेहरे को पसंद किया है और तीसरी बार उनको देश की सत्ता संभालने की जिम्मेवारी दी है।…(व्यवधान) मोदी जी की उपलब्धता है कि 60 वर्ष के बाद, आजादी के बाद तीसरी बार किसी को इस देश की सत्ता संभालने का मौका मिला है।…(व्यवधान) यह उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। उनके पेट में दर्द हो रहा है। इस देश की सच्चाई को अगर उसको वे नहीं पचा पा रहे हैं, तो इसमें हम लोगों का क्या दोष है? …(व्यवधान) हमारा इनको एक परामर्श है। …(व्यवधान) आप बैठिए।

श्री जय प्रकाश: सभापति महोदय, …(व्यवधान)

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह : हम आपका चरित्र भी बता देंगे। आप क्या करते रहे हैं?…(व्यवधान)

माननीय सभापति: माननीय मंत्री जी, आप चेयर को संबोधित करें।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय जय प्रकाश जी, जब आप बोल रहे थे, तो आपको समय अधिक दिया गया और किसी ने व्यवधान उत्पन्न नहीं किया।

…(व्यवधान)

माननीय सभापति : आप परंपरा सीखिए।

…(व्यवधान)

माननीय सभापति : आप वरिष्ठ सदस्य हैं। आप बैठ जाइए। आप परंपरा सीखिए। आपकी स्पीच के समय किसी ने व्यवधान उत्पन्न नहीं किया है। आपकी पार्टी को अवसर मिलेगा। माननीय मंत्री जी जो बोल रहे हैं, उसका जवाब आपकी पार्टी देगी, आपकी पार्टी के नेता दे देंगे।

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह : सभापति महोदय, ये कह रहे हैं कि कुछ दिन हम लोग इन लोगों के साथ भी थे। वहां जा कर पता चला कि …* का काम ये लोग करते थे और हम लोग विदा हो गए, प्रणाम करके इधर चले आए कि भइया वही काम करते रहो। ये लोग गठबंधन के अंदर लॉबी चलाते थे और लॉबी चला कर कैसे किस का मथ-फुटौवल करवाएं, इसकी योजना बनाते थे। हम लोगों ने प्रणाम किया और इधर चले आए। इसलिए छोड़ दीजिए, हम आपको बता देते हैं ।…(व्यवधान)

सभापति महोदय, इनको सच्चाई नहीं सुननी है। यह इनको पसंद नहीं है। हम यही कह रहे हैं।…(व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय मंत्री जी, आप जो कह रहे हैं, वह रिकॉर्ड में जा रहा है। किसी अन्य माननीय सदस्य की बात रिकॉर्ड में नहीं जा रही है। केवल आपकी बात रिकॉर्ड में जा रही है।

…(व्यवधान)…**

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह : सभापति महोदय, हम इनको बता रहे हैं।…(व्यवधान)

माननीय सभापति : सौगत राय जी, आप बैठ जाएं। जब मैं आपको बोलने का अवसर दूंगा, तब आप बोलिएगा।

SHRI DEEPENDER SINGH HOODA (ROHTAK): Sir, I am on a Point of Order.

… (*Interruptions*)

---

* Not recorded as ordered by the Chair.

** Not recorded.

HON. CHAIRPERSON: There is no Point of Order.

… (*Interruptions*)

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह : सभापति महोदय, हम इनको बता रहे हैं कि जितनी जल्दी इस सच्चाई को पचा लीजिएगा, उतना ही आपके मन को शांति मिलेगी, नहीं तो आपका पूरा मन विचलित रहेगा और पांच साल तक इसी तरह से विचलित रहिएगा।

सभापति महोदय, 99 का आंकड़ा बड़ा खराब होता है। पता नहीं गौरव गोगोई जी और अन्य लोगों ने लूडो खेला है या नहीं खेला है। लूडो खेल में जब 99 पर पहुंचते हैं, तब सांप काटता है, तब जीरो पर पहुंच जाते हैं। यही इनका हाल है। इसलिए ये जितनी जल्दी मन शांत कर लें और देश की सच्चाई को स्वीकार करेंगे, उतना ही इनको चैन मिलेगा। इनको चैन मिलेगा और देश को भी चैन मिलेगा। इस देश को आत्मनिर्भर बनाने का जो काम नरेन्द्र मोदी जी ने प्रारंभ किया है, वह आगे बढ़ता रहेगा, उसमें ये व्यवधान डालने का प्रयास नहीं करें।

SHRI DEEPENDER SINGH HOODA: Sir, I am on a Point of Order. … (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: There is no Point of Order during an hon. Minister's statement or speech. आप लिख कर भेज दें।

… (*Interruptions*)

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह : बजट पर ही स्पीच चल रही है। आप बैठ जाइए। क्या आपको बजट समझ में आता है? अभी हम एक-एक के बजट के भाषण के बारे में बता देंगे, तब बजट समझ में आ जाएगा।

तीसरे कार्यकाल का जो पहला बजट आया, अब इनको दिखाई नहीं पड़ रहा है। इनका एक एजेंडा रहता था कि इस देश में बेरोजगारी है, रोजगार पर चर्चा नहीं हो रही है। इस पहले बजट में एक करोड़ लोगों के रोजगार के सृजन की चर्चा है। वह इनको दिखाई नहीं पड़ रहा है। वह

इनको दिखाई पड़ेगा भी नहीं, क्योंकि मन तो इनका विचलित है, इनका मन अशांत है। इनको वह कहां से दिखाई पड़ेगा?... (व्यवधान)

वास्तव में हुआ क्या है कि तीसरे कार्यकाल का यह पहला बजट आया है, मोदी जी की सरकार ने पहला बजट पेश किया और मोदी जी ने इस बजट के माध्यम से जो पहली गुगली फेंकी, तो ये बोल्ड आउट हो चुके हैं। उसी बोल्ड आउट की छटपटाहट में ये अपनी भावना व्यक्त कर रहे हैं। विधवा विलाप किए जा रहे हैं। अरे, विधवा विलाप करने से क्या होगा? सच्चाई यही है कि देश के प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी हैं और पूर्ण बहुमत के साथ हैं। इस सच्चाई को स्वीकार करिये।

अभी तो शुरुआत हुई है। यह तो पहला साल है, अभी आप पांच साल देखिये। पांच साल के बाद मैदान में कहीं नजर नहीं आइयेगा, वही होगा कि 99 पर सांप काटेगा और जीरो पर पहुंचियेगा। यही होने वाला है। यहां कई लोगों ने, कई पार्टियों ने चर्चा की और कहा कि दो राज्यों को खुश करने की बात हुई है। अरे भाई, दो राज्यों को सरकार बचाने के लिए कई बातें हुईं, सरकार बचाने की कौन सी बात है? यह प्री-पोल अलायंस है और हमारा हो या तेलुगु देशम पार्टी का हो, यह प्री-पोल अलायंस है। यह अलायंस फेविकोल से जुड़ा हुआ है। आपके साथ भी रहकर आपका चरित्र भी देख चुके हैं। आप ...* हैं। सत्ता मिली नहीं कि कैसे सत्ता को खींचते रहे, आप लोग ये काम करते रहें। हम लोगों ने प्रणाम किया और चल दिए। इसलिए आज चाहे जेडी(यू) हो या टीडीपी हो, सत्ता के साथ प्री-पोल अलायंस में हम लोग सरकार में हैं और प्री-पोल अलायंस में पांच साल का पूर्ण बहुमत मिला है। आप क्लीन बोल्ड हो चुके हैं। आप चिंता मत करिये। ... (व्यवधान)

सभापति महोदय, हम अभिषेक बनर्जी जी का भाषण पढ़ रहे थे।... (व्यवधान) आप लोग यही काम तो आज तक करते रहे हैं। आप लोग यही काम करते रहे हैं। ... (व्यवधान)

माननीय सभापति: आप चेयर को एड्रेस कीजिए।

... (व्यवधान)

---

* Expunged as ordered by the Chair

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह : ... * है? यहां यह सब नहीं होता है । आप आराम करिये ।... (व्यवधान)

महोदय, हम अभिषेक बनर्जी जी का भाषण पढ़ रहे थे । अभिषेक बनर्जी जी ने भाषण दिया और कहा कि मोदी जी की 4 जून, 2024 को जो पहली सरकार बनी which was rejected by the people of India. वाह रे भाई, आपके ज्ञान की हमें प्रशंसा करनी होगी कि पूर्ण बहुमत की सरकार है और आप कह रहे हैं कि rejected by the people of India. वाह! इनको पूर्ण बहुमत नहीं दिखता है । अभिषेक बनर्जी जी, आपको सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए । इन्होंने भाषण में क्या कहा– वक्त बदल गया है । अभिषेक बनर्जी जी, हाँ, वक्त जरूर बदल गया है, क्योंकि मोदी जी पूर्ण आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ तीसरे कार्यकाल में आत्मनिर्भर भारत बनाने की ओर चल चुके हैं, इसलिए वक्त बदल गया है । आपको दिखाई नहीं देता है तो उसमें हम क्या करें? आप आंख की जांच कराइये, चश्मा लगाइये । आपको दिखेगा कि इस देश की जनता ने क्या किया?

हम आशा करते थे, हम उम्मीद करते थे कि अभिषेक बनर्जी जी जब भाषण दे रहे थे तो वह कहते कि पश्चिम बंगाल में महिलाओं के चीरहरण का जो वीडियो वायरल हो रहा है, उस पर इस देश से क्षमा मांगते, लेकिन नहीं मांगी ।... (व्यवधान) वह नहीं मांगेंगे, क्योंकि पश्चिम बंगाल में जैसे चीरहरण हो रहा है, महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है और आम लोगों पर जो अत्याचार हो रहा है, वह उनको नहीं दिखता ।... (व्यवधान) अभी इसी सदन में... (व्यवधान)

अभी इसी सदन में... (व्यवधान) जय प्रकाश जी, आपको बता रहे हैं । ... (व्यवधान)

माननीय सभापति: माननीय मंत्री जी, आप चेयर को एड्रेस करें ।

... (व्यवधान)

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह : इसी सदन में ...** जी ने अपने मन की भड़ास और मन की तकलीफ को कई बार सदन के पटल पर उतारा था ।... (व्यवधान) पाँच साल तक 'दिशा' की

---

* Expunged as ordered by the Chair

** Not recorded.

मीटिंग नहीं हुई थी। पश्चिम बंगाल की सरकार ने 'दिशा' की मीटिंग नहीं होने दी और ये लोकतंत्र की बात करते हैं।... (व्यवधान) इनको क्या अधिकार है लोकतंत्र की बात करने का।... (व्यवधान) यह रेकॉर्ड में है।... (व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय सदस्य ने जो नाम लिया है, वह रेकॉर्ड में नहीं जाएगा।

... (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: You must have patience to listen to me.

... (व्यवधान)

माननीय सभापति : उन्होंने जिस माननीय सदस्य का नाम लिया है, वह रेकॉर्ड में नहीं जाएगा।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति : आप चेयर को एड्रेस कीजिए। आप नाम मत लीजिए।

... (व्यवधान)

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह : माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य गौरव गोगोई जी को, वे भी थे यहाँ, वे इस सदन में प्रजेंट थे, जब ...* जी... (व्यवधान)

माननीय सभापति : आप उनका नाम मत लीजिए। वे अब इस सदन के सदस्य नहीं हैं।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति : आप पूर्व सदस्य कहें।

... (व्यवधान)

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह : ठीक है। हमने उनका नाम विदड्रॉ कर लिया। महोदय, हमने उनका नाम वापस ले लिया।... (व्यवधान) लेकिन सच्चाई है कि 17वीं लोक सभा में, ... (व्यवधान) बैठ जाइए न जय प्रकाश जी, आप बैठ जाइए। ...** ... (व्यवधान)

---

* Not recorded.

** Expunged as ordered by the Chair.

माननीय सभापति : आप अपना भाषण करें।

… (व्यवधान)

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह : माननीय सभापति महोदय, मैं यह कह रहा था कि 17वीं लोक सभा के दौरान… (व्यवधान)

श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा : सर, मेरा पॉइंट ऑफ ऑर्डर है।… (व्यवधान)

माननीय सभापति : हुड्डा जी, जब आपका अवसर आएगा, तो आप बोलिएगा।

… (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Hooda ji, I have already gone through Rule 355. There should be no Point of Order.

… (व्यवधान)

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह : इनको कहना चाहिए कि पश्चिम बंगाल में जो चीरहरण हुआ, वह जायज़ था, आप यही कह दीजिए। आप देश के सामने यही कह दीजिए।… (व्यवधान)

माननीय सभापति : जय प्रकाश जी, आप बैठ जाएं। इनकी बात खत्म होने दीजिए।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय मंत्री जी, आपसे आग्रह है कि कृपया आप अपना भाषण संक्षिप्त करें। आप माननीय सदस्य का नाम मत लीजिए।

… (व्यवधान)

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह : महोदय, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ। मैंने नाम वापस ले लिया।… (व्यवधान) हमने नाम विदड्रॉ कर लिया।… (व्यवधान)

हम कह रहे हैं कि 17वीं लोक सभा में, उस समय माननीय विरोधी दल के नेता और सबसे बड़े विपक्षी दल के जो नेता थे, उन्होंने सदन के अन्दर कई बार अपनी पीड़ा का इज़हार किया कि उनके क्षेत्र में 'दिशा' की बैठक नहीं होने दी जा रही है। गौरव गोगोई जी बैठे हुए हैं। गौरव गोगोई जी उसके गवाह हैं। जय प्रकाश जी तो उस समय थे नहीं, ये कहाँ से जानेंगे। इसलिए गौरव गोगोई जी

के सामने पीड़ा व्यक्त हुई। कांग्रेस को एक भी सीट नहीं दी।… (व्यवधान) उसके बाद भी लगे हुए हैं, तो आप लगे रहिए। लगे रहिए मुन्नाभाई। … (व्यवधान) कुछ न कुछ तो मिलेगा, लेकिन 99 वाला भी खतरा है, अगर साँप काटा, तो ज़ीरो पर आइएगा।… (व्यवधान) लेकिन आप लगे रहिए। … (व्यवधान) क्या करिएगा?

श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा : सर, मेरा पॉइंट ऑफ ऑर्डर है।… (व्यवधान)

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह : हमने सैलजा जी का भी पूरा भाषण सुना। सैलजा जी का पूरा भाषण हरियाणा केन्द्रित था। यह देश का बजट है, हरियाणा का बजट थोड़े है? … (व्यवधान) जय प्रकाश जी भी अभी बोल रहे थे… (व्यवधान) पूरा हरियाणा केन्द्रित है।… (व्यवधान) यह देश का बजट है भइया, आप देश के बजट पर बोलिए।… (व्यवधान) श्री नरेन्द्र मोदी जी पूरे देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। यह उनका संकल्प है।… (व्यवधान) यह उनका आत्म विश्वास है।… (व्यवधान)

माननीय सभापति : मैं आपको बोलने का समय दूँगा।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : मैं समय दूँगा। मैंने कहा है। जय प्रकाश जी, आप बैठ जाएं। आप सदन में डिक्टेट नहीं कर सकते। आप बैठ जाएं।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : मैंने हुड्डा जी को कह दिया है। मैंने रूलिंग दे दी है। आप बैठ जाइए।

… (व्यवधान)

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह : सभापति महोदय, वित्त मंत्री जी का बजट भाषण हुआ, मैंने यह कहा कि पूरे तीन दिनों तक ये लोग बजट पर कम बोलते रहे, देश के प्रधान मंत्री आदरणीय श्री नरेन्द्र मोदी जी का चेहरा इनको पसंद नहीं था, इसलिए उनकी आलोचना में ये पूरे तीन दिन इन्होंने बिताए। … (व्यवधान) बजट में जो प्रावधान हैं, वे इनको दिखाई ही नहीं पड़े। … (व्यवधान) वे देखना भी ये नहीं चाहते हैं, इसलिए, क्योंकि ये तो पीड़ा में हैं, अंदर से कष्ट में हैं,

विचलित हैं। … (व्यवधान) मन जब विचलित रहता है, तो अच्छी बात दिखाई नहीं पड़ती है। … (व्यवधान)

इसलिए, मैं इनको कह रहा हूं। … (व्यवधान) वित्त मंत्री जी के बजट के भाषण में साफ लिखा है कि नौ प्राथमिकताओं के संबंध में प्रयासों की परिकल्पना की गई है और वे नौ प्रयास देश को 'आत्मनिर्भर भारत' बनाने की दिशा में ला जाएंगे। … (व्यवधान) यह इस बजट में है, यह इनको दिखा ही नहीं। … (व्यवधान)

पहला क्या है? 'कृषि में उत्पादकता और अनुकूलता', 'रोजगार और कौशल प्रशिक्षण', 'समावेशी मानव संसाधन विकास', 'सामाजिक न्याय', 'विनिर्माण और सेवाएं', 'ऊर्जा सुरक्षा और संरचना', 'नवाचार अनुसंधान और विकास' और 'अगली पीढ़ी के सुधार'। … (व्यवधान) प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी तो अभी की पीढ़ी के अलावा अगली पीढ़ी तक के लिए भी सोच रहे हैं। … (व्यवधान) इनको यह दिखाई नहीं पड़ रहा है। … (व्यवधान) जब दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो इसमें हमारा क्या दोष है? … (व्यवधान) आपका मन विचलित है, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपके मन को जल्दी शांति प्रदान करे, मन की आत्मा का जल्दी से विचलापन खत्म हो, ताकि आप उससे बाहर निकलिए और देश की कल्पना के बारे में सोचिए। … (व्यवधान)

इनको दिखाई नहीं पड़ रहा है कि रक्षा के क्षेत्र में माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा जो बजट पेश किया गया है, उसमें 4.54 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। … (व्यवधान) यह इनको दिख नहीं रहा है।… (व्यवधान) यह पूरे देश के लिए है, देश की रक्षा और सुरक्षा के लिए है। … (व्यवधान) इनको यह नहीं दिख रहा है कि ग्रामीण विकास के क्षेत्र में 2.65 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। … (व्यवधान) यह इनको दिखेगा नहीं। … (व्यवधान)

माननीय सभापति महोदय, अभी माननीय सदस्य श्री जय प्रकाश जी चर्चा कर रहे थे, कह रहे थे कि कृषि का बड़ा नुकसान हो रहा है। … (व्यवधान) अरे, कृषि के क्षेत्र में 1.52 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान इस बजट में किया गया है। … (व्यवधान) वह भी आपको नहीं दिख रहा है। … (व्यवधान) शिक्षा के क्षेत्र में 1.25 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। … (व्यवधान) वह

इनको नहीं दिख रहा है। ... (व्यवधान) स्वास्थ्य, सूचना एवं प्रोद्यौगिकी के क्षेत्र में 1.16 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ... (व्यवधान) वह इनको दिख नहीं रहा है, इनकी नजर से ओझल हो रहा है। ... (व्यवधान) इनको दिख रहा है, तो सिर्फ मोदी जी का चेहरा दिख रहा है और मोदी जी का चेहरा देखकर ये भड़क जा रहे हैं। ... (व्यवधान) कुछ और देख नहीं रहे हैं, लेकिन भड़केंगे, तो क्या करेंगे? देश की जनता को वही पसंद है, इसलिए वह चेहरा आगे बढ़ रहा है। ... (व्यवधान)

ऊर्जा के क्षेत्र में, समाज कल्याण के क्षेत्र में, कॉमर्स और इंडस्ट्री के क्षेत्र में जो प्रावधान इस बजट में हैं, वे इनको दिख नहीं रहे हैं। ... (व्यवधान) इनको सिर्फ दो बातें दिख रही हैं। ... (व्यवधान) एक बात, मोदी जी का चेहरा, जो इनको पसंद नहीं है। ... (व्यवधान) जब देश की जनता उनको पसंद करती है, तो आपकी पसंदगी-नापसंदगी का कोई अर्थ नहीं है। ... (व्यवधान) आप जितना जल्दी उसको स्वीकार करेंगे और मोदी जी का चेहरा पसंद करने लगेंगे, उतनी ही जल्दी आपके मन को शांति मिलेगी। ... (व्यवधान) यह मैं आपको कह रहा हूं। ... (व्यवधान) दूसरा इनको बिहार और आंध्र प्रदेश दिख रहा है। ... (व्यवधान) अरे भइया, मैंने यह पूरा बता दिया। ... (व्यवधान) क्या इसमें सिर्फ बिहार और आंध्र प्रदेश आता है? ... (व्यवधान) पूरे देश के विकास के लिए मोदी जी संकल्पित हैं, मोदी जी की सरकार संकल्पी है, 'आत्मनिर्भर भारत' बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। ... (व्यवधान) हम आगे बढ़ते रहेंगे, पूरे आत्मविश्वास, इच्छाशक्ति और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ... (व्यवधान) इसलिए, इस बजट का मैं समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय सभापति: माननीय श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा जी, जब आप पहली बार खड़े हुए, तो मैंने कहा कि माननीय मंत्री जी का भाषण हो जाए, मैं आपको उसके बाद बोलने का अवसर दूंगा। इसके बावजूद भी लगातार व्यवधान हुआ?

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : आप मुझसे डिस्कशन मत कीजिए। आपने एक बात उठाई, मैं भविष्य के लिए पूरे सदन को उसका पहले जवाब दे देता हूं।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : अगर चेयर से आपको इस बात का आश्वासन मिल रहा है।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति: नहीं-नहीं, जय प्रकाश जी आगे तक चले आए। हाउस के वेल तक आ गए।

… (व्यवधान)

श्री जय प्रकाश: महोदय, इन्होंने मेरा नाम लिया था।… (व्यवधान)

माननीय सभापति : नाम लिया तो आपको अवसर मिला था, आप भी नाम ले रहे हैं। नाम लेने से कुछ नहीं है, जो इस सदन के सदस्य हैं, उनका नाम लिया जा सकता है, क्योंकि उसके पास अवसर है, वह अपनी बात में उसका जवाब दे सकता है।

श्री दीपेन्द्र हुड्डा जी। भविष्य में इसका ख्याल रखिए, अगर आप व्यवधान करेंगे, कल वे तय कर लेंगे कि आप बोलेंगे तो वे व्यवधान शुरू करेंगे, तो मुझे लगता है कि जो सदन की एक मर्यादा है, इस सदन की एक गरिमा है, पूरे देश के लोग आपको देख रहे हैं। यहाँ अच्छी डिबेट हो रही है, चाहे इस पक्ष से हो, चाहे उस पक्ष से हो। मेरा आग्रह है कि अगर आपके मन में, एक तो नॉर्मली बजट की सामान्य चर्चा पर कोई पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं होता है। नीतियों की आलोचना होती है, कार्यक्रमों की आलोचना होती है, लेकिन इसके बावजूद भी आप कोई बात उठाना चाहते हैं और अगर चेयर ने आश्वासन दे दिया तो बीच में व्यवधान न करें।

श्री दीपेन्द्र हुड्डा जी।

श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा : सर, हम आपकी बात स्वीकार कर रहे हैं। सर, मेरा पॉइंट ऑफ ऑर्डर है।

माननीय सभापति : किस नियम में?

श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा : सर, मेरा पॉइंट ऑफ ऑर्डर है। I want to raise a Point of Order under Rule 352 (vii), combined with Article 1 of the Constitution. Article 1 of the Constitutions says:

"India, that is Bharat, shall be a Union of States."

हर राज्य भारत का हिस्सा है। बार-बार माननीय मंत्री जी ने कहा कि सैलजा जी ने, जय प्रकाश जी ने केवल हरियाणा की बात कही। केन्द्रीय बजट में हरियाणा की बात करना, क्या हरियाणा भारत का हिस्सा नहीं है? मैं यह सरकार से पूछना चाहता हूँ।... (व्यवधान) मैं कहना चाहता हूँ।... (व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय दीपेन्द्र जी, आपने नियम 352 कहा है।

... (व्यवधान)

श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा : महोदय, नियम 352(7)।... (व्यवधान)

माननीय सभापति : आप एक बार मेरी बात सुन लीजिए।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति : आप बैठ जाइए। It says:

"A Member while speaking shall not – (i) refer to any matter of fact on which a judicial decision is pending."

... (व्यवधान)

श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा : सर, मैंने 352(7) कहा है।... (व्यवधान) सर, आप गलत पढ़ रहे हैं। 352(1) नहीं, 352(7) पढ़िए।... (व्यवधान)

माननीय सभापति : मैं पढ़ता हूँ। एक मिनट सुनिए। मैं 352(7) भी पढ़ता हूँ।… (व्यवधान) आप सीनियर हैं, आप वरिष्ठ हैं।

… (व्यवधान)

श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा : इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हरियाणा भारत का हिस्सा है। अगर हरियाणा को केन्द्रीय बजट में भुला दिया जाएगा, अगर आप उसे भूल जाओगे तो हरियाणा के लोग भी 3 महीने के बाद आपको वोट देना भूल जाएंगे।… (व्यवधान) महोदय, मेरा माइक बंद हो गया है।… (व्यवधान)

माननीय सभापति : चलिए, आप बोलिए।

… (व्यवधान)

SHRI DEEPENDER SINGH HOODA: Sir, I want to raise a Point of Order under Rule 352 (vii), combined with Article 1 of the Constitution.

Rule 352 (vii) says:

"A Member while speaking shall not utter treasonable, seditious or defamatory words."

सर, हरियाणा को भारत का हिस्सा न मानना, यह डिफेमेटरी भी है, सेडिशियस भी है।… (व्यवधान) आपकी सरकार हरियाणा को भारत का हिस्सा कैसे नहीं मान सकती?… (व्यवधान)

माननीय सभापति : मैं आदेश दे रहा हूँ। कोई पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं है।

… (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: There is no Point of Order in this. I have already heard you. He has only referred to the hon. Member from Haryana in respect of whatever she had said in her speech. So, there is no Point of Order.

Now, Shri Harendra Singh Malik.

… (*Interruptions*)

माननीय सभापति : आपको अवसर मिल गया है। आपको अपनी बात उठाने का अवसर मिल गया है। मैंने आपको अपनी बात उठाने का अवसर दे दिया है।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय मंत्री जी, आप क्या कहना चाहते हैं? जैसा उन्होंने डिफेमेटरी या इस तरह की बात कही, तो मैंने रूलिंग दे दी है कि आपने ऐसा कोई शब्द नहीं कहा है।

… (व्यवधान)

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह : महोदय, मैंने यह कभी नहीं कहा कि हरियाणा की चर्चा करना गलत है। मैंने कहा कि देश के बारे में भी चर्चा कीजिए, लेकिन ये लोग लगातार बिहार और आन्ध्र प्रदेश की चर्चा करते रहे हैं। क्या वह इस देश का हिस्सा है या नहीं है, ये इसके बारे में बताएं?… (व्यवधान)

श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा : हरियाणा के सवाल पर हम सदन से बाहर जा रहे हैं।

13.39 hrs

At this stage, Shri Deepender Singh Hooda and some other hon. Members left the House.

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : हरेन्द्र मलिक जी, आप बोलिए। आपकी ही बात रिकॉर्ड में जा रही है।

श्री हरेन्द्र सिंह मलिक (मुजफ़्फ़रनगर) : सभापति जी, किसान के मामले में जो बात कही जा रही है, वह सही नहीं है। किसान को न तो सब्सिडी मिल रही है और जो किसान शहीद हुए थे उनके परिवारों को आज तक किसी प्रकार की आर्थिक सहायता प्रदान नहीं की गई है और बजट में उसका कोई प्रावधान भी नहीं है। नौजवान बेरोजगार हैं। केंद्र सरकार के 30 लाख पद खाली हैं। पढ़ाई महंगी हो चुकी है। मेडिकल की पढ़ाई गरीब का बच्चा नहीं कर सकता है। इंजीनियरिंग की पढ़ाई गरीब का बच्चा नहीं कर सकता है। पढ़ाई की फीस जितनी इस राज में बढ़ी है, ऐसा लगता है कि गरीब और किसान के बच्चों से किताब को छीनने का काम किया जा रहा है।

महोदय, ये विकास की बात कह रहे हैं। लखनऊ में अखिलेश यादव जी द्वारा निर्मित कैंसर अस्पताल, जिसमें एक हजार करोड़ रुपये की लागत लगी, वह बनकर खड़ा है, लेकिन उसमें डाक्टर और स्टाफ नहीं है। बेरोजगारी बढ़ी है। एमएसपी लागू करने का वायदा करके सरकार मुकर गई। किसान और नौजवान बरबाद और तबाह है। हमारी उम्मीद थी कि अग्निवीर को चार साल की बजाय 20-25 साल सर्विस का मौका देंगे परन्तु इस बजट में इन्होंने ऐसा भी नहीं किया। चारों तरफ हाहाकार मचा है। आप छह हजार रुपये किसान को देते हैं। इतने में दो कट्टे डीएपी के आते हैं। हमें उम्मीद थी कि आप ट्रैक्टर पर जीएसटी खत्म करेंगे, एग्रीकल्चर में काम आने वाले संसाधनों पर जीएसटी खत्म करेंगे, लेकिन बजट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूं कि किसान के ट्रेक्टर से 10 या 15 साल की सीमा हटा दी जाए। दूसरे इसके ऊपर जीएसटी खत्म कर दी जाए। चाहे पम्प सेट हो, चाहे इलेक्ट्रिक मोटर हो या ट्रेक्टर के पार्ट्स हों, इन पर जीएसटी खत्म कर दी जाए। मेरा यह भी अनुरोध है कि जो किताब और पढ़ाई छीनने का काम किया गया है और फीस बढ़ाई है जैसे एमबीबीएस की पढ़ाई में एक करोड़ रुपये से कम का खर्च नहीं आता है, इस पर रोक लगाने की आवश्यकता है।

रोजगार आप नहीं दे रहे हैं लेकिन कम से कम आप पुरानी पेंशन तो बहाल कर दो। ये सभी आपके वोटर हैं। आप पुरानी पेंशन बहाल करें। कैंसर अस्पताल का मैंने जिक्र किया है। लखनऊ में एक हजार करोड़ रुपये की लागत से बना कैंसर अस्पताल तैयार खड़ा है। आप उसमें डाक्टर

इसलिए नहीं भेज रहे, क्योंकि आदरणीय अखिलेश यादव जी की सरकार द्वारा निर्मित है। यह कहां का इंसाफ है? चारों तरफ विकास के नाम पर लूट खसोट के अलावा कुछ नहीं है। कहीं विकास नहीं हो रहा है, केवल आपके नेताओं का विकास हो रहा है, जनता का कहीं विकास नहीं हो रहा है। लोग त्राहि-त्राहि कर रहे हैं। हरिद्वार में हर हिंदू जाता है चाहे जिंदा जाए या मुर्दा जाए। आप हरिद्वार को टोल मुक्त कर दो। आप मेरे साथ सदन में थे, जिस दिन डॉ. अमर रिजवी ने सीतापुर में टोल लगाया था। आप ही कहने वाले थे कि जजिया कर देना पड़ेगा। आज आप हरिद्वार में भी जजिया कर ले रहे हैं।

चारों तरफ जब आदमी सड़क पर चलता है तो टोल टैक्स देता है। कार, ट्रैक्टर आदि जो भी वाहन खरीदता है, तो टैक्स देना पड़ता है। डीजल, पेट्रोल लेते समय भी टैक्स देना पड़ता है। जब रजिस्ट्रेशन कराता है, तब टैक्स देना पड़ता है। आदमी कितनी बार टैक्स दे, यह समझ से परे की बात है। 750 किसान शहीद हों और देश के आदरणीय प्रधान मंत्री जी एक शब्द भी उनके शोक का न लिखें, इससे बड़ी बात कोई और हो नहीं सकती है। आदरणीय कृषि मंत्री जी को कोई पूछता नहीं है। कृषि मंत्री जी क्या वायदा करके आए, उस पर कोई काम नहीं हुआ। एमएसपी आज तक लागू नहीं हुई।

मेरा आपसे अनुरोध है कि किसान ही जीडीपी का सबसे बड़ा अंश है। हिंदुस्तान का पेट पालने का काम किसान करता है। आपने उनके साथ सिंधु बार्डर पर जो व्यवहार किया, उसके बारे में कभी रात में बैठकर सोचना कि इससे ...* व्यवहार कुछ हो ही नहीं सकता है। उस किसान के साथ जिसका बेटा जवान बनकर देश की सीमाओं की रक्षा करने के लिए खड़ा है। आज उसके रास्ते में कीलें ठोक दी गईं, सीमेंट की दीवार बना दी गई। हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार ड्रोन से तीन सौ आंसू गैस के गोले छोड़े गए और उस अन्नदाता के ऊपर छोड़े गए, जिससे वोट लेकर आप यहां बैठे हैं। क्या आपको ...* नहीं आई, क्या आपको अफसोस नहीं हुआ? कम से कम एक

---

* Expunged as ordered by the Chair.

शब्द अफसोस का ही कह दें। मान्यवर, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे अपनी बात सदन में रखने का मौका दिया।

SHRI DURAI VAIKO (TIRUCHIRAPPALLI): Respected Chairperson, Sir, I thank you for the opportunity given to me to express my views on the Union Budget.

The Indian Constitution clearly affirms India as a secular, socialist, sovereign and democratic republic, ensuring that its citizens get liberty, equality and justice. Federalism is an integral part of our republic that ensures diversity, peace, stability and mutual accommodation in a multi-cultural, cultural and diversified country like ours. However, the Union Government and the Budget have abandoned key aspects of both the Constitution and the federalism.

My State of Tamil Nadu has been neglected in the Union Budget though the State is the second largest economy contributing nearly 8.8 per cent to the nation's GDP and also contributing 10 per cent to the country's total exports. Though my State accounts for nearly six per cent of the country's population, Tamil Nadu's share from the total divisible pool of Central taxes has decreased to just four per cent. In spite of numerous letters by our hon. Chief Minister, Mr. M. K. Stalin, seeking Rs. 37,907 crore for flood relief, the Centre had sanctioned a mere Rs. 276 crore, that too, after the Supreme Court's intervention. However, the Central Government with a step-motherly attitude has allotted thousands of crores of rupees for flood mitigation measures to other States. Is this because Tamil Nadu is the land of Thanthai Periyar and

Perarignar Anna? Is this because we believe in the teachings of Mahatma and Babasaheb Ambedkar, and we do not believe in the teachings of Veer Savarkar and Godse?

Sir, though a budget of Rs. 24,930 crore has been allotted to MRTS and Metro projects in this Union Budget, it is highly disheartening to note that the second phase of Chennai Metro and the much-awaited Metro projects in Madurai and Coimbatore have not been mentioned. Out of the cost of Rs. 63,000 crore for the second phase of Chennai Metro, our State Government has allotted so far Rs. 21,000 crore in spite of strained finances. The Central Government has not given a single paisa. Is this because Tamil Nadu denied the BJP even a single seat? Trichy city, a central hub of our State, has also been denied quick implementation of the metro rail project. Though the detailed feasibility reports and the detailed project reports for the Trichy Metro have been undertaken in the past, there are no measures in this Budget for implementing the project. Is this because Tamil Nadu does not believe in politics of hatred?

The long-pending demand for a new railway line from Thanjavur to Madurai *via* Gandharvakottai and Pudukkottai has also been ignored in this Budget. A part of this railway line was surveyed and sanctioned in the year 2012-13, and this was mentioned in the Pink Book of the Railways till 2018-19. The much-needed Tambaram-Chengalpattu elevated expressway to decongest the traffic in the Chennai city has also been ignored in this Budget. Is this because Tamil Nadu does not believe in divisive politics? The Union

Budget has not only neglected my State of Tamil Nadu but also ignored the interests of the farmers, youth, poor and women of our country.

Sir, the growing divide between the haves and the have-nots in our country is alarming and shameful. Ten per cent of our population holds 77 per cent of our nation's wealth. A handful of corporates have immensely profited at the expense of the MSME sector. A billionaire spends Rs. 5,000 crore for a wedding in his family whereas more than 10,000 farmers commit suicide every year due to mounting farm debts. This Budget fails to legalise the guarantee for MSP based on the M.S. Swaminathan Commission formula of C2-plus-50 per cent. This Budget also fails to provide pensions, waivers on farm loans and compensation for more than 700 farmers who lost their lives during the 2020-2021 farm protests.

There has been no waiver of GST on farm inputs like seeds, pesticides and fertilizers. The demand to reduce GST on pesticides from 18 per cent to five per cent has been ignored. The allocation for agriculture and allied sectors as a percentage of the total Budget has been continuously declining from 2019 onwards from 5.4 per cent to the present 3.15 per cent.

In a stark contrast to the all-is-well story of the Union Government, the unemployment ratio and inflation, the true indicators of the nation's economy, portray a very grim picture. Unemployment ratio is at an all-time high of 9.2 per cent. Food inflation has crossed the 10 per cent barrier. India ranks a pathetic 111 out of 125 countries in the Global Hunger Index.

This Government for the past 10 years boasts of its love for the Indian youth. However, more than 10,000 youth commit suicide every year due to the stress caused by mounting education loans, unemployment and a faulty education system plagued by question paper leaks and scams.

All the announcements in this Budget about lakhs of crores allotted for upskilling and employment opportunities for the youth are nothing but false promises, just like the lie of doubling the farmers' income made in 2016 by this very Government.

I would like to conclude my speech by saying that this Budget is not a Budget for the farmers, poor, youth and women. On the contrary, it is a Budget that has been drafted to keep this Government alive by appeasing its coalition partners, and it is rightly called the 'Nitish-Naidu Budget'.

I also say that this Budget aids crony capitalism. It is a Budget which goes against the basic tenets of the Constitution, that is, equality and justice. It is a Budget that goes against the spirit of Ambedkar's federalism.

I humbly request the Union Government to transcend political boundaries and ideologies to serve the common man and this great country.

Thank you, Sir.

*__SHRI VE. VAITHILINGAM (PUDUCHERRY):__ Hon Chairman Sir, Vanakkam. I congratulate Hon. Finance Minister Smt. Nirmala Sitaraman for presenting the Budget in Parliament for the 7th consecutive time. I am happy to say that our Finance Minister has her roots linked to Viluppuram which is very near to Puducherry. I say this because she knows the ground reality of our area very much. Hon Finance Minister, while presenting her first Budget in the year 2019, brought a big idea of making India a five trillion economy.

Whether she has succeeded in achieving this target of 5 trillion economy? I should say they haven't. While presenting the current Budget in 2024, she claims that India has achieved to be the fifth largest economy of the world. But in India, the per capita income of an individual person is approximately around Rs 2.5 lakh per annum. But we see our 80 Crore population living as poor. If we see their per capita income, it is not more than Rs 4000 per month. Moreover their lives are in a pitiable condition. They are severely affected by price rise.

Today a bag containing 25 kg of rice is sold at Rs.1700 whereas it was sold at Rs.700 earlier. Similarly the price of wheat has increased from Rs. 30 to Rs. 65 per kg. Price of Tamarind has increased from Rs.45 to Rs.65 per kg. Ten eggs were sold for Rs.10 earlier and now it is being sold at Rs.60. Even the price of pulses has risen from Rs.70 per kg to Rs.140 per kg. The people of our country are worst affected by this price rise. Even in MGNREGA, Rs.250/- was provided as daily wage earlier and it has now increased to just Rs.300/-

---

* English translation of the speech originally delivered in Tamil.

per day. Those who are less educated like school pass outs are able to get a salary of only Rs.6000/- per month.

Moreover, graduates are provided only a meagre salary of less than Rs.12000/- per month. Whether farmers are getting remunerative prices for their produce? The answer is No. The prices of fertilisers and insecticides have gone up making the farm input cost unbearable for farmers. Whether the farmers are getting necessary loans? The answer is No. I should also say that the women working in informal sectors are not even getting their salaries well in time. Whether the housewives are enjoying their rights? I should say the answer is No. This is the ground reality of today.

These women are not having economic freedom in their lives. They do not have security. That is why our leader Shri Rahul Gandhi called for restoring the rights of women in the society. Poor people suffer a lot. People do not like this Government which has never thought about the people's welfare. As a result, BJP today is a minority Government. INDIA Alliance made this possible and the people of this country have given a strong verdict to make BJP Government a minority Government. You gave up Uttar Pradesh, the land of Lord Sri Ram and thereafter you gave up Lord Shri Ram himself, whom you worshipped for long. We can raise slogans like 'Jai Shri Ram'. But you will now say 'Jai Jagannath' instead of "Jai Shri Ram". You have totally forgotten the States like Maharashtra and Haryana.

You forgot your birth place, the Devbhoomi. You ignored Varanasi, which brought you up. You did not take care of Ayodhya, where Lord Rama

was given birth. You have forgotten the places where you were given birth, where you were brought up and where you lived. You should help them in a way they needed help. You should help these States in a way you helped States like Andhra Pradesh and Bihar. Similarly you have given assurances to Puducherry. You assured to give adequate funds to this State. You talked about development of education and tourism in Puducherry. But Puducherry did not get anything. Last year you gave Rs.3,389 Crore and this year you have given only Rs.3,269 crore which has seen a reduction of Rs.120 Crore as compared to last year.

The Government of Puducherry is managing the administration of Power sector very well in the State. There is no loss to this Department. Therefore, it should never be privatised. If there is any such move to privatise the Power Sector of Puducherry it should be withdrawn besides allocating adequate funds to Union Territory of Puducherry. Thank you.

सुश्री कंगना रनौत (मंडी) : सभापति महोदय, मैं आपको धन्यवाद देती हूं कि आज मुझे आपने वर्ष 2024 के इस बजट पर अपने विचार रखने का अवसर दिया है। साथी ही मंडी क्षेत्र की जनता, जिन्होंने मुझे अपना प्रतिनिधि चुनकर यहां उनके पक्ष की बात रखने का मौका दिया है, उनकी भी आभारी हूं।

महोदय, यह जगह मेरे लिए बहुत नई है। मैं एक नई सांसद हूं, मगर मुझे इस बात का आभास है कि जो 18वीं लोक सभा है, यह कोई सामान्य लोक सभा नहीं है। इस लोक सभा का जो चुनाव हुआ है, उसमें हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनकर पिछले 60 सालों का रिकॉर्ड तोड़ा है। उसके लिए हम सब उन्हें हार्दिक बधाई देते हैं। साथ ही हम सब भारतीय जनता पार्टी के लोग बधाई के पात्र हैं, जिन्हें यह सौभाग्य प्राप्त हुआ।

मैं यह भी मानती हूं कि हमारे भारतवर्ष की जनता जिन्होंने एक स्थिर, सहज और सफल सरकार को चुना है और एक संकल्प को चुना है, वह भी बधाई के पात्र है।

महोदय, हम सब जानते हैं कि आज से 10 साल पहले हमारे देश की अर्थव्यवस्था का क्या हाल था। आज से 10 साल पहले हमारी संघर्षशील, एक चरमराती और लड़खडाती अर्थव्यवस्था, जो कहीं 11-12वें नंबर पर थी और सारा देश उसको लेकर चिंतित रहता था।

पिछले 10 सालों में वह अर्थव्यवस्था 11वें से पाँचवें नंबर पर आई है और बहुत तीव्रता से तीसरे नंबर की तरफ जा रही है। वर्ष 2024 का जो बजट है, यह सब वर्गों को शक्ति प्रदान करने वाला बजट है। इस बजट से हमारी अर्थव्यवस्था को भी तीव्रता मिलेगी।

महोदय, वर्ष 2047 का हमारा जो संकल्प है, विकसित भारत का संकल्प है कि हम प्रथम इकोनॉमी बनेगें। वह भी इस बजट से पूरी उम्मीद है। हम उस संकल्प की तरफ एक कदम करीब जाएंगे।

महोदय, पिछले साल हमारे हिमाचल प्रदेश में एक बहुत बड़ा प्राकृतिक संकट आया। वहां एक बहुत बड़ी बाढ़ आई, जिससे हमारे लोगों की न जाने कितने जन, धन, पशु, जमीन की हानि हो

गई। लेकिन, दुख की बात यह है कि अभी भी हमारा हिमाचल प्रदेश उस त्रासदी के प्रभाव और हानि से बाहर नहीं आ पा रहा है।

इसका जो मूल कारण है, वह है वहां की कांग्रेस की सरकार। उनकी जो लापरवाही है, उनकी जो भ्रष्टाचार वाली नीतियां हैं, उससे आज भी हमारे लोग उस बाढ़ के प्रभाव से पीड़ित हैं। मैं आदरणीय और माननीय वित्त मंत्री श्रीमती सीतारमण जी का आभार व्यक्त करती हूं कि उन्होंने हमारे हिमाचल प्रदेश की जनता के लिए एक स्पेशल रिलीफ फंड की घोषणा की है। हम सब हिमाचलवासियों की तरफ से आपका अभिनंदन करते हैं और आभार व्यक्त करते हैं।

महोदय, मुझे आपको यह बताकर खुशी भी होती है और खेद भी होता है कि जितना काम पिछले दस वर्षों में हमारी भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश में किया है, उतना काम आजादी के बाद 60 सालों में भी हिमाचल प्रदेश में नहीं हुआ था। आप सब हिमाचल जाते रहे होंगे। … (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Please sit down. It is her maiden speech. Let the hon. Member speak.

<u>14.00 hrs</u>

सुश्री कंगना रनौत: आप सब हिमाचल जाते रहे होंगे, आप सबने देखा होगा कि आजादी के 60 सालों तक सिर्फ कुछ रोड्स बने थे। माननीय पूर्व प्रधान मंत्री अटल बिहारी जी ने अपने कार्यकाल में ग्रामीण प्रधान मंत्री सड़क योजना के अंतर्गत ये रोड्स बनाई थीं। पिछले 10 वर्षों में प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने हमारे क्षेत्र को एम्स, ट्रिपल आईटी, आईआईएम जैसे वैश्विक स्तर के संस्थान दिए हैं और वंदे भारत जैसी ट्रेन को हमारे हिमाचल प्रदेश में पहुंचाया है।

हमारे हिमाचल प्रदेश जैसे छोटे से राज्य को साढ़े 3 हजार करोड़ रुपये की लागत का मनाली- कीरतपुर हाईवे दिया है, जिसमें 5 से ज्यादा टनल्स हैं और 37 से ज्यादा ब्रिजेज़ हैं। ऐसा वैश्विक स्तर का इन्फ्रास्ट्रक्चर वहां पर हमें मिला है। पूरे देश के लिए जो एक बहुत ही अद्भुत

इन्फ्रास्ट्रक्चर मार्बल है, जैसे कि 9 किलोमीटर की अटल टनल विश्व की सबसे लंबी टनल है। वह एक सिंगल ट्यूब हाइवे पूरे विश्व के लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण है।

इसके साथ ही 11 हजार करोड़ रुपये के हाइडल प्रोजेक्ट्स हमारे हिमाचल प्रदेश को दिए हैं। अगर यह सूची मैं यहां पर रखूं तो शायद आप लोगों का बहुत वक्त इसमें लग जाएगा। लाखों लाभार्थियों को लाभ मिला है, चाहे मुफ्त राशन हो, चाहे मकान हो या आयुष्मान हो, हमारा हिमाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य है, जो पूरी तरह से शौच फ्री है और वहां घर-घर में गैस चूल्हे का कनेक्शन लगा है।

14.02 hrs (Shri Dilip Saikia *in the Chair*)

एक भी माता, एक भी बहन गैस चूल्हे के कनेक्शन के बिना नहीं है। मेरा यह सौभाग्य है कि जब मैं यहां पर आई थी, तब महिला आरक्षण बिल, जो राजनीति में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देता है, वह बिल पारित हुआ था।

मेरे लिए यह बड़ी ही सौभाग्यशाली 18वीं लोक सभा है। मैं यह कहना चाहूंगी कि यह जो बिल है, यह अवश्य ही, इंप्लायमेंट हो या स्टार्ट अप इनोवेशन्स हों, चाहे हमारे गरीब और मिडिल क्लास को टैक्स रिलैक्सेशन हो या हमारे अन्नदाता किसान हों, उन पर फोकस हो, मैं इसे होलसम बजट कहती हूं।

सरकार से मेरी एक प्रार्थना रहेगी कि हमारे मंडी क्षेत्र में अगर एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो तो टूरिज्म की दृष्टि से अवश्य ही हमारी जनता का बहुत कल्याण होगा। आप जरूर इस विषय में सोचें। यह जो बजट है, हम हिमाचल वासी इसका पूरी तरह से वेलकम करते हैं। धन्यवाद।

श्री गुरमीत सिंह मीत हायेर (संगरूर) : सभापति जी, आपने मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद। पूरे बजट में मेरे प्रदेश पंजाब का जिक्र तक नहीं किया गया। मैं विरोध दर्ज करवाते हुए अपनी बात शुरू करना चाहूंगा। जब मैं स्कूल में पढ़ता था, तो दीवारों पर एक नारा लिखा रहता था, हम दो हमारे दो। पूरे देश के लोग जानते हैं कि पिछले दस सालों से दो साहब की सरकार चल रही थी। अब उन दो साहब के कंधों पर और दो लोग बैठ गए हैं। वह पुराना नारा पूरी तरह फिट हो गया, हम दो, हमारे दो।

सभापति जी, इस सरकार का नया नारा सबका साथ, सबका विकास। मुझे लगता है कि दो का विकास बाकी सबका सत्यानाश, इस बजट में सारा कुछ दर्शाया जा रहा है। जिस दिन इलेक्शन का रिजल्ट आ रहा था, यह स्वाभाविक है कि सभी लोग अपना रिजल्ट देख रहे थे, पूरे देश का भी रिजल्ट देख रहे थे। किसकी सरकार बन रही है, जब बीजेपी की सुई 230-240 के बीच अटकी हुई थी तो हम सोच रहे थे कि पांच-दस सीट और कम हो जाए, और कम हो जाए। लेकिन मैं अब कहता हूं कि भगवान का शुक्र है कि आपकी 240 सीट आ गई। अगर पांच-दस और सीटें कम हो जातीं तो पता नहीं नायडू बाबू के साथ कोई और बाबूजी आ जाते, इस वजह से शिक्षा, स्वास्थ्य, मनरेगा और किसानों का बजट और कम हो जाता।

मैं समझता हूं कि पिछले 70 वर्ष से इतना मजबूरीवश बजट किसी सरकार ने पेश नहीं किया होगा जितना इस बार एनडीए सरकार ने पेश किया है। मैं समझता हूं कि जितने विपक्ष के साथी हैं, वे इस बजट से बहुत खुश होंगे जैसे हरियाणा वाले हैं, महाराष्ट्र वाले हैं, उनके वहां इलेक्शन भी है। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आप सरकार की मजबूरी समझिए, 'यूं ही कोई इतना बेवफा नहीं होता कुछ तो मजबूरियां रही होंगी।' मजबूरी सिर्फ यही है कि सिर्फ सत्ता वाली कुर्सी बचानी है। उसके लिए कुछ भी करना पड़ जाए। आपने अपने बजट में चार बातों का जिक्र किया, युवा, किसान, महिलाओं और गरीबों का ख्याल इस बजट में रखा गया है। किसानों से वादा किया गया था कि उनकी आमदनी दोगुना करेंगे, एमएसपी का वादा किया गया, लेकिन बड़े दुख की बात है कि इसमें 27 परसेंट फर्टिलाइजर पर सब्सिडी कम करके किसानों पर नया बोझ डालने का काम

किया गया है। इससे उनकी आमदनी और कम कर दी गई। आपने कहा कि गरीबों की सरकार है, गरीबों को सबसे बड़ा बेनिफिट मनरेगा से मिल रहा था, उसका भी बजट कम कर दिया, उसमें जो महिलाओं की बात इसमें की गई है। सबसे ज्यादा महिलाओं ग्रामीण क्षेत्र में यदि कहीं से इनकम थी तो मनरेगा से थी, यह बड़ी शर्म की बात है। आपने न गरीबों को छोड़ा, न महिलाओं को छोड़ा, उसके बाद युवा की बात की गई। आपके इकोनॉमिक सर्वे में जिक्र किया गया कि भारत युवा देश है, यंगिस्तान है। यहां एआई पर रिसर्च नहीं हो रहा है। रिसर्च पेपर की अगर हम अमेरिका या चीन से कम्पेरिजन करें तो बहुत पीछे हैं। उसके लिए फंड देने की जरूरत थी। बड़े दुख की बात है कि आपने आईआईटी का बजट कम कर दिया, आईआईएम का बजट कम कर दिया, क्या इस तरह से हम देश को आगे लेकर जाएंगे? अभी मैडम जी बात कर रही थीं कि दस साल पहले ऐसे था, दस साल पहले वैसे था। सिर्फ आंकड़ों से भारत आगे नहीं जाएगा, पूरी दुनिया में भारत की पोजिशन देखनी है, हैपिनेस इंडेक्स में 2016 में हम 118 वें नम्बर पर थे, अब 126वें नम्बर पर चले गए। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हम 125 देशों की सूची में 111वें नम्बर पर हैं। हमारे पड़ोसी देश जिनको हम मुल्क भी नहीं समझते, वह भी हमारे देश से आगे निकल रहे हैं। सबसे हैरानी की बात है एक रिपोर्ट में एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 180 देशों का सर्वे किया गया, बड़े दुख की बात है कि हम 180वें नम्बर पर हैं। हमसे एक देश भी पीछे नहीं है। जबकि हम कह रहे हैं कि हम विश्व गुरू बनेंगे। सिर्फ बात करने से विश्व गुरू नहीं बनेंगे, 140 करोड़ की पॉपुलेशन में सिर्फ सवा चार करोड़ लोग हैं, जिनकी महीने की कमाई 25 हजार रुपये से ज्यादा है। आप सोचिए कि जिनकी महीने की सैलरी 25 हजार रुपये से कम है, क्या वह सम्मानजनक जीवन व्यतीत कर रहा होगा। यहां माननीय वित्त मंत्री जी ने बड़े गर्व से कहा कि 85 करोड़ लोगों को हम राशन दे रहे हैं, यह कोई गर्व की बात नहीं है। मुझे लगता है कि यह सरकार के लिए शर्म की बात है। पिछले दस सालों में 85 करोड़ लोगों को गरीबी से नहीं निकाल पाएं और और इस चीज को बड़े गर्व से बता रहे हैं। देश ऐसे आगे नहीं बढ़ेगा।

महोदय, मैं अंत में पंजाब की बात कहना चाहता हूं, वैसे तो किसी भी प्रदेश का ध्यान नहीं रखा गया। आपने फ्लड्स के लिए बजट अलॉट किया। आपने कहा कि असम, बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में बाढ़ आई तो क्या पंजाब देश का हिस्सा नहीं है? उत्तराखंड में जो बारिश हुई, हिमाचल प्रदेश में जो बारिश हुई क्या पहाड़ों में रुक जाएगी? उस बारिश का पानी पंजाब में आया और पंजाब में 1680 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। मैं उस समय इरिगेशन मिनिस्टर था। मैं तरनतारन, कपूरथला, मोहाली और रोपड़ गया था। वहां तीन फुट मिट्टी चढ़ गई है। मैं दावे से कह सकता हूं कि वहां ऐसा माहौल बन गया है कि अगले 20 साल खेती नहीं हो सकती है।

महोदय, मैं पंजाब के प्वाइंट ऑफ व्यू से पूछना चाहता हूं कि पंजाब से इतनी नफरत क्यों है? पंजाब का बलिदान बहुत बड़ा रहा है। देश को आजाद करवाने में 80 प्रतिशत कुर्बानियां वहीं से हैं। आज भी आप पंजाब के किसी गांव में जाएंगे तो कोई भी गांव ऐसा नहीं मिलेगा जहां शहीद की मूर्ति न हो। पंजाब के लोगों ने सरहद की रक्षा करते हुए अपनी जानें कुर्बान कर दीं। आज भी ऐसा कोई दिन नहीं होगा कि पंजाब के गांवों में तिरंगे में लिपटी नौजवान की लाश न आती हो। आप उसका जिक्र तक नहीं करते। आप किस बात के आधार पर कह रहे हैं कि देश आत्मनिर्भर हो गया? आत्मनिर्भर करने में सबसे बड़ा योगदान किसानों का ही है। यह सब ऐसे ही नहीं हो गया है? हमें मूल्य उतारना पड़ा है। हमने अपना पानी बर्बाद कर लिया, अपनी धरती बर्बाद कर ली। पंजाब से कैंसर ट्रेन राजस्थान जाती है, क्योंकि देश का पेट भरने का काम पंजाब कर रहा है और इसके बदले में आप हमें क्या दे रहे हैं? आपने हमारी झांकियां तक 26 जनवरी की परेड में से निकाल दीं।

मेरी मांग है कि पंजाब को स्पेशल पैकेज दिया जाए। हमारी इंडस्ट्री बर्बाद हो रही है। मैं कहूंगा कि यह बजट केवल कुर्सी बचाने वाला बजट है, इसमें देश, देश के किसानों और युवाओं के लिए कुछ नहीं है।

श्री हनुमान बेनीवाल (नागौर) : माननीय सभापति जी, मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे बजट पर चल रही चर्चा में बोलने का मौका दिया।

महोदय, तीसरी बार इनकी सरकार बनी है। देश के जवानों, मजदूरों, किसानों और सारे समाज को बहुत उम्मीद थी लेकिन बजट से आम जन को निराशा ही हाथ लगी है। मैं राजस्थान के नागौर लोकसभा संसदीय क्षेत्र से दूसरी बार चुनकर आया हूं। आपको वर्ष 2014 और वर्ष 2019 में राजस्थान से 25 सीटें मिली थीं, राजस्थान को आपसे बहुत उम्मीदें थीं लेकिन राजस्थान सहित अन्य प्रदेशों के वर्गों को इस बजट से निराशा ही हुई है।

मैं दो दिन से चर्चा सुन रहा हूं। पक्ष तो बढ़ा-चढ़ाकर बात कर रहा है लेकिन विपक्ष इसे कोस रहा था। बिहार और आंध्र प्रदेश को विशेष पैकेज दिया गया है, हमें इससे कोई एतराज नहीं है क्योंकि वह भी हमारे भाई हैं। वर्ष 2014 और 2019 में हम सब आपकी सरकार लाए थे और अब भी आपके साथ हैं, आपको इनका विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसमें देश के अन्य राज्यों के साथ सौतेला व्यवहार नहीं होना चाहिए था। जब यहां बजट प्रस्तुत हुआ तो राजस्थान में मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट किया – पटना-पूर्णिया एक्सप्रेस वे, बक्सर-भागलपुर एक्सप्रेस वे, बोधगया, राजगीर, दरभंगा में सड़कों के कामों में तेजी लाई जाएगी, बक्सर में गंगा नदी वाला पुल बनेगा, 26,000 करोड़ रुपये दिए जाएंगे।

मैं माननीय प्रधान मंत्री जी से कहना चाहता हूं, राजस्थान में जब इसकी आलोचना हुई तो उनको अपना ट्वीट वापस लेना पड़ा क्योंकि उनको लगा कि चूक हो गई। राजस्थान में तो आपकी पार्टी की सरकार है। जहां आपकी पार्टी की सरकार है, व्यथित होकर मुख्यमंत्री जी को ट्वीट वापस लेना पड़े, मेरे हिसाब से यह मामला ठीक नहीं है। राजस्थान के आठ करोड़ लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवाई, हमेशा आपके साथ खड़े रहे लेकिन उनके साथ धोखा हुआ।

एमएसपी को लेकर सरकार के दूसरे कार्यकाल में देश का सबसे बड़ा किसान आंदोलन हुआ और यह लंबे समय तक चला। इसमें 700 से ज्यादा किसानों ने शहादतें दीं। तब मैं एनडीए

का हिस्सा था। किसान आंदोलन के समय अकाली दल और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने एनडीए को छोड़ा और किसानों के हक के लिए मैं भी आपको छोड़कर अलग हुआ। आपके यहां से कई सांसद कहते थे कि अगली बार कैसे जीतकर आएंगे?

महोदय, अबकी बार हम जीतकर भी आए हैं और 11 लोगों को राजस्थान से साथ लेकर भी आए हैं। यह आप जानते हैं। आपने एमएसपी के लिए जो वादा किया था, उसको आपने कुछ बढ़ाकर बात कही है। हम चाहते हैं कि एमएसपी की पूरी खरीद हो और किसान को उसका हक और अधिकार मिले। आपने जो वादा किया है, आप उस वादे को निभाइए।

महोदय, अगर मैं किसान कर्ज माफी की बात करूं तो 30 जून, 2023 को इसी लोक सभा में जब आपकी सरकार ने मेरे सवाल का जवाब दिया था, उसमें किसानों के कर्जे की स्थिति बताई थी। वह बहुत चिंताजनक थी। केवल मेरे राजस्थान के किसानों पर 1 लाख 47 हजार 538 करोड़ रुपये का कृषि कर्ज बकाया है। इसलिए, मैं आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि किसानों की आर्थिक स्थिति को पटरी पर लाने के लिए राजस्थान सहित देश के सभी किसानों की कर्ज माफी करने का एक निश्चित रोडमैप बनाया जाए तथा ट्रैक्टर सहित कृषि उपकरणों को जीएसटी के दायरे से बाहर किया जाए।

महोदय, इन्होंने 15 लाख करोड़ रुपये धन्ना सेठों का माफ किया है। पिछली सरकार हो या कोई भी सरकार हो, मैं यह नहीं कह रहा हूं कि यह एक सरकार की बात है, लेकिन किसान कर्ज माफी की चिंता किसी ने नहीं की। अगर 15 लाख करोड़ रुपये धन्ना सेठों का माफ हुआ है तो 15 लाख करोड़ रुपये किसान का जो कर्ज है, वह संपूर्ण कर्ज माफ होना चाहिए।

महोदय, इस बजट में कृषि बजट और सरकार के स्पष्ट विजन का अभाव दिखा। यह पहले से थोड़ा-सा ज्यादा जरूर है। माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा कि किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ा जाएगा। इसलिए जरूरत पर आधारित 10 हजार इनपुट रिसोर्ट सेंटर के लिए 365 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। पिछले साल इसके लिए 459 करोड़ रुपये का प्रावधान था, लेकिन खर्च केवल 100 करोड़ रुपये ही हुए थे। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि आपके पास

प्राकृतिक खेती को व्यापक स्तर पर कामयाब उत्पादन प्रकिया के रूप में परखने का कोई पुख्ता पैमाना है? क्या इस विषय को लेकर आपने कभी देश के वैज्ञानिक समुदाय की राय ली है?

महोदय, आज भी मैं प्रधानमंत्री जी का भाषण सुन रहा था। अग्निवीर की तारीफ हो रही थी। अग्निवीर के खिलाफ अगर देश के अंदर कहीं आंदोलन हुआ तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने झंडे के साथ आंदोलन किया है। जोधपुर में 2 लाख युवाओं ने बड़ी रैली की। राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के किसान के बेटे हमेशा शहादत देते आए हैं। 20 हजार फीट ऊँची पहाड़ियों पर 50 किलो गोला-बारूद, एके-47 और एके-56 के साथ उन्होंने कारगिल के अंदर भी लोहा मनवाया है। लेकिन, अग्निवीर से हर कोई परेशान है। पंजाब के अंदर जब दो अग्निवीर शहीद हुए और जब उनका पार्थिव शरीर एम्बुलेंस से आया तो लोग अचंभित हो गए कि कौन आया और कौन नहीं आया। उनके लिए न पेंशन की व्यवस्था है और न उन्हें शहीद का दर्जा देने की बात की गई है। अभी प्रधान मंत्री जी हरियाणा का चुनाव हार गए और राज्यों के चुनाव में भी आपके जो कई कैंडिडेट्स हारे थे, उन्होंने कहा था कि अग्निवीर योजना की वजह से हारे हैं। अग्निवीर योजना को बंद किया जाए।

महोदय, मैं दो-तीन महत्वपूर्ण मुद्दों को रखकर जल्द ही अपनी बात समाप्त करूंगा। हम आपकी योजना का विरोध इसलिए कर रहे हैं, क्योंकि देश का जवान इसका विरोध कर रहा है। सेना का सम्मान कैसे हो? किस तरह से लोग शहीद होने के लिए जाते थे, हम रोज पढ़ते हैं, लेकिन अब लोग सेना में जाने से कतराने लगे हैं। मेरी मांग है कि अग्निवीर योजना को समाप्त करके पूर्व की भांति सेना भर्ती रैलियां हों।

महोदय, कौशल विकास और बेरोजगार के बारे में कहा गया है कि 20 लाख युवाओं के कौशल विकास के प्रावधान की बात कही है। आपने झुनझुना तो पकड़ा दिया, लकिन केंद्रीय नौकरियों में जो पद खाली हैं, उनको भरने के लिए आप आदेश दीजिए। आपने स्किल डेवलपमेंट की बात कही है। हरियाणा के बाद राजस्थान की बेरोजगारी दर सबसे अधिक है। इसलिए, मेरा एक सुझाव है कि केवल स्किल देने से हम रोजगार नहीं दे सकते हैं। हमें यह भी देखना होगा कि

क्या समय के साथ उसमें कोई बदलाव आया है? जो ट्रेनिंग सेंटर चल रहे हैं, क्या वे सब्सिडी या सरकारी सहायता से तो नहीं चल रहे हैं? जब वर्ष 2014 में एनडीए की सरकार बनी तब क्रूड ऑयल का क्या भाव था और आज क्या भाव है। क्रूड ऑयल सस्ता हुआ, बावजूद इसके पेट्रोल-डीजल की कीमतें आसमान छू रही हैं। पेट्रोल-डीजल की बढ़ती दरों का असर महंगाई पर पड़ रहा है। आज हालात क्या हैं? महंगाई बहुत है, लेकिन आपने बजट में मध्यम और निर्धन वर्ग की महिलाओं की तरफ ध्यान नहीं दिया है। आपने कमर तोड़ दी है। मैं चाहता हूं कि पेट्रोल-डीजल की कीमतें कम हों।

महोदय, मैं राजस्थान पर आ रहा हूं। मेरे राजस्थान राज्य को, जिस तरह से आपने बिहार और आंध्र प्रदेश को विशेष पैकेज दिया है, राजस्थान राज्य के अंदर भी विशेष राज्य का दर्जा, जिसके लिए जो मापदंड होते हैं, वहां चम्बल के बीहड़, अरावली की लंबी पर्वतमाला और विशाल रेगिस्तान और ट्राइबल बेल्ट है, इन तमाम स्थानों पर विपरीत हालातों में राजस्थान के लोग रहते है, आजादी के दशकों बाद गाँव और ढाणियों में शुद्ध पीने का पानी नही है।

आपने पढ़ा होगा कि 20-20 किलोमीटर पैदल मटका सर पर रखकर महिलाएं पानी लाती थीं। आज भी हम टांकों के अंदर बरसात का पानी इकट्ठा करते हैं। आजादी के 75 साल साल बाद भी आज बड़े विकट हालात राजस्थान के अंदर है। ट्राइबल बेल्ट में कुपोषण से भारत के अंदर भूख से मौतें हुईं हैं। गाँव के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को स्वास्थ्य सेवाओं सहित बुनियादी सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पाता है। मैं आपसे यह मांग करता हूं कि राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा दें। अगर आप विशेष राज्य का दर्जा नहीं दे पा रहे हैं, तो फिर आप राजस्थान को विशेष पैकेज दें। यह मेरी मांग है।

महोदय, आपने ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया है। जो ईस्टर्न के जिले हैं, भारत सरकार इसे राष्ट्रीय महत्व की परियोजना का दर्जा दे, लेकिन आपने दर्जा नहीं दिया है। मेरे संसदीय क्षेत्र नागौर सहित पश्चिमी राजस्थान के वे तमाम जिले, जिन्होंने अकाल के साए में अपना अतीत बिताया है और वे आज भी संघर्ष कर रहे हैं। वहां के खेतों में सिंचाई और लोगों के पीने के

पानी के लिए आप ईआरसीपी की तर्ज पर पश्चिमी राजस्थान में पश्चिमी राजस्थान नहर परियोजना (डब्ल्यूआरसीपी) की यहां से घोषणा करें। मैं आपसे ऐसी मांग करता हूं।...(व्यवधान)

आप देश में 'सौभाग्य योजना' लेकर आए और प्रत्येक ढाणी का विद्युतीकरण किया है। सौभाग्य की संशोधित योजना लाए, लेकिन उसमें पूरा बजट खर्च नहीं हो पाया था। आरडीएसएस विद्युतीकरण करें। सौभाग्य की संशोधित योजना आरडीएसएस आई है। इसमें मेरा सवाल है, जिसमें आपने बताया है कि नागौर, डीडवाना-कुचामन जिले के लिए 15,615 घरों में विद्युतीकरण के लिए 25.57 करोड़ रुपये दिए गए हैं। अगर मैं केवल मेरे संसदीय क्षेत्र की बात करूं, तो अभी के प्रावधान के अनुसार 45,000 रुपये तय किए हुए हैं। अगर 45,000 रुपये तक है, तो वह सरकार देगी। मेरी यह मांग है कि वहां बहुत ढाणियां हैं और वे दूर-दूर हैं, इसलिए 45,000 रुपये का राइडर हटाकर 80,000 रुपये तक किया जाए। इससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ मिलेगा।

श्रीमती हरसिमरत कौर बादल (भटिण्डा) : महोदय, मैं तो मांग करूंगी कि इस बजट का नाम बदलना चाहिए, क्योंकि यह देश का बजट नहीं है, यह सरकार बचाओ बजट है। यदि देश का बजट होता, तो फिर देश में 28 राज्य हैं और कितने सारे केन्द्र शासित प्रदेश हैं, सब मिलाकर लगभग 37 राज्य हैं, लेकिन पूरे बजट में केवल 9 राज्यों का ही नाम था। उसमें सबसे ज्यादा बजट तो उन दो राज्यों को मिला है, जिनके कंधे के सहारे यह सरकार चल रही है। यह देश का बजट नहीं है, यह सरकार बचाओ बजट है।

सबसे बड़े दुःख की बात तो यह है कि बजट में नैचुरल कैलेमिटीज और धर्म के नाम पर भी पक्षपात किया गया है। ऐसा तो मैं पहली बार देख रही हूं। बहुत अच्छी बात है कि आपने धार्मिक स्थानों - बोधगया, राजगीर, आपने जहां-जहां के लिए पैसा दिया है, बहुत अच्छी बात है। श्री दरबार साहिब अमृतसर पर रोज दो लाख लोग नतमस्तक होते हैं, उनको मुफ्त खाना मिलता है। वहां पर पूरी दुनिया और देश भर के लोग जाते हैं। जहां पर सारे दिन सबके भले की अरदास होती है, आपने उसका तो नाम तक नहीं लिया है।

अगर मैं नैचुरल कैलेमिटीज की बात करूं, तो आपने राज्यों को फ्लड रिलीफ फंड दिया है। बहुत अच्छी बात है। जैसे मेरे सहयोगी ने मुझसे पूर्व बोला कि हिमाचल प्रदेश से जो पानी आता है, आपने हिमाचल प्रदेश को पैकेज दिया है, लेकिन जब हिमाचल प्रदेश का पानी पंजाब में पहुंचकर पंजाब को डुबो देता है और तबाही मचाता है, तो आप पंजाब को क्यों भूल जाते हैं? जब पानी डैम में भर जाता है, तो आप डैम खोल देते हैं और हमारा पंजाब डुबा देते हैं। जब घग्गर रिवर का लेवल ऊपर हो जाता है, तो आप चुपचाप साथी राज्यों को बचाने के लिए बांध तोड़ देते हैं और हमारे गांवों को डुबा देते हैं। जब बाढ़ आती है, आपने उनको पैकेज दिया है, मैं उसके लिए आपके प्रति आभार प्रकट करती हूं, लेकिन हमारे राज्य के साथ क्या दुश्मनी है? क्या पंजाब की जनता, पंजाब के लोग, पंजाब के किसान और पंजाब का इन्फ्रास्ट्रक्चर सरकार के लिए मैटर नहीं करता है?

सर, हैरानी की बात है कि जब बाढ़ आती है, तो पंजाब सफर करे। जब पानी की कमी हो जाती है, तो फिर चाहे कांग्रेस पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, भाजपा हो, सारे इकट्ठे होकर षडयंत्र करते हैं कि एसवाईएल नहर बनाइए, ताकि पंजाब का पानी दूसरे राज्य में जाए। जब पानी कम होता है, तब तो आप हमारा पानी चुराना चाहते हैं। जब उसमें पानी ज्यादा हो जाता है, तब पंजाब को फ्लड में डुबा देते हैं।

सर, मैं आपसे यह भी बताना चाहती हूं कि तकरीबन 70 साल पहले कांग्रेस पार्टी की सरकार ने रिपेरियन सिद्धांत के खिलाफ हमारा पानी राजस्थान को दे दिया था। वे कहते थे कि एक साल में उस पानी की क्या कॉस्ट होगी, आपको डिसाइड करके मिलेगा। 70 साल के बाद भी आज तक डिसिजन नहीं हुआ है। हमारा जितना भी पानी रिपेरियन सिद्धांत के खिलाफ दूसरे राज्यों में जा रहा है, या तो उसको बंद किया जाए या हमें उसका पैसा दिया जाए। आज मैं आपके माध्यम से यह मांग करती हूं।

महोदय, मैं आपसे एक और मांग करती हूं कि सेन्ट्रल ग्राउंड वॉटर कहता है कि पंजाब के सारे ब्लॉक्स क्रिटिकल हो गए हैं। हमारे वेल्स का पानी और नीचे जा रहा है। आज की रिपोर्ट तो यह भी है कि टॉक्सिसिटी इतनी हाई है कि पानी पीने के लायक नहीं है। हम लोगों की तो मदद करनी चाहिए। इस पूरे बजट में मदद की बात तो दूर रही, हमारा नाम तक नहीं लिया गया है। मैं यह डिमांड करती हूं कि पंजाब को भी वह दिया जाए। अब मैं किसानों के बारे में बात करना चाहती हूं। आपने चार पिलर बोले थे - युवा, महिला, गरीब और किसान।

मैं किसानों के बारे में तो बोलना नहीं चाहती हूं कि कितने किसानों ने खुदखुशी कर ली है और शहीद हो गए हैं तथा आज तक धरने पर बैठे हुए हैं। अगर यह सरकार किसान हक की सरकार होती, जो कहती थी कि वर्ष 2022 तक हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे तो आप मुझे इतना ही समझा दें कि अगर पॉलिसीज़ इतनी अच्छी हैं तो वर्ष 2022-23 में एग्रीकल्चर ग्रोथ जो 4.7 थी, वह पिछले साल 1.4 क्यों रह गई?हकीकत यह है कि ये किसानों के दुश्मन हैं, किसानों के हिमायती नहीं है। आज आप महंगाई की मार देखिए कि 7-8 साल पहले 40 किलो का एक बीज

का बैग होता था, वह 800 से 1200 रुपये का था, जो अब 2000 रुपये हो गया, डीएपी की कीमत तीन गुना बढ़ गई, पोटाश 900 से 1700 रुपये हो गया, लेबर की कॉस्ट तीन गुनी हो गई, हार्वेस्टिंग की कॉस्ट तीन गुनी हो गई, मशीन रेंटल होती थी और डीजल 47 से 90 रुपये कर दिया। इनको किसान को रिलीफ देना चाहिए था। मनरेगा में जीरो इन्क्रीज है। लोग सोचते थे कि मनरेगा में अमाउंट या दिन बढ़ाएंगे, लेकिन उसमें जीरो है। क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम के अमाउण्ट में माइनस 2.6 की कटौती की गई है, यूरिया ससिब्डी में माइनस 7.4 की कटौती की है, न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी में माइनस 2.5 परसेट कटौती की, गरीब कल्याण योजना का बजट 3.3 परसेंट घटा दिया है, किसान सम्मान निधि का 10 परसेंट घटा दिया है और वर्ष 2018 से 2022 तक जितने फार्मर्स फसल बीमा योजना के अंडर कवर थे, सबका 8-9 परसेंट कट गया है।

सर, अगर मैं पंजाब की बात करूं तो पंजाब बेनिफिशियरीज़ पीएम किसान निधि में थे और आवास योजना में वर्ष 2018 से आवास घटते ही जा रहे हैं। मैं यह कहना चाहती हूं कि जो किसान देश का पेट भरता है, किसान सबसे ज्यादा योगदान पाता है, जिनकी वजह से आप इन 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन देते हैं, आप उस किसान के साथ दुश्मनी क्यों दिखा रहे हैं। मैं सरकार को अपील करती हूं कि स्वामीनाथन कमीशन की एमएसपी लीगल गारंटी C2+50% थी, उसको लागू करें। मैं दो-चार सजेशन देती हूं कि जब तक आप ऐसा नहीं करते हैं तो कम से कम भाव अंतर स्कीम लाइए। जिसकी एमएसपी पर नहीं बिक रही है तो जो बीच का रह जाता है, वह दें। आप एक फार्मर फ्रेंडली क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम लेकर आएं, जिसमें किसानों का फायदा हो, इंश्योरेंस कंपनी का फायदा न हो। किसानों के जो इम्प्लिमेंट्स हैं, आप इन पर जीएसटी खत्म कीजिए, ताकि किसानों का कुछ फायदा हो और उनकी फल सब्जियां बचें। अब मानसून आ रहा है। अब टमाटर के रेट कहां चले जाएंगे? अगर आप इम्प्लिमेंट्स में जीरो करें तो बहुत फायदा हो जाएगा।

सर, पंजाब की इंडस्ट्री के साथ की स्टेट्स को टैक्स इंसेंटिव देकर तबाह कर दिया, हमारी इंडस्ट्री भाग गई है। मैं इतनी विनती करती हूं कि सिंह साहब लुधियाना गए थे, जो वहां पर मंत्री बने बैठे हैं। वह लुधियाना गए थे, जहां पर उन्होंने एमएसएमई इंडस्ट्री को बोला था कि जो

अमेंडमेंट 43-बी है, जिसमें मेंडेंट किया जाता है कि 44 डेज़ में पेमेंट कीजिए, अन्यथा आपके टैक्स इंसेंटिव फोरफीट हो जाते हैं। इस बजट में वह नहीं किया गया है। जो हमारी साइकिल इंडस्ट्री है, जो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स इंडस्ट्री है, उसके लिए मैं आपको विनती करती हूं कि इंटरनेशनल बॉर्डर, पाकिस्तान के साथ वर्ष 2019 से हमारा वाघा बॉर्डर बंद कर दिया है, उससे बहुत नुकसान हुआ है। यह बॉर्डर खोला जाए। हमारे राज्य को बॉर्डर खोलकर कोई टैक्स इंसेंटिव साइकिल इंडस्ट्री और स्पोर्ट्स इंडस्ट्री को दिए जाएं, ताकि हमारे इधर का व्यापार बढ़े और नौकरियां भी बढ़े। मैं आखिर में यही कहना चाहूंगी कि कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी ने दस सालों में पंजाब के खजाने को लूटकर तबाह कर दिया है। हमारे छोटे से राज्य पर 3.4 लाख करोड़ रुपये का कर्जा चढ़ गया है और जीएसपीपी रेशियो 49 परसेंट हो गया है। आप इनको सजा देने के लिए आरडीएफ रोक देते हैं, हेल्थ मिशन का रोक देते हैं, लेकिन पंजाब के लोगों का क्या कसूर है?

सर, मैं आपसे विनती करती हूं कि हमारे पैसे को दीजिए। देश में जो अनएम्प्लॉइमेंट रेट है, उसका दोगुना हमारे यहां है। हमारा राज्य ड्रग एब्यूज से जूझ रहा है। पंजाब में औरतों का यह हाल है कि कुपोषण बढ़ गया है, एनीमिया बढ़ गया है। आंगनबाड़ी में जो राशन गरीब बच्चियों, लेक्टेटिंग मदर्स और प्रेग्नेंट मदर्स और बच्चों के मिलता है, वह आम आदमी की सरकार ने वेरका मिल्कफेड प्राइवेट आधारों से लेकर प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को दिया और लोगों को सब स्टैंडर्ण्ड चीजें देकर करोड़ों का घपला हो रहा है। सर, पैसे न रोकिए, बल्कि इनको पीनलाइज़ कीजिए, ताकि लोगों को अपना हक मिले। मैं यही कहूंगी कि सबसे हाइेस्ट एससी पॉपुलेशन 32 परसेंट पंजाब में है। पंजाब ग्रेनरी को सबसे ज्यादा योगदान देता है और हमने फ्रीडम स्ट्रगल में सबसे बड़ा योगदान दिया है। इस राज्य की मांगों को पूरी करके हमारे चण्डीगढ़ की राजधानी हमें दीजिए। हमारा पानी दूसरे राज्यों को जा रहा है, उसको रोककर उसकी रॉयल्टी हमें दीजिए, अन्यथा वे सारे फैसले रीवोक करके हमारा पानी पंजाब में रखिए। मैं आपसे यह विनती करती हूं। शुक्रिया।

*****DR. DHARAMVIRA GANDHI (PATIALA):** I thank you, Hon'ble Chairman Sir, for giving me the opportunity to speak on the Union Budget 2024-25. This is a budget of compulsion. This is a budget of a politically weak and unstable Government. This Budget ignores the federal structure of the Constitution. The interests of all other States except 2 States have been neglected.

Sir, all States had decided to join India as India has a federal structure. Punjab, Bengal, Tamil Nadu etc. have forsaken their identity and decided to join the Indian Union on the basis of federalism only. All States are to be treated as equal. The Constitution talks about Union List, State List and Concurrent List. In the last 10 years, many subjects belonging to State and Concurrent List have been removed from there and unilaterally put in the Union List. States are consistently being weakened financially. Centre has usurped all the powers of the States and States have been left with a begging bowl only. Except for Andhra Pradesh and Bihar, many other States are feeling ignored and marginalized. Their interests have been ignored.

Sir, the States contribute towards strengthening the G.D.P. of the country. Revenue is generated by the States. All natural resources and mines etc. are located in States. But States are being weakened consistently and their rights are being usurped by the Centre.

Sir, this Budget does not even mention Punjab. Punjab was at the vanguard in the freedom struggle. Maximum number of martyrs belonged to Punjab. A lot of sacrifices were made by Punjabis for protecting the country.

---

* English translation of the speech originally delivered in Punjabi.

During all wars, Punjabis were at the forefront. There were martyrs in a majority of villages of Punjab. When India was facing famines in the 1970s, Punjab became the harbinger of Green Revolution. India was importing foodgrains at that time from rich and developed countries. But, Punjab made India self-sufficient in foodgrains production. All credit goes to the farmers of Punjab. We had to suffer as our soil got degraded. Our air was polluted. Our river-water became polluted. Punjab needed Central help. But, no help was provided to Punjab. Agro-based industries were not provided to Punjab. Our industries in Batala, Gobindgarh etc. fled Punjab because H.P. and Haryana were given special industrial packages. The industries of Punjab migrated to neighbouring States in search of greener pastures.

Our youths are feeling frustrated. All avenues of youth for progress are blocked. So, drugs have become rampant in Punjab. Our youths are addicted to drugs. Others are migrating to foreign countries in search of better avenues.

Sir, India is a country dependent on agriculture. The farmers of Punjab made supreme sacrifices. They protested against black laws on the roads of Delhi. 750 farmers became martyrs to protect the interests of farmers. They wanted MSP for foodgrains to be given legal guarantee. The Government has not made any provisions regarding this in the Budget. Sir, Adani and Ambani are corporates who are friendly with the Central Government. They want to capture the millions of rupees worth of market of foodgrains production and storage. Farmers are being made scapegoats due to this reason. This budget

does not give any MSP guarantee to farmers. Their loans have not been waived off.…(*Interruptions*)

Sir, let me conclude. I urge the Government to provide a legal guarantee for MSP of foodgrains. The loans of farmers must be waived off. The daily wages of MNREGA Scheme should be increased. The number of days of this Scheme should also be increased. Also, 20 lakh Government jobs must be filled. And old pension scheme must be implemented.

Thank you.

DR. M. P. ABDUSSAMAD SAMADANI (PONNANI): Thank you, Sir, for permitting me to speak in this discussion on the Budget.

When we say that this Budget has failed to address the crucial issues confronting the nation and its economy, it is not a mere saying but an open fact. Even the inflation, which has severely affected the common people, has not been seriously addressed through this Budget. It is regretful that even after the eye-opening setback in the elections, the Government is not ready to open its sight and see the reality with neutrality. Here I would like to say:

“आँखें अगर हैं बंद तो दिन भी रात है,
इसमें भला कसूर क्या है आफताब का।”

Sir, this is the position. The Government has to open its sight to see the reality straightly.

Sir, this Budget is a sign of the changed political landscape and the fractured verdict that the last Lok Sabha Elections have given to this Ruling Party. The verdict was against the single-party majority syndrome of the Ruling Party. That is why, we can understand that alliance is very crucial for the survival of the Government. But sacrificing the interests of the majority of the States for pleasing a few States will go against the principles of democracy and federalism. In our system, our fairness is directly linked with federalism. Federalism means equality, neutrality, plurality, vividity which is there in the politics of the country, in the culture of the country, and in every sphere of our national life.

Sir, a tree can become a tree only with leaves, and it should give shadow to everybody who comes under it. While thinking of this Government's policy, I am reminded of a couplet:

इन पेड़ों को क्या यारों पेड़ कहा जाए,

जो धूप की शिद्दत में भी छाया नहीं करते।

Even in the heat of the summer, this Government is not ready to give its shade to other States. It is not ready to see all the States neutrally. Not only that, but also it has become a leafless tree,

कट चुके जिन दरख्तों के पत्ते,

फिर कहां उनके साये हुए हैं।

That is the position of this Government. The disability to look beyond one State in the North and another State in the South is the sign of a failed-governance, and also of utter unfairness. For example, many States are neglected and so is my State of Kerala.

Sir, I would urge the hon. Finance Minister to see what the hope Kerala had and what has been given to it. Kerala deserved everything. It expected and hoped for a little, but got nothing. That is our position. Kerala was neglected. Similarly, the minorities, backward communities, farmers, youths, women, and the middle-class did not get the due consideration, which they deserve. I would like to emphasize the point that this Budget is divisionary, diversionary and discriminatory. It is the divisionary policy, it is the discrimination, that leads to a kind of economic boycott.

The hon. Finance Minister referred to 'inclusion' several times. Once the hon. Finance Minister mentioned - विकास भी, विरासत भी । विरासत क्या है? Our heritage is the heritage of plurality. It is not of singular polarity. Even in the on-going *Kanwar Yatra*, the policy adopted by the rulers of those States was against the very spirit of our Constitution; it was against the *Virasat* that we have got. Even the Supreme Court had to intervene into the matter and issue a stay order to stop the States from implementing that directive which was asking to display the identity of the shopkeepers.

Sir, even the other day, one Head Constable, Ashik Ali jumped into the river to save a young *Kavwaria* named Monu Singh, a 21-year-old boy. Ashik Ali jumped courageously with a human spirit and selfless courage. This is our v*irasat*. This is our Indian society. But what is going on against this? This has to be checked. There are many such incidents. So, the *virasat* is *amnoaman*, पयाम-ए-मोहब्बत । हम पयाम-ए-मोहब्बत आम करते ही रहेंगे against all the kinds of hatred and divisionary agenda.

Sir, let me talk about the minorities, the backward communities and the middle class. The Government thinks that the middle-class should be taxed, taxed and taxed. Actually, the middle-class should be considered as a powerful engine of growth.

Sir, what is the essential need of farmers today in the country? At the very outset, the hon. Finance Minister was mentioning about research. Research is good. We all appreciate it. But is research the preliminary need of the Indian farmers? The preliminary need of the farmers is the legal guarantee

on MSP. In a country where youths share the largest part of the population, where millions of college-educated youths are there, job creation should be the primary agenda of that country.

At least one relief is there that the Government has started identifying that there is a problem of jobs in the country. With regard to women's rights, I would say that there were schemes sanctioned for ensuring jobs for them, but even those schemes have been reduced.

Sir, the solution lies not in giving subsidies to the corporate sector, but in creating the demand. The sources of demand are private consumption, investment and export. So, these things have to be taken into consideration.

While concluding, I would like to request the hon. Finance Minister that there should be equal rights for all the States, including my State of Kerala. The Union Government should be neutral, and it should respect the principles of pluralism and federalism.

Thank you.

श्री विष्णु दयाल राम (पलामू) : सभापति जी, आपने मुझे वर्ष 2024-25 के बजट पर बोलने का अवसर प्रदान किया है, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मैं माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी का भी आभारी हूं, जिन्होंने देश के यशस्वी प्रधान मंत्री आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में 7वीं बार एक ऐतिहासिक बजट पेश किया है।

सभापति महोदय, वर्ष 2024-25 के बजट को सम्पूर्णता में देखने की आवश्यकता है। 1 फरवरी, 2024 को इस सदन में अंतरिम बजट पेश हुआ था, तब से अब तक 5 महीने से ज्यादा की अवधि गुजर चुकी है। बहुत सारी योजनाओं पर प्रशासनिक स्वीकृति मिल चुकी है। उन योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए धनराशि का भी आवंटन किया जा चुका है।

सभापति महोदय, यदि वर्ष 2014 से आज के बजट की तुलना करें तो पाते हैं कि बजट का आकार बढ़ा है, बजट का साइज बढ़ा है। इकोनॉमी फॉर्मल से इनफॉर्मल की ओर बढ़ी है। साथ ही साथ जीएसटी की शुरुआत हुई और टैक्स कलैक्शन में बढ़ोतरी हुई। यूपीए के समय में जो डायरेक्ट टैक्स कलैक्शन 6.38 लाख करोड़ रुपये था, वह वर्ष 2024 में बढ़कर 23.37 लाख करोड़ रुपये हो गया है। यह टैक्स कलैक्शन यूं ही नहीं बढ़ा है। इसके लिए प्रोसीजरल रिफॉर्म हुआ है। आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में केन्द्र की एनडीए सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट वर्ष 2024-25 सर्वस्पर्शी, सर्वसमावेशी, गरीब, युवा, महिला, अन्नदाता के कल्याण के साथ-साथ उद्योगों और इंडस्ट्रीज को भी मजबूती प्रदान करने वाला है। इस बजट में मातृशक्ति के बढ़ने के लिए पूरा-पूरा खुला मैदान है। कृषि और किसानों की खुशहाली का भी आधार इस बजट में है। इसमें नौजवानों को आगे बढ़ने के लिए खुला आसमान है और गरीबों के चेहरे पर लाने वाली मुस्कान भी है। यह बजट भारत की ऊर्जा से ओत-प्रोत और रोजगार सृजन के प्रति समर्पित है। पिछले 10 वर्षों में देश के प्रधान मंत्री जी ने एक ऐसी व्यवस्था कायम की, जिसके माध्यम से लाभार्थियों को उनके खाते में बिना बिचौलियों के हस्तक्षेप के जितना पैसा जाना था, उतना पैसा पहुंचा है।

पिछले 10 वर्षों में करीब-करीब 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से बाहर आये। पीएलआई स्कीम में 'मेक इन इंडिया' ने हमारे निर्यात को काफी आगे बढ़ाया है। निर्यात के क्षेत्र में देश लगातार रेकॉर्ड कायम कर रहा है। पिछले 10 वर्षों में हमारी अर्थव्यवस्था फॉर्मल इकोनॉमी की ओर अग्रसर हुई है। डिजिटल इंडिया से न केवल देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली है, बल्कि इसकी वैश्विक छाप भी पड़ी है।

माननीय सभापति महोदय, इस बजट की नौ प्राथमिकताएं हैं। उन प्राथमिकताओं को गिनाने की आवश्यकता नहीं है। सभी लोगों ने उन प्राथमिकताओं को देखा होगा, उन पर गौर किया होगा। अभी किसानों की बात हो रही थी। सरकार के द्वारा इस दिशा में क्या कार्रवाई की गई है, उस पर भी काफी चर्चा हो रही थी।

महोदय, जलवायु परिवर्तन का पूरे विश्व भर में असर पड़ा है, खासकरके खेती पर इसका बेहद असर पड़ा है। पहली बार हमारी सरकार ने उत्पादकता बढ़ाने के लिए और जलवायु के अनुकूल किस्मों के विकास के लिए कृषि अनुसंधान व्यवस्था की व्यापक समीक्षा करने की बात कही है। मेरा संसदीय क्षेत्र पलामू है, इसलिए इस बात की महत्ता को शायद और कोई उतना न समझे, जितना मुझे समझने का अवसर मिला है। मेरा क्षेत्र इन-शैडो एरिया में पड़ता है। वहाँ वर्षा बिल्कुल नहीं के बराबर होती है। कभी वर्षा होती है, तो इतनी ज्यादा हो जाती है कि फसल उगाना मुश्किल हो जाता है। यह जलवायु परिवर्तन का ही लक्षण है, जलवायु परिवर्तन का ही प्रभाव है। ऐसे में, यदि सरकार के द्वारा, जो सरकार अपने को किसानों की हितैषी कहती है, उसके लिए काम करती है, इस प्रकार की व्यवस्था की जाती है, तो मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप से यह एक प्रशंसनीय कदम है। इसकी प्रशंसा होनी चाहिए।

जलवायु के अनुकूल 109 किस्में उगाई जाएंगी और उनके संबंध में अनुसंधान किया जाएगा। अगले दो वर्षों में एक करोड़ किसानों को जैविक खेती से जोड़े जाने का प्रावधान है। उसमें सर्टिफिकेशन और ब्रांडिंग का भी प्रावधान है। इसके साथ-साथ, पल्सेज और ऑयल सीड्स की उत्पादकता बढ़ाने, उनके भण्डार और उनके लिए बाज़ार की व्यवस्था की बात भी बजट में कही

गई है। मुख्य कंज्यूमर सेंटर्स में वेजिटेबल क्लस्टर्स की स्थापना की बात भी कही गई है। सिम्स के फार्मिंग के बारे में पहली बार बात की गई है। सिम्स की फार्मिंग के साथ-साथ, उनके प्रॉसेसिंग के लिए और उनको एक्सपोर्ट करने के लिए भी इस बजट में बात कही गई है।

इस बजट में एक नैशनल को-ऑपरेशन पॉलिसी बनाने की बात भी की गई है। इस साल एग्रीकल्चर और एलाइड सब्जेक्ट्स के लिए 1.59 लाख करोड़ रुपए का भी प्रावधान किया गया है।

रोजगार सृजन और कौशल प्रशिक्षण के लिए भी कतिपय योजनाओं की चर्चा की गई है। फर्स्ट टाइमर्स के लिए एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव्स, मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर्स में जॉब क्रिएशन के लिए और एम्प्लॉयर को भी इंसेंटिव देने की बात कही गई है। इसके अतिरिक्त, 20 लाख युवाओं को 5 वर्ष की अवधि में राज्य सरकारों एवं इंडस्ट्रीज की सहायता से कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। एक हजार आईटीआईज़ को अपग्रेड किया जा जाएगा। इसके अलावा, एक करोड़ युवाओं को 500 टॉप कम्पनीज़ के साथ इंटर्नशिप करने की व्यवस्था की गई है। इस इनटर्नशिप के दौरान उन्हें पांच हजार रुपए का मासिक वेतन भी दिया जाएगा और छ: हजार रुपए भी एकमुश्त देने की बात कही गई है।

कामगारों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की भी चर्चा की गई है। कार्य स्थल पर महिला होस्टल और शिशु-गृह बनाने की बात भी कही गई है। कौशल प्रशिक्षण के लिए 7.50 लाख रुपए के ऋण की सुविधा भी प्रदान करने की बात कही गई है। घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए दस लाख रुपए के ऋण का भी प्रावधान किया गया है। इस वर्ष रोड इनफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए 2.6 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

सभापति महोदय, 'पूर्वोदय स्कीम' की जो चर्चा बजट में की गई है, उस पर बहुत सारे सदस्यों ने अपने-अपने ढंग से अपने विचार व्यक्त किए हैं। मैं झारखंड राज्य से आता हूं, जो पहले बिहार का पार्ट हुआ करता था। बिहार के बारे में आपने सुना होगा, 'बीमारू राज्य' का शब्द ढूंढ़ा

गया था कि जो बीमारू राज्य हैं, जिनमें बिहार है, मध्य प्रदेश था, राजस्थान था और जिनमें उत्तर प्रदेश था। … (व्यवधान)

सभापति महोदय, मुझे एक-मिनट का और समय दीजिए, मैं अपनी बात जल्दी समाप्त कर देता हूं। उस समय बिहार के लोगों को कितनी पीड़ा होती थी, शायद इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। उस समय भी बिहार की बीमारी को दूर करने की कोई कोशिश नहीं की गई। उस समय बिहार के विकास के बारे में कोई बात नहीं कही गई। आज जब बिहार के विकास की बात कही जा रही है, तो दूसरे लोगों को क्यों पीड़ा हो रही है? वे तो उन्नत हैं, हम तो मुख्य धारा में जुड़ने के लिए कोशिश कर रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में मैं नहीं समझता हूं कि इस पर बहुत ज्यादा विवाद होने की आवश्यकता है। आप अपने राज्य के लिए जरूर मांग कर सकते हैं, आप मांग कीजिए, लेकिन यदि बिहार को कुछ मिला है, तो उसके लिए प्रतिवाद क्यों कर रहे हैं?

माननीय सभापति : श्री विष्णु दयाल राम जी, अब आप समाप्त कीजिए।

… (व्यवधान)

श्री विष्णु दयाल राम : सभापति महोदय, मुझे तो जम्मू और कश्मीर पर भी बोलना है। …(व्यवधान)

माननीय सभापति : आप एक मिनट में अपनी बात समाप्त कीजिए।

… (व्यवधान)

श्री विष्णु दयाल राम : अनुच्छेद 370 के खत्म होने के बाद, यह मैं इसलिए कह रहा हूं, क्योंकि मैं एक पुलिस अफसर था, जैसा कि आप जानते हैं। इसलिए, इसकी चर्चा मैं कर रहा हूं और आपसे मैंने एक मिनट का एक्स्ट्रा समय मांगा है।

जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 समाप्त होने के बाद सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता वहां के लोगों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना थी। उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता थी। जम्मू कश्मीर को आतंकवाद से मुक्त करने के लिए जीरो-टॉलरेंस पॉलिसी सरकार ने अपनाई। सुरक्षा उपायों को मजबूत किया। आतंकवादियों के प्रयासों और

क्षमताओं को बेअसर करने के लिए कार्यवाही की। युवाओं को आतंकवाद से दूर रखने के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करने की कार्यवाही की और उन्हें मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास किया।

सभापति महोदय, सीमा पार से घुसपैठ को रोकने के लिए भी मल्टी परपज़, multipronged स्ट्रैटिजी अडॉप्ट की गई। पत्थरबाजी और संगठित हड़ताल बिलकुल समाप्त हो गई। यदि आप आंकड़ों पर गौर करेंगे, तो वर्ष 2018 में 228 आतंकवादी घटनाएं हुईं, जबकि वर्ष 2023 में केवल 46 हुईं। मुठभेड़ की घटनाएं वर्ष 2018 में 189 हुईं, जबकि वर्ष 2023 में 48 हुईं। वर्ष 2018 में जितने सुरक्षा बल मारे गए, उनकी संख्या 91 थी और वर्ष 2023 में जो सुरक्षा बल के जवान शहीद हुए, उनकी संख्या 30 थी। … (व्यवधान)

माननीय सभापति : अब आप समाप्त कीजिए।

… (व्यवधान)

श्री विष्णु दयाल राम : इन सुरक्षा के उपायों के कुछ महत्वपूर्ण परिणाम सबके सामने आए हैं। जन-जीवन सामान्य हो गया है, सभी स्कूल, अस्पताल और सेवाएं खुली हैं। कश्मीर में पर्यटकों की संख्या बढ़ी है। जी 20 पर्यटन समूह की बैठक सफलतापूर्वक श्रीनगर में संपन्न हुई है। लाल चौक अब उत्सव का गवाह बन रहा है, अब वह लोगों से भरा पड़ा रहता है, जहां कभी लोग जाया नहीं करते थे। संघ राज्य क्षेत्र में जम्मू कश्मीर के पांच संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से एक और मतदान के साथ समाप्त हुए हैं।

आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

15.00 hrs

SHRI BALWANT BASWANT WANKHEDE (AMRAVATI): *Hon. Chairperson, thank you very much for giving me this opportunity to speak in this august House. I would also like to thank my Congress Party, MVA and people of my Amravati Constituency. Everybody in this House is asking whether this Budget is meant for the entire country or it is only for a few States.

This is quite visible too. The Chief Minister of Maharashtra Shri Eknath Shinde and Ajitdada Pawar have made a big sacrifice to secure power in the name of Mahayuti. But that sacrifice is completely ignored while preparing this Budget. Maharashtra is the largest contributor in GST collection, but we have received not a single penny. Our Finance Minister tried to show that this Budget is meant for the poor women, farmers and youth but she lacks genuineness. She tried to paint a rosy picture but in vain. Our farmers have to suffer a lot and she is busy playing with the numbers. We regard farmers as 'Annadata' but this is a mockery indeed. Both the Union and the State Governments are playing with their emotions. This Government had promised to double the income of farmers to provide remunerative prices to their produces. But the farmers are still committing suicides in Maharashtra in large numbers. Around 557 farmers have committed suicide in Vidarbha region. In my constituency, 170 farmers committed suicide in the last six months because they are not fetching remunerative prices for the crops like cotton and soyabean. In the year 2014, he was getting around Rs. 10,000, but today he

.... English translation of this part of the speech was originally delivered in Marathi.

gets only Rs. 7,000 per quintal for cotton. For soyabean, earlier it was Rs. 6,000 but today it is only Rs. 4,000 per quintal. We lack the irrigation facilities too. The irrigation projects are still incomplete in Vidarbha region which were started during Dr. Manmohan Singh's regime.

Sir, there are rampant cases of papers leak in Maharashtra too. The students keep on appearing for exams but nobody is ready to take the responsibility. The Union and the State Governments avoid to talk about the old pension scheme. OPS is much needed for the survival of pensioners' family.

Sir, around 30 per cent posts are vacant in the Health Department. Mother and child mortality rates are still very high in my Melghat region. These deaths should be stopped immediately.*

महोदय, कारण यह है कि ये इमारतें, सड़कें, पुल बनाए हैं। क्या इनका जिक्र करते-करते ये अपने आपको भूल तो नहीं गए क्योंकि जो देहात है, उसका विकास होना चाहिए।

Sir, if we want to develop infrastructure, it should be done in a proper and logical manner. Sir, I am also concerned about the budget deficit. We should work together for the overall development of our country. जब तक सूरज चांद रहेगा, हिंदुस्तान तेरा नाम रहेगा।

*The MSME sector contributes around 30 per cent to our GDP and also it provides employment to around 11 crore people. But unfortunately, there is no special provision for it in this Budget. This sector had to suffer a lot due to demonetization of 2016 and corona pandemic in 2020. On one hand, you are

---

.... English translation of this part of the speech was originally delivered in Marathi.

spreading education, but on the other hand you are shutting down the schools. I doubt our next generation would be illiterate possibly. Hence, I demand that sufficient funds should be allocated for the education sector too. *

महोदय, दिनांक 25, जून 2075 को आपातकाल घोषित हुआ था। इसकी जानकारी आने वाली पीढ़ी को होनी चाहिए, यह बताने के लिए केंद्र सरकार ने 25 जून को 'संविधान हत्या दिन' मनाया। उसका नोटीफिकेशन भी निकला। गैजेट में दिया गया। मेरी राय है कि यह फैसला राष्ट्रीय हित में नहीं है। संविधान का हत्या दिवस, यह संकल्प, यह विचार असंवैधानिक है। यह नकारात्मक विचार है। क्या कभी हत्या का सैलिब्रेशन होता है? आप हत्या का सैलिब्रेशन मना रहे हैं। यह उचित नहीं है। इससे आपस में दरार पड़ेगी। संविधान अमर है और संविधान अमर रहेगा। बार-बार हमारे प्रधान मंत्री संविधान को माथा टेकते हैं। ...** यह उचित नहीं है। यह जो दिन मनाया है, इसे वापस लेने के लिए मैं आज सरकार से विनती करता हूं।

माननीय सभापति : आपने प्रधान मंत्री जी के लिए जो शब्द कहे हैं कि ... ** ये शब्द वापस लिए जाएं, रिकार्ड से हटा दिए जाएं।

आप कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री बलवंत बसवंत वानखडे : सभापति जी, माननीय सदस्या बोल रही थीं। आज सरकार जो बेच रही है, वह कांग्रेस की देन है। जिस स्कूल में वे पढ़ी हैं या उनके परदादा जिस स्कूल में पढ़े हैं, वह कांग्रेस की देन है। बार-बार यह पूछते हैं कि कांग्रेस ने 60 साल के शासन में क्या किया, यह उसका उत्तर है।

सभापति जी, यह एससी, एसटी और बहुजन का बजट नहीं है। इस बजट में इन लोगों को बाहर रखा गया है, इसलिए मैं इस बजट की निंदा करता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।

** Expunged as ordered by the Chair.

श्री छोटेलाल (राबर्ट्सगंज) : सभापति महोदय, वर्ष 2024-2025 के बजट पर आपकी ओर से बोलने का मौका मिला है और समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव जी की तरफ से समय मिला है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूं।

महोदय, एनडीए और भाजपा के कुछ सदस्य अभी बहुत कुछ बोल रहे थे, 'नाल मढ़ा रहे थे' कि हम किसानों के बहुत हितैषी हैं। दस सालों से केन्द्र में उनकी सरकार है और समस्या वहीं की वहीं पड़ी रह गयी है। युवा बेरोजगार है, पेपर्स लीक होते हैं और ये कहते हैं कि वे किसानों के हितैषी हैं। ये कैसे हितैषी हैं? इस बजट में युवाओं के लिए कुछ नहीं है, गरीब, दलित, आदिवासियों के लिए कुछ नहीं है। सरकार की ओर से यह कहा गया था कि हम 2 करोड़ नौकरी देंगे। दस सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है। हमेशा यही होता है कि कुछ नहीं होता है। यह बजट 'सरकार बचाओ' बजट है। यह बजट किसानों के लिए गारंटी नहीं है। राज्य को चिह्नित कर बजट आवंटन किया जाता है।

महोदय, हमारे संसदीय क्षेत्र सोनभद्र, राबर्ट्सगंज, चन्दौली के चकिया, नौगढ़ इत्यादि तमाम जगहों के जो ब्लॉक हैं, तहसील हैं, वहां पर कोई ऐसा कॉलेज नहीं है जहां गरीबों के बच्चे, आदिवासियों के बच्चे अपने घर-दुआर, परिवार में रहकर आई.ए.एस., पी.सी.एस. बन सकें, दारोगा बन सकें, बी.डी.ओ. बन सकें। सभी लोग अपने-अपने संसदीय क्षेत्र के बारे में यह सोचें कि आज़ादी के 76 सालों के बाद भी लोग किस परिस्थिति में जी रहे हैं।

महोदय, किसानों की बात करने वाले क्या यह बताएंगे कि जिस जिले में बारिश नहीं हो रही है, वहां 'सूखा' घोषित करेंगे? कई जगहों पर बाढ़ आई हुई है, लेकिन हमारे संसदीय क्षेत्र रॉबर्ट्सगंज, सोनभद्र में सूखा पड़ा हुआ है। इतना ही नहीं, वहां पीने के पानी की भी बहुत परेशानी हो रही है।

सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि गरीबों को जैसे कोटा का राशन मिलता है, वैसे ही किसानों को अंगूठा लगवाकर लाइन में खड़ा कराया जाता है और तब भी उन्हें खाद, बीज नहीं मिल पाते हैं। उन्हें बहुत परेशानी हो रही है और आप कहेंगे कि आप किसानों के हितैषी हैं। वह

उन्हें इसलिए नहीं मिलता है कि वहां सर्वर डाउन रहता है। वहां 200-300 किसान उसके लिए अंगूठा लगाकर बैठे रहते हैं और उन्हें खाद नहीं मिल पाती है और इसके कारण वे रोपनी नहीं कर पाते हैं।

सभापति महोदय, सोनभद्र, चन्दौली और अन्य जिलों में 'सूखा' घोषित कर किसानों से ऋण वसूली रोका जाए और कम ब्याज पर उन्हें पैसे देकर उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारा जाए। अपने को किसानों के हितैषी बताने वाले एनडीए गठबंधन के लोग क्या यह करेंगे? वे ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि ये लम्बी-लम्बी बातें करते हैं।

अभी हमारे बिहार के '…*' चाचा की पार्टी के ललन सिंह जी बोल रहे थे।… (व्यवधान) हम आपसे कहना चाहते हैं कि एक बार इसकी गारंटी तो दे दीजिए। आप गारंटी क्यों नहीं देते हैं?… (व्यवधान)

माननीय सभापति: माननीय सदस्य ने जो '…*' शब्द यूज किया है, इसको हटा दिया जाए।

श्री छोटेलाल : सभापति महोदय, मैंने एक शेर लिखा है। इसे अपने को किसानों के हितैषी बताने वाले एनडीए के, भारतीय जनता पार्टी के लोग ध्यान से सुनें -

जो मुफ्त शिक्षा, दवा मुफ्त देगा,
किसानों को एमएसपी गारंटी करेगा,
देगा समय से बिजली, खाद, पानी,
वही तो किसानों का नेता रहेगा,
वही तो किसानों का नेता रहेगा।

महोदय, युवा बेरोजगार है, लाचार है, गरीब परेशान है। सभी लोग समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव की तरफ देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार जाने वाली है और अखिलेश भैया आने वाले हैं।

---

* Not recorded as ordered by the Chair.

महोदय, मैं बहुत कुछ नहीं बोलूंगा। जय समाजवादी पार्टी, जय अखिलेश, जय उत्तर प्रदेश।

श्री राजेश रंजन (पूर्णिया): सभापति महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं पहले कुछ आंकड़े आपके समक्ष रखूंगा।

वर्ल्ड इनइक्वेलिटी डेटाबेस के ताज़ा रिसर्च के मुताबिक भारत में असमानता अपने सौ सालों के शिखर पर पहुंच चुकी है।

भारतीय रिज़र्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन कहते हैं कि भौतिक पूंजी पर ज़ोर देने के साथ-साथ मानवीय पूंजी के निर्माण पर ध्यान देने की ज़रूरत थी, जिसको नहीं दिया गया। आर्टिफिशल इंटेलिजेंस की दुनिया का सामना करने के लिए तैयार होना चाहिए।

प्रथम फाउंडेशन की प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक 14 से 18 साल की उम्र वाले एक चौथाई बच्चे साधारण से लिखे हुए वाक्य भी नहीं पढ़ पाते हैं, आज के इस हिन्दुस्तान में।

कोविड-19 के बाद स्वास्थ और एजुकेशन पर सबसे ज्यादा यदि किसी को झटका लगा है तो वह बच्चों को लगा है।

बहुत व्यापक स्तर पर मोदी सरकार अपनी पूर्ववर्ती यूपीए-2 से पीछे रह गई है। जीडीपी के हिस्से के रूप में लगभग छह प्रतिशत का घाटा हुआ है।

मेक इन इंडिया में विफल होने का कारण राज्य के नेतृत्व वाले विकास मॉडल के बजाय सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल पर बहुत अधिक निर्भर करना है।

आज की स्थिति में शेयरों को भी देखा जाए तो सार्वजनिक क्षेत्र की दिग्गज कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम के शेयरों को भी लोगों के लिए खोला गया, जिसकी आरंभिक सार्वजनिक पेशकश 21,000 करोड़ रुपये थी।

भारत के कार्यबल का 20 प्रतिशत ही औपचारिक रोज़गार से जुड़ा हुआ है। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक साल 2000 में जहां देश के बेरोज़गारों में पढ़े-लिखे नौजवानों की तादाद 54.2 प्रतिशत थी, वहीं वर्ष 2022 में बढ़ कर 65.7 प्रतिशत हो गई है।

उसी तरह से 'मेक इन इंडिया' के माध्यम से भारत को दुनिया के सबसे बड़े कारखाने में तब्दील करने की बात थी, जिसमें 25 अरब डॉलर मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स बनाने वाली कंपनियों को भारत सरकार के द्वारा दिया गया।

ये सब आंकड़े मेरे नहीं हैं, बल्कि भारत सरकार के हैं।

लगभग 40 प्रतिशत श्रमिक कृषि क्षेत्र में काम करते हैं और केवल 20 प्रतिशत विनिर्माण नौकरियों या आईटी जैसी व्यावसायिक सेवाओं में काम करते हैं। यह जो 40 प्रतिशत मज़दूर है, दस सालों में इसके लिए कोई काम वर्तमान सरकार ने नहीं किया है। खास कर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के संदर्भ में जितनी नियोजित प्राइवेट नौकरियों की बात इस बजट में आई है, वर्तमान सरकार निजी क्षेत्र में आरक्षण को ले कर गंभीर नहीं है। जब आपने सरकारी नौकरी ही खत्म कर दी हैं, तो वहां भी आरक्षण नहीं रहेगा।

बजट में ओबीसी वर्ग की राह में कठिनाई है। छात्रों की प्री-मीट्रिक स्कॉलरशिप 210 करोड़ रुपये, पोस्ट मीट्रिक स्कॉलरशिप लगभग 921 करोड़ रुपये है। नेशनल फेलोशिप 55 करोड़ रुपये, विदेशी शिक्षा की सब्सिडी स्कीम के लिए 25 करोड़ रुपये तथा छात्रावास योजना के लिए 45 करोड़ रुपये अनुमानित रखा गया है। मतलब वर्ष 2024 के बजट अनुमान में सरकार ने पिछड़े वर्ग के छात्रों और अनुसूचित जनजाति के छात्रों की उच्च शिक्षा के विकास के लिए पैसा कम कर के बहुत घटा दिए हैं।

एक तरफ आप अत्यंत पिछड़ा वर्ग, ओबीसी, एससी और एसटी के आरक्षण को खत्म कर रहे हैं, दूसरी तरफ उनकी इकोनॉमी को भी खत्म कर रहे हैं। एससी, एसटी और ओबीसी के जो बच्चे विदेश जा रहे थे, उनके पैसे को आपने लगभग तीन हिस्से कम कर दिया। इसके बारे में मेरा कहना बिल्कुल साफ है।

सभापति महोदय, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, आप इसको समझने का प्रयास कीजिए। यह सबसे ज्यादा एजुकेशन, हेल्थ, मनरेगा और विडो पेंशन के बारे में है। विडो के बारे में जो पेंशन हैं, वह विधवा पेंशन है, वृद्धा पेंशन है, निशक्त पेंशन है। मैं सरकार से जानना चाहूंगा कि आप कब

तक उनको 300-400 रुपये देंगे? क्या इनका वृद्धा पेंशन एक हजार रुपया से दो हजार रुपये तक नहीं बढ़ना चाहिए। दूसरी चीज, मनरेगा जिस पर हमारे मजदूर निर्भर हैं, मनरेगा को आपने कितना कम बजट दिया है, इसको आप देख लीजिए।

महोदय, जो हेल्थ सेक्टर है, ग्रामीण स्तर पर जैसे कैंसर है, ब्रेन ट्यूमर है, हार्ट की समस्या है, जो संक्रमण की बीमारी है, इनके खर्च को ओबीसी, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, दलित और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग वहन नहीं कर सकते हैं। बजट में क्या इनके लिए ऐसी किसी योजना का प्रावधान किया गया है? आपकी आयुष्मान योजना असफल है। क्या आपने ऐसी कोई योजना बनाई है, जिसमें कैंसर, हार्ट की समस्या, ब्रेन ट्यूमर का इलाज फ्री हो सके। दवाई की कीमत में लगातार वृद्धि हो रही है। ग्रामीण स्तर पर किसी भी अस्पताल की स्थिति ठीक नहीं है। वहां डॉक्टर नहीं हैं।

महोदय, 67 प्रतिशत अस्पतालों में डॉक्टर नहीं हैं। वहां टेक्निशियन और लैब की सुविधा नहीं है। सरकारी अस्पताल में कहीं भी दवाई नहीं दी जाती है। उनमें गुणवत्ता नहीं है। वहां कोई मेडिकल सिस्टम नहीं है। इस पर आपने कुछ भी नहीं बोला।

महोदय, अंत में, आपसे मेरा सिर्फ यही कहना है कि जाति जनगणना को लेकर आपकी क्या राय है? इस पर आप कभी चर्चा नहीं करते हैं। जो दूसरी चीज है, वह ओबीसी और अत्यंत पिछड़े वर्ग के आरक्षण के बारे में है। जेएनयू सहित जो बड़े-बड़े कॉलेजेज हैं, उनमें आरक्षण की क्या स्थिति है?… (व्यवधान)

माननीय सभापति : आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री राजेश रंजन : सभापति महोदय, अब मैं सिर्फ अपने क्षेत्र की बात करूंगा। मैं कोसी, सीमांचल और पूर्णिया की बात करूंगा। मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि पूर्णिया में आईआईटी, आईआईएम का हब बने। सीमांचल व पूर्णिया में केंद्रीय विश्वविद्यालय बने। सहरसा में अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान बने।

माननीय सभापति : राजेश रंजन जी, अब आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री राजेश रंजन : सभापति महोदय, मैं अपनी बात समाप्त ही कर रहा हूं। पूर्णिया जंक्शन पर वाशिंग पिट बनने चाहिए। कोसी नदी पर हाई डैम बनने चाहिए। पूर्णिया को बिहार की उप राजधानी बनाना चाहिए। वहां उच्च न्यायालय के बेंच की स्थापना हो। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि वहां मक्का और मखाना का सेंटर बने।... (व्यवधान)

सभापति महोदय, बजट में फूड प्रोसेसिंग के लिए प्रावधान होना चाहिए। मैं चाहूंगा कि मक्का और मखाना के लिए इस बजट में राशि का प्रावधान हो। बिहार को विशेष पैकेज देना चाहिए। वहां जितने भी बंद पड़ी फैक्ट्रीज़ हैं, उनके लिए भी प्रावधान हो। सवा दो करोड़ मजदूर बाहर चले जाते हैं। इनके लिए कोई इंश्योरेंस नहीं है।... (व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय सदस्य, आप 15 सेकेंड में अपनी बात पूरी कीजिए।

श्री राजेश रंजन : सभापति महोदय, मेरा आग्रह है कि हमारे जो आंगनवाडी, रसोइया, ममता, आशा, नियोजित, संविदा और शिक्षा मित्र हैं, इनके लिए मेरा सबमिशन है। जैसे अभी अग्निवीर के बारे में सवाल उठ रहा है। उत्तर प्रदेश में जो नियोजित और संविदा पर शिक्षा मित्र हैं, उसमें देखा जाए तो टीचर के प्रति असमानता है। इसमें सम्मानजनक शिक्षा के प्रति असमानता है।

श्री सौमित्र खान (बिष्णुपुर) : सर, मैं देश के प्रधानमंत्री जी को नमन करता हूं। आज हमारे प्रधानमंत्री जी कारगिल विजय दिवस के अवसर में लद्दाख में इंडियन आर्मी के साथ हैं। मैं देश के प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद व प्रणाम करता हूं।

जो बजट फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला जी ने पेश किया है, उसके लिए मैं उनको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। यह बजट किसान का है, यह बजट युवा का है, यह बजट एससी, एसटी का है। यह बजट पूरे देश के युवा वर्ग को आगे ले जाने के लिए है। इस बजट में स्टूडेंट्स के फ्यूचर के लिए 1 लाख 25 हजार करोड़ रुपये एलॉट किए गए हैं। स्पेस सैक्टर में 1 हजार करोड़ रुपये एलॉट किए गए हैं। मुद्रा लोन जो पहले 10 लाख रुपये था, उसे बढ़ाकर 20 लाख रुपये तक किया गया है। आदिवासी महिला, जिसके पास घर नहीं है, एससी, एसटी महिला, जिसके पास घर नहीं है, वह सोचती है कि देश के प्रधान मंत्री हमें घर देंगे, हम प्रधान मंत्री आवास योजना के घर में रहेंगे। यह सबसे बड़ी बात है। मैं अर्थ मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इतना बड़ा बजट उन्होंने प्रधान मंत्री आवास योजना के लिए दिया है। 10 लाख करोड़ रुपये अर्बन हाउसिंग के लिए एलॉट किए गए हैं। आज तक किसी ने नहीं सोचा था कि बिलो पावर्टी लाइन वालों की मदद करें, लेकिन हमारे देश के प्रधान मंत्री जी की सोच है कि उन लोगों को भी सामने लेकर आना है और आज लेकर आए हैं।

वुमेन डेवलपमेंट के लिए 3 लाख करोड़ रुपये सैंक्शन किए गए हैं। हर जगह डेवलपमेंट हो रहा है। सभी सोचते हैं कि जब बजट आएगा तो हमारे यहां ट्रेन चलेगी। मैं पश्चिम बंगाल से आता हूं, रबीन्द्र नाथ के बंगाल से आता हूं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बंगाल से आता हूं। हम लोग भी बंगाल के डेवलपमेंट के बारे में सोचते हैं। मैं प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, पहली बार देश के प्रधान मंत्री और अर्थ मंत्री ने पूर्वोदय के लिए सोचा है और बंगाल, बिहार, ओडिशा सभी को डेवलप करने के लिए पूर्वोदय योजना को लागू किया है। किसी ने नहीं सोचा था कि ईस्टर्न जोन को आगे बढ़ना चाहिए। वेस्टर्न जोन तो हर टाइम आगे बढ़ता है लेकिन ईस्टर्न जोन आगे नहीं

बढ़ता है। प्रधान मंत्री जी और अर्थ मंत्री जी की कृपा से इस बार बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल बहुत आगे बढ़ रहे हैं। इस बजट में 89 हजार करोड़ रुपये पश्चिम बंगाल के लिए एलॉट हुए हैं।

मेरे तृणमूल कांग्रेस के सांसद मित्र कह रहे थे कि मोदी की गारंटी का क्या हुआ? मैं सिर्फ यही कहूंगा कि जो काम हुआ है, वह काम आप लोग पहले करिए। जो प्रधान मंत्री आवास योजना में पैसे भेजते हैं, वे उसका नाम चेंज करके बंगाल आवास योजना कर देते हैं। जो प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना का फंड भेजते हैं, उसका नाम चेंज करके बंगाल ग्राम सड़क योजना कर देते हैं। डेवलपमेंट होना चाहिए और हर सांसद सोचते हैं कि हमारा डेवलपमेंट हो। पश्चिम बंगाल, पूरे विश्व में जितने बनाना कंट्रीज़ हैं, पूरे विश्व में जितने रोहिंग्या हैं, उनको ये इनवाइट कर रहे हैं। इसमें हम लोग अच्छा रहेंगे, आप ही बताइए, नहीं रहेंगे। पश्चिम बंगाल में प्रति दिन 5,000 से 10,000 रोहिंग्या आ रहे हैं और आने के बाद पूरे भारत में सप्लाई हो रहे हैं। यह देश के लिए खतरा है। हमारे असम के चीफ मिनिस्टर ने भी बोला कि पश्चिम बंगाल को इसे देखना चाहिए। चीफ मिनिस्टर के भतीजे के लिए आप लोग सब छोड़ देंगे तो भारत का गणतंत्र कहां रहेगा? हम बोलेंगे कि देश में जितने रोहिंग्या आ रहे हैं, उनको वापस भेजना चाहिए। ये सिर्फ पश्चिम बंगाल के लिए नहीं, पूरे देश के लिए खतरे की बात है। पूरे विश्व का ठेका पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने ले लिया। वे बोल रही हैं कि जहां भी कोई डिस्टर्ब हो जाए, हमारे पश्चिम बंगाल में आ जाए, हम उसको जगह दे देंगे। आप यह बात कैसे बोल रहे हैं कि हम पश्चिम बंगाल में जगह दे देंगे? हमारे यहां पर असेंबली में विरोधी दल के नेता पर अटैक हो रहा है । लेकिन कोई बोलने वाला नहीं है। मेरा प्रधानमंत्री जी से विनती है, गृह मंत्री जी से विनती है, सांसद बड़ी-बड़ी बातें कर रहे थे। जो बड़ी-बड़ी बात बोल रहे थे, वह सबसे बड़ा चोर है। मैं सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप जितने भी फंड वेस्ट बंगाल में भेजेंगे, उसका पाई पाई का हिसाब होना चाहिए। वहां इतने सारे घोटाले हो रहे हैं, इसको कोई देखने वाला नहीं है। इन घोटालों के पीछे कौन है, इसे देखना चाहिए। पश्चिम बंगाल में हर दिन मर्डर हो रहा है, इसको देखने वाला कौन है? इसको देखना चाहिए। जितने सारा कुछ अभिषेक और बंदोपाध्याय बोले हैं।

माननीय सभापति : सौमित्र जी, आप समाप्त कीजिए, एक मिनट में खत्म कीजिए।

श्री सौमित्र खान : सर, दो मिनट टाइम दीजिए, … (व्यवधान) पहले आप आइने में मुख देखिए। पश्चिम बंगाल के सीएम पूरे देश को खत्म कर देंगे। … (व्यवधान) मुझे टाइम ही नहीं मिला। … (व्यवधान) वहां का एक मिनिस्टर क्या बोल रहा है, हिन्दू सब काफिर है, एक मिनिस्टर बोल रहा है कि हम सब काफिर हैं? वहां पर बोल रहा है। जो हिन्दू है, सबको बाहर कर देंगे तो हम लोग कहां जाएंगे। वर्ष 1990 कश्मीर में याद कीजिए, जैसे कश्मीर में हुआ था, पश्चिम बंगाल में वही होने वाला है। हम सभी से विनती करेंगे, आप एक कमेटी बनाइए, कमेटी बनाकर पश्चिम बंगाल भेजिए क्योंकि पश्चिम बंगाल किसी की जागीर नहीं है। किसी एकला की जमीन नहीं है, हम लोगों को भी 39 परसेंट वोट मिला है। अभिषेक और बंदोपाध्याय क्या बोलेंगे, लिप्स एंड बाउंड्स कंपनी के 100 करोड़ रुपये ईडी ने अटैच किया है, उसका मालिक कौन है? इसका जवाब देना चाहिए। इस पर कोई डिबेट नहीं करता है। लेकिन नार्थ बंगाल में कुछ भी डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। रोहिंग्या ने मालदा, मुर्शिदाबाद, नार्थ परगना, साउथ परगना को खत्म कर दिया। हमारे रारह बंगाल में कुछ डेवलपमेंट हो रहा है तो रोहिंगया आ रहा है। मैं अपनी डिमांड करके बात समाप्त कर दूंगा। बांकुड़ा, दुर्गापुर में रेलवे कोच के लिए रिक्वेस्ट किया है, वह काम हो जाए। विष्णुपुर में बांध का काम हो जाए, बाकुंडा रानीगंज रेल पथ बन जाए। तृणमूल कांग्रेस को भी बोलूंगा। एक सीनियर एमपी बार-बार बोल रहे थे, इन लोगों का इन्वेस्टिगेशन कीजिए, ...* का इन्वेस्टिगेशन कीजिए कि कितना घोटाला किया है। ...* नेपांच हजार करोड़ रुपये का घोटाला किया है, इनको अरेस्ट करना चाहिए, मैं इसकी मांग करता हूं। धन्यवाद।

---

* Expunged as ordered by the Chair.

15.34 hrs

PRIVATE MEMBERS' BILLS – Introduced

HON. CHAIRPERSON: Now, the Private Members' Business. Item No. 47 – Shri C.N. Annadurai ji.

15.34½ hrs

(i) MAHATMA GANDHI NATIONAL RURAL EMPLOYMENT GUARANTEE (AMENDMENT) BILL, 2024*

(Amendment of Section 3)

SHRI C. N. ANNADURAI (TIRUVANNAMALAI): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, 2005.

माननीय सभापति: प्रश्न यह है:

> "कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

SHRI C. N. ANNADURAI: Sir, I introduce the Bill.

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part- II, Section-2, dated 26.07.2024.

<u>**15.35 hrs**</u>

(ii) CONSTITUTION (SCHEDULED TRIBES) ORDER (AMENDMENT) BILL, 2024*

(Amendment of the Schedule)

SHRI C. N. ANNADURAI (TIRUVANNAMALAI): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution (Scheduled Tribes) Order 1950.

HON. CHAIRPERSON: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution (Scheduled Tribes) Order 1950."

The motion was adopted.

SHRI C. N. ANNADURAI: Sir, I introduce the Bill.

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part- II, Section-2, dated 26.07.2024.

15.36 hrs

(iii) COMMISSION FOR REGULATION AND DEVELOPMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY INDUSTRY BILL, 2024*

SHRI C. N. ANNADURAI (TIRUVANNAMALAI): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for the setting up of a Commission on regulate and promote the development of Information Technology industry in the country and for matters connected therewith or incidental thereto.

HON. CHAIRPERSON: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to provide for the setting up of a Commission on regulate and promote the development of Information Technology industry in the country and for matters connected therewith or incidental thereto."

The motion was adopted.

SHRI C. N. ANNADURAI: Sir, I introduce the Bill.

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part- II, Section-2, dated 26.07.2024.

15.37 hrs (Hon. Speaker *in the Chair*)

(iv) ARTISTS (SOCIAL SECURITY) BILL, 2024*

श्री रवीन्द्र शुक्ला उर्फ रवि किशन (गोरखपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि कलाकारों के लिए सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी उपायों तथा उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

> "कि कलाकारों के लिए सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी उपायों तथा उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री रवीन्द्र शुक्ला उर्फ रवि किशन : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part- II, Section-2, dated 26.07.2024.

15.37½ hrs

(v) TRADITIONAL FISHERMEN (PROTECTION AND WELFARE) BILL, 2024*

श्री रवीन्द्र शुक्ला उर्फ रवि किशन (गोरखपुर) : माननीय अध्यक्ष जी, मैं प्रस्ताव करता हूं कि देश में परंपरागत मछुआरों के संरक्षण तथा जीवन बीमा कवरेज, स्वास्थ्य देखभाल, उनके बच्चों के लिए शैक्षणिक सुविधाओं सहित कल्याणकारी उपायों और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।”

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

> “कि देश में परंपरागत मछुआरों के संरक्षण तथा जीवन बीमा कवरेज, स्वास्थ्य देखभाल, उनके बच्चों के लिए शैक्षणिक सुविधाओं सहित कल्याणकारी उपायों और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री रवीन्द्र शुक्ला उर्फ रवि किशन: मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part- II, Section-2, dated 26.07.2024.

15.38 hrs

(vi) CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL, 2024*
(*Amendment of Eighth Schedule*)

श्री रवीन्द्र शुक्ला उर्फ रवि किशन (गोरखपुर) : माननीय अध्यक्ष जी, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

> "कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री रवीन्द्र शुक्ला उर्फ रवि किशन : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part- II, Section-2, dated 26.07.2024.

15.38½ hrs

(vii) GREENFIELD INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT BOARDS BILL, 2024*

SHRI RAJIV PRATAP RUDY (SARAN): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for the constitution of Greenfield infrastructure Board in each zone of the country to assess the availability of land in the respective zone and decide on the fitness of sites for development of a greenfield infrastructure project and for matters connected therewith of incidental thereto.

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

> "कि संबंधित क्षेत्र में भूमि की उपलब्धिता का आकलन करने के लिए देश के प्रत्येक परिक्षेत्र में हरित क्षेत्र अवसंरचना बोर्ड के गठन के लिए और संदर्भ पर निर्भर करते हुए हरित क्षेत्र अवसंरचना परियोजना के विकास हेतु स्थलों की उपयुक्तता पर निर्णय लेने तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

SHRI RAJIV PRATAP RUDY: Sir, I introduce the Bill.

माननीय अध्यक्ष: मेरे ख्याल से आपके इलाके के मतदाता हिंदी में ज्यादा समझते हैं।

… (व्यवधान)

श्री राजीव प्रताप रूडी : महोदय, बीच-बीच में सदन को भी कभी बताना होता है कि हमें अंग्रेजी भी बोलनी आती है। आप तो जानते ही हैं, लेकिन जो नए सदस्य आए हैं, नेताओं के बारे में जो छवि है, उसमें थोड़ा सा सुधार करने की आवश्यकता है। … (व्यवधान)

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part- II, Section-2, dated 26.07.2024.

15.40 hrs

(viii) CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL, 2024*
(Substitution of New Article for Article 48A, etc.)

SHRI RAJIV PRATAP RUDY (SARAN): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

> "कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

SHRI RAJIV PRATAP RUDY: Sir, I introduce the Bill.

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part- II, Section-2, dated 26.07.2024.

15.40½ hrs

(ix) DISTRICT DEVELOPMENT AND MONITORING COMMITTEE FOR IMPLEMENTATION OF CENTRAL SECTOR AND CENTRALLY SPONSORED SCHEMES BILL, 2024*

SHRI RAJIV PRATAP RUDY (SARAN): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to constitute District Development and Monitoring Committees in each district to promote efficient coordination among all elected representatives in Parliament, State Legislatures and Local Government, including the Panchayat Raj Institutions and Municipal Bodies for time bound development of districts through a streamlined model of monitoring and accountability for implementation of Central Sector and Centrally sponsored schemes in each district and for matters connected therewith or incidental thereto.

महोदय, यह दिशा, जो सांसदों की कमेटी होती है, उसको संवैधानिक अधिकार दिलाने का यह प्रस्ताव है।

माननीय अध्यक्ष : ठीक है।

प्रश्न यह है:

"प्रत्येक जिले में केंद्रीय क्षेत्र और केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के कार्यान्वयन निगरानी और जवाबदेही के एक सुव्यवस्थित मॉडल के माध्यम से जिलों के समयबद्ध विकास हेतु पंचायती राज संस्थाओं और नगर निकायों सहित संसद, राज्य विधानमंडलों और स्थानीय सरकारों में सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों के बीच कुशल समन्वय को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक जिले में जिला विकास और निगरानी समितियों के गठन तथा उससे संबंधित

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part- II, Section-2, dated 26.07.2024.

या उसके आनुषंगिक मामलों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

SHRI RAJIV PRATAP RUDY: Sir, I introduce the Bill.

15.41½ hrs

(x) HIGH COURT OF KERALA (ESTABLISHMENT OF A PERMANENT BENCH AT THIRUVANANTHAPURAM) BILL, 2024*

DR. SHASHI THAROOR (THIRUVANANTHAPURAM): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for the establishment of a Permanent Bench of the High Court of Kerala at Thiruvananthapuram.

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

> "तिरुवनन्तपुरम में केरल उच्च न्यायालय की एक स्थायी न्यायपीठ की स्थापना का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

DR. SHASHI THAROOR: Sir, I introduce the Bill.

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part- II, Section-2, dated 26.07.2024.

15.42 hrs

(xi) TRANSGENDER PERSONS (PROTECTION OF RIGHTS) AMENDMENT BILL, 2024*

(Insertion of New Sections 8A and 13A)

DR. SHASHI THAROOR (THIRUVANANTHAPURAM): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to amend the Transgender Persons (Protection of Rights) Act, 2019.

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

> “उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 में संशोधन का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

DR. SHASHI THAROOR: Sir, I introduce the Bill.

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part- II, Section-2, dated 26.07.2024.

HON. SPEAKER: Item nos.24, 25 and 26, Dr. D. Ravikumar – Not present.

Item no.27, Adv. Dean Kuriakose.

15.42½ hrs

(xii) CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL, 2024*
(Amendment of Article 43A)

ADV. DEAN KURIAKOSE (IDUKKI): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution.

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

ADV. DEAN KURIAKOSE: Sir, I introduce the Bill.

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part- II, Section-2, dated 26.07.2024.

15.43 hrs

(xiii) CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL, 2024*
(Insertion of New Article 49A)

ADV. DEAN KURIAKOSE (IDUKKI): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution.

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

> “कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

ADV. DEAN KURIAKOSE: Sir, I introduce the Bill.

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part- II, Section-2, dated 26.07.2024.

15.44 hrs

(xiv) RABIES CONTROL BILL, 2024*

ADV. DEAN KURIAKOSE (IDUKKI): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to regulate and control the rabid animals for the prevention and control of rabies in the interest of the public health and for matters connected therewith.

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

> "कि सार्वजनिक स्वास्थ्य के हित में रेबीज़ की रोकथाम और नियंत्रण के लिए पागल पशुओं को विनियमित और नियंत्रित करने तथा उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

ADV. DEAN KURIAKOSE: Sir, I introduce the Bill.

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part- II, Section-2, dated 26.07.2024.

15.45 hrs

(xv) CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL, 2024*
(Amendment of Article 81)

DR. SHASHI THAROOR (THIRUVANANTHAPURAM): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution.

The Bill seeks to amend Article 81 to reserve 10 seats of the Lok Sabha for people under 35 years of age.

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

DR. SHASHI THAROOR: Sir, I introduce the Bill.

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part- II, Section-2, dated 26.07.2024.

15.45½ hrs

(xvi) RESIDENTIAL SCHOOLS (FOR SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES) BILL, 2024*

एडवोकेट चन्द्र शेखर (नगीना) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के बालकों के लिए रिहायशी स्कूलों की स्थापना करने तथा तत्संबंधी या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

> "कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के बालकों के लिए रिहायशी स्कूलों की स्थापना करने तथा तत्संबंधी या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

एडवोकेट चन्द्र शेखर : अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

माननीय अध्यक्ष : चन्द्र शेखर जी, आप तो जवान हैं, आपको तो उठने-बैठने में दिक्कत नहीं होगी। आप एक बार उठने के बाद बैठ जाया करिए। शशि थरूर जी को तो समस्या है।

… (व्यवधान)

एडवोकेट चन्द्र शेखर : महोदय, आप मुझे जवान कह रहे हैं, यह तो अच्छी बात है। आपकी मुझ पर पूरी नज़र है।…(व्यवधान)

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part- II, Section-2, dated 26.07.2024.

15.46 hrs

(xvii) RESERVATION FOR THE SCHEDULED CASTES, THE SCHEDULED TRIBES AND THE OTHER BACKWARD CLASSES IN PRIVATE SECTOR BILL, 2024*

एडवोकेट चन्द्र शेखर (नगीना) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि निजी क्षेत्र में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण तथा उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

> "कि निजी क्षेत्र में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण तथा उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

एडवोकेट चन्द्र शेखर: अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part- II, Section-2, dated 26.07.2024.

15.46½ hrs

(xviii) ESTABLISHMENT OF SCHOOLS UPTO SENIOR SECONDARY LEVEL BILL, 2024*

एडवोकेट चन्द्र शेखर (नगीना) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि देश में सभी बालकों को वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने वाले विद्यालयों की स्थापना करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

> "कि देश में सभी बालकों को वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने वाले विद्यालयों की स्थापना करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

एडवोकेट चन्द्र शेखर : अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part- II, Section-2, dated 26.07.2024.

माननीय अध्यक्ष : आइटम नंबर - 34, श्री शफी परम्बिल जी ।

आप एक बार अपना पूरा नाम बोलिए ।

श्री शफी परम्बिल (वडाकरा) : महोदय, शफी परम्बिल ।

15.47 hrs

(xix) AIRFARE REGULATORY BOARD BILL, 2024*

SHRI SHAFI PARAMBIL (VADAKARA): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for the establishment of an Airfare Regulatory Board for monitoring and regulation of airfare and for matters connected therewith.

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

"कि विमान-किराये की निगरानी और विनियमन करने के लिए विमान-किराया विनियामक बोर्ड की स्थापना और उससे संसक्त मामलों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

SHRI SHAFI PARAMBIL: Sir, I introduce the Bill.

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part- II, Section-2, dated 26.07.2024.

15.48 hrs

(xx) MAHATMA GANDHI NATIONAL RURAL EMPLOYMENT GUARANTEE (AMENDMENT) BILL, 2024*

(*Amendment of Long Title, etc.*)

SHRI SHAFI PARAMBIL (VADAKARA): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, 2005.

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

> "कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

SHRI SHAFI PARAMBIL: Sir, I introduce the Bill.

माननीय अध्यक्ष : मैं विशेष रूप से सभी माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने आज की कार्य-सूची में अपने गैर-सरकारी सदस्यों के विधायी कार्य को भी लगाया, पुरःस्थापित भी किया और संकल्प भी लगाया है। सदन को यह जानकर खुशी होगी कि आज का पहला गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्प में पहली बार चुनकर आए हुए माननीय सदस्य के नाम है।

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part- II, Section-2, dated 26.07.2024.

15.50 hrs

(xxi) ADVOCATES (AMENDMENT) BILL, 2024*
(Amendment of Section 2, etc.)

DR. SHRIKANT EKNATH SHINDE (KALYAN): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Advocates Act, 1961.

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

> "कि अधिवक्ता अधिनियम, 1961 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

DR. SHRIKANT EKNATH SHINDE: Sir, I introduce the Bill.

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part- II, Section-2, dated 26.07.2024.

15.50½ hrs

(xxii) ORPHAN CHILD (WELFARE AND DEVELOPMENT) BILL, 2024*

DR. SHRIKANT EKNATH SHINDE (KALYAN): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for measures to ensure welfare and holistic development of orphans and for matters connected therewith.

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

> "कि अनाथ बच्चों के कल्याण और समग्र विकास को सुनिश्चित करने और उससे संसक्त मामलों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

DR. SHRIKANT EKNATH SHINDE: Sir, I introduce the Bill.

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part- II, Section-2, dated 26.07.2024.

15.51 hrs

(xxiii) RIGHT OF CHILDREN TO FREE AND COMPULSORY EDUCATION (AMENDMENT) BILL, 2024*

(Amendment of Section 2, etc.)

DR. SHRIKANT EKNATH SHINDE (KALYAN): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009.

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

> "कि निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

DR. SHRIKANT EKNATH SHINDE: Sir, I introduce the Bill.

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part- II, Section-2, dated 26.07.2024.

15.51½ hrs

(xxiv) RAILWAY (AMENDMENT) BILL, 2024*
(Insertion of a New Section 24A)

डॉ. आलोक कुमार सुमन (गोपालगंज) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि रेलवे अधिनियम, 1989 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

> "कि रेलवे अधिनियम, 1989 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

डॉ. आलोक कुमार सुमन : अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part- II, Section-2, dated 26.07.2024.

15.52 hrs

(xxv) FLOOD AND DROUGHT CONTROL BILL, 2024*

डॉ. आलोक कुमार सुमन (गोपालगंज) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि बाढ़ और सूखे को नियंत्रित करने के लिए राष्ट्रीय बाढ़ और सूखा नियंत्रण बोर्ड के गठन तथा उससे संबंधित और उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

> "कि बाढ़ और सूखे को नियंत्रित करने के लिए राष्ट्रीय बाढ़ और सूखा नियंत्रण बोर्ड के गठन तथा उससे संबंधित और उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

डॉ. आलोक कुमार सुमन : अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part- II, Section-2, dated 26.07.2024.

15.52½ hrs

(xxvi) SPECIAL ECONOMIC ASSISTANCE TO THE STATE OF BIHAR BILL, 2024*

डॉ. आलोक कुमार सुमन (गोपालगंज) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने और बिहार राज्य के संसाधनों के विकास, दोहन और उचित उपयोग के उद्देश्य से बिहार राज्य को विशेष आर्थिक सहायता प्रदान करने का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

> "कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने और बिहार राज्य के संसाधनों के विकास, दोहन और उचित उपयोग के उद्देश्य से बिहार राज्य को विशेष आर्थिक सहायता प्रदान करने का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

डॉ. आलोक कुमार सुमन : अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part- II, Section-2, dated 26.07.2024.

15.53 hrs

(xxvii) SINGLE USE PLASTIC (REGULATION) BILL, 2024*

डॉ. निशिकान्त दुबे (गोड्डा) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि देश को वर्ष 2025 तक एकल उपयोग प्लास्टिक का उन्मूलन करने का लक्ष्य हासिल करने में समर्थ बनाने की रूपरेखा तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

> "कि देश को वर्ष 2025 तक एकल उपयोग प्लास्टिक का उन्मूलन करने का लक्ष्य हासिल करने में समर्थ बनाने की रूपरेखा तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

डॉ. निशिकान्त दुबे: अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part- II, Section-2, dated 26.07.2024.

15.54 hrs

(xxviii) VICTIMS OF FLOODS CAUSED DUE TO HEAVY RAINS, CYCLONES AND OTHER REASONS (REHABILITION AND WELFARE) BILL, 2024*

डॉ. निशिकान्त दुबे (गोड्डा) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राष्ट्रीय स्तर पर एक सांविधिक बोर्ड जो बाढ़ नियंत्रण के लिए केंद्रीय और राज्य सरकारों द्वारा किए जाने वाले उपायों का सुझाव भी दे सकता है, के माध्यम से विभिन्न उपबंध करके भारी बारिश, बादल फटने, चक्रवातों, बांधों, जलाशयों के बन्ध टूटने आदि के कारण आने वाली बाढ़ के पीड़ितों के संरक्षण और पुनर्वास तथा तत्संबंधी और आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

> "कि राष्ट्रीय स्तर पर एक सांविधिक बोर्ड जो बाढ़ नियंत्रण के लिए केंद्रीय और राज्य सरकारों द्वारा किए जाने वाले उपायों का सुझाव भी दे सकता है, के माध्यम से विभिन्न उपबंध करके भारी बारिश, बादल फटने, चक्रवातों, बांधों, जलाशयों के बन्ध टूटने आदि के कारण आने वाली बाढ़ के पीड़ितों के संरक्षण और पुनर्वास तथा तत्संबंधी और आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

डॉ. निशिकान्त दुबे: अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part- II, Section-2, dated 26.07.2024.

15.55 hrs

(xxix) CENTRAL EDUCTIONAL INSTITUTION (RESERVATION IN ADMISSION) AMENDMENT BILL, 2024*

(Amendment of Section 2 and 3)

डॉ. निशिकान्त दुबे (गोड्डा) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि केंद्रीय शैक्षिक संस्थान (प्रवेश में आरक्षण) अधिनियम, 2006 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

> "कि केंद्रीय शैक्षिक संस्थान (प्रवेश में आरक्षण) अधिनियम, 2006 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

डॉ. निशिकान्त दुबे: महोदय, मैं विधेयक को पुर: स्थापित करता हूं।

माननीय अध्यक्ष : डॉ. बैन्नी बेहनन।

SHRI BENNY BEHANAN (CHALAKUDY): Sir, I am not a doctor. … (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : यहां सब डॉक्टर ही डॉक्टर हैं तो मैंने सोचा कि आप भी डॉक्टर बन गए होंगे। लेकिन, किस में डॉक्टर हैं, मुझे पता नहीं है। एलोपैथी के डॉक्टर है या होम्योपैथी के डॉक्टर हैं, किस में डॉक्टर हैं, यह पता नहीं है।

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part- II, Section-2, dated 26.07.2024.

15.55½ hrs

(xxx) PROMOTION OF RATIONAL THOUGHT BILL, 2024*

SHRI BENNY BEHANAN (CHALAKUDY): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to promote rational thought critical thinking and evidence-based decision-making in society with a view to create an environment that foster the cultivation of reason and intellectual disclosure.

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

> "कि समाज में तर्कसंगत विचार, आलोचनात्मक चिंतन और साक्ष्य-आधारित निर्णय लेने को बढ़ावा देना ताकि ऐसा वातावरण बनाया जा सके जो तर्क और बौद्धिक विमर्श को बढ़ावा दे, वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

SHRI BENNY BEHANAN: Sir, I introduce the Bill.

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part- II, Section-2, dated 26.07.2024.

15.56 hrs

(xxxi) AUTISM SPECTRUM DISORDERS (RECOGNITION AND TREATMENT) BILL, 2024*

SHRI BENNY BEHANAN (CHALAKUDY): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to recognize and address the needs of individuals with Autism Spectrum Disorders to promote early detection, intervention and treatment and to ensure the provision of appropriate support and services.

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

> "कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार वाले व्यक्तियों की जरूरतों को पहचानने और उनका समाधान करने, शीघ्र पता लगाने, हस्तक्षेप और उपचार को बढ़ावा देने और उचित सहायता और सेवाओं का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

SHRI BENNY BEHANAN: Sir, I introduce the Bill.

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part- II, Section-2, dated 26.07.2024.

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री श्री राममोहन नायडु – उपस्थित नहीं।

माननीय सदस्यगण, शफी परम्बिल जी को देश में हवाई किराये के विनियमन हेतु समुचित उपाय के बारे में गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्प पर बोलने के लिए आमंत्रित करने से पहले सभा के द्वारा इस पर चर्चा के लिए समय का आवंटन किया जाता है। यदि सभा सहमत हो तो इस पर चर्चा के लिए दो घंटे समय का आवंटन कर दिया जाए।

श्री राजीव प्रताप रूडी (सारण) : सर, यह बहुत कम समय है, इसको कृपया बढ़ा दिया जाए।

माननीय अध्यक्ष : अभी दो घंटे करते हैं, फिर बाद में बढ़ा दिया जाएगा।

आइटम नंबर – 50, श्री शफी परम्बिल। … (व्यवधान)

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, the concerned Minister is absent. This is not fair. The Private Members' Business is also having same importance like the Government Business. None of the concerned Ministers of the Ministry of Civil Aviation are present in the House. This is not fair.

माननीय अध्यक्ष : वह जल शक्ति मंत्री जी को अधिकृत करके गए हैं।

SHRI N. K. PREMACHANDRAN: No other Minister has also been entrusted with the responsibility. Nothing is there. The Speaker has no intimation or information. This is a grave mistake on the part of the Minister. The Private Members' Business is having equal importance like that of the Government Business.

डॉ. निशिकान्त दुबे (गोड्डा) : सर, एन. के. प्रेमचन्द्रन साहब बहुत ही विद्वान सांसद हैं। किसी भी विषय की जिम्मेदारी पूरी कैबिनेट की होती है। मंत्री उस विभाग को देखता है। यहां दो-दो कैबिनेट मिनिस्टर्स बैठे हुए हैं। जीतन राम माँझी साहब और सी.आर. पाटिल साहब बैठे हैं। यह प्राइवेट मैम्बर्स बिल है और मुझे लगता है कि इस पर चर्चा होने देनी चाहिए। इस तरह का मुद्दा उठाने से हमारा ही नुकसान है, क्योंकि यह समय सरकार का नहीं है। यह हमारा समय है। वह

पहली बार सांसद बने हैं और उनको मौका मिला है तो मुझे लगता है कि किसी प्रकार का कंफ्यूज़न क्रिएट किए बिना हमें डिसक्शन स्टार्ट कर देना चाहिए।

SHRI N. K. PREMACHANDRAN: No, we are not raising any objection. He will move the Resolution. Was intimation given to the hon. Speaker that the concerned Minister will not be present? This is the first Private Members' Resolution coming before the House and the concerned Minister is absent. The Cabinet Ministers present are not responding, and the response is coming from Mr. Nishikant Dubey. Let the Government say it. You are also equal to us. We are all private Members. Let the Government say. The Government is not speaking anything. The Government is silent on this matter. How can Nishikant Dubey ji speak? How can he respond to it?

श्री राजीव प्रताप रूडी : अध्यक्ष जी, अगर ऐसा ही है और माननीय सदस्य चाहते हैं कि माननीय मंत्री जी का यहां पर होना स्वाभाविक है तो आप आधे घंटे के लिए सभा को स्थगित करके दोबारा शुरू करवा दीजिए।... (व्यवधान)

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री जीतन राम माँझी): अध्यक्ष महोदय, अभी निशिकान्त दुबे जी ने ठीक ही कहा है कि मंत्रिमंडल का मतलब होता है कि सभी मंत्री सदन में न बैठकर अगर एक मंत्री या दो मंत्री भी रहते हैं तो हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं। यहां पर हम तीन-तीन मंत्री बैठे हैं और सब रोस्टर में लगे हुए हैं इसलिए यह कहना कि सरकार नहीं है और मंत्री नहीं है, मेरी समझ से माननीय सदस्य की यह बात उचित नहीं है। हम सब प्रेजेंट हैं, सरकार प्रेजेंट है और हम सुन रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष : ठीक है, यह सबकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब चर्चा शुरू कीजिए। मैंने इंफॉर्म कर दिया है।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : यह मित्रता का सवाल नहीं है। यह व्यवस्था का सवाल है।

अब श्री शफी परम्बिल संकल्प प्रस्तुत करें।

<u>16.00 hrs</u>

PRIVATE MEMBERS' RESOLUTION

Appropriate measures to regulate airfare in the country

SHRI SHAFI PARAMBIL (VADAKARA): Sir I beg to move:

"Having regard to the fact that:-

(a) before the de-regulation of airfare in the year 1994, the air tariffs were fully regulated by the Government of India to keep airfares under check;

(b) with the repeal of the Air Corporations Act in March 1994, airlines are free to fix reasonable tariffs under the provisions of sub-rule (1) of Rule 135 of Aircraft Rules, 1937;

(c) although Rule 135(4) of the Aircraft Rules, 1937 empowers the Directorate General of Civil Aviation (DGCA) to issue directions to an airline in case it has established excessive tariff Appropriate Measures to Regulate Airfare in the country under rule 135(1) or has indulged in oligopolistic practice; the said provision is rendered ineffectual on account of the arbitrary and unbridled powers given under Rule 135(1) of the Rules to the airlines to establish tariff;

(d) ever since the adoption of the policy of deregulation, there has been a considerable increase in airfare depending on market dynamics and competitiveness;

(e) recent years have witnessed an exorbitant rise in both domestic and international airfare, especially during the holiday seasons affecting a large number of passengers including the expatriates living in the Gulf Countries;

(f) most of the migrant workers in the Gulf region are un-skilled and semi-skilled workers with limited income, the unscrupulous increase in airfare during the vacation seasons always drags them into a huge debt trap;

(g) in the case of the expatriates, most of the migrant workers get leave only during the vacation season and hence the emotional value of uniting with family is most important for them. Most of the time, they are forced to pay their one-year savings only for the round trip airfare charges and many expatriates complain about the huge loan they had to take in order to get tickets;

(h) as the airlines operate at full capacity during the peak season and earn huge profit margins, the current policy of ‘unregulated overpricing’ is unethical, unfair and an injustice to the poor migrant workers living abroad;

(i) although the Directorate General of Civil Aviation (DGCA) has created 'Tariff Monitoring Units', it only ensures that the fares charged by the airlines are within the prescribed tariffs of the airlines displayed on their websites;

(j) airline companies need to be deregulated in order to ensure competitiveness, growth and efficiency in the aviation sector, the Government cannot ignore the sentiments of the key stakeholders of the industry- the passengers; and

(k) realizing the seriousness of the situation, the Parliamentary Committee on Transport, Tourism and Culture has already stated that the self-regulating mechanisms of the current airline monitoring regime are inadequate to address the financial burden of the passengers on the one hand and the tariff structure of the airline companies on the other,

this House urges upon the Government to-

(i) initiate appropriate measures to regulate the airfare in such a way that there is a reasonable upper limit on the maximum fare that an airline can fix in a specific route;

(ii) convene a joint meeting with airline operators, representatives of the people and all other relevant stakeholders to discuss the issue of excessive airfare during the vacation seasons urgently; and

(iii) establish a quasi-judicial body to regulate and monitor the air tariff ethically and equitably."

During Question Hour yesterday, this House, though for a few minutes, discussed the exorbitant prices and exploitation faced by our expatriates. Our brothers and sisters, our parents and children, our husbands and wives, and

friends and relatives, who work hard to make both ends meet, are being unfairly treated and burdened. The responses I received after presenting that question yesterday were innumerable, reflecting both the depth of concern and the extent of exploitation they are experiencing. I got so many messages, so many calls, and so many responses. They all know that we have discussed this before, but they were so keen to see that their issue was being discussed in this House. We often call them our backbone. We all are aware that this House has debated this issue numerous times in the past too. However, what stood out this time was our hon. Minister's response. It was not merely technical or routine, but conveyed a genuine intention to take meaningful action for the community that we rightfully call our backbone. I would like to thank the hon. Minister on behalf of the Indian diaspora across the globe for their response and for not being ignorant towards their hardship and their pleas.

I will just try to bring one example to the notice of this House. The fare to fly from Cochin to Dubai tomorrow, i.e., 27th July, in Air India-933 is Rs. 19,062. I am talking about tomorrow in Economy Class. It is Rs. 19,062. The sites show that only four seats are vacant which means it is almost full. This shows Rs. 19,000 is the fare. Surprisingly, in the same airline, for the same duration, for the same ports of departure and arrival, for 31st August, the same Air India-933 flight shows s fare of Rs. 77,573. Only nine seats are left. So, is this just about demand and supply? Tomorrow, only four seats are left, and they are flying it for Rs. 19,000 and on 31st August, they have got nine seats

left, and they are charging Rs. 77,000. How can our people come home? How can they go back to their work? They are all not rich people who have abundant resources. Most of them are normal labourers who work for a flat salary. They get a very flat salary which may not provide them a ticket annually and which may not even provide them accommodation and food, but still they work hard so that they can ensure that their family is having their bread and butter, they can ensure that they can meet expenses for his or her parents' treatment, they can ensure that they could send their child to some school where they learn to become the future citizens of this country.

Sir, how can a normal employee abroad afford an amount of Rs. 77,000? If it is a family trip, think about four members of a family coming home on their vacation and trying to go back after the vacation and he is being charged Rs. 80,000 per ticket. Sir, paying an amount of Rs. 3,20,000 for one-way flight to their work, what will they earn in their life? What will be the balance in their life? They get a small amount from the salary after all their expenses. Will it be enough for buying a ticket?

Sir, we often call them our backbone. We boast about their remittance. They give billions of rupees to our economy. Sir, in our State, we get annually Rs. 1,10,000 crore a year through remittances, but what do we give them back, as we discussed yesterday? Sir, the hon. Minister is here. I thank him for his response yesterday. It gave us some hope. They know that this has been discussed also numerous times earlier.

माननीय अध्यक्ष : यह उम्मीद है कि मंत्री जी उस पर पूरा ऐक्शन लेंगे। आपने जो-जो विषय उठाए हैं, मंत्री जी उन पर बिल्कुल ऐक्शन लेंगे।

मंत्री जी, जो-जो विषय उस समय उठे थे और आज माननीय सदस्य ने जो विषय उठाए हैं, आप सारे एयरलाइंस वालों को बुलाइए और उन पर ऐक्शन लीजिए।

… (व्यवधान)

नागर विमानन मंत्री (श्री किंजरापु राममोहन नायडू) : सर, जरूर करेंगे।

माननीय अध्यक्ष : ये सब पैसे पार्लियामेंट का जाता है।

SHRI KINJARAPU RAMMOHAN NAIDU: Definitely, Sir.

माननीय अध्यक्ष : संसद की तरफ से ये सारे पैसे जमा होते हैं।

SHRI KINJARAPU RAMMOHAN NAIDU: Sir, I apologise for being late. I was stuck with some other work.

SHRI SHAFI PARAMBIL: Sir, as the hon. Minister is here, I would like to mention yesterday's reply was not mechanical or typical. An intent was there. The diaspora outside India called, so many of them called, so many of them messaged, so many of them responded through social media. They all are eagerly and keenly awaiting some actions from the Government to happen because they feel that it is not market-driven, but at times, this is greed-driven by the airlines.

Sir, I just quote an example before your arrival. I would like to repeat it in small sentences. For 27th July 2024, I am talking about tomorrow, an airline from Cochin flying to Dubai, Air India Airline, AI-933 is charging Rs. 19,062 for tomorrow's economy class ticket from Cochin to Dubai. The same flight, the same duration, the same port of departure, the same port of arrival, for 31st

August, the same carrier is charging Rs. 77,573. How can we call this just market-driven? I repeat, this is greed-driven. How can we call this profit-making? I repeat, this is extreme exploitation of the situation.

We all know that we call our expats backbones of this country for the remittance that they give us. All our agencies, all our laws, all our acts passed, all our monitoring bodies, all our rights, all our scopes to intervene, even the Directorate of Civil Aviation, the Embassies, the Parliament, the Cabinet, courts, everything and everyone stay as silent spectators when our beloved expats are looted like this. This has to stop. It is high time that we put an end to this by showing our political and administrative will. I repeat, Rs. 19,000 to Rs. 77,000 in 30 days cannot be justified as market-driven.

Sir, I mentioned before you came, how about four of them coming here? How about four of them going back after the vacation? How can they afford this? When Zainul Abid, a constituent of mine, went to the court regarding this thing, the court and the Government presented Rule 135(1) of the Aircraft Rules. The arbitrary and unlimited powers given to the airlines to fix their tariff under Rule 135 (1) of the Aircraft Rules need to be redefined. It cannot go like this. We cannot allow them to loot our people like this. We cannot allow them to exploit our people like this.

It is very important to note one thing. According to the report of the Airports Council International, India has the highest airfares compared to other countries in the Asia-Pacific and the Middle-East Regions. The ACI studied airfares in around 36,000 routes in the Regions and came to the conclusion

that the Indian aviation market has the highest increase with 41 per cent hike in the prices. Against 34 per cent in the UAE and against 30 per cent in Singapore, our industry is marking 41 per cent hike in airfare in the recent history. So, this is intentional. We all say that it is market-driven. They are forced to come back at the time of vacation because otherwise they will lose their classes, they will miss their exams; otherwise they would not even get leaves from their jobs. They know that this is the opportune time.

I heard that in an Air India flight or a flight of some other carriage, they flew back almost blank. There were very few travellers in that airline. But they were not ready to reduce the price at that point of time – they say it is market-driven – because they thought that that will be an example to set and they may have to reduce the fare further. Even when it is coming back without passengers, they keep on charging at these rates in the season. So, there we have to get involved. Everybody talks of Rule 135 (1) and it being market driven, but there are policies to fight against cartelisation and monopoly in this field also.

When everybody, all the airlines hike their prices together – not even a single airline left – they work like a cartel. Is it not so? We have enough laws to fight against cartelization. We have enough laws to protect our customers. As you said, the customer is the king. We have enough laws to protect our customers who are being looted by this cartel. I must say that they are acting like a cartel. They are proceeding like it is their monopoly. Why do we not step in, we check, we study, we learn and we act to curtain this loot or to

curtain this exploitation? This is because all the airlines simultaneously increase their rates. They fix it too high. Check the flights for the same duration in other countries and how do they charge in their seasons and how are we being charged. It is a great discrimination that our people are facing.

There is a movie called '*Aadujeevitham'* or The Goat Life which is there in the OTT platforms and is successfully running in the theatres. It shows the story of a Malayali person Najeeb who had to spend years in an unknown area in deserts. He was forced to work as a shepherd. It is not a story. It is a real-life incident. Our beloved actor Prithviraj lived like Najeeb. I cannot say he acted like Najeeb; he lived like Najeeb. This is the story applicable to Najeebs who are not getting yearly tickets, annual tickets from their employers, who are not getting accommodation facilities from their employers, who could not even come back to their homes in one year or in two years or in three years or in four years. There are people who cannot come back to their homelands for decades. They are stuck there. We see people from abroad as people with all the facilities. They may wear a good shirt and pant and come back. But the story behind it is very sad. They live in the labour camps. We have seen that in person. They live in labour camps. These are like hostels, one above another with small rooms, in congested areas. There are also no facilities for them. They have six hours to sleep in labour camps and then they have to vacate the place. They also need to come back to see their families. Why do they face such hardships? It is because they want to ensure that their parents are safe, they can buy some medicines, and they can also send their children

to schools. They cannot come here annually because of these high prices. And this is the time when they get leave. But they cannot come home. So, what do they do? They wait for a year or two. They wait for another two or three years. And after four years when they come, what have they been left with? All their savings are looted because of these high air fares. This issue has continuously been discussed in this House. Several Members have raised this issue before, and maybe, in future also, they will come back with this issue. But your yesterday's reply is giving us some hope. I repeat I see some intent to ensure that something is happening in this regard. Apart from our talks and apart from our discussions, they feel that something is happening. So, everybody will appreciate it. Not only Treasury Benches and Opposition Benches in this House, but everybody -- every single Indian and every single person who is out of this country for work and for earning daily bread for their family -- will appreciate it. Even a small step in this regard will be fruitful for them.

16.16 hrs (Shrimati Sandhya Ray *in the Chair*)

To my second question which I asked yesterday, you replied that you will be seriously thinking about appointing a body, maybe a *quasi-judicial* body or a much more powerful body, which can look into this matter and which can, in future, ensure that this is monitored by a law. If an enactment has to be there, and if some law has to be introduced, that must be introduced because they are our brothers and sisters who work not just for their families but for this country too.

Hon. Chairperson, I suggest immediate intervention and resolution by the Government to appoint such a body. I suggest the Government to intervene to embrace competition in this regard. Though they work as a cartel, it is learnt that so many bilateral agreements with foreign countries especially the Middle East are not being reviewed. In this regard, a greater number of routes, flights and trips may help us to fight this monopoly to an extent. Even think about subsidies and financial assistance to poor people who cannot come to their homes to see their parents or children for two or three or four years at a stretch. As we are getting a huge amount from them as remittances, it is time that we could give something back to them.

Hon. Chairperson, our enhanced Consumer Protection Act must be a reply for all these actions and looting by the airlines. We have to enhance our consumer protection. Though all other sectors are market-driven where we all have something to stop from being completely looted, there are no other options here. Yesterday, you have told in the House that now airlines are the new railways. We all want it to flourish more. We all want more connectivity in this sector. So, when airlines are the new railways, it is sure that we do not allow our best operators, we do not allow our train tickets, and we do not allow any other mode of transport to be exorbitant like this while charging the people. When there is no other option to come back to home and go back to work and when our people are being looted on that front, how about Consumer Protection Act being more enhanced on that front?

Hon. Chairperson, how about doing collaboration with host countries. We know a number of Indians who are working abroad. Millions and millions of people are working abroad. We know the great respect that host countries show to our community for helping in developing their countries. We have our roles. You can see Indians in every sector in all countries around us. So, how are we initiating a collaboration with the host nations to explain them this is their labour force and our brothers and sisters who face this situation during this period.

Madam, how about more Government schemes to support them and how about promoting more parallel ways of transport to Dubai and to other places?

Madam, I have read news about even ships being used as a parallel transport mechanism. They may have to travel three days. But this exploitation is at the time of season. If someone wants to do that, how about giving it a try? I have some news that it has happened earlier also. Sir, these actions are a necessity for our citizens who live abroad. While moving this Resolution, I strongly believe that this is not just an exercise of tongue but this will initiate some kind of action from the Government.

Madam, the Indian diaspora throughout the globe is keenly awaiting an action from you. I remember your first response when you took over the Ministry. When you took over the Ministry, you were facing the media and answering them. Then, you said that you want airfares to be affordable for the people of India to travel inside and outside. Believing that as a motto, believing

that as a principle, believing that as a promise and pledge, I urge the Government to intervene immediately. I urge the Government to form a body which can look into this, which can talk to our people abroad, which can talk to their relatives back home, which can know the social consequences and also which can know the economic consequences. Yesterday, I mentioned that I have got two calls just after becoming MP. I got two calls in 30 days. People from abroad call me and say, Sir, if you can, please go and visit my home. I asked them, why. They said, “My father passed away”, “My mother passed away”. I asked him: “Are you not coming”? He says, “If I come now, I cannot go back. I cannot afford the ticket”. If he cannot see his mother or father for the one last time because of their airfare prices, we cannot skip this by saying this is market-driven. This is the largest democratic nation in the world. This is a strong nation. We cannot allow our citizens being looted by any airline company for that matter.

Some capping must be there. At the peak of the season, some capping must be there. At least some capping must be there. So, I hope you would initiate action. You could float a Committee as early as possible to look into this and we can address our people abroad who are keenly waiting for your reply and for your actions regarding this.

Thank you for giving me this opportunity. I once again with folded hands request our Minister and the Government and everybody sitting here to involve in this matter and to raise the voice for our people abroad.

Thank you.

माननीय सभापति : संकल्प प्रस्तुत हुआ:-

" इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि**:-**

(क) वर्ष 1994 में हवाई किराये के विनियमन से पहले**,** हवाई किराये को नियंत्रण में रखने के लिए भारत सरकार द्वारा हवाई किराये को पूर्ण रूप से विनियमित किया जाता था**;**

(ख) मार्च 1994 में वायु निगम अधिनियम के निरस्त होने के साथ**,** एयरलाइनें वायुयान नियम**,** 1937 के नियम 135 के उप**-**नियम (1) के उपबंधों के अंतर्गत समुचित प्रशुल्क निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र हैं**;**

(ग) यद्यपि वायुयान नियम**,** 1937 का नियम 135(4) नागरिक विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) को यह अधिकार देता है कि यदि किसी एयरलाइन ने नियम 135(1) के अंतर्गत अत्यधिक प्रशुल्क निर्धारित किया है या अल्पाधिकारवादी व्यवहार में लिप्त है तो वह ऐसी एयरलाइन को निर्देश जारी कर सकता है; किंतु उक्त प्रावधान नियम 135(1) के अंतर्गत एयरलाइनों को प्रशुल्क निर्धारित करने के लिए दी गई मनमानी और बेलगाम शक्तियों के कारण निष्प्रभावी हो जाता है;

(घ) विनियमन**-**मुक्ति की नीति अपनाए जाने के बाद से**,** बाजार की गतिशीलता और प्रतिस्पर्धात्मकता के आधार पर हवाई किराये में काफी वृद्धि हुई है**;**

(ङ) हाल के वर्षों में, विशेष रूप से छुट्टियों के मौसम के दौरान, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय हवाई किराये में अत्यधिक वृद्धि देखी गई है, जिससे खाड़ी देशों में रहने वाले प्रवासियों सहित बड़ी संख्या में यात्री प्रभावित हुए हैं;

(च) खाड़ी क्षेत्र में अधिकांश प्रवासी श्रमिक अकुशल और अर्ध-कुशल श्रमिक हैं, जिनकी आय सीमित है, छुट्टियों के मौसम में हवाई किराये में बेतहाशा वृद्धि उन्हें हमेशा भारी कर्ज के जाल में फसा देती है;

(छ) प्रवासियों के मामले में, अधिकांश प्रवासी श्रमिकों को केवल छुट्टियों के मौसम के दौरान ही छुट्टी मिलती है इसलिए परिवार के साथ एकजुट होने का भावनात्मक मूल्य उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। प्रायः उन्हें अपनी एक वर्ष की बचत केवल जाने-आने के हवाई किराये के लिए ही चुकानी पड़ती है और कई प्रवासियों को टिकट पाने के लिए भी भारी कर्ज लेना पड़ता है;

(ज) चूंकि एयरलाइंस पीक सीजन के दौरान पूरी यात्री-क्षमता से उड़ान भरती हैं और भारी मुनाफा कमाती हैं, इसलिए 'अविनियमित मूल्य वृद्धि' की वर्तमान नीति अनैतिक, अनुचित और विदेश में रहने वाले गरीब प्रवासी श्रमिकों के साथ अन्याय है;

(झ) यद्यपि नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने 'प्रशुल्क निगरानी इकाईयां' बनाई हैं, लेकिन ये केवल यह सुनिश्चित करती हैं कि एयरलाइनों द्वारा वसूले जाने वाले किराये उनकी वेबसाइटों पर प्रदर्शित एयरलाइनों के निर्धारित प्रशुल्क सीमा में हों;

(ञ) विमानन क्षेत्र में प्रतिस्पर्धात्मकता, विकास और दक्षता सुनिश्चित करने के लिए एयरलाइन कंपनियों को नियंत्रण-मुक्त करने की आवश्यकता है, सरकार उद्योग के प्रमुख हितधारकों यथा यात्रियों की भावनाओं की अनदेखी नहीं कर सकती; और

स्थिति की गंभीरता को समझते हुए, परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी संसदीय समिति की यह टिप्पणी थी कि वर्तमान एयरलाइन निगरानी व्यवस्था के स्व-विनियमन तंत्र एक ओर यात्रियों के वित्तीय बोझ और दूसरी ओर एयरलाइन कंपनियों के प्रशुल्क ढांचे को संबोधित करने के लिए अपर्याप्त हैं।

यह सभा सरकार से आग्रह करती है, कि वह -

(i) हवाई किराये को इस तरह विनियमित करने के लिए, कि किसी विशिष्ट मार्ग पर एयरलाइन द्वारा तय किए जाने वाले अधिकतम किराये की एक उचित ऊपरी सीमा हो, समुचित उपाय करे;

(ii) छुट्टियों के मौसम में अत्यधिक हवाई किराये के मुद्दे पर तत्काल चर्चा करने के लिए एयरलाइन संचालकों, जन-प्रतिनिधियों और अन्य सभी संबंधित हितधारकों के साथ एक संयुक्त बैठक बुलाए; तथा

(iii) हवाई किराये को नैतिक और न्यायसंगत तरीके से विनियमित और इसकी निगरानी करने के लिए एक अर्ध-न्यायिक निकाय की स्थापना करे।"

SHRI DUSHYANT SINGH (JHALAWAR-BARAN): Thank you Madam for giving me the opportunity to speak.

एयर-फेयर के लिए यह रेग्युलेशन, जो आदरणीय श्री शफी परम्बिल जी लेकर आए हैं, इसके बारे में कल हाउस में माननीय मंत्री जी ने उत्तर भी दिया था। इसके संबंध में मुझे इतिहास के बारे में बताने की आवश्यकता है। जब आदरणीय प्रधान मंत्री जी ने वर्ष 2014 में पहली बार शपथ ली थी, तब 74 एयरपोर्ट्स होते थे। उनके कर-कमलों के द्वारा, उनके आदेशों के द्वारा और उनकी निगाह की वजह से आज हमारे देश में 157 एयरपोर्ट्स हो चुके हैं। यह संख्या बढ़ भी रही है।

मैं माननीय प्रधान मंत्री जी को और माननीय मंत्री जी को इसके लिए धन्यवाद देता हूं। मैं उनको धन्यवाद इसलिए देता हूँ, क्योंकि उन्होंने आम आदमी, आम नागरिक, जो गरीब इंसान है, अंतिम छोर का व्यक्ति है, उनको एक अपॉर्चुनिटी दी है कि वह गरीब व्यक्ति भी प्लेन में बैठ सकता है। छोटे से छोटे एयरपोर्ट पर बैठ सकता है, बड़े से बड़े एयरपोर्ट पर बैठ सकता है और प्लेन में उड़कर अपने रिश्तेदारों के पास, अपने क्षेत्र के काम के लिए, अपने व्यवसाय जीवन के लिए एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। यह उनकी सोच थी कि उन्होंने 'उड़ान' स्कीम के द्वारा लोगों को इससे जोड़ने के साथ-साथ लोगों के दिल को जोड़ने का काम किया है और दिल को जोड़ने से हमारे क्षेत्र में एक देश के लिए भावना और देश के लिए भावना केवल एक जगह नहीं, हमारा एक बड़ा देश है, सभी लोग हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। हमारे देश के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है और महत्वपूर्ण होने के नाते आज हमें यह बात करने की जरूरत है कि उनकी वजह से हम इस क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। जो टियर 2 और टियर 3 सिटीज हैं, उनको भी 2,500 रुपये की वायबिलिटी गैप फंडिंग के द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी ने कोशिश की है कि बिड्स के द्वारा एयरलाइन कंपनियाँ छोटी जगहों पर जाएं और उन्हें बढ़ावा देने का काम किया है। आज मुझे यह कहने की भी जरूरत है कि एयरलाइन इंडस्ट्री की जो मेन कॉस्ट आती है, उसकी लगभग 40 परसेंट कॉस्ट एयरलाइन टरबाइन फ्यूल से आती है। आज मुझे यह कहने की जरूरत है कि कोविड के पहले, मैं दिल्ली का

एक उदाहरण दे रहा हूँ, पहले यह 53,515 केएल था और कोविड के समय पर यह बढ़कर 1,31,354 केएल हो गया, लगभग 145 परसेंट यह हाइक थी। इसको देखते हुए मैं मंत्री से आग्रह करता हूँ कि जो एटीएफ का फ्यूल है, वर्तमान में हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के थ्रू जीएसटी काउंसिल से होगा, इससे हमारे क्षेत्र में एटीएफ के रेट्स और मैं सभी माननीय एमपीज से सहयोग माँगता हूँ, अपने-अपने प्रांत के लोगों के लिए, अपने-अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से बात कीजिए ताकि वे रेट्स कम हो जाएं। इससे हमारे सभी के क्षेत्रों में प्लेन के एयर फेयर के रेट्स कम हो जाएंगे। आज मुझे आपको बताने की जरूरत है कि जो हमारा एयरफेयर रेग्युलेशन था, वह एयर कार्पोरेशन एक्ट 1953 से होता था, लेकिन 21 मार्च 1994 को इस एक्ट को रिपील किया गया है और रिपील करने के बाद जो डोमेस्टिक ऐविएशन है, उसे डीरेग्युलेट किया गया है। डीरेग्युलेट करने का मतलब यह है कि हर एयरलाइन कंपनी अपने-अपने रेट्स को फिक्स कर सकती है। एयरलाइन कंपनियाँ अपने रेट्स कैसे फिक्स करती हैं, मुझे उसके बारे में आपको बताने की जरूरत है। लोग बोलते हैं कि इसमें क्या-क्या रेट्स हैं? इसमें बताने की जरूरत यह है कि इसमें कॉमन यूजर टर्मिनल इक्विपमेंट फी है, इसमें यूजर डेवलपमेंट फी है, इसमें ऐविएशन सिक्योरिटी फी है, इसमें पैसेंजर सर्विस फी है, इसमें जीएसटी है और इसमें पैसेंजर सर्विस के साथ-साथ फ्यूल चार्ज है। अगर आप दिल्ली से इंटरनेशनल एयरपोर्ट में जाना चाहते हैं, आप प्लेन से जाते हैं तो आपकी फीस लगभग 52 रुपये 56 पैसे होगी।

सभापति महोदया, यदि हैदराबाद में यह रेट देखें, जहां से माननीय मंत्री जी आते हैं, वहां इंटरनेशनल का रेट 700 रुपये है। यह जो लेवल प्लेइंग फील्ड है, इसे यूजर चार्जेज में जोड़ा गया है। हमने जिन कंसेशनर्स को एयरपोर्ट दिए हैं, उन प्राइवेट ऑपरेटर्स को बुलाकर बात की जाए। जब हम एयरलाइन्स की तरफ देखते हैं और जब कोविड के समय बात की थी, तब सिर्फ एक ही एयरलाइन इंडिगो ही प्रोफिट में थी। एयर इंडिया और इंडियन एयर लाइन्स का मर्जर हुआ था। वर्तमान पैसेंजर्स को फेयर डील मिलनी चाहिए।

मैं मंत्री जी को यह भी कहना चाहता हूं कि यदि हमारे किसी व्यक्ति को दिक्कत आती है तो एक संस्था दूतावास के लिए तय कर लें जो समय पर उस व्यक्ति की सहायता कर सकती है। एयर लाइन प्राइसिंग सिस्टम से रिजर्वेशन बुकिंग डेजिग्नेटर्स बनाए हैं। शफी जी बता रहे थे कि मार्केट डिमांड और सीजेनेलेटी के ऊपर तय किया है लेकिन वर्तमान में डीजीसीए से गवर्न करने की बात रखी है। डी.जी.सी.ए के रेगुलेट करने की बात रूल 135 ऑफ एयरक्रॉफ्ट एक्ट में है। इस टीएमयू, टैरिफ मैकेनिज्म द्वारा डी.जी.सी.ए ने लगभग 50 रूट तय किए हैं लेकिन डी.जी.सी.ए के पास इतनी पॉवर नहीं है कि उसे रेगुलेट करे। एक कमेटी ने भी रिपोर्ट दी है कि जो इंडस्ट्री से निकलकर आते हैं, उन्हें आप इससे जोड़ें और मोनिटरिंग का काम करें। जब पैसेंजर्स की बात आती है और एज़ पर ऑपरेशन वॉयबिलिटी की तरफ देखते हैं तो वर्ष 2008 में एयरपोर्ट इकॉनोमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाई थी। इसका काम लैंडिंग, पार्किंग, हाउसिंग और यूजर्स डेवलपमेंट फी के बारे में था। इसमें संशोधन होगा, इम्प्रूवमेंट होगा तो लोगों को भविष्य में दिक्कत नहीं होगी। एज़-पर सिविल एविएशन मिनिस्ट्री और एज़-पर एयर लाइन्स कम्पनीज, एक विषय रीजनेबल प्राफिट के बारे में है। इस रीजनेबल प्राफिट का कोई एग्रीमेंट नहीं है। एयर इंडिया कुछ और कहती है, इंडिगो कुछ और कहती है। इसके बारे में जानकारी देने की आवश्यकता है। इसने कहा है कि एयर इंडिया कॉस्ट रिकवरी मेथड से काम करती है। इंडिगो कंपनी रिजनेबल प्रॉफिट के बारे में बात करती है। जब हम एयर इंडिया में रिजनेबल प्रॉफिट की बात करते हैं तो यह हाईली इलास्टिक है और यह कम्पीटिटिव है और इसका फेयर मार्केट-ड्रिवेन है। जब आप रिजनेबल प्रॉफिट के बारे में इंडिगो की तरफ देखते हैं तो यह कहती है कि यह डिमांड-ड्रिवेन है, सीट्स-ड्रिवेन है और एस्टीमेट्स कॉस्ट की रिकवरी पर है।

कुछ दिन पहले डी.जी.सी.ए. ने 'अनबंडलिंग ऑफ सर्विसेज' के बारे में कहा था। वह यह थी कि शिड्यूल्ड एयरलाइन्स की जो सर्विस है, इसमें जैसे जीरो बैगेज है, जिसके पास कोई बैगेज नहीं है, जिसके पास प्रिफेरेंशियल सीटिंग नहीं है, जिसके यहां किसी को कुछ खाना नहीं है और उसमें 'ऑप्ट-इन' और 'ऑप्ट-आउट' का एक विषय आता है, उसमें अपने को यह देखने की

आवश्यकता है कि उसमें जो हमारे यात्री हैं, उन्हें इस 'अनबंडलिंग ऑफ सर्विसेज' से थोड़ी राहत मिलनी चाहिए। जैसे जो छोटे बच्चे हैं, उन्हें भी इसमें कुछ राहत मिलने की आवश्यकता है। प्लेन की जो सीट्स हैं, वे एक पकवान जैसी हैं। वे पकवान जैसी इसलिए हैं कि वे पेरिशेबल हैं। अगर आप उसका यूज नहीं करेंगे, तो वे खत्म हो जाएंगे। वर्तमान में हमारी जो एयरलाइन्स कंपनियां हैं, वे उन्हें पेरिशेबल कमॉडिटीज़ जैसी बेचने की कोशिश कर रही हैं। वे यह देखती हैं कि उनका कैपिटल इंवेस्टमेंट कितना है, उनका वर्किंग कैपिटल कितना है, उनका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है, उनका ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर कितना है। उसमें जो फिक्स्ड कॉस्ट है, अगर हम उसे थोड़ा सस्ता कर दें तो हमारी जो टिकट प्राइसिंग है, वह भी थोड़ी सस्ती हो जाएगी।

हम इन एयरलाइन्स को भी रखें और इन्हें आगे बढ़ाने का प्रयास करें। पर, अगर हम उन्हें उनके इंवेस्टमेंट पर रिजनेबल प्रॉफिट्स नहीं देंगे तो इसमें हमें आगे दिक्कत पड़ सकती है। आपको इन्हें प्रॉफिट देने की आवश्यकता इसलिए है, क्योंकि यह एक लेवल-प्लेइंग फील्ड है। यहां जो एयरलाइन्स इंडस्ट्री है, यह प्राइस-ड्रिवेन इंडस्ट्री है। अगर इसमें अच्छी सर्विस नहीं मिलेगी तो इस इंडस्ट्री में गिरावट आ जाएगी। इसमें बहुत कैपिटल इंवेस्टमेंट की आवश्यकता है। इसमें हमें वर्किंग कैपिटल के बारे में बात करने की आवश्यकता है। इसमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और फिक्स्ड कॉस्ट को हमें देखने की जरूरत है।

महोदय, जो फ्लाइट-बुकिंग पोर्टल्स हैं, हमारे चेन्नई से डी.एम.के. के सांसद माननीय मारन जी ने कहा था कि जब वे विस्तारा की फ्लाइट ले रहे थे तो उसके पोर्टल में चेंजेज आए थे। उसके लिए हमें अपने एग्रीगेटर्स की तरफ देखना होगा। हमें डी.जी.सी.ए. के द्वारा एक गाइडलाइन देनी है कि हमारे यात्रियों को सही तरीके से रेट्स उपलब्ध हों।

महोदय, हमारे जो रिज़र्वेशन बुकिंग डेजिग्नेटर्स हैं, उन्हें अच्छी तरह से काम करना होगा। जैसा कि शफ़ी जी बता रहे थे, विदेशों से जो एयरलाइन्स आती हैं, जैसे एयर इंडिया एक्सप्रेस में जो यात्री सफर करते हैं, वे सभी इकोनॉमी क्लास ट्रैवलर्स होते हैं। उसमें हमें देखना है कि इकोनॉमी क्लास में हमारी सीट्स अच्छी तरह से बिकें, उसमें हम कितनी सीट्स को थोड़ा सस्ता

बेचें, जिससे उस एयरलाइन्स की फ्यूएल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट और रेवेन्यू है, वह सही से आ जाए और इसके साथ-साथ एयरलाइन्स कंपनियों को हम थोड़ा रिजनेबल प्रॉफिट दें, जिससे उस क्षेत्र में हमारा कॉमर्शियल ऑपरेशन आगे बढ़ता रहे।

महोदया, अभी मैंने आपको इम्पैक्ट और यूजर फी के बारे में बताया। घरेलू यात्रा में यूजर फी हर जगह अलग-अलग होती है। मैंने आपको 'एरा' के बारे में भी बताया। Passenger Service Fee, Air Navigation Fee, Landing Fee, Parking Fee, Housing Charge, UDF, Fuel Infrastructure Fee, Airport Electric Ground Power Fee, Common Use Terminal Equipment Fee, Common Use Service Fee, Baggage Reclamation Fee, ये जो इतने फीस हैं, इन्हें हमें देखने की आवश्यकता है कि इसको हम किस तरह से लागू करें।

हमने आपको पहले भी कहा है कि हमारे इन क्षेत्रों में प्लेंस हैं। हमारे यहां के प्लेंस में ब्रैट एण्ड विटनी के इंजनों के स्पेयर्स पार्ट्स में खराबी होने के कारण भी बहुत सी एयरलाइंस कंपनीज़ ने प्लेंस को ग्राउंड भी किया है। ग्राउंड करने से जो इनका एमआरओ है, जो मेंटेनेंस है, वह यहां नहीं होता है। जब मेंटेनेंस यहां नहीं होता, इक्यूपमेंट्स नहीं आते, जब प्लेंस उड़ते नहीं हैं, तब प्लेंस की कमी के कारण हमें भी दिक्कत होती है। हम चाहते हैं कि जो हमारे आईएमज़ हैं, जो इक्यूपमेंट्स मैन्युफैक्चरर्स हैं, हमारे देश में, इसमें भी हम थोड़ा भाग लें तो हमारी इंडस्ट्री में सुधार आएगा।

मुझे यह भी कहना है कि हमारे इस क्षेत्र में जो लो कॉस्ट सर्विस है, वह पूरी तरह से मार्केट ड्रिवन है। कुछ क्षेत्रों में चार एयरपोर्ट्स में चार्जेस अलग हैं, लो कॉस्ट में अलग हैं। टिकिट्स को हमें अफोर्डेबल बनाना है। स्टैंडर्ड रेवन्यु मैनेजमेंट को और फोरकास्टिंग को पैरिशेबेल नहीं, लोगों की सुविधानुसार बनाना है। जिससे हम इस क्षेत्र में सभी लोगों को जोड़ सकेंगे। यह काम आसान नहीं है। इसमें सभी लोगों के योगदान की आवश्यकता होगी। जो हमारा ऐरा है, उसको हम आगे ले जाने के साथ-साथ, उनके सहयोग के साथ हम चाहते हैं कि जो हमारा मेन रेग्युलेटर है, जो हमारी

मेन रेग्युलेटिंग एजेंसी है, वह टैरिफ तय करे, एयरपोर्ट फीस तय करे और हमारे साथ सभी स्टेक होल्डर्स को ले कर चले।

महोदया, मैं राजस्थान से आता हूँ और राजस्थान में भी 32-33 एयरपोर्ट्स हैं। हम चाहते हैं कि माननीय स्पीकर जी के क्षेत्र में और मेरे क्षेत्र झालावाड़-बारां में भी एयरपोर्ट की सुविधा मिले। इसीजिए माननीय प्रधान मंत्री जी ने इसको प्रोत्साहन दिया है कि हमारे क्षेत्र में छोटी-छोटी जगहों पर एमआरओ बने। एमआरओ बनने से प्लेंस की रिपेयर एण्ड मेंटेनेंस होगी। मेंटेंस की सुविधा होने से वहां पर हमारे लोगों को जॉब्स भी मिल सकेंगे। इससे लोगों को काम मिलेगा और हर हाथ को काम मिले। इसकी तरफ माननीय प्रधान मंत्री जी और माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने स्किल इंडिया के द्वारा भी बात रखी है। आगे मुझे इतना ही कहना है कि एक समय था कि हमारे क्षेत्र में प्लेन को लोग देखते थे कि हम प्लेन पर कब बैठेंगे। एक समय था कि हमारे पास फोन नहीं होते थे। माननीय वाजपेयी जी ने सबको मोबाइल फोन देने का काम किया। वे टेलिकॉम रिफॉर्म ले कर आए। माननीय मोदी जी ने सब लोगों के दिलों से जुड़ने का काम किया है। हमारे देश का ईस्ट हो या वेस्ट हो, कश्मीर हो या दक्षिण भारत हो, हमारे पूरे क्षेत्र को जोड़ने का काम प्रधान मंत्री मोदी जी ने किया है। मोदी जी ने यह भी प्रयास किया है कि अंतिम व्यक्ति तक हवाई यात्रा की सुविधा पहुंचे। एक समय था कि नीति बड़े लोगों के लिए बनती थी। As facilitators, अब हमने नीति बनाने का काम किया है. We are facilitators to the people of India. We want to help them. We want the industry to grow for the common man of India, जो हमारे जगदम्बिका पाल जी ने कहा है।

मैं चाहता हूँ कि जो हमारा न्यू रेलवे है, जो हमारे शफ़ी जी बता रहे थे कि हमारा न्यू रेलवे हमारा प्लेन है। हमारे लिए यातायात के साधनों द्वारा लोगों को दिलों से जोड़ने का काम भी हो। हमारे पूरे देश में छोटे-छोटे आइलैण्ड भी है।

माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे यहां 25 से ज्यादा वाटर एयर ड्रोन्स की बात रखी है। उन्होंने लोगों के साथ-साथ मंदिरों को भी जोड़ने का काम किया है। आज हमारे अयोध्या में एक भव्य राम मंदिर बना है।

माननीय सभापति: माननीय सदस्य, आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री दुष्यंत सिंह: महोदया, मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं। हमारे क्षेत्र में बहुत अच्छी तरह से काम किया गया है। यह तो टिप ऑफ आइसबर्ग है।

माननीय सभापति: आपका समय पूरा हो गया।

श्री दुष्यंत सिंह: महोदया, मैं एक मिनट में अपनी बात खत्म कर दूंगा। अब एक रेवोल्यूशन आने वाला है। आज आप देख रहे हैं कि यह रेवोलूशन लाने वाला व्यक्ति हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी है। प्रधानमंत्री जी के कर-कमलों द्वारा और मंत्री जी के साथ हम बैठकर कोशिश करेंगे। माननीय शफी जी जो विषय लेकर आए हैं, हम प्राइस को इंडस्ट्रीज़ के साथ रेगुलेट करने का काम करेगें। हम नहीं चाहते हैं कि इंडस्टी खत्म हो जाए। हम चाहते हैं कि इंडस्ट्रीज़ भी चलें, लोग भी बैठें। लोगों के साथ हम इस क्षेत्र को लेकर भी आगे बढ़ें। हमें सभी लोगों को साथ लेकर चलना है। हमें सभी कौमों को साथ लेकर काम करने का प्रयास करना चाहिए।

महोदया, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। मैं माननीय शफी जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि वह एक अच्छे रिजोल्यूशन लेकर आए हैं। हम माननीय मंत्री जी से भी कहना चाहेंगे कि हमारे क्षेत्र का काम और अच्छा हो। जय हिंद, जय भारत।

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Thank you very much, Madam Chairperson.

First of all, I take this opportunity to congratulate the first-time Member of Parliament, Shri Shafi Parambil, from my State for moving this Private Member's Resolution. He has narrated the situation in the best way, for which I extend my hearty congratulations to Mr. Shafi Parambil.

Madam Chairperson, this is one of the very important and sensitive issue so far as the State of Kerala is concerned. That is why, he was so emotional in presenting the issue before this House. Three million people are working in the Middle East countries, in the Gulf countries. If we examine the social status or the economic background of these people, 90-95 per cent of them belong to the lower strata or the middle strata. How is a person or passenger belonging to such a family going abroad and living in the Gulf countries, leaving behind their families and everything else? It is just for their bread and butter. They are working hard there. How are they able to meet this airfare which is coming to even one lakh rupees for the economy class? They have to bear this expense. That is why, he has suggested, and I fully agree with the Private Member's Resolution, that it is not a demand-driven project, but it is absolutely a daylight looting of the passengers of our country by almost all the airlines.

Madam, I still remember that I had a debate with Shri Arun Jaitley ji at the time of privatisation of Air India. The globalised economic philosophy today is: success through competition and survival of the fittest. At that time, he was

arguing with me by saying that when the competition increases in the civil aviation sector, definitely, the beneficiary will be the passengers. Now, the entire airline sector has been privatised. The hon. Minister of Civil Aviation is also present here. Air India is also privatised. I would like to ask a specific question to the hon. Minister whether the Ministry has conducted any study on the impact of privatisation of Air India and what improvement is there in the service of Air India after privatisation. I request him to get this examined. If the Government does a microscopic scrutiny of Air India after the privatisation, they will find that there is no improvement in the efficiency of service. On account of improvement in efficiency, nothing is there. We are also travelling regularly. Last week also, I travelled as a regular traveller in Air India and I felt it very much. This is the situation prevailing. That is why, something has to be done to control these airlines in our country.

That is why, we are saying about the air fares. The people, who are living, especially in the Gulf countries, are finding it very difficult. Suppose, their immediate brother or father or anyone else dies, they are not able to come and attend the funeral ceremony and perform the last rites of their most beloved wife or father or mother. This is the situation prevailing. So, I urge upon the hon. Minister to take it seriously. Not only in the foreign sector but also specifically in the Gulf sector you should have a critical examination. During holidays when schools and colleges are closed or during festivals like Onam, Christmas, and Eid, they are exorbitantly increasing the rates without any reasonable cause. They are increasing the rates only on the reason that this is

demand-driven or the market forces are determining the price of the airfares. Is it the best result of privatisation? That is why, at the time of privatisation, we, the Opposition Members, were strongly and vehemently opposing the privatisation of the airline sector in the country. Now, that has come true. Just now, Shri Shafi has narrated how the prices went up from Rs. 77,000 to more than Rs. 1 lakh. How could it be justified? So, an urgent action and intervention is required from the hon. Minister.

Madam Chairperson, before 1994, the Government of India was having absolute control over all the airlines, and fixation of airfares was also being done by the Government of India. At that time, strict guidelines were there, norms were there in fixing the airfares. Now, after the repeal of the Air Corporations Act of 1994, that is, after the liberalisation, globalisation, and privatisation, the airlines are free to fix reasonable tariff under the provisions of sub-rule (1) of Rule 135 of the Aircraft Rules, 1937. This provision has to be reviewed and relooked. The sub-rule (1) of Rule 135 of the Aircraft Rules, 1937 has to be reviewed. Rule 135(4) of the Aircraft Rules empowers the Director-General, Civil Aviation to issue direction to the airlines in case it has imposed excessive tariff under Rule 135(1) of the Aircraft Rules.

I would like to know this from the hon. Minister. During the period subsequent to the formulation of these rules, how many times the DG, Civil Aviation, has intervened and what relief has been provided or what penalties have been imposed for excessive tariff imposed by these airline companies? We would like to have statistics on it because according to my information

nothing is being done. Now, the airline sector is absolutely dominated by the private airlines. According to their whims and fancies, they are imposing exorbitant charges, which is unaffordable to the poor people of the country, in particular, those ordinary poor people who are living in the Gulf countries.

Madam, subsequent to the deregulation, there have been a huge increase in the airfares depending on the market conditions which have already been narrated. I have rightly mentioned about the migrant skilled and semi-skilled workers in the Gulf countries. What is their salary? It is well-known to everybody.

They are not able to afford these prices. In 2023, the domestic air traffic has grown by 23 per cent. We are having a record 153 million passengers now. By 2030, it will increase by 300 million. My question is this. Whenever the demand and the number of passengers increase, definitely, the price has to come down. We are having 156 million passengers and it is a very good growth as far as air traffic is concerned. By 2030, it will be increased to 300 million. This is the statistics and the Report also shows it. Then why are the airfares not coming down? That has to be explained. That is another point which I would like to make.

Madam, I would like to refer to Report No. 353 of the Parliamentary Standing Committee on Transport, Tourism and Culture. It is very specific. They have given so many recommendations. None of these recommendations have been implemented so far. I would like to go through some of the very important recommendations. Firstly, it states that :

"The Committee reiterates its view that passengers should receive a fair deal at all times and recommends that the Ministry should have a relook in its policy regarding regulation of airfare tariff in view of the sudden surge in airfares in normal times as also during disasters and calamities and take appropriate actions in consonance with the powers delegated to it under Rule 135 of the Aircraft Act, 1937".

Has any action been taken by the DGCA by invoking the power under Rule 135? Their power is absolutely there in the provision, but nothing is being done. This is the experience, which goes to show it. Otherwise, let the Minister explain and convince the House that it is being done in a proper way.

What is the term 'reasonable profit'? This is the word which is being misused and misquoted by these airline companies. What is 'reasonable profit'? Who is determining 'reasonable profit'?

The Committee further says: "The Committee is of the opinion that the term 'reasonable profit' should be clearly defined in the Rules, taking into account various financial and operational factors, as it is the most significant aspect for controlling the surge in the airfares, which affects the common man". What else is required?

This is the recommendation of the Standing Committee on Transport, and specific recommendation has been given to the Government that the term 'reasonable profit' is being misused by the airlines in the country. This has to be reviewed, relooked, and it should be affordable to the common man. This is

the recommendation of the Standing Committee on Transport. What action did the Government take on the recommendation of the Parliamentary Standing Committee?

There are so many recommendations and I am not going through all of them. Further, the Committee recommends that the Ministry, in consultation with the airlines, should devise a mechanism or a formula so that the concept of 'reasonable profit' as provided explicitly in Rule 135(1) of the Aircraft Rules, 1937 is adhered to. It has already been explained. Hence, I am not going into the details of it.

Further, the Committee also recommends setting up of a grievance redressal mechanism to deal with such complaints. A specific demand in Mr. Shafi Parambil's Private Members' Resolution is to have a separate quasi-judicial mechanism so as to look into the airfares to see whether they are excessive, reasonable, just or genuine. This has to be looked into and for that a quasi-judicial mechanism has to be provided. Though the word 'quasi-judicial' is not being used by the Parliamentary Standing Committee on Transport, yet they have recommended setting up of a grievance redressal mechanism to deal with such complaints. The Committee also recommends that the Ministry may ensure the proper implementation of the existing Rule 135 of the Aircraft Rules, 1937, which is the national law in India for fixing of reasonable airfares by the airlines for the benefit of the passengers. The Committee further states that the Ministry may devise suitable monitoring mechanism to keep a check on the sudden surge in prices during the festive

season or holidays or natural calamities, as it has a negative impact on tourism.

One of the major incomes of my State of Kerala is tourism. It is well-known to all. It is being described as ‘God’s own country’. During the tourism season, vacation season and also during the festive seasons, exorbitant rates are being imposed on the passengers, and the Committee is very specific that a suitable monitoring mechanism has to be put in place so as to check the sudden surge in prices. … (*Interruptions*)

Madam, I am concluding in a couple of minutes. The Committee further mentions that the AERA, in consultation with the various stakeholders, may look into the feasibility of reducing the various components of airfares, which may result in decrease in airfares.

I would like to draw the attention of the hon. Minister to the fact that not only in the airlines, but also the Government has to do a lot of things on the other issues. I am saying this for the tax on air fuel and so many other issues also. Just now Mr. Dushyant was mentioning about some of these other components, which are being enhanced. So, definitely the Government has to come forward on how to address the issue; how to minimise or address the issue of the highest airfare in the country; and regulate all these things.

17.00 hrs

It has already been mentioned here that the Airports Council International conducted a study of 36,000 routes in the top 10 aviation markets in Asia-Pacific and in the Middle-East. It found that India saw the highest

airfare increase of 41 per cent, followed by UAE which is 34 per cent, Singapore which is 30 per cent and Australia which is 23 per cent. International airfares in particular have seen a 50 per cent increase in the September-December quarter of 2022 compared to the same quarter in pre-Pandemic period in 2019. This is the situation prevailing in the country.

Madam, if you travel by IndiGo and such low-cost airlines, you would not even get drinking water which is the basic human right to get drinking water and a similar situation is also there for the seating arrangement. There is a Committee report regarding special fee for the seats. If you want to sit in the front row, you have to pay Rs. 1,500. We, the Members of Parliament, are suffering because we have to pay Rs. 1,500 from our pocket. The Lok Sabha Secretariat does not pay for this.

Yesterday, the hon. Minister gave a very good reply. We all congratulate him. Now, Indian civil aviation has become the railways of India. Railways is improving in so many aspects now, whether it is railway stations or trains like Vande Bharat. I would like to urge the hon. Minister to pay a special attention to this airfare issue and to bring some legislative amendment. We will fully support the Government. The Government should have some definite and specific role to control the airfare.

I would like to suggest that the Government should examine this special case of the Middle-East countries from where the poor people are travelling every day for jobs and bread and butter.

Once again, I fully support the Private Member's Resolution brought by Shri Shafi Parambil. It is the first Private Member's Resolution of the 18th Lok Sabha. I would request all the hon. Members and the Government to pass this Resolution since this Bill has the unanimous support from all the hon. Members of this House.

डॉ. निशिकान्त दुबे (गोड्डा) : माननीय सभापति जी, मैं नए सदस्य शफी परम्बिल साहब के पहले रिजोल्यूशन के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। सौभाग्य है कि नए कैबिनेट मंत्री राममोहन नायडू जी भी यहां बैठे हैं और इनसे पहले जो मंत्री थे, सिंधिया जी, वह भी यहां बैठे हैं। मैं इन दोनों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि माननीय प्रधान मंत्री जी जिस नीति और नीयत को बढ़ाना चाहते हैं, उसे पहले सिंधिया जी और अब राममोहन नायडू जी आगे बढ़ाने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, दिन-रात मेहनत कर रहे हैं।

यहां बड़ी बात होती है कि आप इस पर क्यों चर्चा करते हैं, उस पर क्यों चर्चा करते हैं? शफी साहब और एन.के. प्रेमचन्द्रन जी जिस पार्टी का समर्थन करते हैं, उनको समझना चाहिए और देश को बताना चाहिए कि आखिर इस तरह की सिचुएशन पैदा कैसे हुई? आज हम संसद में चर्चा कर रहे हैं, मंत्री जी से कह रहे हैं कि कानून बदलो। क्या कभी आपने इसके बारे में सोचा है कि वर्ष 1937 का एक्ट जो वर्ष 1957 में बना, जवाहर लाल नेहरू जी बनाकर गए तो उसे वर्ष 1994 में सारे घर को बदल डालूंगा के आधार पर कांग्रेस ने क्यों बदला?

जो सुझाव प्रेमचंद्रन साहब माननीय मंत्री जी को दे रहे हैं, जिस एक्ट को बदलने की बात कर रहे हैं, जिस एक्ट को मजबूत करने की बात कर रहे हैं, उस एक्ट को खत्म किसने किया? आज एयर इंडिया बिक गया, इंडियन एयरलाइंस बिक गया, क्यों बिक गया? बिक इसलिए गया, क्योंकि भारत सरकार की जिम्मेवारी अमीर इलाकों के साथ-साथ गरीब इलाकों में भी एयरलाइंस चलाने की थी। जहां पैसेंजर नहीं मिलते थे, अगरतला में जाना है, नॉर्थ ईस्ट में जाना है, गुवाहाटी में जाना है, उस जमाने में पटना में जाना था और गया जैसे छोटे जगह पर जाना था तो एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस जाती थी। कम पैसे पर जाती थी। उसका फेयर गर्वनमेंट ऑफ इंडिया रेगुलेट करती थी। यही कारण है कि वह पैसा नहीं कमाने के कारण धीरे-धीरे प्रॉब्लम में चली गई। समस्या तब आ गई जब आपने इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया का मर्जर कर दिया। आज टेलीफोन में यदि टैरिफ कंट्रोल है, यदि 40 पैसे में हम फोन पर बात कर पा रहे हैं तो इसीलिए कर पा रहे हैं कि सब कुछ होने के बावजूद बीएसएनएल और एमटीएनएल को भारत सरकार ने नहीं

बेचा है। उसने एक रास्ता दिया है कि चाहे एयरटेल महंगा हो जाए, वोडाफोन महंगा हो जाए, रिलायंस महंगा हो जाए या कोई भी महंगा हो जाए, लेकिन भारत सरकार 140 करोड़ आदमी के साथ खड़ी है और वह एक सस्ते दर पर मोबाइल फोन लोगों को देगी, टैरिफ देगी। लेकिन, जो इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया फायदे में थी आपके जीओएम ने, माननीय चिदम्बरम साहब ने ऐसी सिचुएशन पैदा की कि प्रत्येक साल 30 हजार करोड़, 40 हजार करोड़, 50 हजार करोड़ रुपये नुकसान में जाने के कारण आज भारत सरकार को एयर इंडिया बेचनी पड़ी । जब बेच देंगे तो भारत सरकार के पास इस एक्ट के खत्म होनें के बाद कौन-सा मैकेनिज्म है, जिसके आधार पर वह रेगुलेट कर सकें। आप वर्ष 1994 से आगे बढ़िए। वर्ष 1994 में आ गया, प्राइवेटाइजेशन हो गया, ईस्ट-वेस्ट एयरलाइंस आ गई, जेट एयरवेज आ गई, इवेन किंगफिशर एयरलाइंस आ गई, सारी एयरलाइंस आ गई। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आ गई, जिस अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस को प्रॉफिट में डाला, इसके बावजूद भी उस एक्ट में जो वर्ष 1973 में इंदिरा जी ने, आप लोग चूंकि लोगों को भूल जाते हैं, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं। हम नेहरू जी और इंदिरा जी का आदर करते हैं। उन्होंने जो एक्ट 135-बी लाया था, एयरक्राफ्ट एक्ट, 1957 में, जो फिर भी डीजीसीए को अधिकार देता था। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार गई तो सितम्बर, 2004 में उस 135-बी एक्ट को भी खत्म कर दिया गया। क्या कारण था? आप यदि कहेंगे कि हमने डी-रेगुलेट इसलिए किया, क्योंकि प्राइवेट एयरलाइंस को एडजस्ट करना था तो हमारे समय में भी तो एडजस्ट था। छः साल हमारी भी तो सरकार थी। हमें तो यह कभी नहीं लगा। लेकिन, आपने क्या किया? जिस दिन आपने 135-बी एक्ट को खत्म कर दिया, उसके बाद भारत सरकार के हाथ में कुछ नहीं बचा। आज जब हम यह चर्चा करते हैं तो यह पूरे देश को समझने का सवाल है कि कांग्रेस की नीतियों के कारण, उस लिगेसी प्रॉब्लम के कारण आम जनता, 140 करोड़ जनता परेशान है। मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं कि जब मैं यहां वर्ष 2009 में सांसद बनकर आया तो मैक्सिमम मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट यही बात कहते रहे कि हमारे इलाके में रेल जानी चाहिए, रेल का स्टॉपेज होना चाहिए, पैंसेजर ट्रेन होनी

चाहिए, यही सब वर्ष 2009 से लेकर वर्ष 2014 तक चलता रहा । लेकिन, वर्ष 2014 में जब माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बनें तो उन्होंने कहा कि हवाई चप्पल वाले को भी प्लेन में बैठाएंगे, जिसको सिंधिया साहब ने कैरी किया। आज 70 एयरपोर्ट्स से 157 एयरपोर्ट्स हो गये हैं। चूंकि मैं भी उस योजना का पार्ट हूं, मेरे यहां एक छोटी सी जगह देवघर में, संथाल परगना में सिंधिया साहब गए थे, जहां ट्रेन नहीं रुकती थी। आज वहां हवाई जहाज रूकता है। वहां से हवाई जहाज उड़ता है। वहां से बेंगलुरु, दिल्ली, कोलकाता, राँची, पटना के लिए प्लेन है, सभी जगह के लिए प्लेन है, केवल डेढ-दो सालों में । अभी केवल डेढ़-दो साल ही हुए हैं । मैं देख रहा हूं और आज पूरे पार्लियामेंट में यह चर्चा हो रही है कि हमारे यहां एयरपोर्ट्स बने और हमारे यहां हवाई जहाज उड़े। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा लाया गया यह सबसे बड़ा चेंज है। रेल पर चर्चा करते-करते आज हम हवाई जहाज पर चर्चा कर रहे हैं। यही देश का विकास है।

सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि तीन बातें हैं। एयरलाइंस कंपनियां आपदा में अवसर ढूंढ़ने की कोशिश करती हैं। प्रेमचन्द्रन साहब, जिस रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, हम आप जो बातचीत कर रहे हैं, वह उसके आधार पर नहीं हुआ है। कोरोना काल में एयर फेयर बढ़ने लगा । चूंकि भारत सरकार के पास कोई मैकेनिज्म नहीं था, इसलिए एयरलाइंस कंपनियों ने आपदा में अवसर ढूंढ़ लिया। उस कमेटी में दुष्यंत सिंह जी 20 साल तक परमानेंट मेंबर रहे हैं। अब शायद कमेटी चेंज हो गई, इनकी बातचीत से ऐसा लगता है।

मैं आपको बताऊं कि उस कमेटी के सामने सभी एयरलाइंस कंपनियां और भारत सरकार गई। परम्बिल साहब का जो संकल्प है, प्रेमचन्द्रन साहब ने उस संकल्प के सपोर्ट में जो कहा है, वह उसका एक पहलू है। इसमें तीन तरह के पहलू हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि इसको तीन तरह से हैंडल करने की आवश्यकता है।

आपको पहला काम यह कहना है कि जो इंटरनेशनल यात्री हैं, हमारे यहां के जो लोग इंटरनेशनल एयरलाइंस से जाते हैं, वह एयरलाइंस, भारत सरकार ने बाइलेटरल में जिन एयरलाइंस को यहां आने की इजाजत दी है, उन दोनों के बीच में कौन-सा कानून लागू होता है?

यदि आप डोमेस्टिक के लिए कहेंगे कि एयर इंडिया को ये लेना है, इंडिगो को ले लेना है, विस्तारा को ये लेना है, लेकिन डीजीसीए का अधिकार विदेशी एयरलाइंस पर कैसे है और उसको कैसे एक्ट में लाएंगे, आप मुझे यह बता दीजिए।

दूसरा, वहां भी आपके पास लीगेसी प्रॉब्लम है। उसको कैसे सॉल्व करेंगे? जो बाइलेटरल एग्रीमेंट है, वर्ष 2014 के पहले पूर्ववर्ती सरकारें जो काम करके चली गई हैं, उसको कैसे सुधारेंगे? क्योंकि सरकार तो एक कंटिन्यूटी का प्रोसेस है। वह डोमेस्टिक लोगों का है, जिसमें हम लोग देश के भीतर ट्रैवल करते हैं। यदि वहां आपका अधिकार है, तो वहां पर जो एयरपोर्ट है, उसमें जो स्लॉट है, वर्ष 2014 में कई एक स्लॉट को लोग बांटकर चले गए। मान लीजिए कि उसके बाद कुछ एयरलाइंस कंपनियां डूब गईं, तो उसका क्या करेंगे?

तीसरा, जैसा कि मैंने कहा कि रेल, पानी और ट्रांसपोर्ट के अलावा अब कार्गो ट्रांसपोर्टेशन का एक बड़ा मोड हो गया है। मान लीजिए कि अपनी इकोनॉमी को बढ़ाना है, किसी को फूल भेजना है, किसी को सब्जियां या अन्य चीजें पहुंचानी हैं, सस्ते दर पर पहुंचानी हैं, तो उसका क्या करेंगे? यदि इसको तीन विभागों में विभक्त करके उनसे बात करेंगे, तो मुझे लगता है कि हम शायद समाधान के ज्यादा नजदीक जा पाएंगे। इंटरनेशनल ट्रैवलर के साथ क्या करेंगे, डोमेस्टिक ट्रैवलर के साथ क्या करेंगे और फिर कार्गो के साथ क्या करेंगे, क्योंकि इससे इस देश की इकोनॉमी को बढ़ना है।

मैं आपको बताऊं कि नियम 135 के बारे में बार-बार बात हो रही है, जिसके आधार पर हम प्राइस मैकेनिज्म को देखते हैं कि वेबसाइट पर डाला और वह उससे बाहर तो नहीं जा रहा है। पूरी दुनिया में डायनामिक फेयर का एक सिद्धांत है, चाहे वह यूके चला रहा हो या यूएस चला रहा हो, उसमें जो लैकुना है, मैं वर्ष 2008 के एक्ट की बात करूंगा, इन्होंने एक 'एरा' बना दिया है। इन्होंने बनाया है, हमने नहीं बनाया है। ये ही सब कुछ बनाकर गए हैं। सरकार के हाथ-पैर बांध दिए हैं।

अब आप समझिए कि जो 'एरा' है, वह मेजर एयरपोर्ट की बात कर रहा है। जैसे दुष्यंत सिंह जी ने एटीएफ की बात कही है, एयर फेयर बढ़ने या उसके चार्ज का जो मेजर कंपोनेंट है, चूंकि

एटीएफ जीएसटी का पार्ट नहीं है, इसलिए अलग-अलग राज्य सरकारें अलग-अलग एटीएफ लेती हैं। उसमें सबसे बड़ी समस्या है कि किसी राज्य में एटीएफ का दाम कुछ है, मुंबई में कुछ है, कर्नाटक में कुछ है और हमारे यहां कुछ है।

एटीएफ के बाद मेजर एयरपोर्ट के लिए 'एरा' बनाता है कि आप लैंडिंग चार्ज क्या लेंगे, आप पार्किंग चार्ज क्या लेंगे। लैंडिंग और पार्किंग चार्ज के अलावा जो एयरोनॉटिकल चार्ज है, एक जगह से दूसरी जगह जाने का जो फेयर है, वह 'एरा' तय कर देती है।

मान लीजिए मैं तिरुवनंतपुरम या बेंगलुरु या बड़े-बड़े शहरों के एयरपोर्ट्स को भी मेज़र एयरपोर्ट्स मान लेता हूं और वह यदि दिल्ली तक आ गया, मुंबई तक आ गया तो वह टैरिफ ऐरा (AERA) तय कर दे, लेकिन जो मेरी जैसी छोटी जगह देवघर एयरपोर्ट पर आएगा या झारसुगुड़ा या जुएल ओराम साहब के क्षेत्र में आएगा या ग्वालियर में माननीय मंत्री जी के क्षेत्र में जाएगा या विजयवाड़ा जाएगा, आप यह बताइए कि इसका टैरिफ कौन तय करेगा? ऐरा रेगुलेटरी बॉडी है। मैं यही कह रहा हूं। मैं आप ही की बात पर आ रहा था कि एक मैकेनिज्म रेगुलेटरी बॉडी तय करता है, जिसमें सरकार का कोई लेना-देना नहीं है, कोई हस्तक्षेप नहीं है। एक मैकेनिज्म है, जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इण्डिया तय करती है या मिनिस्ट्री ऑफ सिविल ऐविएशन तय करती है। अब यदि आप एक-दूसरे के रास्ते में आएंगे तो कौन तय करेगा? Who will be the authority? मैं आपको बताऊं कि केवल 135 को मजबूत करने की बात नहीं है, डीजीसीए को मजबूत करने की बात नहीं है, इसमें ऐरा कैसे मजबूत होगा, ऐरा के एक्ट में क्या संशोधन करना पड़ेगा? जब तक मंत्री जी नहीं सोचेंगे, तब तक इस समस्या का कोई समाधान नहीं होगा। हम लोग ऐसे ही बातचीत करते रहेंगे, लोगों को दिखाते रहेंगे कि हम 140 करोड़ आदमियों के लिए हैं तो कैसे टैरिफ कम हो जाएगा।

महोदया, एयरलाइन्स कंपनी ने कमेटी में आकर जो कहा, वह और भी महत्वपूर्ण है और सोचने लायक चीज है। वह यह कह रहा है कि हम कॉम्पिटेटिव प्राइस पर प्राइस मैकेनिज्म तय करते हैं। हमारे यहां केवल एक ही इंडिगो एयरलाइन्स जाती है तो उसका कौन सा कंपटीशन है? शफी जी कह रहे थे कि कार्टेलाइजेशन है, मैं उससे एकदम सहमत हूं, मतलब मैं आपकी बात को

डिसएग्री नहीं कर रहा हूं, लेकिन जहां केवल एक ही एयरलाइन्स जा रही है, वहां क्या प्राइस मैकेनिज्म है? यदि मैं पटना जाऊं तो मैं पांच हजार के फेयर पर जाता हूं और यदि मैं अपने यहां जाऊं तो हमारे लोग दिल्ली से 15 से 20 हजार रुपये से कम पर नहीं जाते हैं। वे गरीब जगह पर जाते हैं। तीसरी बड़ी अच्छी नीति है, जिससे पूरे देश के आम नागरिक को बहुत फायदा हुआ। छोटी-छोटी जगहों पर एयरपोर्ट्स हैं, जैसे आयुष्मान भारत के कारण छोटी जगहों पर हेल्थ के लिए हॉस्पिटल्स खुले हैं, वैसे ही उड़ान स्कीम के तहत एयरलाइन्स कंपनियों को फायदा हुआ है। मैं दरभंगा एयरपोर्ट का उदाहरण देता हूं। कोरोना काल में दरभंगा एयरपोर्ट का बड़ा नाम हुआ कि यदि सबसे ज्यादा पैसेंजर कहीं से आ रहे हैं या जा रहे हैं तो वे दरभंगा एयरपोर्ट से जा रहे हैं, क्योंकि उड़ान स्कीम में वहां एयरलाइन्स कंपनी ने जगह ले ली और स्लॉट ले लिया। आप जिस दिन उड़ान स्कीम का पैसा खत्म करते हैं और जिस दिन योजना खत्म होती है, उसी दिन एयरलाइन्स कंपनी भाग जाती है। यह मैकेनिज्म जो तय कर रहे हैं, वह तो कहते हैं कि हम तो प्रोत्साहित कर रहे हैं, जिससे कि वह सेक्टर मजबूत हो। सेक्टर के लिए जो बिडिंग हो रही है, वह किससे पूछकर तय हो रही है? उसमें कौन से स्टेकहोल्डर्स शामिल हैं? यदि उसमें शामिल नहीं हैं तो इसमें एक बड़ी कंपनी स्पाइसजेट है, मैं उसका नाम लेकर कहता हूं। उसका काम केवल यह है कि उड़ान स्कीम में गवर्नमेंट का पैसा लेना, फिर उसके बाद बंद कर देना। … (व्यवधान) मैं एक-दो कंक्रीट सजेशन देते हुए अपनी बात दो-चार मिनट में समाप्त कर दूंगा।

महोदया, जैसे मैंने एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइन्स के बारे में बताया कि वे छोटी जगहों पर जाते थे, जिसके कारण गरीबों को फायदा होता था, लेकिन मंत्री जी यह मैकेनिज्म कौन तय करेगा कि आपके यहां जो बड़ी कंपनियां एयर इंडिया, विस्तारा हैं, वे छोटी जगहों पर अपना हवाई जहाज क्यों नहीं चलाती हैं? वे क्यों प्राफिट वाली मार्केट में ही जाने की कोशिश करती हैं? सभी को दिल्ली और मुंबई के बीच में ही क्यों आवश्यकता आती है, लोगों की बेंगलुरु ही क्या आवश्यकता होती है? इसके लिए मेरा आपसे दूसरा सुझाव है कि जब टेलीकॉम कंपनी को हमने डीरेगुलेट किया और यह नरसिम्हा राव ने ही किया था, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। उनके

समय में ही यह मोबाइल फोन आया तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक बहुत बढ़िया मैकेनिज्म लागू किया। वह दो-तीन साल के बाद प्रधान मंत्री बन गए थे।

उसको यूनिवर्सल सर्विस ओबलिगेशन फंड (USFO) कहते हैं, जिसको अब सिंधिया साहब देख रहे हैं। जिसमें, यदि आप नेगलेक्टिड एरिया, एस्परेशनल डिस्ट्रिक्ट, एलडब्ल्यू एरिया और पिछड़े क्षेत्र को सर्व नहीं करेंगे तो उनसे पेनल्टी ली जाएगी। बीएसएनएल, एमटीएनएल, एयरटेल, वोडाफोन और रिलायंस यूएसएफओ के पार्ट हैं। आप उस तरह का मेकैनिज्म डेवलप कीजिए। हमारे यहां 157 एयरपोर्ट्स हैं। उनमें से कुछ से तो बहुत प्रोफिट आ रहा है लेकिन कुछ एयरपोर्ट्स से सोशल ओबलिगेशन के तौर पर हवाई जहाज चलाने हैं। क्योंकि, आपके पास ही सर्टिफिकेशन देने का अधिकार है, उनको स्लॉट देने का अधिकार है। आप ही के आधार पर वे चलते हैं, क्योंकि अभी तक हमने किसी भी एयरपोर्ट को प्राइवेटाइज़ नहीं किया है। भारत सरकार सभी में स्टेक है। इसलिए आप उनसे कह सकते हैं कि आप प्रोफिट में रहने वाले एयरपोर्ट्स के साथ-साथ एस्परेशनल डिस्ट्रिक्ट को सर्व कीजिए। तभी उनमें कम्पीटिशन होगा, नहीं तो, एक एयरलाइन एक ही एयरपोर्ट पर जाती रहेगी और वहीं से कम्पीटिशन की बात करती रहेगी।

अंत में, मेरा सुझाव है कि प्रत्येक महीने आपको एक कमेटी अलग से बनानी चाहिए जिसमें डीजीसीए, ऐरा और आपके मंत्रालय के लोग हों। इसमें यह देखा जाए कि सभी सेक्टर्स में हर महने में क्या फाइनल एयर फेयर था? उस एयर फेयर के आधार पर डायनेमिक प्राइसिंग के आधार पर सीट्स भरी जा रही है। या खाली जा रही हैं। मैंने कई जगह देखा है कि डायनेमिक प्रिंसीपल के आधार पर रेट बढ़ाने के लिए यह कहते हैं कि हमारी सीट्स फुल हैं, लेकिन 20-25 सीट्स खाली होती हैं। कितनी सीट्स भरी गयीं? कितनी सीट्स से आपने शुरू किया और कितने पर आपने खत्म किया? यदि इसको देखने के लिए एक कमेटी आप बना देते हैं और समय-समय पर, हर तीन-चार महीने पर, पार्लियामेंट को इसकी जानकारी देते रहेंगे तो मुझे लगता है कि 140 करोड़ लोगों के साथ हम न्याय कर पाएंगे। ‘उड़े देश का आम नागरिक’ और हवाई चप्पल पहनने वाले प्लेन में जाएंगे। 157 से 500 एयरपोर्ट्स तक जाने वाला है। यह बहुत बड़ा मार्किट है। एयर

इंडिया और इंडिगो ने बहुत सारे प्लेन्स के ऑर्डर दिए हुए हैं। इससे पूरी दुनिया को पता चलने वाला है कि भारत का एविऐशन सेक्टर इतना बढ़ने वाला है। इसके बाद पानी से भी जहाज उड़ने वाला है, ड्रोन से भी होने वाला है। इसके लिए बड़ी पॉलिसीज़ आएगी। इन सभी पॉलिसी को हम सक्सैसफुल कर पाएंगे। आपने मुझे समय दिया, आपका धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ, जय हिंद! जय भारत!

श्री गुरजीत सिंह औजला (अमृतसर) : सभापति महोदया, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस पर बोलने का मौका दिया। श्री शफी परम्बिल बहुत अच्छा बिल लेकर आए हैं।

महोदया, एयरलाइन की यह समस्या पूरे देश में ही है। आजकल समय सभी के पास कम है और सभी चाहते हैं कि वह बाई एयर ही सफर करें। आम तौर पर पारिवारिक लोग दो-दो, चार-चार की संख्या में जाते हैं और जब उन्हें पता चलता है, जैसे कि दिल्ली से चंडीगढ़ को ही लें, कि नॉर्मल एयर फेयर 15-15 हजार रुपये, 18-18 हजार रुपये एक आम टिकट का होता है। यह इकोनॉमी क्लास का होता है। कई बार तो ऐसा होता है कि इकोनॉमी क्लास की टिकट 18 हजार रुपये की होती है और बिज़नेस क्लास की टिकट 22 हजार रुपये की उसी एयरलाइन में होती है। इस तरह की मुश्किलात् का आम पब्लिक को सामना करना पड़ता है।

महोदया, यहां से चंडीगढ़ महज़ सवा दो सौ किलोमीटर है और उसका किराया 7 हजार रुपये, 8 हजार रुपये, 10 हजार रुपये, 15 हजार रुपये, कुछ भी वसूल रहे हैं। सिर्फ 30 मिनट की फ्लाइट है। लेकिन, पता नहीं क्या मैकनिज्म है कि बोर्डिंग पास पर लिखा होता है कि एक घंटे की फ्लाइट है, जबकि फ्लाइट 30-35 मिनट की होती है। इसे डीजीसीए रेगुलेट करता है । उसके पास पावर है। सैक्शन 135(1) की जो बात की गई है, उसको पावर देने की जरूरत है। ट्रांसपोर्ट की स्टैंडिंग कमेटी की दिनांक 10 अगस्त, 2023 की रिपोर्ट प्रेजेंट हुई है, उसके बावजूद भी कोई बदलाव नहीं है।

कोरोना काल में पूरी दुनिया से यह बात आई है कि जो एयरलाइन कंपनीज़ हैं, उन्होंने उसके बाद से किराया तीन-तीन, चार-चार गुना बढ़ा दिया है। उसके बाद किसी ने भी किराए को कम नहीं किया। जब कभी कोई इमरजेंसी आती है जैसे कभी फ्लड का माहौल बन गया या किसानों का एजीटेशन था, तब एयरलाइन्स द्वारा चंडीगढ़ का किराया 70-70 हजार रुपये वसूला गया था। अमृतसर, चूँकि टूरिस्ट सिटी है। वहां पर बहुत लोग आते हैं। वहां एवरेज एक दिन में करीब एक लाख से डेढ़ लाख लोग आते हैं, लेकिन जब किराये में इतनी बढ़ोतरी होती है तो लोगों के पास ऑप्शन नहीं होता है।

अभी इंटरनेशनल फ्लाइट्स की बात हो रही थी। आप मानेंगे कि अमृतसर से सिंगापुर जाने के लिए किराया विद् इंक्लूडिंग होटल 20 हजार रुपये है। सिंगापुर हो गया, मलेशिया हो गया तो वहां की एयरलाइन दे रही है। इंटरनेशनल एयरलाइन तो इतने में दे रही है, लेकिन डॉमेस्टिक एयरलाइन नहीं दे रही है। जैसे पंजाब से बहुत से लोग यूएई में है, गल्फ में हैं। वे लेबर क्लास हैं। वे लेबर के काम से जाते हैं, लेकिन अमृतसर से जो स्पाइसजेट फ्लाइट है, चूँकि मैं अमृतसर की बात कर रहा हूँ। वहां से दुबई के लिए, शारजहां के लिए इंडिगो है, एयर इंडिया एक्सप्रेस है। एयर इंडिया एक्सप्रेस आपको सबसे महंगी मिलेगी। उसकी वन-वे की 28-28 हजार की टिकट है। अगर आप वही टिकट दिल्ली से लेंगे तो 16-17 हजार रुपये की मिल जाएगी। वहां से दूरी 400 किलोमीटर कम पड़ती है, लेकिन टिकट 25 परसेंट से 35 परसेंट महंगा है।

वहां पर लेबर क्लास है। वहां उन पर कोई मुश्किलात आ जाए, डेथ हो जाए तो लोग सफर भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनकी आमदनी बहुत कम है और किराया बहुत ज्यादा वसूला जा रहा है। उसके बाद डीजीसीए में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वह तय तो कर रखी है, लेकिन मेरा मानना है कि मंत्रीगण चेंज हो जाते हैं, दूसरे मंत्री आ जाते हैं। निशिकान्त जी जब शुरू होते हैं तो ये 10 साल या 20 साल पुराने से शुरू करते है। इनका तो कांग्रेस के बिना भाषण शुरू ही नहीं हो सकता है। निशिकान्त जी कांग्रेसजीवी हैं तो ये उससे ही शुरू करते हैं। मैं इनको यही कहना चाहता हूँ कि इन्होंने जो हवाले दिए हैं कि आपने यह गलत किया तो आपकी गवर्नमेंट को 10 साल हो गए हैं। अब तो आप इसे चेंज कर सकते थे। आप धारा 370 हटा सकते हैं, और दूसरे कानून ला सकते हैं तो इसे भी आपको चेंज करना था, लेकिन आपने नहीं किया।… (व्यवधान)

आप सब कुछ कर सकते हैं। आपने बीएसएनल, एमटीएनल की बात की तो मैं आपसे यह कहता हूँ कि आप बीएसएनएल का हाल तो पता कीजिए, क्या हाल है? गांव में जहां तक वे लोग सर्विस देते थे, अब वहां पर कोई मुलाजिम ही नहीं है। पब्लिक सेक्टर की जितनी यूनिट्स हैं, आप तो एक एयरलाइन की बात कर रहे हैं।… (व्यवधान) शायद कोई भी नहीं कर रहा है, बहुत कम लोग होंगे। … (व्यवधान)

मैडम, जितनी भी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं, मैं मानता हूं कि उस समय प्राइवेट एयरलाइन्स को लाने के लिए वर्ष 1994 में एक्ट आया होगा, लेकिन मैं कह रहा हूं।… (व्यवधान) उसके बाद पूरे देश के पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को बेचकर सारे देश को प्राइवेट कर दिया। आप जितने एयरपोर्ट्स की बात कर रहे हैं, अडानी जी के कितने एयरपोर्ट्स हैं, रेलवे किनके पास हैं, आप सारे देश को बताएं। यह जो बिल है, उसकी बात हो रही है। … (व्यवधान)

डॉ. निशिकान्त दुबे : सभापति महोदया, ये गलत कह रहे हैं। अडानी के पास कोई एयरपोर्ट नहीं है, वह ऑपरेटर है।… (व्यवधान)

श्री गुरजीत सिंह औजला : ऑपरेटर के नाम से तो सब कुछ लुटाया जा रहा है। …(व्यवधान) निशिकांत जी, ऑपरेटर के नाम से ही तो सब कुछ लुटाया जा रहा है। …(व्यवधान) अडानी एयरपोर्ट लिखा हुआ है। …(व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय सदस्य, आप विषय पर बोलिये।

…(व्यवधान)

श्री गुरजीत सिंह औजला : वे एयरपोर्ट के ऊपर जाकर वेलकम करते हैं। …(व्यवधान) वे हर एयरपोर्ट पर वेलकम कर रहे हैं कि यह अडानी का एयरपोर्ट है। उनके मुलाजिम रखे हुए हैं और आप नहीं कह रहे हैं। रेलवे के ऊपर अडानी रेलवे लिखा हुआ है। आप कैसे मना कर सकते हैं? वह तो सब लोगों को दिख रहा है।

माननीय सभापति : माननीय सदस्य, आप अपनी बात कहिये।

… (व्यवधान)

श्री गुरजीत सिंह औजला : हम यही बात कह रहे हैं। रेट को कम करने के लिए सरकार एक अच्छी कमेटी बनाए। अगर रेगुलेटरी अथॉरिटी को स्ट्रेंग्थन करना है तो उसको स्ट्रेंग्थन कीजिए। हम इस बिल का समर्थन करते हैं।

संचार मंत्री; तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया) : इन्होंने वर्ष 2006 में बेचने का काम शुरू किया था। अब चित भी मेरी और पट भी मेरी नहीं चलेगी। …(व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय सदस्य, आप अपने विषय को पूरा करिए।

…(व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय सदस्य, आप अपनी बात पूरा कीजिए। मैं आप सभी से अनुरोध कर रही हूं कि अपनी-अपनी सीट्स पर बैठ जाएं।

…(व्यवधान)

श्री गुरजीत सिंह औजला : सर, मेरी मांग है कि ओल्ड पैसेंजर्स, बुजुर्ग पैसेंजर्स के लिए सरकार स्पेशल इंसेंटिव दे। जब सीट्स की बुकिंग हो जाती है, तो नॉर्मल बुकिंग पर सिर्फ मिडल सीट्स मिलती हैं, बाकी अन्य सीट्स के लिए 200 रुपए से 2000 रुपए तक एयरलाइन चार्ज करती है। जब 10 आदमी की फैम्ली जाती है, तो उनसे 20 हजार रुपए फिर ले लिए जाते हैं। इन सभी चीजों को रेग्युलेट करना है।

मैडम, आप सभी को पता है कि इन्होंने सारा देश बेच कर…(व्यवधान) हम एयरलाइन्स की बात करते हैं, रेलवे एवं अन्य जितने पब्लिक सेक्टर्स हैं, इन्होंने सारी जायदाद बेच दी है। आप कम से कम इसे रेग्युलेट कर दीजिए। मैं मंत्री महोदय जी से विनती करता हूं कि हमारे साथी शफी परम्बिल जी जो बिल लेकर आए हैं, हम उसका समर्थन करते हैं। इसके ऊपर सख्ती से पेश आएं। धन्यवाद।

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): *Dhanyavad*, Madam Chairperson. The hon. Speaker has congratulated our colleague Shafi Parambil. Actually, yesterday, I was inquiring what does this Parambil stood for and I was told from his friend that it is his family name. I believe, it is the surname which is being used. A week or ten days before, I was reading about him in the *Hindustan Times* a piece of good news along with his photo. That news was about his student career, as a student leader, and how he took the challenge during this 2024 General Election and came to a different place to contest. He manged to mobilise adequate support. He has, I believe, upto 10 points in the Resolution. Out of which, nine points are explaining the situation and the last one, that is, 'K' where he has certain suggestions. This needs to be adopted by this House. My request to you, Shafi ji, is that do not get persuaded by the Minister to withdraw the Resolution. I am in the Treasury Bench and as this is a Private Members' Bill, my suggestion would be this. I do not know what is your experience in the Assembly but this Resolution needs to be passed. This is my view. You have congratulated the Minister about his yesterday's assurances but if you feel that this needs to be passed as a Resolution by this House, please do not withdraw it.

Now, I am coming to the issue. I think, most of the points have already been covered but I would just like to mention here about the Standing Committee Report, especially, for the information of the young Minister. The Chairman of that Standing Committee was Mr. Vijayasai Reddy. He is also from Andhra Pradesh and from the YSR Congress Party. He was heading that

Committee. Most of his suggestions are being deliberated today and your Resolution is also quite part of that. One point of that Committee's Report is: "After considering responses from the Civil Aviation Ministry on airfares, self-regulation of ticket prices by airlines has not been effective." The Standing Committee on Transport, Tourism, and Culture said: "self-regulation of ticket prices has not been very effective."

It suggested to have a mechanism whereby the DGCA is empowered to regulate the tariff. I defer with this suggestion. I will come to my suggestion a little later.

Currently, the air fares are neither established nor regulated by the Government. It has also reiterated to explore the feasibility of establishing a separate entity with quasi-judicial powers to exercise control over air fares being charged by the airlines. I am not against privatization. It is because of privatization, the texture of airports has changed drastically. We saw it before our eyes that how the texture of airports has changed during the last 20 years. But privatization was supposed to bring in competition. But as rightly told by the mover of this Resolution, what the problem today is, it is not competition, it is cartelization. To a certain extent as Nishikant ji mentioned, it is monopolistic also, which means, only one airline will go to that same airport, and it will decide what the rate would be. How are the rates fixed for air journeys? Is it that only the revenue management and commercial interest are at the core in determining the rates? We are told that the air fares are market-driven, and are neither regulated nor established by the Government. The Airlines are free to

fix reasonable tariffs. I am yet to understand what these reasonable tariffs are. Perhaps, the Ministry of Commerce may explain that to us or the Minister of Civil Aviation can tell us about it.

Should it be the cost of operation, characteristics of services, and reasonable profit, or all these three taken together? We are also told that the DGCA has established a tariff monitoring unit which monitors fares on select sectors on a random basis. And, I am also reminded last month when the Minister practically vowed to review the surging prices of air fares so that it becomes affordable. Prime Minister Narendra Modi's vision of '*Hawai Chappal Se Hawai Jahaz Tak'* is very much in the mind of the hon. Minister. New airports have come up during the last seven to eight years.

There were air fare regulations in the past. The Air Corporations Act 1953 required various airline corporations to seek approval of the Central Government for fixing the air fares. But since 21st March 1994, the said Act has been repealed and the Indian domestic aviation sector was totally de-regularized. The airlines had the freedom of fixing air fares. Now it is said that the price of air travel is dynamic, and is determined by market, demand and supply. It is notable that the passenger movement has increased significantly. That figure has already been stated here. But today, the airlines are taking advantage of this surging demand.

In the last two decades, due to affordable air fares, many passengers, who used to travel by rail traditionally, have now started travelling by air. Notably, the airfares are increasing internationally.

According to the report of Airports Council International Asia Pacific, there has been an increase of up to 50 per cent in the international air fares. The report also says that the highest increase in the airfare was 49 per cent in India. After the private sector was allowed into the aviation sector, generally, the decision of airfares has been left to the airlines so that they can fix the prices according to the market. But is it being decided by the market? It is nothing else but exploitation.

My suggestion would be that we have to form a *quasi judicial* body to oversee this exorbitant profit-driven pricing system. My suggestion would be, as the DGCA is today overloaded with many other things, do not entrust the pricing issue on to them. There has to be a regulator. Rule 135 (iv) empowers the DGCA to issue directives to the airlines. If they have charged excessively, which means more than their stated rate, to stop the oligopolistic policies, there is a need to have a robust regulator like the Security Exchange Board of India (SEBI), which is an autonomous body that regulates security market and protects the interests of investors. It is also a controlling body. Therefore, we need to have a *quasi judicial* body which would monitor the rates of tickets of passenger airlines, and also will be a controlling body which can act as a regulator, and also put fine on them. So, we need something like SEBI because before SEBI came into existence there was no such body to oversee the security market, and after it came, there has been a lot of stability in the security market. Similarly, in this monopolistic or cartelization of airlines, this needs to be done.

Secondly, there is an Airport Economic Regulatory Authority about which Shri Nishikant Dubey just now mentioned. Its mandate is to determine tariff for aeronautical services, and how the airfare is determined across the airports. When I purchase a ticket for Delhi, I am charged Rs.1140 more as an airport charge. When I go to Bhuvaneshwar, the charge is Rs.690. Why is this charged more? Is it because of the services that are provided in the airport or because we walk more from the aerobridge to our vehicle? There has to be some explanation somewhere. Somebody has to be made accountable. Why is it so? Sometimes we are also left in the tarmac to board a bus and to come to the airport.

So, there is a need for rationalization of airfares. When someone travels to Bombay, the rate is something in the morning. In the afternoon because of the pressure, of course, the rate is less. But the greater problem today is that in that same aircraft, in the same class of tickets, the rates are different. They have a different word to say that this ticket was purchased earlier. Even if I travel in one airline to Bhuvaneshwar, more than 50,000 points have been accrued to my account. But whenever I ask to do a ticket against those points, it is never done. The usual reply is, ticket against points is not available right now. When I ask for air ticket after 15 days, after 5-10 minutes they say, Sir, it is not available. So, what is the point of having these points in our account? It is just a market strategy or just to hoodwink the passengers. I am yet to understand that. This is the case of a Member of Parliament. What to say of general passengers?

I would, therefore, say that it is necessary to have this Resolution passed. As the hon. Speaker has said, he will be having a meeting. He had also instructed the Minister to have a meeting like this. But the best part of this Resolution, which I very much appreciate, is we have to find out some mechanism to implement it, and I think, the Minister can find out some mechanism to implement this. Can we not fix the upper limit of the fare, saying that the maximum fare will be this much and not more than that? I understand that economics will always determine that. The moment you fix the upper limit, all the airlines will go up to that limit immediately. But for specific routes, this can be fixed because many a time during the festival season or during certain exigencies, the fare goes through the roof. That is the reason why the mover of this Resolution, Shafi ji has mentioned that.

I fully support the demand to establish a *quasi judicial* body which can regulate it. It should be like SEBI.

Thank you, Madam

माननीय सभापति : माननीय मंत्री जी को मेरा भी सुझाव है कि जब हम टिकट के लिए सर्च करते हैं, तो पहले टिकट का किराया कम आता है, लेकिन जब हम आगे दो-चार बार और सर्च करते हैं, तो किराया गति से बढ़ता चला जाता है।

माननीय मंत्री जी, आप इस विषय को देखिएगा। जब इस विषय में कमेटी बने, तो उसमें इस विषय को भी रखिएगा।

माननीय सदस्य, डॉ**.** कलानिधि वीरास्वामी जी।

DR. KALANIDHI VEERASWAMY (CHENNAI NORTH): Thank you very much, Madam, for permitting me to participate in this Private Member's Resolution on taking appropriate measures to regulate the airfares, which has been brought in by the hon. Member, Shafi Parambil. I would also like to congratulate him for being the first-time Member of Parliament that he has achieved this amazing feat of bringing in the first Private Member's Resolution to be passed in the 18th Lok Sabha.

I would also like to congratulate my friend, hon. Rammohan Naidu on becoming the Civil Aviation Minister. I am sure that he is able to achieve a lot of things and especially in regard to this particular Resolution where the House is unanimous and everybody is of the same view that something concrete can happen. I think this Resolution will definitely be passed.

Madam, so many people have already spoken. All senior Members have spoken regarding the importance of capping the upper limit of airfares and I have a very few words to add to that.

Madam, there is a specific requirement saying that a *quasi-judicial* body needs to be formed to monitor the pricing of airfares. This is definitely a useful

one and if possible, it can be an Airline Passengers' Welfare Board, of which even the Members of Parliament can also be a part. Someone from the Rajya Sabha and the Lok Sabha can be associated with it because being frequent travellers, almost all of us travel around throughout the year. We can also be a part of that Board where we will be able to look into the grievances because we all face the same problems. Like Mr. Mahtab has already pointed out that though he has some airlines' points which accrued in his account, he has never been able to encash them. So, we need to find out what are the reasons and why these things are being denied. When it is being denied especially to a Member of Parliament, we can very well imagine the plight of the common citizen.

Apart from the airline fares, there are also other problems being faced by passengers. Everybody was talking about the whole country. I doubt if the whole country is travelling by airlines. I think, maybe, about 20 per cent of the population will be travelling by airlines, but it is a significant improvement over the last decade or two. So, we have to understand that airline traffic is bound to keep increasing, and more and more number of people are going to be travelling by air.

One of the biggest problems that we face is that when we are travelling, there are flights which get cancelled. When the flights are cancelled, especially for tourists when they are in a different destination away from their homes, it becomes a big challenge because some of the Indian airlines do not take care of the welfare of these passengers and they are left in the lurch. They do not

have proper facilities for accommodating them till their next flight is taken care of. Sometimes, since their bookings are made online, they say that the payment will also be made online whereby some people will not be able to purchase tickets for their return from that particular destination. I think, a few weeks back, there took place such an incident where a lot of people from Kerala were stranded in Agatti. More than 100 people were stranded over there and no proper service was provided to them.

These issues create a sense that the Indian airlines are not comparable to the international airlines because whenever you travel abroad, you do not face any such problems, especially when you go to other countries, be it East or West. They always ensure that if a passengers' flight is delayed beyond a reasonable time, they are accommodated, and their return tickets are being processed by the airlines. But here, the moment there is a flight cancellation, probably, sometimes it is not even possible to see any staff of that particular airline to raise the grievance. So, I think the hon. Minister will be able to take up this issue and probably address this matter.

Madam, this issue has also happened in Jaffna (Palaly) Airport, when a few people from Tamil Nadu were traveling, again, the flight was cancelled. I think the airlines was Alliance Air, subject to correction. The passengers were stranded there where they had absolutely no clue about where they could go and stay. This creates a lot of problems for travelling passengers, especially for senior citizens and people travelling with children. So, I think the hon. Minister can look into this issue.

The former Civil Aviation Minister is also here. I have had a few interactions with him when I had raised this issue of international airlines, especially Singapore Airlines, Malaysian Airlines, and even Lufthansa and British Airways. When they come and the port of landing is in some State in South India, like Tamil Nadu or Kerala, there are announcements made in the regional language, either in Tamil or Malayalam or Kannada or Telugu. But surprisingly, the Indian airlines have announcements made only in two languages, in English and in Hindi. I have made several representations to the hon. Minister, and I would like to carry forward those representations to the present Minister to see, if at least, a recorded message can be put up in the airlines. With the improvement of airlines and the affordable prices of airlines, it is not that we can expect everybody who is travelling to be knowledgeable in English or in Hindi. There are some people who probably are not aware of the language which is being spoken, and especially in flights where it is transiting *via* another place. There have been instances where people have tried to get out of the airport without their knowledge. They were totally unaware. A recorded message, at least, will definitely help those people so that they can be better informed.

Also, when we are talking about the airports, I would like to take this opportunity to request the hon. Minister that in Tamil Nadu, we have three airports which are lined up. One is in Parandur, and the other is in Hosur. It can be speeded up. There is an airport in Salem where there is already an existing airport, but the runway is short where they are hoping that it can be

expanded so that larger aircraft can land over there. The land acquisition is an issue there, and the Government of Tamil Nadu would be happy to support the DGCA and the Ministry. If that also could be expedited, I would be very grateful.

Thank you very much, Madam.

CAPTAIN VIRIATO FERNANDES (SOUTH GOA): Thank you, Madam Chairperson. First of all, congratulations to my colleague, Shafi *sahib*, for this Bill.

A lot of discussion has happened. I want to bring to the notice of the hon. Minister that I come from Goa. We have got two airports. One is the Dabolim airport, and the other is the newly constructed Mopa airport. When we talk about the difference in prices, we have a similar situation in Goa. When we investigated, we came to know about the difference in price. We have two airports – Dabolim and Mopa. Before the aircraft is leaving, if you want to book the ticket, you will find difference in prices. When we inquired, we came to know that it was because of the UDF, User Development Fee. We have made a lot of noise. Even the Chief Minister of Goa has promised that he will be approaching the Centre for the same. So, we hope that it can be looked into.

As per the reply what I got yesterday, in 2023-24, Dabolim recorded a passenger movement of 68,55,000, and at Mopa, it was 44,38,000. What we are worried about, especially, the people in South Goa is this. We feel that there have been attempts somehow to close down the Dabolim airport. We were given assurance in 2009, *vide* a Cabinet decision by Dr. Manmohan Singh that both the airports will be operational simultaneously.

But we have seen that several airlines have shifted operations to Mopa Airport all of the sudden including Spice Jet, Oman Airways, Qatar Airways, TUI Airways, and recently a week back, Air Arabia also. We have been told that there is no regulation to stop them. But we also know that by suddenly

shifting these airlines, it is going to have a bearing on the Dabolim Airport because Dabolim Airport is not an airport just for landing, but the entire economy of South Goa and probably of Goa depends on the Dabolim Airport. I am saying this because lakhs and lakhs of tourists are landing there, and whether it is the shack operators, the hoteliers, the taxi drivers, etc., all are dependent on this airport. So, my humble request is to please ensure that the Dabolim Airport remains operational and the jobs of lakhs and lakhs of people are protected. Thank you, Sir.

<u>17.56 hrs</u> (Hon. Speaker *in the Chair*)

माननीय अध्यक्ष : श्री राम शिरोमणि वर्मा जी, आपने टोपी बदल ली है।

श्री राम शिरोमणि वर्मा (श्रावस्ती) : माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे प्राइवेट बिल पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मेरा लोक सभा क्षेत्र आकांक्षी जनपद की श्रेणी में आता है। पूर्व मंत्री सिंधिया जी सदन में मौजूद हैं और वर्तमान मंत्री श्री नायडु जी भी सदन में हैं। जिस तरीके से भगवान गौतम बुद्ध की धरती पर एयरपोर्ट बनकर तैयार हुआ और वहां हवाई यात्रा की शुरूआत हुई। जिस तरीके से मात्र हफ्ते में तीन दिन हवाई यात्रा की शुरूआत हो गई है, लेकिन पहले जो घोषणा हुई थी वहां से लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर, वाराणसी, लेकिन मात्र श्रावस्ती से लखनऊ तक की यात्रा तय हो रही है। यह भगवान गौतम बुद्ध की धरती है। वहां विदेश के लोग आने का काम करते हैं और काफी मात्रा में लोग आते हैं। मैं माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि यह भगवान गौतम बुद्ध की धरती है और आकांक्षी जनपद में श्रावस्ती आता है इसलिए वहां कंटीन्यु फ्लाइट चलाई जाए और सारनाथ भी साथ ही है। यह पिछड़ा जनपद भी है।

मैं माननीय मंत्री जी को एक सुझाव देना चाहूंगा कि तमाम ऐसे गरीब लोग जो अपने घर को छोड़ कर दूसरे प्रांतों में हवाई यात्रा करते हैं, वे जब फ्लाइट की टिकट तय करते हैं तो पाते हैं कि आज सुबह जाने का किराया 5000 रुपये लखनऊ से मुम्बई का है और कभी-कभी वह किराया

शाम को 20 हजार रुपये हो जाता है । इस तरह से जो गरीब लोग अपनी रोजी-रोटी के लिए जाते हैं, उन्हें सुबह का किराया 5 हजार रुपये और वापसी का किराया 20 से 25 हजार रुपये देना पड़ता है। ऐसी स्थिति में गरीब व्यक्ति जो महीने के केवल 8-10 हजार रुपये कमाता है, उसे ज्यादा किराया देने के लिए मजबूर होना पड़ता है। मैं माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि कम से कम इस बिंदु पर विचार करें कि इतना किराया एक गरीब को देना पड़ेगा।

प्रधान मंत्री जी कहते हैं कि हवाई चप्पल पहनने वाले को भी हवाई यात्रा करने का अवसर मिलेगा, तो मुझे लगता है कि अगर इसी तरीके की स्थिति रही कि सुबह का किराया 5,000-6,000 रुपये और शाम का किराया 20,000-25,000 रुपये रहेगा तो वह सम्भव नहीं हो सकता है। माननीय मंत्री जी को इस पर सोचना चाहिए।

एयरलाइन्स कंपनियां, चाहे इंडिगो हो या एयर इंडिया हो, मैं देखता हूं कि कभी-कभी यात्रा रद्द कर दी जाती है और यात्री फ्लाइट में ही बैठे रहते हैं। उसकी जिम्मेदारी भी फ्लाइट नहीं लेती है। इसे देखना चाहिए।

माननीय अध्यक्ष: सभा की कार्यवाही सोमवार, दिनांक 29 जुलाई, 2024 को प्रात: 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

<u>18.00 hrs</u>

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock
on Monday, July 29, 2024/Sravana 7, 1946 (Saka).

INTERNET

The Original Version of Lok Sabha proceedings is available on Parliament of India Website and Lok Sabha Website at the following address:

www.sansad.in/ls

LIVE TELECAST OF PROCEEDINGS OF LOK SABHA

Lok Sabha proceedings are being telecast live on Sansad T.V. Channel. Live telecast begins at 11 A.M. everyday the Lok Sabha sits, till the adjournment of the House.

Published under Rules 379 and 382 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha (Seventeenth Edition)